

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

व्यापारिक पद्धति और यंत्र

भाग २

[इंटरमीडियेट परोक्षा के लिए यू० पी० बोर्ड, पटना
विश्वविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, राजपूताना बोर्ड,
मध्यभारत बोर्ड, काउन्सिल ऑफ टेक्निकल
ऐज्युकेशन, आदि द्वारा स्वीकृत]

लेखक

अपर नारायण अग्रवाल, एम० ए०, चौ० काम०
रोडर, वाणिज्य विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग
लेखक, “अर्थशास्त्र का परिचय”,
“वाणिज्य अर्थशास्त्र” आदि।

छठवां सशाधित और विस्तृत संस्करण

मूल्य ३) रु०

‘ कि ता च म ह ल, इ ला हा चा द

पहला संस्करण, १९५६
दूसरा संस्करण, १९५०
तीसरा संस्करण, १९५२
चौथा संस्करण, १९५३
पाँचवाँ संस्करण, १९५४
छठवाँ संस्करण, १९५६

प्रकाशक—किताब महल, ५६ ए, जीरो रोड, इलाहाबाद ।
मुद्रक—रामगंगन मिथ, सजीवन प्रिण्टिंग प्रेस, ७३३ कटरा, प्रयाग ।

छठवें संस्करण की भूमिका

इस संस्करण में बहुत-कुछ सुधार तथा उल्लंघन किये गये हैं। इसमें से व्यापारिक निधान की शाखा निकाल दी गई है क्योंकि अधिकार परीक्षा-रखाओं ने इन्डर्मीट्रियेट के पाठ्य क्रम से इस विषय को बरिष्ठत कर दिया है। उसके स्पान पर दो नये अध्याय “पेटेन्ट, डिजाइन्स तथा ड्रैमार्क” और “कम-चन्दन (Grading) तथा प्रमाणीकरण (Standardisation) दे दिये गये हैं। ये विषय व्यापारियों के लिये बहुत महत्व के हैं, और इन्हें इतने आसान ढग पर समझाया गया है कि विद्यार्थी इन्हें सरलता से हृदयंगम कर लें। Indian Patents and Designs Act 1941, Indian Trade Marks Act, 1940, Indian Agricultural (Grading and Marketing) Produce Acts 1937 तथा Indian Standards Institute के विषय में जो सुचना दी गई है उससे पाठक को इन उपयोगी चालों का ज्ञान हो सकेगा। सामेदारी के अध्यायों में ‘रुपाति’ (Goodwill) नाम की एक नई शाखा जोड़ दी गई है। एक नया अध्याय “कम्पनी के सेक्रेटरी का काम” पीलिता गया है क्योंकि वाणिज्य के विद्यार्थियों को इस महत्वपूर्ण निधय का ज्ञान आवश्यक है। नवीन परीक्षा प्रश्नों को अध्यायों के हिसाब के वर्गीकृत कर दिया गया है। आशा है शिक्षक एवं विद्यार्थी समाज इन नवीन अशों को स्वीकार करेगा, और विविध परीक्षा-मठल इन्हें (विशेषतया पेटेन्ट, डिजाइन्स ड्रैमार्क, आदि के) अपने पाठ्य क्रमों में सम्मिलित करने पर विचार करेंगे।

५, चलणभूषण द्वात्तु,
जुलाई १, १९५६]

\ अमर नायर अप्रवाल

पहले संस्करण की भूमिका से

हमारे पूर्वजों के समय में व्यापार बहुत सुगम और आसान था क्योंकि उस समय में कोई भी व्यापारी कैदा ही सामान लेकर दूकान खोल कर बैठ रुकता था और ग्राहकों से अपनी रचि वे श्रानुसार शिाट वा अशिष्ट व्यवहार कर सकता था। खरीदार फिर भी उसे धेरे रहते थे क्योंकि तब दूकाने थोड़ी थी और स्पर्द्धा कम थी। किन्तु वर्तमान युग में जहाँ विश्वाषीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों, बहुसंख्यक तथा विभाजित रसोरों, वैज्ञानिक तथा कलापूर्ण विक्री एवं तीक्ष्ण स्पर्द्धा का बोलबाला है, यह सब अतीत की सृष्टि मात्र होकर रह गई है। गई-जीती व्यापारिक रीतियाँ तथा अशिष्ट व्यवहार आधुनिक व्यापारिक रीतियों और वैज्ञानिक प्रियंक फला की विरोधी हैं, और आधुनिक जगत में आधुनिक रीतियों द्वारा ही सफलता मिल सकती है। अत आधुनिक व्यापारिक पद्धति का महत्व व्यापार में पदार्थण करने वाले युवक के लिए कितना महान् है, यह आसानी से समझ जा सकता है।

दुछ काल पूर्व आधुनिक व्यापारिक रीतियों का अध्ययन विदेशों में व्यर्थ समझ जाता था, और आजकल हमारे देश में भी ऐसी ही धारणा उपस्थित है। यह बहुधा कहा जाता है कि हमारे औद्योगिक सम्मानों ने महान् पद विना व्यापारिक शिक्षा के प्राप्त किये हैं और इसी प्रकार मात्री युवक भी सफल हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि पढ़ लिय कर विद्यार्थियों को सैदान्तिक ज्ञान का तो लाभ हो जाता है किन्तु उनमें व्यापार करने की गोष्ठी विकसित नहीं होती। अब वह समय आ गया है कि हम इस प्रकार के ट्रिटकोण से स्वयं को मुक्त करें। वास्तव में यदि हमारे औद्योगिक सम्मानों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला होता, तो कदाचित् उन्हें और भा अधिक सफलता मिलती। हमारे महाविद्यालयों की शिक्षा व्यापारिक पद्धति के विषय में कवल सैदान्तिक ज्ञान तो देती है, किन्तु यह रचनात्मक क्षेत्र में प्रवेश

करने पर बहुत काम आती है। आजकल के विशिष्टांकरण के युग में जिस प्रकार डाक्टर को डाक्टरी विज्ञान का तथा वकील को विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, उसी प्रकार व्यापारी को व्यापारिक शिक्षा प्राप्त करना अभीष्ट है।

ऐसे विचारों के फलस्वरूप अनेक व्यापारिक परीक्षाओं के पाठ्यनाम में आधुनिक व्यापारिक पद्धति का समावेश कर दिया गया है। इस विषय की विस्तृत लोकप्रियता के होते हुए भी हमारे देशवासियों ने बहुत योग्यी ही पुस्तकें इस पर लिखी हैं। पर पास्तनात्य देशों में ऐसा नहीं है। इंगलैंड और खासकर अमेरिका में, कुछ मेघावी पुस्तकों ने अपनी प्रतिभा को व्यापारिक पद्धति को विज्ञान और कला का रूप देने में समर्पित कर दिया है और वहाँ ऐसी पुस्तकें निकली हैं जिन्हें व्यापार में प्रवेश करने वाले नवमुवक पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। अतः उस पुस्तक के लिखने के लिये कदाचित किसी चम्पा यानना की आवश्यकता नहीं। यह पुस्तक मुख्यतया इंडरप्रिंट के विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है। यू० पी०, राजपूताना, पटना, बनारस, अलीगढ़, मथुरा, दिल्ली, नागपुर, सागर आदि के विश्वविद्यालयों वा शिक्षा मंडलों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखने हुये इन पुस्तक की विषय सामग्री का निर्णय किया गया है।

पुस्तक के लिखने में मैंने इस बात की बराबर चेत्या की है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण को सामने रखा जाय और उसे प्रधानता दी जाय। विषय को स्पष्ट करने के लिये और उसे सुव्यवसित बनाने के लिये कई प्रकार के शीर्षकों और उपशीर्षकों का प्रयोग किया गया है। किसी भी विषय के सम्बन्ध के लिये “दृष्टिगत सहायता” (visual aids) जैसे रेला-चित्र, चार्ट, आदि बहुत उपयुक्त होते हैं और इनका इस पुस्तक में स्वतंत्रता-पूर्वक प्रयोग किया गया है। व्यापारी जिन चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, उनके उदाहरण भी पुस्तक में दिये गये हैं।

विषय-सूची

छठवें संस्करण की भूमिका	...	३
पहले संस्करण की भूमिका से	...	४
शाखा ५ : व्यापारिक संगठन के स्वरूप		
अध्याय ३३—प्रारम्भिक	...	१
" ३४—एकाकी व्यापारी (Sole trader) ...	३	
" ३५—सामेदारी (१) : फर्म की स्थापना ...	४	
" ३६— " (२) : सामेदारी के कर्तव्य तथा अधिकार	२०	
" ३७—संयुक्त पैंजी की कम्पनी (१) : कम्पनी की स्थापना	२८	
" ३८—संयुक्त पैंजी की कम्पनी (२) : पैंजी प्रबन्ध और नियंत्रण	५६	
" ३९—संयुक्त पैंजी की कम्पनी (३) : सेकेटरी का काम	६८	
शाखा ६ : विदेशी व्यापार		
अध्याय ४०—विदेशी व्यापार	...	८८
" ४१—खोटेशन, आयात-निर्यात-कर और भुगतान	१०६	
" ४२—निर्यात व्यापार	...	१३६
" ४३—आयात व्यापार	...	१५३
" ४४—विदेशी बीजक बनाना	...	१६६
शाखा ८ : बीमा		
अध्याय ४५—बीमा (Insurance)	...	१६२
" ४६—जीवन बीमा	...	२१३
" ४७—अग्नि-बीमा	...	२३०
" ४८—सामुद्रिक बीमा	...	२४८
" ४९—उभास्त्रिक ज्ञाति	...	२७५

शाखा १० : फुटकर

आध्याय ५०—व्यापार आरम्भ करना	पृष्ठा	...
” ५१—व्यापारिक समितियाँ		...
” ५२—पेटेट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क		...
” ५३—क्रम-चयन (Grading) तथा प्रमाणीकरण (Standardisation)		—

व्यापारिक संगठन के स्वरूप

अध्याय ३३

प्रारम्भिक

“व्यापारिक संगठन” शब्द का अर्थ आसानी से समझा जा सकता है। वे समस्त मानवीय क्रियाएँ, जो माल के क्रम विक्रय के उद्देश्य से की जाती हैं, व्यापार के नाम से पुकारी जाती हैं। दिये हुये उत्तरांश के साधनों में १कसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रभावपूर्वक सहयोग स्थापित करने का नाम संगठन है। अतः व्यापारिक संगठन का अर्थ व्यापार के विभिन्न साधनों के बीच में प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करना ही है।

व्यापारिक संगठन के कई स्वरूप हो सकते हैं। इनमें से सब से महत्वपूर्ण स्वरूप निम्नलिखित हैं— (१) एकाकी व्यापारिक भवन, (२) सामेलारी के रूप और (३) संयुक्त पैंजी की कम्पनियाँ। इन तीनों स्वरूपों के प्रमुख भेद व्यापारिक इकाई के स्वामित्व एवं वैधानिक (या कानूनी) अवावट से सम्बंधित हैं।

व्यापारिक संगठन के और नये-नये रूप भी तेजी से उदय हो रहे हैं। यहे पैमाने की उत्तरांश के वर्तमान सुग में, बड़ी-बड़ी व्यापारिक इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से बहुधा दो या दो से अधिक व्यापारिक भवन संयुक्त हो जाते हैं। ऐसी संयुक्त व्यापारिक इकाइयों को सघ (Combination) कहा जाता है। सघ आनंदोलन वैसे तो सासार के प्रत्येक प्रगतिशाल देश में प्रचलित है किन्तु इसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विशेष जोर है।

आधुनिक काल में सहकारिता के आन्दोलन ने भी काफी उन्नति की है, और बहुत से व्यापारिक भवन सहकारी सिद्धान्त पर खोले गये हैं। उदाहरण के लिये, कभी-कभी किसी स्थान के उपभोक्ता आपस में मिलकर एक “सहकारी उपभोक्ता स्टोर” खोल लेते हैं जिसका सारा लाभ क्रेताओं में उनकी वार्षिक क्रय के अनुमान में विभाजित कर दिया जाता है।

व्यापारिक भवन का क्या स्वरूप हो, यह उसके स्वामी तथा अन्य व्यापारियों के लिये बहुत महत्व की बात होती है। व्यापार का स्वामी इसे बहुत महत्वपूर्ण इसलिये रमझता है कि उसे लाभ का मिलने वाला भाग, व्यापार में उसके श्रापने प्रबन्ध और अधिकार की मात्रा तथा उसके जोखिम की मात्रा आदि चाँतें व्यापारिक सगड़न पर ही निर्भर होती हैं। दूसरे, व्यापारियों की इसमें इसलिये दिलचस्पी होती है क्योंकि उन्हें यह जानना आवश्यक होता है कि स्वामियों का उन्नरदायित्व सीमित है अथवा असीमित, व्यापार का प्रबन्ध कौन करेगा, इस प्रबन्ध का भवित्व कैसा होगा, आदि।

एकाकी व्यापारी (SOLE TRADER)

अर्थ

जो व्यक्ति केवल अपने हित के लिये और स्वयं अपनी जोखिम पर व्यापार करता है, वह एकाकी व्यापारी कहलाता है।^१ दूसरे शब्दों में, किसी व्यापारिक इकाई का अकेला स्वामी एकाकी व्यापारी कहलाता है। यदि आप अपने परिचय की व्यापारिक कोठिया को देतें, तो आप को पता चलेगा कि उनमें से बहुत सी एकाकी व्यापारिक संस्थाएँ हैं। आप के बीमार हो जाने पर आप के उपचार करने के लिये आने वाला डाक्टर और चटपटे वाला जिसकी चटपटी चाट को देख कर आपके मुँहमें पानी भर आता है, साधारणतया एकाकी व्यापारी होते हैं। हमारे देश में सयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचार बहुत है और बहुत सी व्यापारिक कोठियों का स्वामी एक व्यक्ति के स्थान पर एक परिवार होता है। ऐसी व्यापारिक संस्थाएँ भी एकाकी व्यापारिक काठियों की श्रेणी में

^१ व्यक्तिगत स्वामित्व (Individual Proprietorship) वह व्यापारिक उपक्रम है जिसका स्वामी केवल एक ही व्यक्ति होता है जो स्वामी होने के साथ साथ व्यापार का प्रबन्धकर्ता एवं धुरी भी होता है।—Charles W. Gerstenberg, *Principles of Business Organization* p. 104. व्यापारिक समझन का व्यक्तिगत साहसी बाजा त्वर्त्य वह समझन है जिसका अध्यक्ष केवल एक व्यक्ति होता है जिस पर सारा उत्तरदायित्व होता है, जो व्यापार का परिचालन करता है और जो व्यापार के असफल हो जाने की जोखिम भी मेलता है।—Lewis Henay, *Business Organisation and Combinations*, p. 47.

सम्मिलित होती हैं।^२ एकाकी व्यापारी को “व्यक्तिगत साहसी” या “व्यक्तिगत स्वामी” भी कहते हैं।

एकाकी व्यापारिक संस्था के लक्षण

एकाकी व्यापारिक संस्था का स्वामी केवल एक ही व्यक्ति होता है। स्वामित्व और जोखिम सहगामी होते हैं। अतः व्यापार की सारी जोखिम एकाकी व्यापारी को सब्य मैलनी पड़ती है। यदि व्यापार में बहुत लाभ हुआ, तो वही अकेला उसका अधिकारी होगा; इसके विपरीत यदि व्यापार में हानि हुई, तो उसी अकेले को यह सहन करनी पड़ती है। अकेला स्वामी और साहसी होने के अतिरिक्त साधारणतया वह व्यापार का सगटनकर्ता तथा मैनेजर भी होता है। साधारण रूप से, एकाकी व्यापारिक संस्था एक विशेष स्थान में ही काम करती है। किन्तु ऐसे भी एकाकी व्यापारी होते हैं, जिनका व्यापार समस्त देश में ही नहीं प्रत्युत विदेशों में भी फैला होता है। किन्तु ऐसे व्यापारी विरले ही होते हैं।

साधारण रूप से फुटकर विक्रेता, फेरीबाले और प्रत्यक्ष सेवा करने वाले जैसे डाक्टर, एकाकी व्यापारी की भाँति काम करते हैं।

वैधानिक प्रतिक्रिया (Legal Provisions)

एकाकी व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले कोई विशेष वैधानिक प्रतिक्रिया नहीं। केवल दो ही बातें ऐसी हैं जिनका समरण रखना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि एकाकी व्यापारी का उच्चरदायित्व असीमित होता है। अन्य शब्दों में, उसकी व्यापारिक देनदारियाँ (Liabilities) उसकी व्यापारिक सम्पत्ति में से ही नहीं प्रत्युत उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति में से भी भुगतान की जा सकती हैं।

^२ भारतीय सामेदारी विधान सन् १९४२ की घारा ५ में लिखा है: “सामेदारी का सम्बन्ध स्थिति का परिणाम नहीं, प्रत्युत प्रसविदे (Contract) का परिणाम होता है; और विशेषतया पारिवारिक व्यापार के करने वाले किसी अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य, व्यापार करने वाले वर्मा निवासी दम्पति, ऐसे व्यापार के साकेदार नहीं होते।”

उदाहरण के लिए, यदि किसी एकाकी व्यापारी को अपने आगेदाता के १०,००० रु. देने हैं किन्तु उसकी व्यापारिक समति ८,००० रु. ही की है, तो उसका आगेदाता उसकी व्यक्तिगत समति में से २,००० रु. से बचा सकता है। दूसरी बात यह है कि क्या किं एकाकी व्यापारी को बहुत से प्रसविदे (Contracts) करने पड़ते हैं, अतः उसमें प्रसवेदन की योग्यता^३ (Competence to Contract) होना आवश्यक है, अन्यथा उसके किये गये प्रसविदे वैध (Legal) नहीं होंगे। जो व्यक्ति बालिग है और जिसका मत्तिष्ठ ठीक है, वह प्रसवेदन योग्य होता है और वही एकाकी व्यापारिक संस्था स्थापित कर सकता है।^४

इसके लाभ

एकाकी व्यापारिक संस्था से निम्नलिखित लाभ होते हैं :

(१) इसे बहुत नुगमना और शीतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति एकाकी व्यापारिक संस्था स्थापित करना चाहे, वह ऐसा कर सकता है : उसको ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। कोई विधान वह भी

^३विधवाएँ और विवाहित स्त्रियाँ प्रसवेदन-योग्य (Competent to Contract) होती हैं और वे अपनी अलग समति की सीमा तक उत्तरदायी ठहरावी जा सकती हैं।

^४भारतीय प्रसवावदा विधान (सन् १९७२ का नवाँ विधान) की धारा ११ इस प्रकार है : जो भी व्यक्ति उस पर लागू होने वाले विधान के अनुकूल बालिग है, और जिसका मत्तिष्ठ ठीक है और जो उस पर लागू होने वाले किसी विधान द्वारा प्रसवेदन के अन्तर्गत घोषित नहीं हुआ है वह प्रसवेदन योग्य है।

^५यह साधारणतया सप्ताह के सभी दिनों पर लागू होता है। किन्तु अमेरिका के कुछ स्टेटों में व्यापार ग्राम करने के लिए कुछ योड़ी-सी फीस देकर लाइसेंस लेना आवश्यक होता है।

नहीं कहता कि उसे रोजेस्ट्री करना या कोई वैधानिक कागजात भरकर देना आवश्यक है और स्थापना में उसे इस सम्बन्ध में कोई व्यप भी नहीं करना पड़ता।

(२) एकाकी व्यापारी अपने व्यापार का एकमात्र सूचधार होता है। उसके मार्ग में कोई बाहरी बाधा नहीं आती। वह किसी भी बात का स्वयं ही शीघ्र निर्णय करके आवश्यक काम कर सकता है, जो व्यापारिक सफलता में बहुत सहायक होता है।

(३) एकाकी व्यापार के सारे लाभ का, स्वामी स्वयं ही आधकारी होता है। अत यह लाभ को अधिकतम करने के लिये बहुत परिश्रम, लगन और चतुराई से काम करता है। एकाकी साहसी की व्यापारिक कार्यक्षमता अधिकतर प्रशसनीय होती है।

(४) एकाकी व्यापारी भेदों को गुप्त रूप सकता है। उसने प्रतिद्विद्वयों को उसके अतिरिक्त और कोई भी उसके भेद नहीं लेता सकता।

इसके दोष

व्यापारिक समर्थन के इस स्वरूप के निम्नलिखित दोष भी होते हैं जिनका व्यान में रखना आवश्यक है —

(१) दोमान्यतया एकाकी व्यापारिक सम्पादों की दूजा कम होता है। इसकी मात्रा स्वयं स्वामी का अपनी निजी पैंडी तथा उसको मिल सकने वाले अन्य तक ही सीमित रहती है। ग्राधुनिक समय के नड़ बढ़ कारणाना में करोड़ रुपये लगते हैं और उन्ह साधारण रूप से एकाकी व्यापारिक सम्पर्क द्वारा धार पर स्थापित नहीं किया जा सकता।

(२) पैंडी की भाति, प्रबन्ध सम्बन्ध चतुराई और योग्यता की मात्रा भी योड़ी होता है। एक व्यक्ति की निर्णय शक्ति, प्रबन्ध शक्ति तथा बुद्धिमानी बहुत सीमत होता है, और यह व्यापार के प्रसार में बाधक हो सकती है।

(३) व्यापार का सफलता स्वयं स्वामी का उन्नतिधति और उसके व्यक्तिगत प्रबन्ध तथा देस रेय पर निर्भर होती है। यदि कायवश उसका अनुपस्थिति अनिवार्य हा जाए, तो व्यापार का धन्दा लेने का भय होता है।

(४) एकाकी व्यापारी का असीमित उत्तरदायित्व उपके लिये बहुत डर की बात है। अशुणदाता, व्यापार में लगाँ हुईं पूँजी से नहीं वरन् स्वामी की व्यक्तिगत सम्पत्ति से भी भुगतान करा सकते हैं। यह साहसी की जोखिम फेलने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है।

इसका ज्ञेत्र और वर्तमान स्थिति

उपरोक्त लाभ और दोषों के पिवेचन से हम एकाकी व्यापारिक स्थिति का ज्ञेत्र बता सकते हैं। यह उन व्यापारों के उपयुक्त है जो छोटे होते हैं, जिनमें कम पूँजी एवं योग्यता की आवश्यकता होती है और जिनमें व्यक्तिगत देख-रेख महत्वपूर्ण होती है, और जिनमें उत्तरदायित्व अधिक नहीं होता। आजकल यह स्थानीय व्यापार जैसे फुटकर व्यापार, कृषि, प्रत्यक्ष सेवा वाले पेशों जैसे डाक्टरों का पेशा, कार्यिगर के काम और बैंकिंग आदि में प्रचलित है। किन्तु इसका ज्ञेत्र अभी काफी है और रहेगा, यद्यपि व्यापारिक संगठन के अन्य स्पर्लों की सापेक्षिक उत्तिवेग से हो रहा है।

एकाकी व्यापारी के भविष्य के विषय में डाक्टर हेने ने ऐसा लिपा है। यह स्वरूप उस विस्तृत ज्ञेत्र में जीवित रहेगा जिसमें पूँजी की कम आवश्यकता होती है, किन्तु व्यक्तिगत योग्यता की बहुत आवश्यकता होती है। क्याकि इसके बहुत से लाभ और गुण हैं, इसलिए समाज का चाहिये कि ऐसी अवस्था प्रस्तुत करे जिसमें कि यह अधिक पूँजा और बड़े पैमाने के फर्मों से अच्छी तरह प्रतिद्वंद्विता कर सके। अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ इस बात को विस्मृत नहीं कर सकते कि आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व के गुण समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये गुण एकाकी व्यापारियों में भली भाँति विकसित होते हैं।

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इन्दर कामर्स

१. एकाकी व्यापारी ऊ वैधानिक प्रतिबन्धों पर प्रकाश ढालिये। अधुनिक बड़े पैमाने के युग में एकाकी व्यापारिक स्थिति को लाये क्या स्थान है? (उ० प्र० १६५४)

२. एकाकी व्यापारी किसे कहते हैं ? एकाकी व्यापारी को किन हानियों और दोषों का सामना करना पड़ता है ? किर मी एकाकी व्यापारी क्यों चलता जाता है ? (उच्चर प्रदेश, १६५३)

३. एकाकी व्यापारी सगठन से आप क्या समझते हैं ? साकेदारी व्यापार की आपेक्षा एकाकी व्यापारिक सगठन के क्या-क्या मुख्य गुण और दोष होते हैं ? सद्देश में वर्णन कीजिये। (उच्चर प्रदेश, १६५२)

राजपूताना, इन्टर कामर्स

४. एकाकी व्यापारिक के लाभ और दोषों की विवेचना कीजिये। व्यापार की किन शाखाओं में उसने अपना स्थान अब तक बनाये रखा है, और क्यों ? (१६५३)

उस्मानिया इन्टर कामर्स

५. एकाकी व्यापार भवन के लाभ और दोषों का वर्णन कीजिये। (उस्मानिया, १६५२)

६. एकाकी व्यापार का क्या अर्थ है ? उसके सगठन के क्या लक्षण होते हैं ? (उस्मानिया, १६५१)

चरकल्त, इन्टर कामर्स

७. एकाकी व्यापार भवन के लक्षण क्या होते हैं ? उसके लाभ और हानियों की विवेचना कीजिये। (१६५२)

मध्यभारत, इन्टर कामर्स

८. एकाकी अथवा व्यक्तिगत व्यापार से आप क्या अर्थ समझते हैं ? इस व्यापार की क्या मुख्य विशेषताएँ होती हैं ? उसके लाभ और दोषों का सविलार विवेचन कीजिये। (मध्यभारत १६५५)

अध्याय ३५

सामेदारी (१) : फर्म की स्थापना

१. सामेदारी का अर्थ और लक्षण

सामें को आवश्यकता

सामें का फर्म बहुत-कुछ एकाकी व्यापारिक कोठी की ही भाँति होता है : अन्तर इतना ही होता है कि फर्म के स्वामी दो या दो से अधिक होते हैं । व्यक्तियों से मिल कर काम करने की आवश्यकता कई कारणों से होती है और उसके आधार पर वहे पैमाने का व्यापार नहीं किया जा सकता । अतः कई व्यक्ति इस कारण मिलकर काम करने लगते हैं कि उनके पास वहे पैमाने पर व्यापार करने के योग्य साधन एकत्रित हो जायें । इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति के पास व्यापारिक सफलता के समस्त आवश्यक गुण नहीं होते : पैूँजीयतियों के पास कुशलता नहीं होती, और जिनमें व्यापारिक सफलता के आधारभूत गुण होते हैं उनके पास पैूँजी का अभाव होता है । विभिन्न साधनों वाले व्यक्तियों के सामेदार हो जाने से प्रत्येक को लाभ होता है । फिर कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जिनमें कई दिशाओं में काफी ध्यान की निरतर आवश्यकता होती है ; अतः उचित प्रबन्ध के लिए कई व्यक्ति चाहिये । उपरोक्त तीन कारणों के परिणामस्वरूप ही सामें के फर्म बनते हैं ।^१

^१ जैसे-जैसे उपक्रम (enterprise) विस्तृत होता जाता है, वैसे ही वैसे व्यक्तिगत स्वामित्य का तरीका अपर्याप्त होता जाता है । एक व्यक्ति के कर्तव्य और उत्तरदायित्व इतने अधिक हो जाते हैं कि स्वामी की इच्छा अपने श्रेष्ठ सेवकों को व्यापार में सहगामी बना कर प्रोत्साहित करने की हो सकती है । उसकी इच्छा हो सकती है कि वह अपने साथ पैूँजी या कुशलता वाले व्यक्तियों को ले;

सामेदारी का अर्थ

जब दो या दो से अधिक व्याकु यारस्त्रिक लाभ के लिए मिल कर व्यापार करने वे लिए सहमत हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि उन्होंने सामेदारी या साभा कर लिया है। हमारे देश म सामेदारी भारतीय सामेदारी विधान (Indian Partnership Act) द्वारा शासित होती है। इस विधान वे अनुसार, सामेदार उन व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध है जो कि सर, या सब के लिए कुछ स्थानांपत्र के रूप में, मिलकर व्यापार करने और उसके लाभ को आपस में विभाजित करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार, सामेदारी के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण हैं—
 (१) सामेदारी एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं हा सकती। (२) सम्बधित व्यक्तियों को 'व्यापार' करने के लिए सहमत होना आवश्यक है। (३) उनम व्यापार के लाभ को आपस में बाँटने को भी सहमति होनी चाहिये। (४) व्यापार या तो वे सब मिलकर करें या उनम से कुछ सब के लिए करें। (५) सामेदारी की सख्ता २० से अधिक नहीं होनी चाहिये, और बैंकिंग व्यवसाय में वह सख्ता १० से नहीं बढ़नी चाहिये। यह पाँचवीं बात कानूनी परिभाषा म नही दी गई है, किन्तु यह यहुत महत्वपूर्ण है। यदि सामेदारों की सख्ता अधिकतम सख्ता से बढ़ जाय, तो साभा गेरकानूनी हो जाता है—यह प्रसविदे के अयोग्य हो जाता है और व्यायालय में अभियोग चलाने का अधिकार दो बैठा है। यदि उपरोक्त बातों में से एक भी अनुपस्थित हो, तो व्यक्तियों वे बीच का सम्बन्ध सामेदारी नहीं कहला सकता।

अत धन सम्बधी, व्यक्तिगत पद्धति या व्यापारिक लाभ के कारणों के परिणाम स्वरूप सामेदारी बनाई जाती है। बड़ी बड़ी कोठियों के इस वर्तमान युग मे सामेदारी जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई जाती है व सर्व स्वष्ट है। *Dexter S Kembell Principles of Industrial Organisation, p 53*

'व्यापार के अन्तर्गत समस्त व्यापार, ऐसे तथा प्रत्यक्ष सेवा वाने काम समिलत हैं।

जो व्यक्ति एक दूसरे से मिल कर सामेदारी स्थापित करते हैं, उन्हें साभी या सामेदार (Partners) कहते हैं। सामूहिक रूप से उन्हें फर्म (Firm) कहा जाता है; और जिस नाम से वे व्यापार करते हैं उसे फर्म का नाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राम और मुख्तार “राम मुख्तार प्रॅड कम्पनी” के नाम से व्यापार करें, तो उनकी व्यागारिक दृक्कान फर्म कहलायेगी, उसका नाम “राम, मुख्तार प्रॅड कम्पनी” होगा, और इन दोनों व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध सामेदारी कहा जायगा।

यहाँ पर दो बातों पर जोर देना आवश्यक है। (१) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक सम्पत्ति के स्वामी हों और उसके लाभ को आपस में विभाजित करते हों, तो वे सामेदार नहीं कहलायें जा सकते।^३ ऐसे व्यक्तियों को वैधानिक भाषा में सह-स्वामी (Co-owners) कहा जाता है। सह स्वामित्व सामेदारी से कई बातों में भिन्न है। सह स्वामित्व पर यह प्रतिबन्ध नहीं कि उसका काम व्यापार करना ही हो या उसमा उद्देश्य लाभ बाँटना ही हो अथवा उसमें सदस्यों की सबसे अधिक सख्त्या २० ही हो। इसके अतिरिक्त सामेदार अपने व्यापार के हित (interest) को अन्य सामेदारों की अनुमति के बिना बेच नहीं सकता या हल्तान्तरित नहीं कर सकता, किन्तु सह-स्वामी व्यापार के हित को बिना सह स्वामी की अनुमति के अपनी इच्छानुसार बेच सकता या हस्तान्तरित कर सकता है। (२) दूसरी बात यह है कि यदि कोई अवकाश-प्राप्त (Retired) सामेदार, या किसी मृत सामेदार की विधवा स्त्री, लाभ का एक भाग पाती है, तो इसका यह आशय नहीं कि वह फर्म की सामेदार है।

सामेदारी के लक्षण

अब हम नीचे सामेदारी के लक्षण की विवेचना करेंगे :

(१) वैधानिक दृष्टि से सामेदार और फर्म एक दूसरे से अलग नहीं। अन्य शब्दों में, विधान की दृष्टि में सामेदार और फर्म एक ही बस्तु है। यही कारण है कि प्रत्येक साभी फर्म की ओर से प्रसविदे कर सकता है, प्रत्येक साभी

^३ देखिये भारतीय सामेदारी विधान, धारा ६।

पर फर्म के अमुण्डों के भुगतान के लिए अभियोग चलाया जा सकता है और किसी सभी की मृत्यु हो जाने पर या किसी प्रकार की वैधानिक अयोग्यता हो जाने पर सामाजिक ट्रूट जाता है। साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझता। वह यह देखता है कि सब सौदे फर्म के नाम से किये जाते हैं और इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि जिस प्रकार समुक्त पूँजी की कम्पनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से मिल है, उसी प्रकार फर्म का अस्तित्व सामेदारों से मिल होता है। विधान के अनुसार, सामेदारों का सामेदारों से मिल कोई अस्तित्व ही नहीं। यह अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला कृपित्र व्यक्ति (artificial person with perpetual succession) नहीं है।

(२) जैसा ऊपर बताया जा चुका है, सामेदारों में कम से कम दो व्यक्ति और अधिक से अधिक २० व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, केवल वैकिंग व्यवसाय में अधिकतम सख्त्या १० है। यदि वास्तविक सख्त्य इससे अधिक हो जाय, तो फिर उस संस्था को अपनी रजिस्ट्री कम्पनी की हैसियत में करा लेनी चाहिये, अन्यथा वह संस्था अवैध (illegal) मानी जायगी और यह विधान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और रक्षा का लाभ नहीं उठा सकती।

(३) सामान्य रूप से, सामेदारों का उत्तरदायित्व अपरिमित होता है। सामेदार फर्म के सारे अमुण्डों के लिये व्यक्तिगत एव सामूहिक दोनों रूपों में उत्तरदायी होते हैं। मान लीजिये एक फर्म की देनदारी २०,००० रुप की है, किन्तु उसकी सम्पत्ति केवल ११,००० रुप ही है। यदि एक को छोड़कर शेष सब सामेदार दिवालिये हो जायें, तो पहले वाले सामेदार को शेष ६,००० रुप अपनी जेब से देने हागे। विधान ने परिमित उत्तरदायित्व वाले सामेदारों की भी आयोजना की है, किन्तु एक फर्म के सामेदारों का उत्तरदायित्व परिमित नहीं हो सकता।

(४) कोई भी सभी अपने सामेदारों की अनुमति के बिना अवकाश ग्रहण नहीं कर सकता।

(५) पूँजी और व्यापारिक बुशलवा की मात्रा की दृष्टि से, सामेदारी का रथान व्यक्तिगत स्वामित्व तथा कम्पनी के मध्य में आता है, इसके साधन पहने

की अपेक्षा अधिक और दूसरे की अपेक्षा कम होते हैं। अकेले आदमी के व्यापार को मिल सकने वाली पूँजी तथा कुशलता बहुत सीमित होती है। इसी सीमा के कारण सामेदारी स्थापित की जाती है। किन्तु सामेदारी के साधन, अकेले व्यापारी के साधन से अधिक होने पर भी, काफी नहीं होते। वेवल कम्पनी ही ऐसा व्यापारिक संगठन है। जिसके साधन अर्थात् हो सकते हैं और जिसने आधुनिक युग को महान् व्यापारिक उपक्रम (enterprises) में दिये हैं।

५२. सामेदारी के गुण और दोष

सामेदारी के लाभ

(१) साम्भा आसानी से किया जा सकता है : दो या दो से अधिक कोड़ी भी व्यक्ति जो साथ साथ व्यापार करने के लिए सहमत हो जावें, सामेदारी स्थापित कर सकते हैं और फर्म की रजिस्ट्री करा सकते हैं। स्थापना की सुगमता इतनी लो नहीं होती जितनी कि एकाकी व्यापारिक कोटी में होती है क्योंकि ऐसे परिचिन और विश्वासपात्र व्यक्ति जो साभी बन सके, आसानी से नहीं मिलते और फिर रजिस्ट्री कराने के लिये वैधानिक रीतियों का भी पालन करना पड़ता है; किन्तु इत बात को यदि छोड़ दिया जाय, तो एकाकी व्यापारिक कोटी तथा सामेदारी के पर्म समान सुगमता से स्थापित किये जा सकते हैं।

(२) लाभ को अधिकतम करने के लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति को सलग्न कर देने की प्रेरणा भी सामेदारी में काफी बलवती होती है। असीमित उत्तर-दायित्व के कारण जोखिम इतनी अधिक होती है, क्रिया और पुरस्कार में इतना प्रत्यक्ष और निकट सम्बंध होता है, सामेदारों में इतना धनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बंध होता है कि अधिकाधिक उत्पत्ति की प्रेरणा बहुत शक्तिशालिनी हो जाती है; किन्तु यह प्रेरणा एकाकी व्यापारी के समान बलवती नहीं होती क्योंकि एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति के परिश्रम का सारा लाभ उनी अकेले को मिलता है किन्तु सामेदारी में यह सामेदारों में बैट जाता है।

(३) सामेदारी बहुत लोचंदार (flexible) होती है। फर्म के उद्देश्य, सदस्य तथा पूँजी आदि का निर्धारण सामेदार आपस म ही निर्धारित कर लेते हैं और उनकी सम्भति से इन सब म परिवर्तन किये जा सकते हैं।

(४) एकाकी स्वामित्व की अपेक्षा फर्म दे व्यापारिक साधन अधिक होते हैं। अधिक पूँजी और कुशलता की ग्राहित एक स्पष्ट फायदा है। कुछ व्यापारों म बहुत सी पूँजी, या कई महिलाओं के मयुक्त परामर्श या काम के विभागन या विशिष्टीकरण की आवश्यकता होती है, सामेदारी म ये सब ग्राहक आसानी से हो सकता है।

(५) सामेदारों का उत्तरदायित्व सामान्यतया असीमित होता है, अत एकाकी व्यापारी की अपेक्षा एक फर्म अधिक पूँजी उधार ले सकता है।

(६) पर्म व सभ ध का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बिना समस्त सामेदारों की अनुमति दे नहीं किया जा सकता। अत अलगभन का प्रति निवित्व पर्याप्त प्रभाव बाला होता है।

सामेदारों के दोष

(१) फर्म शीघ्र काम नहीं कर सकता क्योंकि बहुधा समस्त सामेदारों की सम्मति लेनी आवश्यक होता है। यदि सामेदारों की सख्ता अधिक हुई तो काम में बाधा अवश्य आवेगी और मतभेद होने पर निर्णय शूलियता का भी भय बना रहेगा। किन्तु साधारण रूप से प्रबन्ध समझा मामलों में बहुमत मान्य होता है।

(२) सामेदारों की सख्ता सीमित होती है, अत पूँजी की मात्रा भी सीमित होती है। यह एकाकी स्वामित्व की अपेक्षा तो अवश्य अधिक होती है, किन्तु एक कम्पनी की अपेक्षा, जिसके शेयर होल्डर हजारों हाते हैं, यह कम होती है। सामेदार का उत्तरदायित्व अपरिमित होता है जो सामेदारों के लिये बहुत कठिन बात है। फर्म वे काम का ऐसाना जितना अधिक होगा, जोसिम उतनी ही अधिक होगी।

(३) सामेदारी का अस्तित्व बहुत अनिश्चित होता है। किसी सामेदार

की मूल्य, पागलपन या दिगलिया हो जाने की अवस्था म या उसके सामेदारी सलेख (Partnership Deed) के विरुद्ध काम करने पर फर्म टूट जाता है।

(४) कोई भी सामेदारी बिना अन्य सामेदारी की अनुमति के अपना हित (interest) बेच नहीं सकता और न हस्तांतरण ही कर सकता है। यदि सामेदार विनी या हस्तांतरण के लिए सहमत भी हो, तो भी क्रेता या हस्ता तरित व्यक्ति या नो शेष सामेदारों में से ही कोई हो सकता है या ऐना व्यक्ति होना चाहिए जो सभी सामेदारों को मान्य हो। यह विकी का चेत्र बहुत सीमित कर देता है।

वर्तमान अवस्था

फुटकर व्यापार में तभा आयुनिक साइज के व्यावहारिक भग्नों भ सामेदारी काफी लोकप्रिय है। कुछ छाटे-छाटे कारखाने भी सामेदारी के रूप में स्थापित किये जाने हैं। यह प्रत्यक्ष सेवा वाले पेशों (professions) में भी बहुत प्रचलित है। कुछ साधारणतया इसका सापेक्षिक महत्व कम होता जा रहा है। हमारे देश में कुछ समय पूर्व सामेदारी का बहुत महत्व था। पर हाल में इसकी लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। इसका पहला कारण यह है कि अब पहले की तरह की मित्रता, माईचारा और परहित कामना नहीं रही। मनुष्य में स्वार्थ और अपनेगत की भावना बलवान हो गई है। दूसरा कारण यह है कि अब बड़े पैमाने के व्यवसाय का प्रचार हो रहा है और इसके लिए कम्पनी स्थापित करने में अधिक सुविधा होनी है।

५३ सामेदार का राजीनामा और रजिस्ट्री

५ सामेदार का चुनाव

सामेदार का मूल तत्व सामेदार का पारस्परिक विवास, भाईचारा और वास्तविक मित्रता है। सामिरों को व्यापार का प्रबंध करने के लिये, नकद रूपये के मामले में, हिसाब बनाने में, लाभ गाँठने में, फर्म के और एक दूसरे के हित का पूरा-पूरा ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो फर्म चल नहीं सकता।

इसलिए सामेदार का चुनाव वडी सावधानी से करना चाहिए। सामेदार का चुनाव मुख्यतया सम्बंधित व्यक्ति के व्यापारिक साधनों के आधार पर किया जाता है। यदि कोई पूँजीपति व्यापार करना चाहे, तो उसे व्यापारिक कुशलता वाली साभी की आवश्यकता होगी और इसी प्रकार व्यापार-कुशल व्यक्ति किसी पूँजीपति को ही अपना साभी बनाना चाहेगा। दूसरी बात यह है जिस व्यक्ति का चुनाव किया जा रहा है, उसमें प्रसवेदन की योग्यता होनी चाहिए। किन्तु शायद सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात उस व्यक्ति का स्वभाव एवं चरित्र है। उसे ईमानदार होना चाहिए और उसमें न्याय की भावना सजग होनी चाहिए, अन्यथा सम्भव है कि वह अपने साभी के शोरण की चेष्टा करे जिसके परिणामस्वरूप उनका शीघ्र ही तोड़ना पड़ेगा। उसे आँख मुँद कर परिकल्पना या सट्टे (Speculation) में भाग नहीं लेना चाहिए, अन्यथा कर्म सकटमूलक प्रसविदे में फँस जायगा। साभी करते समय यह बात अवश्य सोच लेनी चाहिए कि मनुष्य उन प्रति-दिन व्यक्तिगत होना जा रहा है और धन का लोभ मनुष्यों को बेईमान बना देता है। यदि इतने कर्मों की जीवन-लोला इतनी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, तो वह वडी सीमा तक विवेकरूप्यता तथा असावधानी से साभी बनाने का ही परिणाम होता है।

सामें का राजीनामा (Agreement)

उचित साभी का चुनाव कर लेने के पश्चात्, एक सामें का राजीनामा लिया लेना चाहिए और उस पर साभियों के हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। ऐसा न करने से कर्म की अकालीन मृत्यु का भय सदैव बना रहेगा। व्यापार के आरम्भ में सामेदारी में बहुत मैत्री भाव होता है किन्तु बाद को उसमें आपस में मतभेद होने लगते हैं। उस अवस्था में यदि सामेदारी सलेख (Deed of Partnership) उपस्थित है, तो ये मतभेद उसे देखकर दूर किये जा सकते हैं। उसकी अनुपस्थिति में, व्यर्थ के भगड़े-भक्ट आये दिन उठ खड़े हो सकते हैं, जो किसी भी दिन कर्म के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं।

सामें का राजीनामा (Agreement) लिया भी जा सकता है और मौखिक

रीति द्वारा भी किया जा सकता है। किन्तु उसे लिया लेना अच्छा होता है।^१ साझे के राजीनामे को “साझेदारी सलैख” (Partnership Deed) या “साझेदारी के अन्तर्नियम” (Articles of Partnership) भी कहते हैं।

साझे के राजीनामे में निम्नलिखित बातें अवश्य होनी चाहिये:—

१. फर्म का नाम या वह नाम जिससे फर्म व्यापार करेगा,

२. किसे जाने वाले व्यापार का स्वभाव;

३. साझे की अवधि (term)। यदि साझे की कोई अवधि निश्चित नहीं है, तो यह इच्छानुसार कभी भी तोड़ा जा सकता है। किन्तु यदि यह किसी निश्चित अवधि के लिये किया गया है, तो राजीनामे में इस अवधि का ठीक-ठीक हवाला अवश्य देना चाहिए;

४. प्रत्येक साभी द्वारा लगाई जाने वाली पूँजी;

५. आहरण (drawings) अर्थात् प्रत्येक साभी जितना रप्या निकाल सकने का अधिकारी हों, उसको रकम या रकमें;

६. पूँजी पर दी जाने वाली या आहरण पर यसून की जाने वाली व्याज की दर।

७. सामिलियों के काम और अधिकारों का वर्णन,

८. सामिलियों का पुरस्कार;

९. लाभ और हानि के विभाजन की रीति,

१०. किसी साभी की मृत्यु या साझेदारी के भंग होने के समय जिस रीति का पालन किया जायगा वह रीति;

११. ख्याति (goodwill);

१२. हिसाब की बहियों को रखने और चिट्ठा (Balance sheet) बनाने के विषय की आवश्यक बातें; और

^१ क्रास और इटली में साझे का राजीनामा अनियाये रूप से लिखित होना चाहिये। किन्तु भारत, इंग्लैण्ड और अमेरिका में यह लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार का हो सकता है।

१३ पचायत वाक्य (arbitration clause) जिसमें झगड़े के समय पालन की जाने वाली रीति का ब्योरा दिया जाना चाहिये, सार्फ के फर्म की रजिस्ट्री

सन् १९३१ई० के पूर्व फर्मों का रजिस्ट्री कराना आवश्यक नहीं था। अत. वे बहुत कुछ शुल्क सह्याएँ भी जिन पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण अथवा अधिकार नहीं था। किन्तु अब मारतीय साकेदारी विधान (सन् १९३२) ने फर्मों के रजिस्टर किये जाने के विषय में नियम बना दिये हैं।

गैर-रजिस्ट्री का प्रभाव—विधान यह नहीं कहता कि प्रत्येक फर्म का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है; किन्तु यदि किसी फर्म की रजिस्ट्री नहीं हुई तो (१) कोई भी साभी किसी भी न्यायालय में फर्म के विवद या अन्य किसी साभी के विवद अभियोग नहीं चला सकता,^३ और (२) किसी तीसरी पार्टी के विवद अभियोग नहीं चला सकता। स्पष्टतया, गैर रजिस्ट्री के परिणाम इतने गंभीर हैं कि कोई भी फर्म कदाचित बिना रजिस्टर्ड हुए न रहना चाहे।

रजिस्ट्री कराने की रीति—जो साभी अपने फर्म की रजिस्ट्री कराना चाहे, उन्हें चाहिये कि वे पहले इस काम के लिये नियत फार्म को भरें और फिर उसे नियत फीस सहित रजिस्ट्रार आव फर्म (Registrar of Firms) के यहाँ भेज दें। इस फार्म में निम्नलिखित मुख्य बातें लिखनी पड़ती हैं :

- (अ) फर्म का नाम,
- (आ) फर्म के व्यापार का स्थान या प्रमुख स्थान,
- (इ) अन्य स्थानों का नाम जहाँ व्यापार करना है,
- (ई) फर्म के प्रत्येक साकेदार के साभी बनने की तारीख,
- (उ) साकेदारों के पूरे नाम और उनके स्थायी पते,
- (ऊ) फर्म की आवधि।

^३मारतीय साकेदारी विधान, सन् १९३२, घारा ६६।

इस पर सारे साभियों के हस्ताक्षर होने चाहिये और वे नियत विधि द्वारा प्रमाणित (verified) होने चाहिये।

फर्म के नाम में “Crown”, “Emperor”, “Empress”, “Imperial”, “King”, “Queen”, “Royal”, या अन्य ऐसे शब्द जिनसे फर्म को राजा या सरकार की स्वीकृति या सरदार (Patronage) प्राप्त होने का आशय निकलता हो, होना चर्जित है। ऐसे शब्द राष्ट्रपति (President) की लिखित स्वीकृति प्राप्त करने पर ही प्रयुक्त किये जा सकते हैं।

जब रजिस्ट्रार को यह सतोग्रह हो जाता है कि उपरोक्त समस्त प्रतिश्रव्य सतुष्ट किये जा चुके हैं, तब वह रजिस्टर आव फर्म्स (Register of Firms) में प्रविष्ट (entry) कर लेगा और इस प्रकार फर्म रजिस्टर्ड हो जायगा।^३

पश्चात् के परिवर्तनों की सूचना—फर्म की बनावट या स्वभाव में जब कभी भी परिवर्तन हो, तो उसकी तत्काल सूचना रजिस्ट्रार आव फर्म्स को देना आवश्यक है। परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में देनी चाहिये : (१) जब फर्म के स्थान या व्यापार करने के मुख्य स्थान में परिवर्तन किया जाय, (२) जब शाखाएँ खोली या बदल की जायें; (३) जब किसी सामेदार का नाम या स्थायी पता बदले; (४) जब किसी सभी के आगमन या गमन के कारण फर्म की बनावट में परिवर्तन हो; या (५) जब साभा भग हो।

प्रकाशन (Publicity)—अब सामेदारी केवल साभियों के ही चिन्तन और हित की बस्तु नहीं रह गई है और अब उनकी बनावट आदि बाहरी मनुष्यों के लिये शुन्त रहस्य नहीं रहे। नियत फीस देने पर कोई भी व्यक्ति रजिस्टर आव फर्म्स देख सकता है। नियत फीस देने पर उसे उस रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि अथवा भाग की रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित नकल भी मिल सकती है।^४

^३भारतीय सामेदारी विधान धारा ५८ और ५९।

^४प्रश्न अध्याय ३६ के अत में दिये गये हैं।

अध्याय ३६

सामेदारी (२) : सामेदारों के कर्तव्य तथा अधिकार

७४. सामेदारों के पारस्परिक सम्बन्ध

सामेदारी के अंतर्नियम (Articles) सामेदारों के पारस्परिक सम्बन्ध निर्णय करते हैं। अंतर्नियम के अमाव में उनके पारस्परिक सम्बन्ध भारतीय सामेदारी विधान की निम्नलिखित व्यवस्था के अनुकूल निश्चित होते हैं :

व्यापार का परिचालन—(अ) प्रत्येक सामी को व्यापार के चलाने में भाग लेने का अधिकार है। (आ) व्यापार के परिचालन में प्रत्येक सामी का कर्तव्य है कि वह अपना काम अमपूर्वक करे। (इ) यदि व्यापार से सम्बंध रखने वाले किसी साधारण मामले में मरमेद हो, तो यह सामेदारों के बहुमत से दूर होगा। किन्तु व्यापार का स्वभाव बिना सारे सामियों की राय के नहीं बदला जा सकता। (ई) सामेदार को फर्म की किसी भी किताब या बही की जाँच करने या नकल करने का अधिकार है।

पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य—(अ) सामी को व्यापार में भाग लेने के लिए किसी पुरस्कार लेने का अधिकार नहीं। (आ) सामेदारों में लाभ और हानि बराबर-बराबर विभाजित होंगे। (इ) यदि कोई सामी अपनी पैंजी पर ब्याज लेने का अधिकारी हो, तो उसे ब्याज केवल लाभ में से ही अदा की जायगी। (ई) यदि कोई सामी राजीनामे के अनुतार दी हुई पैंजी के अतिरिक्त फर्म को या फर्म के लिए कुछ रुपया उधार दे या भुगतान करे, तो वह उस रकम पर दू प्रतिशत के हिसाब से ब्याज पाने का अधिकारी होगा। (उ) यदि कोई सामी, व्यापार के साधारण और उचित परिचालन में साधारण बुद्धिमानी से काम लेते हुए किसी सकट में फँस जाय, कुछ रुपया अदा करे या कोई देनदारी

उपर ले ले, तो फर्म उसकी हतिपूर्ति करेगा । (ळ) फर्म के व्यापार के परिचालन में किसी सामी के जान बूझकर लापरवाही करने से फर्म को कोई हति हो, तो वह सामी उसे पूरा करेगा ।

फर्म की सम्पत्ति—(अ) फर्म में प्रारम्भ से ही आने वाली सम्पत्ति, या बाद को फर्म द्वारा या फर्म के निये प्राप्त की गई या खरीदी गई सम्पत्ति, फर्म की सम्पत्ति में शामिल की जाती है । व्यापार की ख्याति (Goodwill) की भी गणना फर्म की सम्पत्ति में की जाती है । फर्म के स्वयं से खरीदी गई सारी सम्पत्ति फर्म की सम्पत्ति समझी जाती है । (आ) सामेदार फर्म की सम्पत्ति को बेचते व्यापार के लिए रखतेंगे, और काम में न लावेंगे ।

सामेदारों द्वारा कमाया गया व्यक्तिगत लाभ—(अ) यदि कोई सामेदार फर्म के किसी सौदे से या फर्म के सम्बंधों से या फर्म के नाम के प्रयोग से स्वयं अपने हित के लिए कुछ लाभ कमाये, तो उसे फर्म को उस लाभ का हिसाब देना होगा और कमाया हुआ सारा लाभ भी उसे फर्म को अदा करना होगा । (आ) यदि कोई सामेदार फर्म के व्यापार के समान या उससे स्पर्द्धी करता हुआ कोई व्यापार करे तो उसे उस व्यापार द्वारा प्राप्त किये गये सारे लाभ का हिसाब फर्म को देना होगा और फर्म को सारा लाभ भी अदा करना होगा ।

फर्म की बनावट—(अ) बिना समस्त सामेदारों की अनुमति के काई भा नया सामी नहीं बनाया जा सकता । (आ) कोई यदि नवा सामी लिया जाय अथवा कोई पुराना सामी हट जाय (अर्थात् फर्म की बनावट में कुछ परिवर्तन हो), तो पुनर्निर्मित फर्म में सामेदारों के अधिकार और कर्तव्य, यथासम्भव वैसे ही रहेंगे जैसे कि परिवर्तन के पूर्व थे ।

निश्चित अवधि के पश्चात् फर्म की बनावट—(अ) जब कि एक निश्चित अवधि के लिए बनाया गया फर्म उस अवधि के पश्चात् भी व्यापार करता रहे, तो सामेदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य पूर्व की भाँति ही रहते हैं । (आ) जब एक या एक से अधिक निश्चित उपक्रमों (under takings) के लिए बनाया गया फर्म अन्य उपक्रम करने लगे, तो इस अन्य उप-

क्रम के सम्बन्ध में सामेदारों के अधिकार और कर्तव्य वे ही रहेंगे जो कि मौलिक उपक्रम के सम्बन्ध में थे।

तीसरे पक्ष के साथ सामेदारों के सम्बन्ध

जहाँ तक फर्म का बाह्य जगत से सम्बन्ध है, प्रत्येक सामेदार व्यापार के मामलों में फर्म का एजेन्ट होता है। फर्म के व्यापार के सम्बन्ध में या फर्म के नाम में कोई सामेदारचाहे जो काम करे, फर्म को वह मान्य होता है। इसे सामेदार का “अनुमानित अधिकार” (Implied Authority) कहते हैं। यह अधिकार सामेदार राजीनामे द्वारा घटा या बढ़ा सकते हैं। यदि फर्म के लिए काम करते समय कोई सामेदार गलत काम या उपेक्षा (Omission) द्वारा किसी तीसरे पक्ष को हानि या छूटि पहुँचाता है या उसके परिणामस्वरूप किसी दड़ का भागी होना पड़ता है, तो उसका फर्म देनदार होता है। किसी सकट के समय सामेदार का यह अधिकार होता है कि फर्म की हानि से रक्खा निजी मामले में करने के लिए वे सब काम करे जो कि एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति अपने समान दशाओं में करेगा, और ये सब काम फर्म को मान्य होते हैं।

५. सामेदारों के प्रकार

सामान्य (General) और सीमित (Limited) सामेदार—साधारणतया फर्म के समस्त सामेदारों का अपरिमित या असीमित उत्तरदायित्व होता है। ऐसे सामेदारों को सामान्य सामेदारों (General Partners) कहते हैं; और ऐसी सामेदारी को सामान्य सामेदारी कहा जाता है। किन्तु विधान यह आज्ञा देता है कि कुछ सामेदारों का उत्तरदायित्व उनकी दी हुई पूँजी तक ही सीमित रखा जा सकता है। ऐसे सामेदार सामान्य सामेदार (Limited Partners) कहलाते हैं, और ऐसी सामेदारी को सीमित सामेदारी कहते हैं। एक फर्म के सारे सामेदार सीमित सामेदार नहीं हो सकते। कुछ न कुछ सामेदार का उत्तरदायित्व असीमित होना अनिवार्य है।

साधारणतया सीमित सामेदार के अधिकार घटा दिये जाते हैं। उसे

व्यापार के प्रबन्ध में किसी भी प्रकार से भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। वह अपनी राय दे सकता है, हिसाब की बहियाँ देख सकता है, किन्तु वह नियन्त्रण या कन्ट्रोल (Control) नहीं कर सकता। उसकी स्थिति उसके हालिकोण से इस कारण और भी प्रभावशूल्य हो जाती है कि यदि वह फर्म के व्यापार की रीतियों से सहमत नहीं, तो सम्भव है उसके हखलेप करने का कुछ भी असर न हो। सीमित सामेदार एक ऐसा अक्रिय (Inactive) सामेदार है जो पूँजी लगाता है और केवल फर्म के लाभ हानि का भागी होने का अधिकारी होता है। साधारणतया एक पुराना साभी जब अवकाश प्राप्त करना चाहता है और वह अपने साभियों पर पूरा-पूरा विश्वास करता है, तब वह अपनी पूँजी फर्म में ही छोड़ जाता है और स्वयं सीमित साभी बन जाता है। फर्म को सीमित सामेदार से लाभ यह है कि उसे बिना कम्पनी का रूप प्रहरण किये हुए अधिक पूँजी मिल जाती है। यदि कोई आदेषी नया-नया व्यापार प्रारम्भ करे और उसे अपने भिजों और उभान्धियों से बनाकरी सहायता आवश्यक हो, तो वह अपने सहायकों को सीमित सामेदार बना सकता है जिससे उन्हें पर्याप्त सुरक्षा और सीमित उत्तरदायित्व का लाभ प्राप्त रहे।

सक्रिय (Active) निष्क्रिय (Dormant) और नाममात्र (Nominal) सामेदार—(अ) तक्रिय सामेदार वे कहलाते हैं जो व्यापार में खुले-आम और किनात्मक रूप में भाग लेते हैं।^४ (आ) निष्क्रिय, सुत (Sleeping) या मौन (Silent) सामेदार वे होते हैं जो, सक्रिय सामेदारों के विपरीत, व्यापार में खुलेआम भाग नहीं लेते और जगत में वे सामेदार की हैसियत से नहीं जाने जाते, यद्यपि वे फर्म में अपनी पूँजी लगाते और हानि-लाभ के माणी होते हैं। (इ) नाममान सामेदार वे होते हैं जो न तो कुछ पूँजी लगाते हैं और न लाभ के अधिकारी ही होते हैं, किन्तु वे अपना नाम और

^४ सक्रिय या साधारण सामेदार वे होते हैं जो लाभ के लिए धन या भम मिल कर जुटाते हैं और जिन्हें जनता इस अवस्था में जानती है। Field-house, *Business Methods*, p. 321.

अपनी ख्याति फर्म को दे देते हैं या सचार में यह भूट-मूठ प्रसिद्ध (Hold Out) कर देते हैं कि वे भी फर्म के एक सामी हैं। ऐसे सामी को फर्म से व्यापार करने वाली कोई तीसरी पार्टी उत्तरदायी ठहरा सकती है।

भूठ-मूठ प्रसिद्धि (Holding Out)—भारतीय सामेदारी विधान की रद्दी धारा ने नाममात्र सामी की विधियों को स्पष्ट कर दिया है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या अपने आचरण द्वारा किसी फर्म में स्वयं के सामी होने का प्रसिद्धि करता है या जानबूझ कर, अपने को किसी फर्म का सामी होने की प्रसिद्धि होने देता है; तो वह ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस प्रसिद्धि के आश्वासन पर फर्म को श्रृणु दिया है, उस फर्म के सामी की हैसियत में उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिए, यदि राम दास एक फर्म में, जिसका नाम कृष्णदास खेमदास है, सामी होने की बात प्रसिद्ध करने देता है और इस प्रसिद्धि के आधार पर कुछ व्यक्ति फर्म को श्रृणु दे देते हैं, तो रामदास उस श्रृणु के भुगतान के लिये उसी प्रकार उत्तरदायी होगा मानो कि वह फर्म म वास्तविक सामी है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को किसी फर्म का सामी होना प्रसिद्ध करता है या दूसरा को ऐसा प्रसिद्ध करने देता है, तो कहा जाता है कि उसके सामी होने की भूठ मूठ प्रसिद्धि (Holding out as a partner) हुई है।

नाशालिंग सामी—यदि किसी फर्म के समस्त बालिंग सामी सहमत हों, तो नाशालिंग सामी भी फर्म में लिया जा सकता है। नाशालिंग सामी को सामेदारी सलेख के अनुसार, फर्म के लाभ और उसको सपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, और वह फर्म के किसी भी हिसाब की परीक्षा या नकल कर सकता है। फर्म के श्रृणु के भुगतान के लिये उसका फर्म में जो हिस्सा है वहतो उत्तरदायी है, किन्तु वह व्यक्तिगत रूप से उसके लिए उत्तरदायी नहीं।

उसके बालिंग हो जाने के छु महीने के अन्दर^१ इस शात की सार्वजनिक

^१या उसे यह ज्ञान प्राप्त होने पर कि उसे सामी मान लिया गया है, जो भी तारीख शात को आये।

सूचना देनी चाहिए कि वह फर्म का सामी रहेगा अथवा नहीं। यदि वह सामी रहने की सूचना दे तो (१) उसके नावालिंग अवस्था के अधिकार और कर्तव्य उसके सामी होने की तारीख तक जारी रहते हैं। कल्पु उस तारीख से वह फर्म के समस्त सूचों का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो जाता है, और (२) उसका फर्म के लाभ और उसकी सम्बान्धित में वही भाग होगा जो उसका नावालिंग अवस्था में था। यदि वह सामी न होने का निश्चय करे तो सार्वजनिक सूचना देने की तारीख तक उसके नावालिंग अवस्था के अधिकार और कर्तव्य जारी रहते हैं, और उस तारीख के पश्चात् फर्म के किसी भी काम के लिए उसका भाग उत्तरदायी नहीं होता।

६. फर्म की सदस्यता में परिवर्तन

आनेवाला और जानेवाला सामी

निम्नलिखित अवस्थाओं में फर्म की बनायट में, उसके बिना भग (dissolve) किये, परिवर्तन किये जा सकते हैं :

(१) नये सामी का प्रवेश —यदि सामेदारी सलेह इसके विपरीत न हो, तो बिना समस्त विद्यमान सामेदारों की सम्मति के कोई भी नया सामी फर्म में नहीं लाना जा सकता। कोई भी नया सामी उसके सामी होने की तारीख के पूर्व फर्म द्वारा किये गये किसी भी काम के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नये सामी की सूचना तुरन्त ही रजिस्ट्रार को भेज देनी चाहिए।

(२) सामी का अवकाश ग्रहण—कोई भी सामी निम्नलिखित तीन रीतियों में से किसी एक में अवकाश ग्रहण कर सकता है :

(अ) अन्य सभ सामेदारों की सम्मति से ।

(आ) सामेदारों के बीच किये गये स्पष्ट राजीनामे के अनुसार ।

(इ) जब सामा द्वारा नुसार भग किया जा सकता है, तब अवकाश ग्रहण के निश्चय की अन्य सामेदारों को लिखित सूचना देकर ।

अवकाश ग्रहण करने वाला साभी फर्म छोड़ने के पूर्व के समस्त व्युत्थानों के लिए उत्तरदायी बना आता है। किन्तु व्युत्थानाताओं तथा पुनःनिर्मित फर्म से राजीनामा हो जाने पर वह इस प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जा सकता है।

साभी को अपने अवकाशग्रहण करने की सूचना यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र देनी चाहिए; अन्यथा वह तीसरे पक्ष द्वारा उसके अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् भी, फर्म द्वारा किये कामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। किन्तु यदि तीसरे पक्ष को नहीं मालूम था कि वह उस फर्म में साभी था, तो सूचना की अनुरक्षिति में ऐसा तीसरा पक्ष उसे उत्तरदायी बना सकता है।

(३) साभी का निकाला जाना—साभी, सद्विश्वास के साथ (good faith) अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी अनुचित साभी को निकाल भी सकते हैं। निकाले गये साभी का उत्तरदायित्व अवकाश-ग्रहण करने वाले साभी के ही समान होता है।

(४) साभी का दिवालिया हो जाना—जब कोई साभी कानूनी तौर पर दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो कानूनी आशा की तारीख से वह फर्म का सामेदार नहीं रहता। दिवालिया व्यक्ति की सम्पत्ति कानूनी आशा की तारीख के पश्चात् फर्म द्वारा किए गये किसी भी काम के लिए उत्तरदायी नहीं होती। फर्म भी उस तारीख के बाद व्यक्ति द्वारा किये गये किसी भी काम के लिए उत्तरदायी नहीं होता।

(५) साभी की मृत्यु—जब सामेदारी सलेख के अनुसार किसी साभी की मृत्यु से फर्म भग नहीं होता तो मृतक की सम्पत्ति मृत्यु की तारीख के बाद फर्म द्वारा किये गए किसी भी काम के लिए उत्तरदायी नहीं होती।

वाहर जाने वाले साभी के अधिकार—चाहर जाने वाला साभी फर्म के व्यापार में स्पर्द्धा करने वाला व्यापार कर सकता है और वह ऐसे व्यापार का विज्ञापन भी कर सकता है, किन्तु जब तक सामेदार सहमत न हो, वह—

(अ) फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता,
 (आ) यह प्रसिद्ध नहीं कर सकता कि वह फर्म का व्यापार कर रहा है था।

(इ) उन व्यक्तियों को अपना आहक बनाने की चेष्टा नहीं कर सकता जो उसके सामीन न रहने के पूर्व फर्म से व्यापार कर रहे थे।

सामीन यह राजीनामा भी कर सकता है कि उसके सामीन न रहने के पश्चात् वह निश्चित अवधि तक या निश्चित स्थानीय सीमा में फर्म के व्यापार के समान व्यापार नहीं करेगा। किन्तु यदि प्रतिमन्थ अनुचित हों, तो वे व्यापार अवरोध (Restraint of Trade) ठहराये जा सकते हैं और किस वे भारतीय प्रसविदा विधान (Indian Contract Act) के अन्तर्गत गेर क नहीं होंगे।

६७. सामेदारी का टूटना या भंग होना (Dissolution)

फर्म सब सामिनों की राय से या सामेदारी सलेख के अनुसार तोड़ा जा सकता है। यह निम्नलिखित अवस्थाओं में भग किया जा सकता है

(१) अनिवार्य भङ्ग होना—यदि एक को छोड़ कर शेष सब सामीन दिवालिये हो जायें या फर्म का व्यापार गैरकानूनी हो जाय, तो फर्म अनिवार्य रूप से भङ्ग हो जाता है।

(२) कुछ घटनाओं के घटने पर फर्म का टूटना—यदि सामेदारी सलेख में इसके विपरीत कुछ न दिया हो, तो फर्म निम्नलिखित घटनाओं में टूट जाता है (क) यदि फर्म किसी निश्चित अवधि के लिए बनाया गया है, तो उस अवधि के बीत जाने पर, (ख) यदि फर्म किसी एक या कई उपक्रम पूर्ण करने के लिए बनाया गया हो, तो उस उपक्रम या उन उपक्रमों के पूर्ण हो जाने पर, (ग) किसी सामीन की मृत्यु पर, (घ) किसी सामीन के कानून द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने पर।

(३) इच्छानुसार भङ्ग किये जा सकने वाले सामेदारों को सूचना देकर

तोड़ना—जब साभी इच्छानुसार भग किया जा सकता हो, तो कोई भी साभी अन्य साभियों को फर्म भग करने का अपना निश्चय लिखित रूप में सूचित करके फर्म भग कर सकता है।

(४) न्यायालय द्वारा भड़क किया जाना—किसी साभी के अभियोग चलाने पर न्यायालय निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर फर्म भग कर सकता है : (अ) जब कोई साभी पागल हो जाए; (आ) जब अभियोग चलाने वाले साभी के अतिरिक्त अन्य कोई साभी अपने साभा समझी करतव्य करने के स्थायी रूप से श्रयोग्य हो जाए, जैसे आजीवन देश निकाला दिये जाने पर; (इ) जब अभियोग चलाने वाले साभी के अतिरिक्त अन्य कोई साभी व्यापार से हानि पहुँचाने वाले किसी दूसरे दुराचार (Misconduct) का दोषी हो; (ई) जब अभियोग चलाने वाले साभी के अतिरिक्त अन्य कोई जान-बूझ कर या लगातार सफेदारी सलेख को तोड़े, (उ) जब अभियोग चलाने वाले साभी के अतिरिक्त अन्य किसी साभी ने अपना फर्म में जो हित (Interest) है वह किसी तीसरे पक्ष को हस्तानरित कर दिया हो; (ऊ) जब फर्म का व्यापार बिना हानि के नहीं किया जा सकता; या (ए) अन्य किसी आधार पर जिस पर कि फर्म न्यायपूर्वक भग किया जा सकता है।

फर्म टूटने की एक सार्वजनिक सूचना जितनी शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र देनी चाहिये, अन्यथा उसके पश्चात् भी फर्म के लिये किये गये किसी भी काम के लिए सफेदार उसी प्रकार उत्तरदायी होते हैं मानो कि फर्म टूटा ही नहीं।

फर्म टूटने पर हिसाब चुकता होना—यदि सफेदारी सलेख में इसके विपरीत कुछ नहीं दिया है, तो फर्म के टूट जाने पर हिसाब चुकता होने में निम्नलिखित बातों का पालन करना पड़ता है :

(अ) हानियों, मर पूँजी की अपूर्णता (Deficiency) के, पहले लाभ में से अदा की जायगी, फिर पूँजी में से, और अत में, यदि आवश्यक हुआ तब, प्रत्येक साभी उस अनुपात में रुपया लावेगा जिस अनुपात में वह फर्म के लाभ का अधिकारी था।

(आ) फर्म की सम्पत्ति, मर उस रकम के जो साभी पूँजी की अपूर्णता

(Deficiency) से पूरा करने के लिए लावें, निम्नलिखित गति और काम से प्रयुक्त होगी :

(१) तीसरे पक्ष को फर्म का झूण अदा करने में;

(२) प्रत्येक साभी को, आनुपातिक हिसाब से, उस रकम के अदा करने में जो उसने पैंची के अतिरिक्त फर्म का झूण के रूप में दी है;

(३) प्रत्येक साभी को, आनुपातिक हिसाब से (Rateably), उसकी पैंची वापस करने में; और

(४) यदि कुछ रकम अवशेष रहे, तो वह साभियों में उस अनुपात में बाँट दी जायगी कि जिस अनुपात में वे फर्म के लाभ को बैठाने के अधिकारी थे ।

सामे का अवैध हो जाना

निम्नलिखित परिस्थितियों में सामा अवैध (illegal) हो जाता है :

(१) जब सब, या एक को छोड़ कर और सब, सामेदार दिचालिये हो जाते हैं ।

(२) जब फर्म का व्यापार अवैध हो जाता है ।

(३) जब साभा निश्चित अवधि के लिए हो और वह अवधि बताती हो चुकी हो, अथवा निश्चित काम पूरा हो चुका हो, अथवा किसी सामेदार की मृत्यु हो चुकी हो या वह दिचालिया हो गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह कि सामेदारी के राजीनामे में प्रतिकूल प्रावधान (Provisions) न हों ।

(४) यदि सामेदारी इच्छानुसार भग की जा सकती हो और किसी साभी ने साभा भग करने की नोटिस दे दिया हो ।

(५) यदि साभा न्यायालय द्वारा भग हो चुकने के बाद भी जारी रहे ।

(६) यदि फर्म की रजिस्ट्री न हो ।

(७) यदि फर्म के सदस्य २० से अधिक हों (और वैमिंग व्यवसाय में १० से अधिक हों) ।

५८. ख्याति या प्रतिष्ठा (Goodwill)

अर्थ और परिभाषा

जो «यापारी ईमानदारी, कुशलता और ग्राहकों की सेवा के दृष्टिकोण से काम करता है, वह धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाता है और उसके ग्राहक उससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे फिर उसका छोड़कर किसी दूसरे व्यापारी से माल नहीं परीदना चाहते। इसी को ख्याति या हितेन्द्रा (Goodwill) कहा जाता है। लाडै ऐलेन ने ख्याति की परिभाषा इस प्रकार की है, ‘पुराने ग्राहकों की पुरानी दूकान से खरीदारी करते रहने की सम्भावना ही ख्याति कहलाती है।’

ख्याति प्राप्त व्यापारिक भवन औसत से अधिक लाभ कमाता है। लाभ पैंजी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अत ख्याति प्राप्त व्यापारिक भवन औसत दर से अधिक दर पर लाभ कमाता है। इसका कारण यह है कि साधारणतया व्यापारी को कुछ नये ग्राहक मिलते रहते हैं और कुछ पुराने ग्राहक दूकान छोड़ते रहते हैं। कि तु ख्याति प्राप्ति व्यापारी के पुराने ग्राहक उसे नहीं छोड़ते, कि तु उसे नये ग्राहक मिलते रहते हैं, अत उसकी बिक्री बढ़ती रहती है और उसे औसत दर से अधिक लाभ होता है। अत ख्याति की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कि व्यापारिक भवन की औसत दर से अधिक लाभ देने की सामर्थ्य को ख्याति कहते हैं।

ख्याति का मूल्य

जिस व्यापारिक भवन की ख्याति हो जाती है, वह इस ख्याति का मूल्य बदल कर सकता है। ऐसा तभी सम्भव है जब कि भवन का स्वामी पूरा व्यापार बेच डाले। ऐसी अवस्था में खरीदार सम्पत्तियों (Assets) का तो मूल्य देगा ही, साथ में वह कुछ मूल्य अलग से भवन की ख्याति का देगा। ख्याति खरीद लेने पर क्रेता व्यापारिक भवन का पुराना नाम रखे रहता है जिससे ग्राहक यही समझे कि व्यापार पहले की ही भाँति चालू है।

ख्याति का मूल्य क्यों दिया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। खरीदार जानता है कि ख्याति प्राप्त व्यापारिक भवन औसत दर से ऊँची दर

का लाभ कमाने की चुमता रखता है। यदि औसत लाभ की दर ८% हो, तो ख्याति-प्राप्त व्यापारिक भवन सम्बन्धितः ११% या १२% लाभ प्रदान कर सकता है। इस अतिरिक्त लाभ (Super-profit) को तभी कमाया जा सकता है जब कि व्यापारिक भवन का नाम वही रक्ता जाय और पहले की तरह ही व्यापार किया जाय। अतः पुराना नाम रखने के लिये और अतिरिक्त लाभ कमाने के लिये व्यापारिक भवन का खरीदार ख्याति के लिये निश्चित मूल्य देता है।

ख्याति का मूल्यांकन (Valuation)

ख्याति का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है :

(१) पिछले ३ या ५ वर्षों का औसत वार्षिक लाभ मालूम करना—पिछले ३ या ५ वर्षों का वार्षिक शुद्ध लाभ जोड़ कर, ३ या ५ से क्रमशः भाग देने पर गत वर्षों का औसत वार्षिक लाभ मालूम हो जाता है।

(२) उसमें ममायोजना (Adjustment) करना—इस लाभ में से दो चीजें घटा देनी चाहिये : (अ) पूँजी पर ६% की दर से ब्याज, तथा (आ) आकस्मिक लाभ, अर्थात् वह लाभ जो आकस्त हुआ हो जैसे बीमा का रुपया मिलना, विभर सम्पत्ति बेचने पर लाभ, मुकदमा जीतने पर रुपया मिलना, आदि।

(३) उसमें से सामान्य लाभ घटा देना—इसके बाद उस व्यापार में सामान्य लाभ की दर (अर्थात् जो दर साधारणतया प्राप्त होती है) का पता लगाना चाहिये। इस दर से व्यापारिक भवन में लगी पूँजी पर कितना वार्षिक लाभ होना चाहिये, इसकी गणना करनी चाहिये। व्यापारिक भवन को जिवना औसत वार्षिक लाभ होता है, उसमें से वह रकम घटा देनी चाहिये। तब एक साल का अतिरिक्त लाभ (Super-profit) मालूम हो जायगा।

(४) कई साल का अतिरिक्त लाभ निकालना—व्यापारी इस बात को तय कर लेते हैं कि ५ साल से लेकर १० साल तक के अतिरिक्त लाभ की रकम ही ख्याति का मूल्य मानी जायगी। कितने वर्ष का अतिरिक्त लाभ गणना में लिया जायगा, यह आपसी समझौते की बात है।

मूल्यांकन की और रीतियाँ—ख्याति के मूल्यांकन के दो तरीके और हैं।

(१) अतिरिक्त लाभ (Super profit) का पूँजीगत मूल्य (Capital Value) ख्याति का मूल्य माना जाता है। मान लीजिये अतिरिक्त लाभ ३,००० रुपये वार्षिक है, और लाभ की दर ६% है। तो इस अतिरिक्त लाभ का पूँजीगत मूल्य $\frac{३,००० \times १००}{६} = ५०,०००$ रुपया हुआ। (२) कभी कभी अतिरिक्त लाभ के भण्डे में न पड़ कर केवल औसत शुद्ध लाभ (Average net profit) के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कर लिया जाता है। उदाहरण के लिये, ३ या ५ साल के औसत शुद्ध लाभ के बराबर ख्याति का मूल्य माना जा सकता है।

ख्याति का प्रश्न कथ उठता है ?

ख्याति का मूल्यांकन उस समय किया जाता है जब कि व्यापारिक भवन विक रहा हो। यदि व्यापारिक भवन चालू हो और इसके विकने का प्रश्न न हो, तो ख्याति का मूल्यांकन करना और उसे सम्पत्ति का रूप देकर वहियों में ले आना अनुचित है। इसके दो कारण हैं : (१) ऐसा करने में व्यापारिक भवन को कोई लाभ नहीं होगा। वहियों में एक और सम्पत्ति जोड़ देने से व्यापार का कुछ बनता दिग्ड़ता नहीं। (२) इससे जनता को व्यापारी के नामे में शका न हो सकती है।

सामेदारी में ख्याति का मूल्यांकन—सामेदारी में ख्याति का मूल्यांकन निम्न अवसरों पर किया जाता है : (१) कर्म की विक्री पर, (२) नये सामी के आने पर, (३) किसी सामी की मृत्यु पर, (४) किसी सामी की अवसर-प्राप्ति (retirement) पर, और (५) सामा भग होने पर।

कम्पनी में ख्याति का मूल्यांकन—कम्पनी की वहियों में ख्याति का खाता तभी खोला जाता है जब कि या तो कम्पनी कोई व्यापारिक भवन खरीद और ख्याति के लिये कुछ मूल्य दे, या जब कम्पनी विके और ख्याति का कुछ मूल्य बदल हो।

परीक्षाप्रश्न

उत्तर प्रदेश, इन्टर कामस

१. सामेदारी से आप क्या समझते हैं ? सामेदारी की मुख्य बातें क्या हैं ? किन दशाओं में सामेदारी एक अवैधानिक सगड़न हो जाता है ? (उ० प०, १६५५)

२. सामेदारी कर्म से आप क्या समझते हैं ? व्यक्तिगत स्वामित्व व सामेदारी कर्म का अन्तर स्पष्ट कीजिये । (१६५४)

३. सामेदारी की परिभाषा लिखिये और स्पष्ट रूप से समझाइये कि सामेदारी में क्या मुख्य गुण होते हैं ? (उत्तर प्रदेश, १६५३)

४. सहेय में वर्णन कीजिये कि सामेदारी सगड़न किन किन अवस्थाओं में न्यायालय द्वारा समाप्त किया जा सकता है । (उत्तर प्रदेश १६५२)

५. सामेदारी के राजीनामे के न होने पर कर्म के सामेदारों के अधिकार और उत्तरदायित्व क्या होते हैं ? पूरी तरह से वर्णन कीजिये । (य० पी०, १६५१)

६. (अ) सामेदारी के राजीनामे में जिन वाक्वाश का होना आवश्यक है, उनको बताइए । (आ) कर्म की रजिस्ट्री कराने का क्या तरीका है ? रजिस्ट्री का क्या प्रभाव होता है ? (य० पी०, १६५०)

७. एकाकी व्यापारी के मुकाबले में सामेदारी के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए । (य० पी०, १६४६)

८. सयुक्त पूँजी की कम्पनी के मुकाबले में सामेदारी के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए । (य० पी० १६४७, १६३८, १६३६)

९. रजिस्ट्री किये हुए और नैर रजिस्ट्री किये हुये कर्मों के अन्तर को स्पष्टतया समझाइये । (य० पी० १६४५)

राजपूताना, इन्टर कामस

१०. (अ) सामेदारी की परिभाषा दीजिये । सामेदारी के आवश्यक तत्व क्या हैं, और कौन सी अवस्थाएँ इसे एक अवैध संस्था बना देती हैं ?

(आ) सन् १६३२ के भारतीय सामेदारी विधान के अतर्गत फर्म की रजिस्ट्री की रीति चला इये। ऐसो रजिस्ट्रा का क्या लाभ होता है? (१६५३)

११ क्या अल्पवयस्क (Minor) को किसी सामेदार की तरह स्वीकार किया जा सकता है? अल्पवयस्क की अवस्था (आ) उसके अल्पवयस्क रहने तक और (आ) उसके वयस्क हो जाने पर क्या होती है? (१६५२, १६५७)

१२ सामेदारों के अधिकार तथा कर्तव्यों की पूर्ण विवेचना कीजिए। (१६५२)

१३ सम्प्रे का मूलतत्व (essence) क्या होता है? यदि आप कुछ व्यक्तियों के साथ सामेदारी करना चाहते हैं, तो भविष्य के भागड़े और उत्तर दायित्व से बचने के लिए आप क्या सावधानियाँ लेंगे? (राजपूताना, १६५१)

१४ दो सामियों के सफल फर्म में एक तीसरा व्यक्ति सामी होना चाहता है। जिन शर्तों पर उसका प्रवेश हो सकता है उनका वर्णन कीजिए और चलाइए कि इसके फलस्वरूप क्या नई कानूनी अवस्था उपरिधित हो जायगी? (राजपूताना, १६५०)

१५ (आ) सामेदारों की परिभाषा दीजिये। सामें के मूल-तत्व क्या हैं, और किन दशाओं में यह अवैध हो जाता है? (आ) भारत में व्यवसाय के सामेदारी स्वरूप के महत्व का वर्णन कीजिये। (राजपूताना, १६५०)

१६ किन व्यवसायों में सामेदारी की प्रथा अब भी दृढ़ है और क्यों? (राजपूताना, १६५०)

१७ यदि आप एक फर्म के लिए अपना सामियों चुनना चाहें, तो आप किन शर्तों को ध्यान में रखेंगे? सामाजिक स्थापित करने के पूर्व सामेदारों के बीच कौन सी महत्वपूर्ण शर्तें तय हो जाना आवश्यक है? क्या फर्म के सदस्यों की सुखा सीमित होती है? (राजपूताना, १६५६)

१८ सामेदारी में सामेदारों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए। (राजपूताना, १६५८)

१९ सीमित सामेदारी पर एक नोग लिखिए। (राजपूताना, १६५८)

पटना, इन्टर कामर्स

२०. सामेदारी की परिभाषा दीजिए। सामेदारी के आवश्यक तत्व क्या हैं, और किन दशाओं में यह अवैध सम्भव हो जाता है ? (पटना, १६५३)

२१. भारतीय सामेदारी विधान के अंतर्गत सामेदारी की रजिस्ट्री कराने की विधि समझा कर लिखिए। रजिस्ट्री न कराने का क्या प्रभाव होता है ? (पटना, १६५२ वार्षिक)

२२. सामेदारी की परिभाषा दीजिए। सामेदारी के आवश्यक तत्व क्या हैं ? किन अवस्थाओं में सामेदारी अवैध हो जाती है ? (पटना, १६५१ वार्षिक)

२३. क्या भारतीय सामेदारी विधान के अंतर्गत फर्म की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है ? रजिस्ट्री न कराने का क्या प्रभाव होता है ? (पटना, १६४८ वार्षिक)

२४. “सामेदारी में सामेदारों का चुनाव जल्दबाजी से नहीं किया जाता। इसके लिए एक दूसरे का सावधान अध्ययन आवश्यक है।” इस कथन की पुष्टि कीजिए। (पटना, १६४६ पूरक)

२५. सामेदारी क्या होती है ? विभिन्न प्रकार के सामेदारों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। (पटना, १६४४)

चिहार, इन्टर कामर्स

२६. सामेदारी क्या होती है ? किन दशाओं में सामेदारी अवैध सम्भव हो जाती है ? (चिहार, १६५४)

२७. व्यापार की ख्याति (Goodwill) क्या होती है ? व्यापार का ख्यादार ख्याति के लिये रुपया देने को क्यों तैयार हो जाता है ? इसका मूल्य कैसे निकाला जाता है ? (चिहार, १६५४)

सामग्र, इन्टर कामर्स

२८. सामेदारों में राजीनामा न होने पर उनके पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं ? (सामग्र, १६५४)

२९. सामेदारी (Partnership) में क्या-क्या शुल्क होने चाहिये ? यह

किन-किन दशाओं में समाप्त की जा सकती है ? वर्णन कीजिये । (सागर, १९५३)

३०. सामेदारी की परिभाषा दीजिए । इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं ? कौन-सी अवस्थाओं में यह अवैध हो जाती है ? (सागर, १९५०)

नागपुर, इन्टर कामर्स

३१. क्या भारतीय सामेदारी विधान के अन्तर्गत फर्म की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है ? रजिस्ट्री न कराने का क्या प्रभाव होता है ? (नागपुर, १९५५) बनारस, इन्टर कामर्स

३२. बताइये कि सामेक का फर्म किस प्रकार टूटता या भग (Dissolve) होता है । (बनारस, १९५५)

३३. सामेदारी प्रत्येक Partnership Agreement में साधारणतया पाये जाने वाले वाक्यों की विवेचना कीजिये । (१९५३)

३४. सामेदारी संज्ञा (Partnership Deed) क्या होता है ? यह क्या काम पूरा करता है ? इसके क्या क्षमा महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं ? पूरी तरह समझाइये । (बनारस, १९५१)

३५. सामेदारी के प्रधान लक्षण क्या होते हैं ? इसकी रजिस्ट्री किस प्रकार कराई जा सकती है । (बनारस, १९४६)

३६. सामेदारी के गुण और दोषों की विवेचना कीजिये । यह समुक्त पैंची की कम्पनी से किस प्रकार भिन्न होती है ? (बनारस, १९४५)

दिल्ली, हायर सेकिडरी

३७. सामान्य किस प्रकार किया जाता है और वह कैसे टूटता है ? (दिल्ली, हायर सेक्यूरिटी, १९५२)

३८. नावालिंग सामीदार की (अ) उसके नावालिंग रहने के पूर्व और (आ) उसके बालिंग हो जाने के पश्चात् की अवस्था बताइये । (दिल्ली, १९५१)

३९. (अ) सामेदारी सगड़न से आप क्या समझते हैं ? इसके लक्षण बताइये और समुक्त पैंची वाली कम्पनी के भुकावले इसके अवशुण बताइये । (आ) क, ख और ग सामीदार हैं । किन अवस्थाओं में उनके निर्णय एक भत्ते से तथा किन अवस्थाओं में बहुमत से लिये जा सकते हैं ? (दिल्ली, १९५०)

४० सामेदारी से आप क्या समझते हैं। इसके लक्षण बताइए और लिखिए कि सुयुक्त पूँजी को कम्नी के मुकाबले में इसक क्या दोष है ? (दिल्ली हायर सेकेंडरी, १६४६)

४१ अ, आ और इ सामेदार हैं। किन मामलों में इन सब का एक मत होना आवश्यक है और किन मामला में इनका बहुमत ही पर्याप्त है ? (दिल्ली हायर सेकेंडरी, १६४६)

४२ सामेदारी की परिभासा कान्ये और विभिन्न प्रकार के सामेदारों की वार्ता करिए। सामी की अपने अन्य सामियों के सम्बंध में तथा तीसरे पक्षों के सम्बंध में क्या अवस्था होती है ? (दिल्ली हायर सेकिन्डरी, १६४८)

मध्यभारत, इन्टर कार्मस

४३ रजिस्ट्री किये हुए सामेदारों के बीच में लिपिन राजानामे की अनुपस्थिति में उनके अधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित निर्धारित करने के सामान्य सिद्धान्त क्या हैं ? (१६५५)

४४ सामेदारों के बीच में लिपिन राजानामे की अनुपस्थिति में उनके अधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित निर्धारित करने के सामान्य सिद्धान्त क्या हैं ? (१६५५)

४५ सामेदारों की रजिस्ट्री से आप क्या समझते हैं ? गेर रजिस्ट्री का क्या प्रभाव होता है ? कर्म का रजिस्ट्री कराने की रीति बताइये। (१६५५)

४६ क्या नावालिंग कर्म का सामीदार बनाया जा सकता है ? नावालिंग सामीदार का (अ) उसक नावालिंग रहने तक और (आ) उसके बालिंग होने के बाद क्या अवस्था होती है ? (मध्यभारत, १६५२)

उस्मानिया, इन्टर

४७ 'सामेदारी के कर्म में हर सामी सुयुक्त रूप में तथा व्यक्तिगत रूप में दोनों तरह उत्तरदायी होता है।' सप्त कीजिय। (१६५५)

४८ सामेदारों के कर्म की रजिस्ट्री का क्या अर्थ है और इसका क्या प्रभाव होता है ? क्या भारत में रनिस्ट्रा कराना अनिवार्य है ? उस्मानिया, १६५२)

४९ सामेदारी सलेख की अनुपस्थिति भ सामेदारों के पारस्पारक अधिकारों और दायित्वों का कैसे निर्णय होता है ? (उस्मानिया, १६११)

संयुक्त पूँजी की कम्पनी (१) : कम्पनी की स्थापना

एकाकी व्यापार की अपेक्षा साम्र के फर्म में बड़े पैमाने पर व्यापारिक साधन एकत्रित किये जा सकते हैं। किन्तु फिर भी इसके साधन इतने अधिक नहीं होते कि आजकल के बड़े पैमाने का कारबार किया जा सके। बड़े बड़े कारखाने, देशव्यापी रेलें, जल-विद्युत् के कारखाने, जहाजी कम्पनियाँ आदि के लिए बहुत पूँजी की आवश्यकता होती है। इतनी अधिक पूँजी किसी कम्पनी के अन्तर्गत ही एकत्रित हो सकती है। आजकल के अधिकांश बड़े पैमाने के व्यापारिक संगठन संयुक्त पूँजी की कम्पनी का स्वरूप धारण किये गए हैं।

१. कम्पनी तथा अन्य व्यावसायिक संगठन

संयुक्त पूँजी की कम्पनी का अर्थ

संयुक्त पूँजी की कम्पनी ऐसे छानेक व्यक्तियों की समिति है जो किसी व्यापार में लगाने के लिए एक संयुक्त स्वाक में रूपया देते हैं और उससे होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांट लेते हैं, और जिसका कम्पनी के रूप में समामेलन (incorporation) होता है।^१ यदि इसका कम्पनी की तरह समामेलन न हो, और इसके सदस्य वैकिंग में १० तथा अन्य व्यापार में २०

^१ संयुक्त पूँजी की कम्पनी लाम के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूँजी हस्तातरणीय शेयरों में विभाजित होती है, जिसका स्वामित्व सदस्यता की शर्त होती है।—Haney, *Business Organiza-*

से कम हों, तो इसे सामेदारी फर्म माना जायगा। यदि सदस्यों की संख्या इन संख्याओं से अधिक है, तो समिति का भारतीय कम्पनी विधान (Indian Companies Act) के अनुसार कम्पनी की भाँति रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है; अन्यथा वह गैर कानूनी संस्था मानी जायगी। ऐसी दिशा में समिति का प्रत्येक सदस्य व्यापार में होने वाली समस्त देनदारी का व्यक्तिगत हैसियत में उत्तरदायी होगा और उस पर १,२०० रुपया तक का दण्ड भी लगाया जा सकता है।^२

कम्पनी—कृत्रिम व्यक्ति

कम्पनी बहुत से व्यक्तियों की बनी होती है जिन्हें शेयरहोल्डर कहते हैं। किन्तु विशेषता यह है कि कम्पनी का, अपना निजी व्यक्तित्व होता है, जो व्यक्तित्व व्यक्तिगत सदस्यों के व्यक्तित्व से भिन्न होता है। इस दिशा में कम्पनी और सामेदारी में अन्तर है क्योंकि सामेदारी का उसके सदस्यों से भिन्न कोई अस्तित्व ही नहीं। वैधानिक भाषा में, कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाली कृत्रिम व्यक्ति (*an artificial person with perpetual succession*) है: अन्य शब्दों में, यह वैधानिक व्यक्ति (*legal person*) है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं :

(१) यदि कम्पनी किसी पक्ष के साथ कोई प्रसविदा (Contract) करे, तो इससे कम्पनी के सदस्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत में बन्दी या उत्तरदायी

sation and Combination, p. 73 संयुक्त पैंजी को कम्पनी व्यक्तियों के एक समिति है जिसका उद्देश्य कोई व्यवसाय, व्यापार या उपकरण लाभ के लिए करना होता है और जिसका उत्तरदायित्व साधारणतया परिमित, किन्तु कभी-कभी अपरिमित भी, होता है।—Heelis, *Theory and Practice of Commerce*, pp. 71-72. संयुक्त पैंजी की कम्पनी किसी उपकरण, व्यापार या व्यवसाय के करने के लिये बनाई गई व्यक्तियों की समिति है। Fieldhouse *Business Methods*, p. 326.

^२ देखिये भारतीय कम्पनी विधान, धारा १४

नहीं होते। इसी प्रकार कम्पनी का अद्वानाता कम्पनी के सदस्यों का अद्वानाता नहीं माना जा सकता।

(२) कम्पनी का शेयरहोल्डर कम्पनी के साथ प्रसविदा (contract) कर सकता है; और वह कम्पनी पर अभियोग चला सकता है और कम्पनी उस पर अभियोग चला सकती है।

(३) कम्पनी के सदस्य कम्पनी के एजेंट नहीं माने जाते (जैसा कि सामेदारी में होता है)

(४) शेयरहोल्डरों का उच्चरदायित्व परिमित (limited) हो सकता है और साधारणतया होता है।

(५) कम्पनी के शेयर जिना किसी रोक-टोक के स्वतन्त्रतापूर्वक लारीदे और बेचे जा सकते हैं।³

कम्पनी और सामेदारी

यदि हम कम्पनी का सामेदारी से तुलना करें, तो कम्पनी के प्रमुख लक्षण भली मात्रा स्पष्ट हो जायेंगे। इन दोनों में पाँच खास अन्तर नीचे दिये जाते हैं :

(१) कम्पनी और सामेदारी में पहला महत्वपूर्ण भेद यह है कि फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या २० है और यदि वह बैंकिंग का कान करे तो यह संख्या केवल १० ही है; किन्तु (सार्ववनिक) समुक्त पूँजी की कम्पनी के सदस्यों की संख्या पर कोई भी सीमा नहीं।⁴ प्राइवेट या निजीकम्पनी के सदस्यों की संख्या ५० से अधिक नहीं हो सकती।

³ देखिये Kimball Principles of Industrial Organisation, p. 55, Stephenson, Principles, pp. 60-61.

⁴ कम्पनी के शेयरहोल्डरों की संख्या उन शेयरों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती जिसमें कि पूँजी बैंक हुई है। हाँ, अगर स्टक का निर्गमन (issue) हुआ है, तो यात दूसरी है।

(२) प्रत्येक सामर्थी का उच्चरदायित्व होता है और वह फर्म के ऋणों के लिए अपनी व्यक्तिगत हैसियत में उच्चरदायी होता है। हाँ, यदि वह सीमित सामर्थी (Limited Partner) हो तो बात दूसरी है; किन्तु ऐसे सामर्थी बहुत कम होते हैं। इसके विपरीत, कम्पनी में शेयरहोल्डरों का उच्चरदायित्व परिमित होता है—यह उनके शेयरों पर न अदा किये गये धन अथवा कम्पनी के टूने पर उनके द्वारा प्रतिज्ञा किये गये धन तक सीमित होता है। ऐनल अपरिमित कम्पनी (Unlimited Company) में ऐसा नहीं होता, किन्तु ऐसी कम्पनी विरली होती है।

(३) बिना अन्य साझेदारों की सम्मति के कोई भी सामर्थी फर्म में अपना हित (interest) हस्तान्तरित नहीं कर सकता। किन्तु कम्पनी का शेयरहोल्डर अपना शेयर स्वतंत्रापूर्वक हस्तान्तरित कर सकता है, ऐनल प्राइवेट या निजी कम्पनियों में समिति के अन्तर्नियम (Articles of Association) शेयरों के हस्तान्तरण पर कुछ रोक थाम करते हैं। यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि लार्ड जस्टिस लिंडले ने कम्पनी की परिभाषा ही यह दी है कि यह “उद्दस्यो की ऐसी समिति है जिसके कि शेयर हस्तान्तरणीय होते हैं। साझेदारी से भिन्नता के सम्बन्ध में मुझे शेयर के हस्तान्तरण के अधिकार और किसी बात का शान नहीं।”

(४) साझेदारी का, उसके उद्दस्या से भिन्न, अपना कोई स्वतन्त्र वैधानिक अस्तित्व नहीं। इसके विपरीत, कम्पनी एक क्षत्रिय द्वारा है जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों के अस्तित्व से स्वतन्त्र है।

(५) फर्म के व्यापार में प्रत्येक सामर्थी को भाग लेने का अधिकार होता है। किन्तु कम्पनी के शेयरहोल्डरों की संख्या इतनी अधिक होती है कि यह अधिकार प्रत्येक शेयरहोल्डर को नहीं दिया जा सकता। इसलिये नियंत्रण और प्रबन्ध का अधिकार एक सचालक समिति या डाइरेक्टरों के बोर्ड (Board of Directors) को सौंप दिया जाता है जिन्हें शेयरहोल्डर चुनते हैं।^१

(६) यदि कोई सामग्री मर जाय या पागल हो जाय या दिवालिया हो जाय तो इससे सामग्री भग हो जाता है, किन्तु इस प्रकार की घटना का कम्पनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वर्गीय प्रोफेसर डिक्सी (Dicksee) ने लिखा है कि “कम्पनी और सामेदारी का आवश्यक अन्तर यह है कि कम्पनी का अस्तित्व उसके सदस्यों के जीवन या इच्छाओं के अतिरिक्त भी जारी रहता है।”^६

(७) सामेदारी फर्म की पूँजी सारे सामेदारों की सम्मति से बदली जा सकती है, किन्तु कम्पनी में ऐसा करने के लिये एक विषम वैधानिक मार्ग ग्रहण करना पड़ता है।

(८) कम्पनी के हिसाब किताब की अकेला (audit) विधान ने अनिवार्य बना दी है किन्तु सामै के ऐसा नहीं है।

स्थापना या समामेलन (Incorporation) की रीतियाँ

कम्पनी की स्थापना (या समामेलन) निम्नलिखित रीतियों में से किसी भी एक रीति द्वारा हो सकती है।

(१) इसका भारतीय कम्पनी विधान के अन्तर्गत समामेलन करता जा सकता है। अधिकाश कम्पनियाँ इसी रीति को अपनाती हैं।

(२) इसका जन्म लोकसभा के या राष्ट्रपति (President) के किसी विधान द्वारा हो सकता है। रिजर्व बैंक आब इण्डिया और मजदूरों का राजकीय चीमा सगठन विशेष विधानों के अनुसार ही बनाये गये हैं।

संयुक्त पूँजी की कम्पनी की कथा

पुस्तक के आरम्भ में दिये गये चित्र में संयुक्त पूँजी की कम्पनी का प्रारम्भ, उड्ढान और परिचालन चित्रित किया गया है। पहले शेयरहोल्डर पूँजी एक त्रित करते और सचालको (Directors) का चुनाव करते हैं, जो कारखाने बनाने की और माल उत्पन्न करने की आयोजना करते हैं। इसके पश्चात् विज्ञ पन मैनेजर, काशाध्यक्ष एवं मन्त्री की सम्मति से, माल प्रचारित करता है। धूमने वाले विक्री के एजेंड धूम धूम कर माल को फुटकर दूकानदारों को बेचते हैं।

उपभोक्तागण इन्हीं फुर्कर दूकानों से माल परीदते हैं। यह शृंखला संयुक्त पूँजी की कम्पनी को अन्तिम उपभोक्ता से मिला देती है।

१२. संयुक्त पूँजी की कम्पनियों की किसमें

कम्पनियों में, सदस्यों के उत्तरदायित्व की सीमा के दृष्टिकोण से, अन्तर्भूमि किया जा सकता है। पहले दृष्टिकोण से कम्पनियों को परिमित और अपरिमित इन दो बगों में बाँटा जाता है, और दूसरे दृष्टिकोण से सार्वजनिक और प्राइवेट कम्पनियों में।

परिमित और अपरिमित कम्पनी

अपरिमित कम्पनी—अपरिमित कम्पनी के सदस्यों का उत्तरदायित्व अपरिमित होता है। दूसरे शब्दों में, कम्पनी के ऋण का भुगतान करने के लिये वे व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होते हैं। किन्तु उनके ऋण के भुगतान के लिए खरया आनुसारिक हिसाब से (*Pro rata*) (अर्थात् कम्पनी में उनके सापेक्षिक हितों के अनुसार) ही माँगा जा सकता है, और उनकी सदस्यता समाप्त होने के एक वर्ष पश्चात् उनके उत्तरदायित्व का लोप हो जाता है। अपरिमित कम्पनी बहुत विरली होती है। अधिकांश पुरानी अपरिमित कम्पनियों ने अपनी रजिस्ट्री परिमित कम्पनियों के रूप में फिर से करा ली है।

परिमित कम्पनी—परिमित कम्पनी उस कम्पनी को कहते हैं जिसके सदस्यों का उत्तरदायित्व परिमित होता है। ऐसी कम्पनी के नाम के पश्चात् “Limited,” “Ltd.”, “लिमिटेड” या “लि०” लिखना अनियार्थ है जिससे कि जनता यह जान जाय कि सदस्य का उत्तरदायित्व परिमित है। कम्पनी शेयरों द्वारा या गारन्टी द्वारा परिमित हो सकती है।

(अ) “गारन्टी द्वारा परिमित कम्पनी” का यह नाम इसलिए पड़ा कि कम्पनी का प्रत्येक सदस्य इस बात की गारन्टी देता है कि यदि कम्पनी उसकी सदस्यता के समय अथवा उसकी सदस्यता के समाप्त होने के एक वर्ष के अन्दर दिवालिया हो जाय तो वह कम्पनी के कोप में एक निश्चित रकम रख देगा।

सामाजिक, खेल-बृद्ध वाली तथा लाभ की दृष्टि से बनाई गई कम्पनियाँ बहुत अपनी रजिस्ट्री इसी प्रकार की कम्पनी के रूप में कराती हैं।^७

(आ) शेयरों द्वारा परिमित कम्पनी—ऐसी कम्पनी में पूँजी निश्चित रकम के शेयरों में बैटी होती है। एक शेयरहोल्डर का कुल उत्तरदायित्व उसके शेयर के अकित मूल्य (face value) के बराबर होता है। यदि उसने अपने उत्तरदायित्व का आशिक भुगतान कर दिया है तो वह केवल शेयर का देनदार होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी कम्पनी में एक ₹१०० रुपये का शेयर खरीदा तो आप का कुल उत्तरदायित्व ₹१०० रु. हुआ, और यदि आप इस रकम का एक भाग अदा कर लुके हैं—मान लीजिए आपने ₹६० दे दिया है—तो आपका उत्तरदायित्व शेयर रकम—अर्थात् ($\text{रु} 100 - \text{रु} 60 =$) ₹४० तक सीमित हो जायगा। ऐसी कम्पनियाँ बहुत लोकप्रिय हैं। वास्तव में वे आज के बड़े पैमाने के व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका महत्व इतना महान् है कि जब हम परिमित कम्पनियों की चर्चा करते हैं तो हमारा आशय शेयरों द्वारा परिमित कम्पनी से होता है।

प्राइवेट और सार्वजनिक कम्पनियाँ

कम्पनियों को प्राइवेट कम्पनी और सार्वजनिक कम्पनी के बर्गों में भी बँटा जा सकता है।

प्राइवेट कम्पनी उसे कहते हैं जिसके अन्तर्नियम (Articles)—

(अ) उसके शेयरों के, यदि कोई हों तो, हस्तातरण पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं,

(आ) कम्पनी के नौकरों को छोड़कर उसके सदस्यों की सख्ता ₹५० तक सीमित कर देते हैं, और

^७गारन्टी वाली कम्पनी की पूँजी शेयरों में विभाजित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यह वैकल्पिक बात है। अर्थात् उनका उपवर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है : (१) गारन्टी वाली कम्पनियाँ जिनकी पूँजी शेयरों में बैटी दुई है, और (२) गारन्टी वाली कम्पनियाँ जिनकी पूँजी शेयरों में नहीं बैटी।

(इ) कम्पनी के शेयरों या डिबेंचरों (Debentures) के खरीदने के लिये जनता को निमन्त्रण देने का नियेध कर देते हैं।

जो कम्पनी उपरोक्त प्रतिवधाओं से मुक्त हो उसे सार्वजनिक कम्पनी कहते हैं। भारतीय कम्पनी विधान में इसकी विस्तृत परिभाषा नहीं है। विधान केवल इतना कहता है कि जो कम्पनी प्राइवेट कम्पनी न हो वही सार्वजनिक कम्पनी है। किन्तु यह कहा जा सकता है कि यह वह कम्पनी है जिसके शेयरों का हस्तातरण स्वतन्त्रतापूर्वक किया जा सकता है, जिसके शेयरहोल्डर उसे अधिक चाहे किसी भी हो सकते हैं और जो जनता को शेयर खरीदने के लिए आमन्त्रित कर सकती है।

प्राइवेट कम्पनी से लाभ

प्राइवेट कम्पनी का स्थान सामेदारी और सार्वजनिक कम्पनी के मध्य में है यद्यपि इसकी समानता सार्वजनिक कम्पनी से अधिक है। सामेदारी के मुकाबले प्राइवेट कम्पनी के निम्नलिखित लाभ हैं:

(१) प्राइवेट कम्पनी के सदस्यों की सख्ता ५० हो सकती है, किन्तु सामेदारी में सदस्य २० से अधिक नहीं हो सकते और यदि फर्म बैंकिंग व्यवसाय करता है तो सदस्य १० से अधिक नहीं हो सकते। अतः साधारणतया कम्पनी के पास फर्म से अधिक पैंजां, कुशलता और उत्पत्ति के साधन जुटाये जा सकते हैं।

(२) प्राइवेट कम्पनी के सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व परिमित हो सकता है। यह सुविधा फर्म को प्राप्त नहीं।

(३) कुछ थोड़े से प्रतिवन्ध को छोड़ कर शेयरों का स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तातरण किया जा सकता है, किन्तु सभी चिना अपने सहसामेदारों की सम्मति के फर्म में अपने हित का हस्तातरण नहीं कर सकता।

(४) किसी सामी की मृत्यु, पागलपन या दिवालियापन के परिणामस्वरूप फर्म की इतिही हो सकती है, किन्तु ऐसी घटनाओं का प्राइवेट कम्पनी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

सार्वजनिक कम्पनी के नुस्खापने में, प्राइवेट परिमित कम्पनी के निम्नलिखित लाभ हैं :

(१) प्राइवेट कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनी की अपेक्षा, मुगमतापूर्वक स्थापित की जा सकती है क्योंकि इसमें कम से कम २ ही सदस्य होने चाहिये जब कि सार्वजनिक कम्पनी के न्यूनतम सदस्यों की संख्या ७ होती है।

(२) प्राइवेट कम्पनी कुछ ऐसे मन्वना से मुक्त होती है जो सार्वजनिक कम्पनी पर लागू होने हैं। उदाहरण के निए, व्यापार आरम्भ करने के पूर्व प्राइवेट कम्पनी के नियन्त्रण सदस्य के शेयरों को बिल्स (minimum subscription of shares) की आवश्यकता नहीं, कमनियों को रजिस्ट्रार के रास रिपोर्ट या चिट्ठा (Balance Sheets) मेजने की कोई आवश्यकता नहीं, शेयरों की बैटनी (allotment) और सचालकों की नियुक्ति पर भी कोई प्रतिशङ्ख नहीं।

३. कम्पनी की स्थापना (Floatation of Companies)

और उसका प्रवर्तन (Promotion)

कम्पनी की स्थापना—अब हम कम्पनी स्थापित करने की यति का वर्णन करेंगे। कम्पनी की स्थापना की मुख्य अण्डिया निम्नलिखित होती हैं:

(अ) कम्पनी का समामेलन (incorporation) कराना,

(आ) कम्पनी की पूँजी जुगाना, और

(इ) व्यापार आरम्भ कर देना।

अतः कम्पनी की स्थापना का आशय कम्पनी को वैधानिक दृष्टि से अतिलिंग में लाने और व्यापार करने योग्य बनाने से है। हम उपरोक्त तीनों अण्डियों का वर्णन नीचे करते हैं।

प्रवर्तन (Promotion)

इस सम्बन्ध में हमें 'प्रवर्तन' शब्द से परिचय प्राप्त कर लेना चाहिये।

कम्पनी के प्रवर्तन से आशय कम्पनी के प्रारम्भिक संगठन से है। प्रत्येक कम्पनी का प्रारम्भिक संगठन कुछ व्यक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 'प्रवर्तक' (promoters) कहते हैं।

प्रवर्तन (Promotion) और **स्थापना (Floatation)**—प्रवर्तन और स्थापना का भेद जान लेना आवश्यक है। स्थापना से आशय कम्पनी को वैधानिक दृष्टि से अस्तित्व में लाना और उसे व्यापार करने के योग्य बनाना है, पर प्रवर्तन का अर्थ वैधानिक एवं अन्य संगठन सम्बन्धी कार्यों से है जिनके द्वारा कम्पनी की नींव पड़ती है। अतः प्रवर्तन का ज्ञेय स्थापना से वित्तीत है। कम्पनी का समामेलन कराना, पूँजी एकत्रित कराना और व्यापार आरम्भ करने की योग्यत देने के अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं : यह निर्णय करना कि किस व्यापार के लिये कम्पनी स्थापित करनी है, ऐसे व्यक्तियों को खोजना जो प्रथम सचालक होने के लिए तत्पर हैं, इमारत तथा फर्नीचर आदि खरीदना, अन्य वस्तुओं और सेवाओं के प्राप्त करने के लिये प्रसविदे करना आदि।

प्रवर्तक के कार्य—अब हम प्रवर्तक के कार्य क्षमानुसार देते हैं : (१) यह निर्णय करना कि प्रस्तावित कम्पनी क्या व्यापार करेगी, (२) यह निर्णय करना कि कम्पनी नये सिरे से व्यापार आरम्भ करेगी या किसी व्यापार में सलग्न मवन (going concern) को खरीद लेगी। पिछली दशा में प्रवर्तक को ऐसे मरने से प्रसविदे की शर्तें भी तय करनी होती हैं, (३) कुछ ऐसे व्यक्ति खोजना जो प्रथम सचालक होने के लिए प्रस्तुत हैं, (४) कम्पनी का समामेलन कराना; (५) कम्पनी की पूँजी खोदाना, (६) कम्पनी को व्यापार आरम्भ करने का प्रभारण-पत्र दिलाना, (७) इमारत तथा अन्य वस्तुओं को, जो व्यापार आरम्भ करने के लिए आवश्यक हैं, खरीदने या सरीदने के लिए प्रसविदे करना।

प्रवर्तक को अपना कर्तव्य ईमानदारी से पालन करना चाहिए। और कम्पनी के मूल्य पर उसे व्यक्तिगत लाभ करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। आकेपकाही बातों को रोकने के लिये विधान ने यह भी आयोजन किया है कि प्रवर्तक को चाहिये कि उसने जितने भी प्रसविदे किये हो उन सब की साफ-साफ घरला दे और वह भी सट कर दे कि उसने अपनी सेवाओं के लिये क्या

पुरस्कार वसूल किया है। अन्य महत्वपूर्ण घातों को भी उचित प्रकाश देना अनिवार्य है।

५ ४. कम्पनी का समामेलन (Incorporation)

समामेलन की रीति

सयुक्त पैंडी की कम्पनी के समामेलन (incorporation) कराने के लिये निम्नलिखित काम करने पड़ते हैं :

(१) प्रलेखों का फाइल करना—सबसे पहला काम होता है आवश्यक प्रलेखों को उस राज्य के “रजिस्ट्रार आव जाइट स्टाक कम्पनीज” के दफ्तर में फाइल करना जिसमें कि कम्पनी का प्रधान दफ्तर स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार का दफ्तर लखनऊ में है; बिहार के रजिस्ट्रार का दफ्तर पटना में; और मथुर प्रदेश के रजिस्ट्रार का नागपुर में। समामेलन के लिए निम्नलिखित प्रलेख फाइल करने पड़ते हैं :

(अ) कम्पनी का स्मारक-पत्र (Memorandum of Association);

(आ) कम्पनी के अन्तर्नियम (Articles of Association), यदि कोई हो;

(इ) कम्पनी के रजिस्टर्ड दफ्तर की स्थिति की सूचना;

(ई) उन व्यक्तियों की सूची जिन्होंने सचालक होने की अनुमति दे दी है;

(उ) सचालकों की इस प्रकार की लिखित अनुमति ,

(ऊ) किसी एडवाकेट या कम्पनी के किसी सचालक, मैनेजर या मत्री की यह घोषणा कि समस्त कानूनी आवश्यकताएँ पूरी कर दी गई हैं।

स्मरण रहे कि सार्वजनिक परिमित कम्पनी में उपरोक्त ६ प्रलेख फाइल करने पड़ते हैं, किन्तु शाइबेट परिमित कम्पनी में केवल पहले ३ प्रलेख ही देने पड़ते हैं।

(२) रजिस्ट्री की फीस—उपरोक्त प्रलेखों के साथ-साथ उचित और पर्याप्त रजिस्ट्री की फीस भी भेजी जानी चाहिये।

सुनुक्त पूँजी को कम्पनी (१) : कम्पनी की स्थापना-

(३) समामेनन का प्रमाण-पत्र—यदि सब चात ठीक है तो रजिस्ट्रार समामेनन का प्रमाण पत्र दे देगा। उस चाण से, कम्पनी का अग्रिम्बिज्ञ उत्तराधिकार और अलग मोहर के साथ अपना निजी वैधानिक अस्तित्व आरंभ हो जाता है।

कम्पनी का स्मारक-पत्र

स्मारक पत्र कम्पनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। बास्तव में, यही कम्पनी का चार्टर है जो उसकी शक्तियों को परिभाषित करता और उसके उद्देश्यों को बताता है। यह कम्पनी का अन्य व्यक्तियों के साथ का सम्बन्ध नियत करता है। स्मारक पत्र के बनाने में विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस प्रलेख में दी हुई बातों की सीमा के बाहर कम्पनी नहीं जा सकती। इसलिए इस प्रलेख को “पार्द सीमा नियम” भी कहा जाता है। स्मारक-पत्र में परिवर्तन बहुत कठिनता से किया जा सकता है।

स्मारक-पत्र में निम्ननिलिम चारों^८ दी जाती हैं :

(१) कम्पनी का नाम—इस नाम का अन्तिम राज्य ‘निमिट्ट’ होना अनिवार्य है।

(२) जिस राज्य में उसका रजिस्टर्ट आफिय स्थापित है, उस राज्य का नाम।

(३) कम्पनी के उद्देश्य—इसे “उद्देश्य-वाक्य” कहा जाता है और इसमें परिवर्तन करना सबसे कठिन होता है। अत. वह आवश्यक है कि इसमें उन सब व्यापारों का समावेश कर दिया जाय जिन्हें कम्पनी के करने की तकनीक सी भी सम्भासना है। सावारणतया “उद्देश्य वाक्य” बहुत लम्बा होता है। इस वाक्य के अन्त में एक इस प्रकार का अश जोड़ देते हैं; “और सारे अन्य व्यापार जो ऊर त्राये गये उद्देश्य से सम्बन्धित या उनके सहायक हों।” इससे कम्पनी का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है।

(४) यह कथन कि सदस्यों का उत्तरदायित्व परिमित है।

^८ ये प्रतिमन्ध शेषर वाली परिमित कम्पनियों पर लागू होते हैं जो सबसे अधिक लोकप्रिय हैं।

(५) कम्पनी की अधिकृत पूँजी और उसका (authorised) शेयरों में विभाजन।

स्मारक पत्र के अत में यह घोषणा होती है कि हस्ताक्षर करने वाले (signatories) स्वयं को कम्पनी के रूप में सगठित करने के इच्छुक हैं। हस्ताक्षर करने वालों के पते और पश्च आवश्य देने चाहिये और उनके हस्ताक्षर गवाह द्वारा प्रमाणित होने चाहिये। उन्हें अपने हस्ताक्षर के सामने यह भा लिखना चाहिये कि वे कितने शेयर खरीद रहे हैं। स्मारक पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला कोई भी व्यक्ति एक से कम शेयर नहीं ले सकता।

उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन—स्मारक पत्र का उद्देश्य वाक्य तभी परिवर्तित हो सकता है जब कि (अ) वह विशेष प्रस्ताव (Special Resolution) द्वारा स्वीकृत किया गया हो, (आ) न्यायालय उसे मुटद करे, और (इ) यदि परिवर्तन निम्नलिखित कामों के लिए आवश्यक हो।

- (१) अधिक मितव्ययिता अथवा कुशलता के साथ व्यापार करने के लिए, या
 - (२) प्रधान उद्देश्य नवीन तथा ऐसे साधनों द्वारा करने के लिए, या
 - (३) स्थानीय व्यापार का स्वत्र बदलने या बदाने के लिए, या
 - (४) ऐसा नया व्यापार करने के लिए जो कम्पनी के लिए व्यापार के साथ संयुक्त किया जा सकता है, या
 - (५) किसी उद्देश्य को सीमित करने या त्यागने के लिए, या
 - (६) व्यापार की बिही करने या अन्य निपटारा करने के लिए, या
 - (७) अन्य कसी कम्पनी से मिलने (amalgamation) के लिए।
- कम्पनी के अन्तर्नियम (Articles of Association)**

स्मारक पत्र के साथ साथ अन्तर्नियम भी फाइल किये जाते हैं। इन अन्तर्नियमों पर भी उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है जिन्होंने स्मारक पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। कम्पनी के आध्यतरिक मामलों के शासन के लिए बनाये गये नियमों, नियन्त्रणों और उपनियमों को ही अन्तर्नियम

(Articles) कहते हैं। वे इस प्रकार की नातों से सम्बंध रखते हैं: शेयरों के निर्गम (issue), हस्तांतरण और हरण (forfeiture), पैंजी का बदाना, जनरल मीटिंग और उसकी कार्टवाई, मेम्बरों का बोट देना, जुनाव, सचालकों के अधिकार, उनकी योग्यताएँ (Qualifications) और अयोग्यताएँ, लाभांश (dividend) की घोषणा, ठीक-ठीक हिसाब रखना और उसकी अकेड़ा (audit)।

शेयर वाली कम्पनी यदि चाहे तो सब्यं अपने बनाये हुए अन्तर्नियम फाइल करे या मात्रीय कम्पनी विधान के एक परिशिष्ट में दिये हुए अन्तर्नियमों को जिसे 'टेबिल ए' (Table A) कहा जाता है; स्वीकार कर ले। यदि रजिस्ट्रार के यहाँ कोई अन्तर्नियम फाइल नहीं किये गये हों, तो यह समझा जाता है कि कम्पनी ने 'टेबिल ए' स्वीकार कर ली है। साधारणतया 'टेबिल ए' कामनियों के ठीक-ठीक अनुकूल नहीं होती, इसलिए अधिकाश कमनियाँ अपने अन्तर्नियम बना कर फाइल कर देती हैं।

यह आवश्यक है कि अन्तर्नियम (१) मुद्रित या छपे हुए हों, (२) पैराग्राफों में विभाजित हों और उन पर लगातार नम्बर पढ़े हों, और (३) उन पर स्मारक-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पते और व्यवरण के सहित किसी गवाह की उपस्थिति में, हस्ताक्षर करे, जो गवाह उन हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी करें। अन्तर्नियम को एक पिशेष प्रसाब (Special Resolution) द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, और इसमें उन कटिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ता है जो स्मारक पत्र के बदलने में सामने आती हैं।

समामेलन का प्रमाण-पत्र

जब रजिस्ट्रार को यह आश्वासन हो जाता है कि समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई है, तब वह समामेलन का प्रमाण-पत्र देता है। समामेलन का प्रमाण पत्र कम्पनी के हस्ताक्षर करने वालों और सदस्यों को समामेलित संस्था (body incorporate) का स्वरूप दे देता है।

५. पूँजी एकत्रित करना और व्यापार का आरम्भ व्यापार का आरम्भ

जैसे ही प्राइवेट कम्पनी को समामेलन का प्रमाण-पत्र (Certificate of Incorporation) मिलता है, वैसे ही उसे व्यापार आरम्भ करने की आशा प्राप्त हो जाती है। प्राइवेट कम्पनी को जनता को शेयर दरहादने के लिए आमंत्रित करने का नियेव है। साधारणतया रजिस्ट्री के समय ही पूँजी पूरी-पूरी, या लगभग पूरी पूरी, एकत्रित कर ली जाती है जिससे कि व्यापार आरम्भ करने के बाद कोई रकावट न हो।

किन्तु सार्वजनिक कम्पनी का, इसके विरीत, पूँजी एकत्रित करने के लिए सार्वजनिक चन्दे पर निर्भर रहना पड़ता है; और सार्वजनिक कम्पनी समामेलन के बाद ही पूँजी एकत्रित कर सकती है। बास्तव में पूँजी एकत्रित करने का काम बहुत कठिन होता है और उसके लिए काफी अनुभव एवं कुशलता की आवश्यकता होती है। बिना पर्याप्त पूँजी के कम्पनी चलाना ठीक बात नहीं। इस दिशा में इनी बेइमानी और दुर्व्यवहार हो सकता है कि इस कान पर कानून ने कड़ा नियन्त्रण कर रखा है। इसलिए सार्वजनिक कम्पनी को व्यापार आरम्भ करने का भी प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है जो पूँजी एकत्रित कर लेने के बाद ही मिलता है।

व्यापार आरम्भ करने का प्रमाण पत्र

सार्वजनिक कम्पनी को समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद व्यापार आरम्भ करने का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार से निम्नलिखित बातों को पूरा करने पर ही मिल सकता है :

(१) रजिस्ट्रार के पास प्रास्पेक्टस (Prospectus) या प्रतिनिधि अथवा प्राप्तिकर्ता का स्थानापन्न प्रलेख (Statement in lieu of Prospectus) दाखिल करना चाहिये।

(२) प्राप्तेष्टस की तारीख से लेकर १२० दिन के अन्दर शेयरों की

बैटनो (Allotment) हो जानी चाहिये, और रजिस्ट्रार के पास एक पैटनी प्रलेख (Return of Allotment) फाइल कर देना चाहिये।

(३) इस चात की घोषणा कि समस्त वैधानिक आवश्यकताएँ उचित रीति से सनुष्ट की जा चुकी हैं, रजिस्ट्रार ने पास फाइल कर देनी चाहिये।

(४) ऊपर की सब बातें हो जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार व्यापार आरम्भ करने का प्रमाण पत्र निर्गमित करता है।

प्रास्पेक्टस या प्रविवरण

पैंजी एक विन करने के लिए सार्वजनिक कम्पनी को सामान्यतया एक प्रास्पेक्टस या प्रविवरण प्रकाशित करना पड़ता है। जनता को शेयर या डिवैन्चर सरोकरने के लिये दिये गये निम्नण को हा। प्रास्पेक्टस या प्रविवरण रहते हैं। कम्पनी जो व्यापार करना चाहती है प्रास्पेक्टस उसक सुरक्षित होने की विवेचना करता है और यह भी चाहता है कि कम्पनी के शेयर या डिवैनरों में रुपया लगाना सुरक्षित और लाभदायक बोथ और कैरे होगा। साझारणतया विनियोगकर्ता (Investors) का आकर्षित करने के लिए प्रास्पेक्टस में कम्पनी के अच्छे पहलुओं पर जोर दिया जाता है। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि प्रास्पेक्टस के रचनित्रा खूब मुनहरे भूज्ञ विनियित करते हैं सच्ची जाता का अतिशयोक्ति करते अथवा उन्हें छिपाते हैं, और भूटी भूटी बाने प्रकाशित करने में भी नहीं हिचकते। ऐसे काम अनुचित हैं। विधान में इस बां की आवाजना को गढ़ है कि यदि प्रास्पेक्टस में कोई धोपा देने वाला लेव है और उससे विभ्रम होकर काई व्यक्ति शेयर या विवैन्चर सरोकरता है, तो वह अब ने दसवे का वापसी के लिये कम्पनी या प्रास्पेक्टस के रचयिता पर अभियोग चला सकता है। विधान के अनुसार रुचि ऐसी बातें जिनका विनियोगक (Investor) वे निर्णय पर प्रभाव पड़ना अवश्यमानी है, प्रास्पेक्टस में प्रकाशित करना अनिवाय है।^१

कम्पनी ना भी प्रास्पेक्टस प्रकाशित करे या जो भी प्रास्पेक्टस कम्पनी के

^१मार्तीय कम्पनी विधान, धारा ६३

लिए प्रकाशित किया जाय, उस पर तारीख अवश्य होनी चाहिये उस पर प्रत्येक सचालक (या डाइरेक्टर) और प्रस्तावित सचालक के या उसके अधिकृत एजट के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये और बनता में बैंटने के पूर्व उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास अवश्य फाइल कर देनी चाहिए। प्रत्येक प्राप्तकर्ता के ऊपर यह अवश्य लिखा या छाग रहना चाहिये कि उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दी गई है। यदि कम्पनी प्राप्तवेस्टट प्रकाशित नहीं करती, तो उसे प्राप्तेकर्ता का स्थानामन्त्र प्रतेक फाइल करना चाहिये। इसमें वस्तुत वे ही विवरण रहते हैं जो कि प्राप्तकर्ता में पाये जाते हैं।

शेयरों के लिए आवेदन पत्र

प्राप्तकर्ता में शाशर खरीदने के लिए एक आवेदन पत्र भी छुरा रहता है। शाशर खरीदने वाले को यह आवेदन पत्र भर कर निवेदन के साथ भेज दिये जाने वाले रूपयों के चैक के साथ कम्पनी के बैंकर^{१०} के पास भेज देना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ दिये जाने वाले रूपये को आवेदन राशि (Application Money) कहते हैं और यह शेयर के अकित मूल्य (Nominal or Face Value) के ५% प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। आवेदन पत्र स्वीकार करने का एक अन्तिम तिथि निश्चित होती है, इसके पश्चात् आनेवाले आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाता।

शेयरों की बैंटनी (Allotment)

आवेदन की अन्तिम तिथि बीत जाने पर, कम्पनी का चैकर कम्पनी को सारे आवेदन पत्र एवं पास तुक मेज देता है। तब सचालकगण या डायरेक्टर शेयरों की बैंगनी आरम्भ करते हैं। शेयरों के लिये जो आवेदन पत्र दिया जाता है वह शाशर खरीदने के लिये आवेदक द्वारा किया गया प्रस्ताव (Offer) मान्य है। डाइरेक्टरों का उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार है। उसी

^{१०} शेयरों के लिये निवेदकों से आने वाला समस्त रूपया रिजर्व बैंक आव इडया १९३४ में परिमाणित शीड्यूल्ड या अनुशूचित (Scheduled) बैंक के पास जमा रहेगा।—भारतीय कापनी विधान।

प्रकार, आवेदक को भी यह अधिकार है कि प्रस्ताव स्वीकृत होने के पूर्व ही वह उसे वापस कर से ।

सामान्यतया प्रास्टैटस में पूँजी की एक न्यूनतम मात्रा दी रहती है, जिसके लिये आवेदन-पत्र आये बिना शेयरों की बैंटनी नहीं हो सकती । यह न्यूनतम मात्रा इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि यह (१) सरीदी गई या खरीदी जाने वाली समति के मूल्य, (२) प्रारम्भिक व्यय और (३) कार्यशील पूँजी के बगदर हो । यदि इस न्यूनतम पूँजी के लिये आवेदन पत्र न आवें तो शेयरों की बैंटनी नहीं हो सकती ।

यदि किसी कारणवश शेयरों की बैंटनी न हो, तो प्रास्टैटस की तारीख से १८० दिन के अन्दर ही अन्दर सारी आवेदन राशि (application money) लौटा देनी चाहिये ।

यदि बैंटनी हो, तो जिन व्यक्तियों को शेयर बैंटे उनके पास दो-दो आने के टिकट लगाकर बैंटनी के पत्र (Letters of Allotment) भेजे जाते हैं । जिन व्यक्तियों को शेयर नहीं मिलते उनको एक लेद-पत्र और उसके साथ उनकी आवेदन राशि भेज दी जाती है ।

यदि कम्पनी शेयर बाँटे, तो उसे चाहिये कि उसके एक महीने के अन्दर ही अन्दर रजिस्ट्रार के यहाँ एक बैंटनी का लैखा (Return of Allocation) पाइल कर दे जिसमें बाँटे जाने वाले शेयरों की कुल संख्या एवं उनका कुल अकित मूल्य, शेयर पाने वालों के नाम, पते और परिचय तथा प्रत्येक शेयर पर अदा की गई रकम और अदा की जाने वाली रकम का घोरा लिखा होना चाहिये ।

अध्याय ३८

संयुक्त पूँजी की कम्पनी (२) : पूँजी, प्रवन्ध और निस्तार

६. पूँजी का वर्गीकरण

एकाकी व्यापारी या सामें के विपरीत एक संयुक्त पूँजी की कम्पनी की पूँजी स्मारक पत्र (Memorandum) द्वारा निश्चित होती है। पूँजी भी वह अधिकतम राशि जिससे अधिक पैंजी एकत्रित करने का अधिकार सचालकों को नहीं होता, अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) कहलाती है, उदाहरण के लिए, एक एक रुपये के १०,००० शेयर। अधिकृत पूँजी का वह भाग जिसे जनता को चन्दे ने लिये निर्गमित (Issue) किया जाता है, निर्गमित पूँजी (Issued Capital) कहलाती है, उदाहरण के लिए, एक एक रुपये के ६,००० शेयर। अधिकृत पूँजी का वह भाग जिसे जनता को चन्दे के लिए निर्गमित नहीं किया जाता, आनंदगमित पूँजी (Unissued Capital) कहलाता है, उदाहरण के लिए, एक एक रुपये के ४,००० शेयर। निर्गमित पूँजी का वह भाग जिसके लिए जनता आवेदन पत्र भेजती है, आवेदित पूँजी (Subscribed Capital) कहलाती है। जैसे एक एक रुपये के ४,४५० आवेदित पूँजी का वह भाग जिसे सचालकरण कम्पनी का व्यापार करने के लिए मांगते हैं, आहुत या मांगी हुई पूँजी (Called up Capital) कहलाती है, उदाहरण के लिए ८ आने प्रति शेयर अर्थात् २,२२५ रु। शेयर राशि (२,२२५) अनाहुत पूँजी (Uncalled Capital) वही जाती है। आहुत पूँजी का वह भाग जो कम्पनी को शेयर होल्डर से नकद मिलता है, परिदत्त पूँजी (Paid-up Capital) कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि ५० शेयर खरीदने वाला ५० शेयर हाल्डर रुपया अदा न कर पावे, तो ५० रु,२०० परिदत्त पूँजी होगा।

इसके अतिरिक्त दो शब्द कार्यशील पैंजी (Working Capital) और अधि-पैंजी (Watered Capital) हैं जिनका अर्थ स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इधर समत्ति के मूल्य तथा प्रारम्भिक व्यय के भुगतान के बाद जो पैंजी बच रहती है उसे कार्यशील पैंजी कहा जाता है। उस पैंजी को जिसका किसी देखने वाली समत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व न हो, अधि-पैंजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, खशति (Good-will) खरीदने के लिए दिये गये दरये को अधि-पैंजी की श्रेणी में परिगणित किया जाता है।

६७. शेयर (Shares)

कम्पनी की पैंजी जिन इकाइयों में विभाजित होती है उन्हें शेयर (Shares) कहते हैं। कम्पनी के प्रत्येक शेयर की एक अनग संख्या होती है। प्रत्येक सदस्य को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसमें उसके कम्पनी में लिये हुये शेयरों का जिक्र होता है और जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा (Common Seal) लगी होती है। इसे 'शेयर सर्टिफिकेट' (Share Certificate) कहते हैं आर यह उसम वर्णित शेयरों पर शेयरहोल्डर के स्वामित्व का प्रमाण होता है। एक सदस्य रजिस्टर (Register of Members) भी रखता जाता है जिसमें शेयरहोल्डरों और उन्हाने जा शेयर खरीदे हैं उनके प्रिय का आवश्यक बौरा लिया जाता है।

एक कम्पनी ने समस्त शेयर एक ही किस्म के नहीं होते, और न उनके बीता को समान अधिकार और नुसिहाएँ ही भिलती हैं। सामान्यतमा शेयर कई श्रेणियों में विभाजित होते हैं जिससे कि वे विभिन्न रूचि एवं स्वभाव के विनियोगकों (Investors) के उपयुक्त हों। शेयरों की निम्नलिखित किस्में होती हैं-

(१) पूर्वाधिकारी (Preference) शेयर—पूर्वाधिकारी शेयर के होते हैं जिन्हें लाभारा (Dividends) के एक निश्चिन दर पर मिलने का और कमी-कमी कम्पनी के दृटने के समय पैंजी वापस पाने का पूर्वाधिकार (Priority) होता है। पूर्वाधिकारी शेयरहोल्डरों को एक निश्चित दर के लाभारा पाने का

अधिकार होता है और वह लाभाश उन्हें दिये जाने के पश्चात् ही किसी दूसरे अंशों के शेयरहोल्डरों को ल माण दिया जा सकता है। पूर्वाधिकारी शेयर कई प्रकार विभाजित किये जा सकते हैं, जैसे (अ) सचयी और असचयी पूर्वाधिकारी शेयर, (आ) शोध्य और अशोध्य पूर्वाधिकारी शेयर और (इ) सलाम और अलाम पूर्वाधिकारी शेयर।

(अ) पूर्वाधिकारी शेयर सचयी (Cumulative) और असचयी (Non cumulative), दो प्रकार के होते हैं। सचयी पूर्वाधिकारी शेयर वे होते हैं जिन पर कि यदि गारन्टी किया हुआ लाभाश किसी वर्ष घोषित न किया जा सके, तो अवशेष लाभाश सचिव हाता रहता है; और भविष्य में बब्र भी लाम हो, तब सबसे पहले उसमें से यह सचिव लाभाश अदा करना पड़ता है। असचयी पूर्वाधिकारी शेयरों के साथ अवशेष लाभाश के सचिव होने की सुविधा नहीं होती। यदि किसी वर्ष उन पर निश्चित दर से लाभाश घोषित करने के लिये पर्याप्त लाम नहीं होता, तो अवशेष भाग हृव जाता है।

(आ) शोध्य (Redeemable) पूर्वाधिकारी शेयर उन पूर्वाधिकारी शेयरों को कहते हैं जिनकी पैंडी कम्पनी कुछ समय बाद बायस कर सकती है। पूर्वाधिकारी शेयर का शोधन तभी हो सकता है जब कि वे पूर्ण-परिदृच्छा (Fully paid-up) हों। उनका शोधन या तो (१) नये शेयर निर्गमित करके हो सकता है या (२) पैंडी शोधन कोष (Capital Redemption Fund) द्वारा। यह कोष कम्पनी ऐसे शेयरों के शोधन के लिए ही एकत्रित करती है। जिन पूर्वाधिकारी शेयरों के शोधन करने का अधिकार कम्पनी को नहीं होता, वे अशोध्य (Non redeemable) पूर्वाधिकारी शेयर कहलाते हैं।

(इ) कुछ समय पूर्व सलाम पूर्वाधिकारी शेयर (Participating Preference Shares) भी निर्गमित किये जाते थे। उनके क्रेताओं का लाभ में से निश्चित दर पर लाभाश मिलने का तो अधिकार होता ही था; साथ में ही अन्य शेयरों के शेयरहोल्डरों को निश्चित दर पर लाभाश मिलने के पश्चात् अवशेष भाग में उन्हें एक भाग पाने का अधिकार और हांदा था। किन्तु बब्र ऐसे शेयरों का चलन नहीं रहा।

साधारणतया पूर्वाधिकार शेयर असोध्य-अलाभ तथा असचयी होते हैं।

(२) साधारण (Ordinary) शेयर—वे शेयर होते हैं जिनके क्रेतान्कों को लाभाश तत्त्व मिलता है जबकि अन्य पूर्व व्यवों (charges) और अधिकारों का, जैसा पूर्वाधिकार शेयरों वे लिये लाभाश का, भुगतान हो जाता है। साधारणतया ऐसे शेयरों के लिये लाभाश की कोई अधिकतम दर निश्चित नहीं हाती। किन्तु यदि स्थगित (Deferred) शेयर नियंत्रित किये गये हैं, तो ऐसी सीमा निश्चय करना आवश्यक हो जाता है।

(३) स्थगित (Deferred) शेयर—स्थगित शेयर वे होते हैं जिन्हें पूर्वाधिकारी और साधारण शेयरों को लाभाश दे देने के पश्चात् ही लाभाश मिलता है।

(४) स्थापन (Founders) शेयर—ये वे शेयर होते हैं जो पूर्वाधिकारी, साधारण एवं स्थगित शेयरों पर निश्चित दर का लाभाश बैंट जाने के पश्चात् अवशेष राशि के आधे या चौथाई भाग के अधिकारी होते हैं। साधा रणतया स्थापन शेयर बहुत थोड़े से ही होते हैं और प्रवर्तकों (Promoters) या आश्वासकों (Underwriters) को कम्पनीकी स्थापना सम्बन्धी सेवाओं के उपलक्ष्य में किये जाते हैं। जब अतिरिक्त लाभ बहुत अधिक होता है, तब स्थापन शेयरों का मूल्य बहुत बढ़ जाना है।

शेयर, शेयर-अधिपत्र (Share Warrant) और स्टॉक (Stock)

शेयर किसी कम्पनी की पूँजी का अविभाज्य इकाई को कहते हैं। इसका हस्तातरण कम्पनी के अन्तर्नियम में दिये हुये तरीके द्वारा ही किया जा सकता है। शेयरहोल्डर का नाम सदस्य रजिस्टर (Register of Members) में लिख लिया जाता है और शेयरों के समस्त हस्तातरण की लिखा पढ़ी इसी रजिस्टर में की जाती है।

यदि किसी कम्पनी के सारे शेयरों से पूर्ण भुगतान मिल चुका है और उसके अन्तर्नियम इस बात की आज्ञा देते हैं तो यह शेयर बारन्ट या अधिपत्र नियंत्रित कर सकती है। शेयर अधिपत्र पर कम्पनी की सामान्यमुद्र (Common Seal) की चाप रहती है और उसमें लिखा रहता है कि उसका धारक (Bearer)

उसमें लिखित शेयरों का अधिकारी है। शेयर अधिवक्तों का हस्तानरण चेपल डिलीब्री या मुपुर्दगी द्वारा ही किया जा सकता है, उसके लिए रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी सदस्य को शेयर अधिवक्ता निर्गमित किया जाता है तो उसका नाम सदस्य-रजिस्टर से काट दिया जाता है। इच्छा होने पर शेयर अधिवक्ता दालिल करके रजिस्ट्री किये हुए शेयर सर्वोफिकेट प्राप्त किये जा सकते हैं।

शेयर के और दुकड़े नहीं किये जा सकते—यह अनिया य होता है—और इसके मागों का हस्तानरण नहीं किया जा सकता। इस रक्कापट को हटाने के लिये यदि अन्तर्नियम आशा देते हों तो शेयरों को स्टाक में बदला जा सकता है। स्टाक में पृज्ञी शेयरों में न लिखी जाकर दस्यों में लिखी जाती है। स्टाक का दुकड़ों में भी हस्तानरण किया जा सकता है।

६८. डिवेचर (Debenture) या झूल-पत्र

कम्पनी डिवेचर या झूल पत्र निर्गमित करके दरभा उधार लेनी है। झूल-पत्र कम्पनी के झूल का लिखित स्मीकरण है। झूल-पत्र के प्रकारों के निम्न लिखित अन्तर्भूत जान लेना आवश्यक है।

(१) प्राधि झूल-पत्र (Mortgage Debentures) और अनावृत्त या सरल या साधारण झूल-पत्र—प्राधि झूल पत्र भुगतान की प्रतिक्रिया होती है जो कम्पनी की समस्त या दुख्ल सम्पत्ति की जमानत द्वारा सुरक्षित होती है। इसके विपरीत अनावृत्त या साधारण झूल-पत्र जमानत भुगतान की प्रतिक्रिया नहीं है और यह किसी जमानत द्वारा सुरक्षित नहीं होती।

(२) शोभ्य (Redeemable) और अशोध्य (Irredeemable) झूल पत्र—शोभ्य झूल पत्र वे होते हैं जिनका निश्चित तिथि पर या सूचना देकर भुगतान कर दिया जाय। इसके विपरीत अशोध्य झूल पत्र का साधारण-तया कम्पनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जाता। उनका भुगतान या तो कम्पनी का दिवाला निकलने पर होता है या ब्याज का भुगतान रक्काने पर।

(३) धारक ऋण पत्र या रजिस्टर्ड ऋण पत्र—धारक ऋण-पत्र वेवल डिलीवरी या सुपुदगी द्वारा हस्तातरित किये जा सकते हैं किन्तु रजिस्टर्ड ऋण पत्रों का हस्तातरण बिना कम्पनी में रजिस्ट्री कराये नहीं किया जा सकता।

ऋण-पत्र धारक (Debenture-holder) कम्पनी का शेयर होल्डर नहीं होता। वह ऋणदाता (Creditor) होता है और यदि वह प्राधि ऋण-पत्र-धारी नहीं है तो कम्पनी का दिवाला निकलने पर उन्हीं की अवस्था कम्पनी के किसी दूसरे ऋणदाता के समान ही होगी। प्राधि ऋण पत्र-धारक साधारण ऋणदाता से इस बात में भिन्न होता है कि उसका ग्राधिकार जमानत द्वारा सुरक्षित होता है।

५९. प्रबन्ध

सचालक या डाइरेक्टर

यह तो स्पष्ट ही है कि कम्पनी का वर्किंग कृत्रिम होने के कारण वह आमा व्यापार स्थन नई समाल सकती। प्रबन्ध और नियन्त्रण का ग्राधिकार उसके स्वामिया का होता है। किन्तु कम्पनी के स्वामियों की सख्ता कई से या उससे अधिक हो सकती है, अतः स्पष्टतया वे सब कम्पनी के प्रबन्ध में माग नहीं ले सकते। अतः व्यापार का नियन्त्रण करने के लिये वे कुछ सचालक या डाइरेक्टर चुन लेते हैं। ग्रंथेक सार्वजनिक कम्पनी के कम से कम तीन सचालक अवश्य होने चाहिये।^{११} ग्राफेट कम्पनियों के लिए इस प्रभार का कोई वैधा निक नियन्त्रण नहीं। सचालकगण को सचालक-मण्डल या डाइरेक्टर का बोर्ड कहकर पुकारा जाता है। सचालकों का त्रुनाम एक निश्चित अधिकार प्रत्यक्षत होता है और पुराने डाइरेक्टर को दोगाय चुने जाने का अधिकार होता है। सचालकगण समझ-भवन पर मिलते हैं और कम्पनी की नीति बनाते हैं। वे कम्पनी के बड़े अफसर भी नियुक्त करते हैं और उन्हें विभिन्न कार्यालयों

^{११} भूतीय कम्पनी विधान, धारा ८३ ए। पहले यह सख्ता दो ही थी।

(executive) जिम्मेदारियाँ सौंप देते हैं। कभी कभी किसी डाइरेक्टर को ही मैनेजर बना दिया जाता है, तब उसे मैनेजिङ डाइरेक्टर या प्रबन्ध सचालक कहते हैं।

शेयर होल्डर

(कम्पनी के स्वामी)

डाइरेक्टर

चुनते हैं

जो (डाइरेक्टर) कम्पनी का प्रबन्ध करते तथा

मैनेजर, मन्त्री, कोपाध्यक्ष

तथा अन्य अफसरों को

नियुक्त करते और उन्हें उत्तरदायित्व सौंपते हैं।

(चार्ट बिसमे कम्पनी का प्रबन्ध चिह्नित किया गया है।)

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि सचालक गण समस्त प्रबन्ध की नींव ढालते हैं, और उनके चुनाव का तात्त्विक महत्व होता है। शेयरहोल्डरों को यह समझ लेना चाहिये कि सचालकों में व्यापार सम्बन्धी कुशलता एवं बुद्धिमानी का अनुभव होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्हें बहुत ईमानदार और सच्चा भी होना चाहिये। अनेक कम्पनियों का इतिहास इस चात का साक्षी है कि योंहे से भी सचालकों की बेईमानी कम्पनी को खोखला कर ढालती है और कानान्तर में उसका पतन हो जाता है। साधारणतया मारतीय प्रवर्तक देश के प्रतिष्ठित उद्योग सम्प्राटों को अपने सचालक मट्टलों में सम्मिलित करने के लिये लालापित रहते हैं। किन्तु ऐसे व्यक्तियों के पास इतना काम होता है कि वे कम्पनी की तकनीक भी समय नहीं दे पाते और उनसे कम्पनी को कोई लाभ नहीं होता। भारत में एक और बुरी प्रथा पह है कि सुविख्यात कवियों, राजनीतिज्ञों आदि को डाइरेक्टर बनाया जाता है जिनको व्यापार का कुछ भी अनुभव नहीं होता।

सचालकों को यह समझ लेना चाहिये की वे शेयर होल्डरों के एजेंट और द्रष्टा हैं और उन्हें और अपनी योग्यतानुसार सच्चे हृदय से कम्पनी की सेवा करनी चाहिये। उन्हें पूर्ण विश्वास से काम करना चाहिये और विश्वासघात करके कम्पनी के मूल्य पर स्वयं लाभ नहीं उठाना चाहिये।

मैनेजिंग एजेंसी प्रथा

हमारे देश में मैनेजिंग एजेंसी प्रथा काफी प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार एक कम्पनी का प्रबन्ध और नियन्त्रण एक दूसरी कम्पनी, जिसे मैनेजिंग एजेंट कहते हैं, करती है। येरोप या अमेरिका में प्रबन्ध कार्य मैनेजर या मैनेजिंग टाइरेक्टर द्वारा सम्पादित होता है। किन्तु भारत में यह एक दूसरी कम्पनी को सौंप दिया जाता है। मैनेजिंग एजेंसी की प्रथा विशेषतया भारतीय है और अन्य देशों में यह नहीं पाई जाती।

सुयुक पूँजी की कम्पनियों को भारत में पर्याप्त पूँजी एकत्रित करने में कठिनाई होती थी, इसी कठिनाई ने मैनेजिंग एजेंसी प्रथा को जन्म दिया। कुछ काल पूर्व एक नई कम्पनी को शेयर बेचने में बहुत कठिनता होती थी। ऐसी दशा में एक और कम्पनी जनता को सारे शेयर बेचने का ठेका इस शर्त पर लेने लगी कि वह उस कम्पनी की प्रबन्धकर्ता निश्चित पुरस्कार पर बना दी जायगी। कभी कभी विदेशी कम्पनियाँ एक विदेशी को मैनेजर बना देती थीं, किन्तु जब वह मारत को छोड़कर अपने देश चला जाता था और दूसरा विदेशी मैनेजर उसका स्थान लेता तो प्रबन्ध में वाधा होती थी, क्योंकि दूसरे मैनेजर को कम्पनी का काम समझने में समय लगता था। ऐसी दशा में मैनेजिंग एजेंसी को प्रबन्ध सुपुर्द करने में बहुत सुविधा होती थी।

हमारे देश में मैनेजिंग एजेंसी प्रथा ने खूब उन्नति की है। आजकल हमारे देश में सबसे बड़े मैनेजिंग एजेंट एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी (Andrew Yule & Co), मार्टिन एण्ड कम्पनी (Martin & Co) और बर्ड एण्ड कम्पनी (Bird & Co) हैं।

इस प्रथा ने कम्पनियों को रियर और कार्यशील पूँजी प्रदान करके और

निपुण प्रबन्धकर्ताओं की दुलैभता के काल में निपुण प्रबन्ध प्रशान करके हमारे देश में सयुक्त पैंजी की कम्पनियों को उन्नति में बहुमूल्य सहयोग दिया है।

किन्तु अब अवस्था बदल चुकी है। अब पैंजी लचीली नहीं रही; और यदि कम्पनी अच्छी है तो उसके शेयर अब आसानी से विक जाते हैं। देश में प्रबन्ध-सम्बन्धी कुशलता की भी उन्नति हो चुकी है और हो रही है। साथ ही साथ इस प्रथा के दोषों ने अब भवानक रूप घारण कर लिया है। (१) वे कम्पनी पर अत्यधिक नियन्त्रण रखते हैं और उस पर एकाधिकार (monopoly) स्थापित कर लेते हैं। टाइरेक्टर और शेयर हांल्डर उनके सामने अशक्त हो जाते हैं। (२) वे बहुत अधिक पुरस्कार लेते हैं और उनका प्रबन्ध बहुत महँगा पड़ता है। (३) वे एक कम्पनी का रुपया उसके हित के लिये न लगा कर दूसरी कम्पनियों में, उन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, लगा देते हैं। (४) उनमें से बहुत से सहेजानी करने हैं और हानि होने पर उसे कम्पनी के नाम पर कर देते हैं। (५) अच्छे पुरस्कार को मुश्यम व्यक्तियों को न देकर अपने मित्रों और सम्बधियों को दे देते हैं। (६) उनमें से बहुत से काम की अधिकता के कारण व्यापार में दिलचस्पी लेना बन्द कर देते हैं और उनका प्रबन्ध अनुशाल हो जाता है। अतः अब यह माना जाने लगा है कि इनका प्रबन्ध दोषुक होता है।

अतः सन् १९३६ में कम्पनी विधान में इस ट्रिटकोण को सामने रख कर मैनेजिंग एजेन्सी पर कई प्रतिपथ लगाये गये जो इस प्रकार हैं : (१) मैनेजिंग एजेन्ट २० वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किये जा सकते। (२) उनकी नियक्ति शेयर होल्डरों की अनुमति के बिना नहीं हो सकती। (३) उनका पुरस्कार कार्यालय-व्यय तथा शुद्ध लाभ के प्रतिशत के ही रूप में हो सकता है। (४) उनको कोई ऋण नहीं दिया जा सकता। (५) कम्पनी का रुपया मैनेजिंग एजेन्ट किसी दूसरे कम्पनी को जिसका भी वह मैनेजिंग एजेन्ट है ऋण के रूप में नहीं दे सकता। (६) वह डिवेंचर निर्गमित नहीं कर सकता। किन्तु इस प्रकार के नियन्त्रण का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है और अब अधिक नियन्त्रण लगाने की बात सोची जा रही है।

॥ १०. निस्तार या समापन (Winding up or Liquidation)

संयुक्त पूँजी की कम्पनी के अस्तित्व की समाप्ति करने की रीति ही निस्तार या समापन कहलाती है। कम्पनी एक वैधानिक व्यक्ति मानी जाती है। इसे कानून सूचित करता है; और कानून के द्वारा ही इसका अन्त भी होता है। कम्पनी का निस्तार या समापन तीन प्रकार से किया जा सकता है : (१) न्यायालय द्वारा निस्तार (Liquidation), या (२) स्वेच्छापूर्वक निस्तार, या (३) न्यायालय के नियन्त्रण में निस्तार।

जब कम्पनी स्वयं ही समापन का सकल्प (Resolution) कर लेती है, तब समापन स्वेच्छापूर्वक (voluntary) होता है और स्वेच्छा समापन कहलाता है। यदि किसी न्यायालय में कम्पनी स्वयं आवेदन पत्र दे या कम्पनी के ग्रृहणदाता आवेदन पत्र दें या उसके शेयरहोल्डर आवेदन पत्र दें और न्यायालय को सत्रुष्ट कर दें कि कम्पनी का समापन होना ही चाहिये, तब न्यायालय कम्पनी का समापन करा सकता है। इसे न्यायालय द्वारा निस्तार या समापन कहा जाता है। न्यायालय के नियन्त्रण में होने वाला समापन उपरोक्त दोनों प्रकार के समापन के मध्य में स्थित है।

समापन का रूप चाहे जो हो, इसके लिये एक निस्तारक (Liquidator) की नियुक्ति आवश्यक हाती है। निस्तारक कम्पनी की सम्पत्ति का शासन करता है, सम्पत्ति को ग्रृहणशाताओं के दावों का उचित क्रम में भुगतान के लिये प्रयुक्त करता है, और शेयरहोल्डरों में उनके नापेक्षिक अधिकारों के हिसाब से रूपया विभाजित करता है।

निस्तारक कम्पनी के विषय और वर्तमान शेयरहोल्डरों की, जिन्होंने अपने शेयरों का पूरा-पूरा रूपया अ.। नहीं किया, दो सूचियाँ बनाता है। पहली सूची में उन सब शेयर-होल्डरों को समिलित किया जाता है जिनके पास कम्पनी के शेयर हैं और जिन्होंने अभी उन शेयरों का पूरा रूपया अदा नहीं किया। दूसरी सूची में उन भूलपूर्व सदस्यों को शामिल किया जाता है जिनकी रुद्दस्यता समापन से एक वर्ष के अन्दर ही अन्दर समाप्त हुई है। दूसरी सूची वाले

व्यक्तियों से रुपया तभी लिया जा सकता है जब कि पहली रुची वाले व्यक्तियों से जितनी भी वसूली हो सकती है वह कर ली गई हो और वह कम्पनी के कुल देनदारी के भुगतान के लिये अपर्याप्त हो; किन्तु वे उन देनदारियों के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराये जा सकते जो उनकी सदस्यता के समाप्ति के पश्चात् हुई हैं।

निस्तारक, निस्तार व्यथ (Expenses of Liquidation) को वसूल करने के पश्चात् कम्पनी की सम्बति को निम्नलिखित क्रम में प्रयुक्त करता है :
 (१) सुरक्षित (Secured) ऋणदाता; (२) भुगतान ने सम्बद्ध में पूर्वाधिकारी ऋणदाता; (३) अरक्षित (Unsecured) ऋणदाता, (४) अपने-अपने अधिकारानुभार विभिन्न श्रेणी के शेयरहोल्डर ।

६११. गुण और दोष

गुण

(१) सबुक पूँजी की कम्पनी अधिक मात्रा में पूँजी एकत्रित कर सकती है। इसका कारण यह है कि शेयरहोल्डरों की संख्या (सार्वजनिक कम्पनी में) असीमित हो सकती है, उनका उत्तरदायित्व परिमित होता है और असुरक्षित होने पर या रुपये की आवश्यकता होने पर वे अपने शेयर बेच या हस्तातित कर सकते हैं।

(२) कम्पनी को कुशल प्रबन्ध की सुविधा मिलती है। परिमित उत्तरदायित्व का विचार शासन की कुशलता एव परिवर्तनशीलता में सहायक होता है। क्योंकि सचालक होने के लिये थोड़े से शेयर खरीदना आवश्यक होता है, अतः कभी कभी सम्मति लेने के लिये अनुभवशील व्यापारियों और उत्तोगतियों को सचालक बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सचालक मण्डल में आवश्यकतानुसार आसानी से परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(३) कम्पनी की स्थिरता बहुत होती है। इसका अस्तित्व वस्तुतः स्थायी होता है क्योंकि इसका स्वामित्व बिना सागठन परिवर्तित किये हुये बदला जा सकता है। किसी शेयरहोल्डर की मृत्यु या उसका दिवाला निकल जाने का कम्पनी पर कोई प्रभाव नहीं होता।

(४) कम्पनी के पास विशेषज्ञों (Specialists) और विशिष्टार्दों (Technicians) को नौकर रखने के साधन होते हैं; अतः उसे अमिक्षभाजन तथा अन्तरकरण (differentiation) में आसानी होती है।

दोप

(१) कम्पनी का प्रबन्ध परोक्ष और प्रदत्त (delegated) होता है। अतः साम करने की प्रेरणा (incentive) तीव्र नहीं होती। हमने कम्पनियों ने कुप्रबंध में ऊपर जो कुछ नहा है, वह इस कथन की पुष्टि करता है।

(२) कम्पनियों का प्रबन्ध इनने व्यक्तियों के हाथ में रहता है कि उनके व्यापारिक भेटों की रक्षा कठिनता से ही हो सकती है। उनकी व्यापारिक योजनाओं और वालविक आर्थिक अवस्था का भेद खुन जाने का भय सदैव लगा रहता है।

(३) कम्पनी का चताना कठिन होता है, इसके लिये लम्बी और अमयुक्त वैयानिक आवश्यकताएँ सतुर्ण करनी पड़ती हैं और काफ़ी व्यय भी करना पड़ता है।

(४) कम्पनी अपने स्मारक पत्र (Memorandum) में वर्णित व्यापार के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यापार को हाथ नहीं लगा सकती, अतः वह बहुत अपरिपर्तनशील होता है।

अध्याय ३९

संयुक्त पूँजी की कम्पनी (३) : सेक्रेटरी का काम

१२. सेक्रेटरी का पद और काम

सेकटरी का पद

परिभाषा—कम्पनी के सेक्रेटरी का पद बहुत महत्व का होता है। कम्पनी के सेक्रेटरी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कम्पनी के विधान तथा उसकी कियाओं का विशेषज्ञ होता है, और जो कम्पनी का शासन सबन्धी मामलों में प्रधान अफसर होता है।

नियुक्ति—हर कम्पनी का सेक्रेटरी होना अनिवार्य नहीं। विधान सेक्रेटरी की नियुक्ति पर बल नहीं देता, किन्तु वह सेक्रेटरी को कम्पनी वे अफसर की हैसियत में मान्यता देता है।* सेक्रेटरी की नियुक्ति साधारणतया कम्पनी की नियमावली (Articles of Association) के अनुकूल होती है। नियमावली में सेक्रेटरी की नियुक्ति की व्यवस्था कर ली जाती है, और कभी कभी पहले सेक्रेटरी का नाम भी दे दिया जाता है। पर सेक्रेटरी इस बूते पर अपनी नियुक्ति नहीं करा सकता। उसकी नियुक्ति एक प्रसंविदे (Contract) के अनुसार होती है जो उसके और कम्पनी के बीच में होता है। सेक्रेटरी वेवल इस प्रसंविदे की शर्तों पर ही जोर दे सकता है। नियमावली ने नाम केवल डायरेक्टरों तथा शेयरहोल्डरों के लिये है।

सेक्रेटरी के कार्य का चेत्र

शापार का काम तीन भागों में बँटा जा सकता है (अ) शापार

* देखिये Sec 2 (II), Indian Companies Act.

की सामान्य नीति निर्धारित करना, (आ) निर्धारित नीति के व्यापारिक पहलू का कार्यान्वयन करना, (इ) निर्धारित नीति के शासन या कार्यान्वय सम्बन्धी पहलू को कार्यान्वयन करना। व्यापार की सामान्य नीति डायरेक्टर निर्धारित करते हैं, व्यापार सम्बन्धी आदेश का पालन कारबाने या दूकान का मैनेजर करता है, शासन या कार्यान्वय सम्बन्धी पूरा काम सेक्रेटरी करता है। मान लीनिये डायरेक्टर यह तथ्य करते हैं कि एक नई मशीन खरीदकर १०० जाड़ी जूते प्रति दिन और चनाये जायें और इसने लिये १०,०००) की पूँजी और एकजित की जाय, तो कारबाने का मैनेजर तो मशीन खरीदने और जूतों की उत्पत्ति बढ़ाने का काम करेगा, और सेक्रेटरी पूँजी एकजित करने, मशीनों के सूचीपत्र आदि मैगाजने का काम करेगा।

सेक्रेटरी के काम

सेक्रेटरी समस्त कार्यालय या शासन सम्बन्धी कामों का नियंत्रित होना है। उसका काम कम्पनी के स्थापना के विचार से शुरू होता है और कम्पनी के नित्यान के बाद ही समाप्त होता है। उसके कामों को निम्नलिखित पाँच भागों में बांटा जा सकता है

- (१) रजिस्ट्रार के यहाँ प्रलेख (documents) भेजना
- (२) नियमित मीटिंग के सम्बन्ध का सारा काम करना,
- (३) हिसाब की बहिराँ (Books of Accounts) रखना,
- (४) कम्पनी के पत्र उच्चार की अनुस्था करना, तथा
- (५) रात्र तथा डिवेन्चर सम्बन्धी सब काम करना।

(१) रजिस्ट्रार के यहाँ प्रलेख भेजना—सेक्रेटरी को सयुक्त पूँजी की कम्पनियों के रजिस्ट्रार के यहाँ कई प्रकार के प्रलेख भेजने पड़ते हैं। जो प्रलेख स्थापना के सम्बन्ध में भेजे जाते हैं, उनका वर्णन अव्याप २७ में किया जा चुका है। इनके अनिरिक्त कुछ प्रलेख प्रति वर्ष भेजने पड़ते हैं। यान पात्र घटनाओं के प्रतिक्रिया पर भी १५ दिन या महीने भर न अन्दर कुछ खास प्रलेख भेजने पड़ते हैं। सेक्रेटरी को इनका पूरा शान होना चाहिये और सभ प्रलेख समय के अन्दर भेज देने चाहिये। अन्यथा दण्ड देना पड़ता है।

(२) मीटिंग सम्बन्धी काम करना—सेक्रेटरी को हर मीटिंग के हर सम्बन्ध में सारा प्रबन्ध करना पड़ता है। वैधानिक मीटिंग, डाइरेक्टरों की मीटिंग तथा शेयरहोल्डरों की मीटिंग के सम्बन्ध का पूरा काम सेक्रेटरी की ही जिम्मेदारी है। इनका वर्णन नीचे § १३ में किया गया है।

(३) हिसाब की बहियाँ रखना—कम्पनी को विधान व अनुसार कई पुस्तके और बहीखाते रखने पड़ते हैं। सेक्रेटरी को यह भी देखना अनियार्थ है कि वे पुस्तके और बहीखाते उचित रीति से रखें जा रहे हैं। इनका वर्णन नीचे § १४ में किया गया है।

(४) कम्पनी के पत्र व्यवहार की व्यवस्था करना—कम्पनी सम्बन्ध पत्र व्यवहार सुचारू रूप से हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था सेक्रेटरी ही करता है और यह भी उसी की जिम्मेदारी है।

(५) शेयर तथा डिवेचर सम्बन्धी काम ऊरना—सेक्रेटरी को शेयर तथा डिवेचर के सम्बन्ध में सब काम करने पड़ते हैं। ये काम निम्न हैं

(अ) प्रास्पदक या प्रविधरण निर्गमित करना,

(आ) शेयर का आवेदन पत्र स्वीकार करना और वैटनी (allotment) का काम देखना,

(इ) शेयर के प्रभाग पत्र भेजना,

(ई) शेयरों के हस्तातरण (transfer) सम्बन्धी काम करना,

(उ) लाभाश (dividend) के भुगतान का काम करना, और

(ऊ) डिवेचर या नृण पत्र के सम्बन्ध में इसी प्रकार काम करना।

सेक्रेटरी का डायरेक्टरों से सम्बन्ध

सेक्रेटरी का पद बहुत ऊँचा है और उसको बहुत से अधिकार भी दिये जाते हैं। किन्तु उसे यह न समझना चाहिये कि वह डायरेक्टरों के ऊपर है, या डायरेक्टर का वह विशेष कर सकता है, या उनका आशा का उल्लंघन कर सकता है। ऐसा सेक्रेटरी अधिक समय नहीं रिक्त सकता। वास्तव में, सेक्रेटरी कम्पनी का नौकर होता है, और डायरेक्टर कम्पनी के मालिक होता है। इसलिये सेक्रेटरी का डायरेक्टर की आशा का यथोचित पालन करना चाहिये। कम्पनी

की नीति का निर्धारण डायरेक्टर करते हैं; शासन सम्बन्धी आदेशों का पालन करना सेक्रेटरी का काम है।

किन्तु कानून ने डायरेक्टरों को कुछ काम करने और कुछ काम न करने का आयोजन किया है। सेक्रेटरी का कर्तव्य है कि डायरेक्टरों को कानून के लिलाफ काम करने से रेके। कभी-कभी गैर कानूनी काम होने पर सेक्रेटरी भी दण्ड का भागी होता है। अतः उसे इस दिशा में डायरेक्टरों को उचित परामर्श देते रहना चाहिये। उसका परामर्शदाता कहना अधिक उपयुक्त होगा।

उसका वैधानिक उत्तरदायित्व

कानून में सेक्रेटरी के अनुचित काम करने पर दण्ड लगाने का भी आयो-बन किया गया है। यदि वह कोई पुस्तक या कागज नष्ट कर दे, फाइ दे या उस पर झूटा लेख लिखे या उसे गायब कर दे ताकि वह किसी व्यक्ति को घोला दे सके या उसे ठग सके, तो सेक्रेटरी को ७ साल तक की सजा हो सकती है और साथ में उस पर जुर्माना भी हो सकता है। यदि सेक्रेटरी किसी प्रलेख, प्रमाण-पत्र, बैलेंस शीट में जान-बूझ कर झूटा कथन करे, तो उसे ३ साल तक की सजा और उस पर जुर्माना हो सकता है।

६ १३. मीटिंग और प्रस्ताव

कम्पनी का मैनेजिंग एजेन्ट या मैनेजर कम्पनी का प्रबन्ध सचालक मडल (Board of Directors) की देख-रेख में करता है। किन्तु कम्पनी के वाल-विक स्वामी शेयरहोल्डर होते हैं। संचालक मडल इन्हीं शेयरहोल्डरों से ही शक्ति और अधिकार प्राप्त करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि समय-समय पर शेयरहोल्डरों की मीटिंग होती रहे और वे यह देखते रहें कि कम्पनी का काम किस प्रकार चल रहा है। हम नीचे शेयरहोल्डरों की मीटिंग पर कुछ लिखेंगे।

वैधानिक (Statutory) मीटिंग

मार्तीय कम्पनी विधान के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि जिस समय से कम्पनी को व्यापार आरम्भ करने का अधिकार प्राप्त हो जाय, तब से एक महीने,

के बाद, किन्तु छः महीने के अन्दर, शेयरहोल्डरों की एक मीटिंग हो। उसे “वैधानिक मीटिंग” कहते हैं। इसमें कम्पनी की स्थापना पर विचार किया जाता है जिसमें पैर्सन का एकत्रित करना शामिल है। सब आवश्यक गूचना को देने के लिये एक रिपोर्ट पहले से ही बांट दी जाती है और वैधानिक मीटिंग में बाद-विवाद का यही साधारणतया आधार होती है। इस रिपोर्ट को “वैधानिक रिपोर्ट” कहते हैं। ऐसी मीटिंग करने का प्रतिबन्ध केवल सार्वजनिक कम्पनी पर ही लागू होता है।

वैधानिक (Statutory) रिपोर्ट

वैधानिक मीटिंग में आने वाले शेयरहोल्डरों को कम्पनी की स्थापना सम्बन्धी समस्त चाहें बताने के लिये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे वैधानिक रिपोर्ट कहते हैं। वैधानिक मीटिंग होने के २१ दिन पहले ही यह रिपोर्ट शेयरहोल्डरों के पास भेज देनी चाहिए और रजिस्ट्रार के पास भी पाइल कर देनी चाहिये। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बातें दी होती हैं :

- (१) बैंकवारे किये गये शेयरों की संख्या और बैंकवारे का दफ़ा।
- (२) बैंकवार के सम्बन्ध में आये हुए रुपये की कुल रकम।
- (३) अमदनी और खर्च का संक्षिप्त ब्यौरा।
- (४) सचालक, मैनेजर, सेक्रेटरी आदि के नाम और पते।
- (५) आईंवासन (underwriting) के प्रसविदे कहाँ तक पूरे हुए।

सामान्य (General) मीटिंग

वैधानिक मीटिंग के अनिरिक्त शेयरहोल्डरों की अन्य मीटिंग को “सामान्य मीटिंग” कहा जाता है। इनके दो भाग होते हैं : (अ) साधारण (ordinary) सामान्य मीटिंग, और (आ) असाधारण (extraordinary) सामान्य मीटिंग।

बैंकेन्स शीट (या चिट्ठा) पास करने, सचालक चुनने, लामाश घोषित करने आदि के लिए जो मीटिंग चुलाई जाती है, उसे “साधारण सामान्य

“मीटिङ्ग” कहते हैं। अन्य सामान्य मीटिंग्स “असाधारण सामान्य मीटिंग्ग” कही जाती है।

साधारण सामान्य मीटिंग्ग का प्रत्येक वर्ष में एक बार होना अनिवार्य है। किन्तु पिछलो साधारण मीटिंग्ग से १५ महीने के अन्दर इसका होना आवश्यक है। असाधारण मीटिंग्ग किसी विशेष काम के लिए की जाती है और यह किसी भी समय बुलाई जा सकती है। आवेदित (Subscribed) पैंजी के दसवें भाग के स्वामी असाधारण मीटिंग्ग बुलवा सकते हैं।

प्रस्ताव (Resolutions)

सामान्य मीटिंग्ग में तीन प्रकार के प्रस्ताव पास किये जा सकते हैं : (अ) साधारण, (आ) असाधारण और (इ) विशेष।

(अ) साधारण प्रस्ताव वह होता है जो साधारण बहुमत (majority) द्वारा पाया हो।

(आ) असाधारण प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पास होना चाहिये, और मीटिंग्ग की सचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व मेजनी चाहिये और उसमें वह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि प्रस्ताव असाधारण प्रस्ताव के रूप में रखा जायगा।

(इ) विशेष प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से पास होना चाहिये। मीटिंग्ग की सूचना में यह स्पष्ट होना चाहिये कि प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के रूप में रखा जायगा, और इस प्रस्ताव की सूचना तीन सप्ताह पूर्व दीर्घी चाहिये। (साधारणतया मीटिंग्ग होने की सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व ही मेजना अनिवार्य है।)

६१४. वैधानिक पुस्तके और वहीखाते

१ वैधानिक पुस्तके

प्रत्येक लिमिटेड कम्पनी को निम्नलिखित पुस्तके रखना अनिवार्य है :

(१) सदस्य रजिस्टर—सदस्य-रजिस्टर में सदस्यों के नाम, पते, पेशे, प्रत्येक सदस्य के पास होने वाले शेयरों की संख्या, रजिस्टर में शेयर-होल्डर

को हैंसियत में नाम दर्ज होने की तारीख और शेयरहोल्डरों की सदस्यना समाप्त होने की तारीख लिखे जाते हैं। सदस्य रजिस्टर उससे महत्वपूर्ण वेधानिक पुस्तक है और इसके लिएने में विशेष सावधानी से काम लेना चाहिये।

(२) सदस्य अनुक्रमणिका (Index of Members)—प्रत्येक सार्वजनिक कम्पनी को अपने सदस्यों के नाम की एक अनुक्रमणिका रखनी पड़ती है जिससे कि प्रत्येक का बैशेरा रजिस्टर में आसानी से खोला जा सके।

(३) सदस्यों की वार्षिक सूची और सारांश (Annual List of Members and Summary)—इस सूची में ऐसे व्यक्तियों के जो कर्पॉर की प्रथम साधारण सामान्य मीटिङ (Ordinary General Meeting) के दिन कम्पनी के सदस्य थे, और उन व्यक्तियों के भी जिनकी उस मीटिङ के पश्चात् सदस्यता समाप्त हुई, मुख्य मुख्य बातों के बायेरे दिये होते हैं। इसमें शेयर पैंजी का सारांश (Summary) भी दिया होता है और नकद रकमों के पदले दिये जाने वाले शेयरों और अन्य किसी प्रतिफल के बदले दिये जाने वाले शेयरों को अलग-अलग दिखाया जाता है।

(४) कार्य-विवरण पुस्तक (Minutes Book)—विधान के अनुसार सामान्य मीटिंग (General Meeting) और सचालक मठल की मीटिंग का पूरा पूरा कार्य-विवरण एक कार्य-विवरण पुस्तक में लिखना आवश्यक है। साधारणतया सचालक-मठल की मीटिंग के लिये एक अलग पुस्तक रखती जाती है और शेयरहोल्डरों की मीटिंग के लिये अलग।

(५) सचालकों और मैनेजरों का रजिस्टर—प्रत्येक कम्पनी को सचालकों, मैनेजरों और मैनेजिंग एजेंटों का रजिस्टर रखना आवश्यक है जिसमें उनके नाम, घर के पते, जानि आदि लिखने पड़ते हैं। इसकी एक नक्कन रविस्त्रूप के यहाँ फाइल करनी पड़ती है। यह रजिस्टर आफिन के समय किसी भी व्यक्ति के जाँच के लिये खुला रहता है : सदस्य को उसे बिना किसी कीस के देखने का अधिकार होता है और ग्रन्थ व्यक्तियों को एक इपथे तक की फीट लेकर उसे दिखाना अनिवार्य है।

(६) प्रसविदों (Contracts) का रजिस्टर—प्रत्येक कम्पनी को एक प्रसविदों का रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें उन सब प्रसविदों या राजीनामों का पूरा विवरण देना चाहिए जिसमें कि किसी सचालक का, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कोई हित है।

(७) प्राधिरजिस्टर (Register of Mortgages and Charges) — प्रत्येक कम्पनी को एक प्राधि रजिस्टर रखना पड़ता है जिसमें कम्पनी की सम्पत्ति सम्बन्धी समस्त प्राधियों (Mortgages) के ब्यौरे लिखने होते हैं। इसमें प्राधित सम्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन, प्राधि की राशि, प्राधिमानों (Mortgagees) के नाम आदि दिये होते हैं। यह रजिस्टर कम्पनी के मूल दाताओं के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे उन्हें यह पता चल जाता है कि कम्पनी की अप्राधित सम्पत्ति कितनी है और कम्पनी को कितना मूल्य देना चाहिए।

(८) मूल चक्र धारकों (Debenture holders) का रजिस्टर।

परीक्षा प्रश्न

उत्तर प्रश्नों, इन्टर कामर्स

१. सार्वजनिक सीमित उत्तरदायित्व वाली कम्पनी आप कैसे बनावेगे ? समझाकर लिखिये। (३० प्र०, १६५४)

२. प्रविवरण पत्र (Prospectus) से क्या समझते हैं ? उसमें किन किन बाबों का लेला होता है, और क्यों ? (३० प्र० १६५४)

३. प्रविवरण पत्र (Prospectus) किसे कहते हैं ? कम्पनी के जीवन में इस पत्र का क्या महत्व है ? (१६५४) *

४. अग्र किसे कहते हैं ? अशों की इंटर्नी (Issue of Shares) पर एक नियम लिखिये। (१६५४)

५. सार्वजनिक सयुक्त पूँजी की कम्पनी के व्यापार आरम्भ करने के प्रमाण ।

पत्र से आप क्या आशंक समझते हैं ? यह क्यों और कैसे प्राप्त किया जाता है ?
(उत्तर प्रदेश, १६५३)

६. संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिये कि सार्वजनिक संयुक्त पूँजी की कम्पनी की स्थापना की रीति क्या है । इस कार्य के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार के यहाँ कौन-कौन से मुख्य पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं ? (उत्तर प्रदेश, १६५२)

७. संयुक्त पूँजी की कम्पनी के अंतर्नियम (Articles) और स्मारक-पत्र (Memorandum of Association) से आप क्या समझते हैं ? इनसे, क्या काम चलता है ? पूरी तरह समझा कर लिखिए । (यू० पी०, १६५१)

८. कम्पनी के निःस्तार (liquidation) का क्या अर्थ है ? इसकी क्या किस्म होती है ? सक्षेप में बताइये । (यू० पी० १६५१)

९. संयुक्त पूँजी की कम्पनी के मुकाबले में साझे के गुण और दोषों की विवेचना कीजिये । (यू० पी०, १६४७)

१०. प्राइवेट परिमित लिमिटेड कम्पनी क्या होती है ? साफेदारी तथा सार्वजनिक कम्पनी के मुकाबले इसके क्या लाभ होते हैं ? (यू० पी०, १६४६)

११. निम्नलिखित में ऐद स्पष्ट कीजिये : (आ) अन्तर्नियम तथा स्मारक पत्र में; और (आ) शेयर तथा डिवेचर में । (यू० पी०, १६४६)

राजपूताना, इन्टर कामर्स

१२. (अ) संयुक्त पूँजी की कम्पनियाँ जिन शेयरों को निर्गमित करती हैं, उनकी विभिन्न किसी की विवेचना कीजिये । इस वर्गीकरण का क्या उद्देश्य होता है ?

(आ) कम्पनी का स्मारक-पत्र (Memorandum of Association) क्या होता है ? (१६५३)

१३. एक सार्वजनिक परिमित कम्पनी के निर्माण करने के लिये जिस रीति का अनुगमन करना है, उसे समझा कर लिखिये । (१६५३)

१४. मैनेजिंग एजेंसी प्रथा ने गुण और दोषों की विवेचना कीजिए । वर्तमान विधान के अतर्गत मैनेजिङ एजेंसी की क्या अवधा है ? (१६५३)

१५. भारत में संयुक्त पूँजी की कम्पनी का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है ? मैनेजिंग एजेंट क्या होते हैं ? उनमें काव्यों तथा उनके महत्व की विवेचना कीजिये । (१६५२)

१६. संयुक्त पूँजी की कम्पनी के समापन (winding up) की रीति संक्षेप में लिखिये । (१६५२)

१७. प्राइवेट कम्पनी और सार्वजनिक कम्पनी के भेद बताइये । सार्वजनिक प्राइवेट कम्पनी के लाभ और उनको प्राप्त छूटों (exemptions) की विवेचना कीजिए । (१६५२)

१८. प्रबन्ध और नियंत्रण (Control) के दृष्टिकोणों में संयुक्त पूँजी की कम्पनी साफे से किस प्रकार भिन्न होती है ? (राजपूताना, १६५१)

१९. संयुक्त पूँजी की कम्पनी का मैनेजिङ एजेंसी द्वारा प्रबन्ध कराने के लाभ और हानियाँ बताइये । वर्तमान विज्ञान के अन्तर्गत मैनेजिंग एजेंटों की अवस्था क्या है ? (राजपूताना, १६५०)

२०. पाँच सालोंदार आरने फर्म को सीधित कम्पनी में बदल देना चाहते हैं । बताइये की प्रत्येक दशा में उन्हें क्या करना होगा (अ) जब वे किसी आहरी व्यक्ति का न लेना चाहें, (आ) जब वे प्रत्यावित कम्पनी के शेयर खरीदने के लिए जनता को आमन्त्रित करना चाहें ? (राजपूताना, १६५०)

२१. कम्पनी के स्मारक पत्र तथा अन्तर्नियम में भेद बताइये । (राजपूताना, १६५६)

२२. आप विश्वभी उत्तर प्रदेश में चीनी का कारखाना खोलने के लिए सार्वजनिक परिमित कम्पनी स्थापित करना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में आपको क्या प्रारम्भिक कार्ड करने पड़ेंगे ? कारखाने के लिये आवश्यक पूँजी आप किस प्रकार एकत्रित करेंगे ? (राजपूताना, १६५६)

२३. किसी कम्पनी की शीघ्र ही रजिस्ट्री होने जा रही है और आपको उसका स्मारक-पत्र तैयार करना है । बताइये कि इस रक्ते में किन-किन बातों

शामिल किया जायगा। स्मारक-पत्र के उन्देश्य वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है? (राजपूताना, १६४५)

पटना, इन्टर कामसं

२५. कम्पनी के प्रविष्टरण (Prospectus) का क्या महत्व होता है? इसमें क्या क्या दिया रहता है? (पटना, १६५४)

२६. सार्वजनिक परिमित कम्पनी की मीटिङ्ग में किस प्रकार के प्रस्ताव पास किये जाते हैं? उनके प्रधान लक्षण चताइये (पटना, १६५४)

२७. सार्वजनिक कम्पनी की अपेक्षा प्राइवेट कम्पनी के प्रधान लक्षण तथा सुविधाएँ नताइये। व्यक्तिगत कम्पनी साफेदारी से किस प्रकार भिन्न होती है? (पटना, १६५४)

२८. प्राइवेट परिमित कम्पनी क्या होती है, और यह सार्वजनिक परिमित कम्पनी से किस प्रकार भिन्न होती है? यदि चार व्यक्ति मिल कर फुटकर विक्रय स्टोर खोलना चाहें ऐ उन्हें किस प्रकार की कम्पनी खोलनी चाहिये और क्यों? (पटना, १६५२ वार्षिक)

२९. निम्नलिखित में क्या अन्तर है: (अ) स्टेट्टरी या वैधानिक मीटिङ्ग और वार्षिक सामान्य मिटिंग, (ब) साधारण प्रस्ताव तथा असाधारण प्रस्ताव? (पटना, १६५१ वार्षिक)

३०. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर सक्रिय टिप्पणी लिखिए। (अ) समामेलन (Incorporation) का प्रमाण पत्र, (आ) प्रवर्तक या प्रमोटर, (इ) न्यूनतम चन्दा, (ई) शोध्य पूर्वाधिकारी (Redeemable Preference) रोयर, (ट) अन्तर्नियम। (पटना, १६५१ वार्षिक)

३१. साफेदारी और सुयुक पूँजी की कम्पनी के विशिष्ट लक्षणों को चताइये और इन दोनों के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिये।

(पटना, १६५१ पूरक, १६५८ पूरक)

३२. शेयरहोल्डर और डिवेंचरहोल्डर का अन्तर स्पष्ट कीजिये। (पटना १६५१ पूरक)

३२. परिमित उत्तरदायित्व के हानि और लाभों की विवेचना कीजिये। प्राइवेट कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी से किस प्रकार भिन्न होती है? (पटना, १९४६ वार्षिक)

३३. संयुक्त पूँजी की कम्पनी के समापन (winding up) का क्या आराय है? इसकी दशा रीति होती है? (बिहार, १९४६ पूरक)

३४. सार्वजनिक परिमित कम्पनी के समागमेशन (incorporation) की रीति बताइये। स्मारक-पत्र के विशेष लक्षणों की व्याख्या कीजिये। (बिहार, १९४६ पूरक)

३५. कर्म परिमित कम्पनी से बनावट, पूँजी और उत्तरदायित्व के मामलों में किस प्रकार भिन्न होता है? (बिहार, १९४७)

३६. संयुक्त पूँजी की कम्पनी की स्थापना की रीतियाँ बताइये। (बिहार, १९४६)

बिहार, इन्टर कामस

३०. एंपिन कम्पनी के शाफेदारी की अवैक्षा क्या गुण-दोष हैं? (बिहार, १९५५)

३८. सूखी बस्त्र बनाने वाली कम्पनी के शेयरहोल्डरों की वार्षिक सामान्य मीटिङ की कल्पित मिनट लिखिये। (बिहार, १९५५)

३९. निमालिपित पर दिप्तणी लिखिये। (अ) नगन झूखपत्र, (आ) प्रधि चरण, (इ) रक्तिन उत्तरदायित्व, (ट) व्यूनाम चन्दा। (बिहार, १९५४)

४०. संयुक्त पूँजी को कम्पनी द्वारा निर्गमित विविध प्रकार के शेयरों के विशेष लदण्ड बताइये। जनता से पूँजी माँगने वाली कम्पनी के लिये विभिन्न प्रकार के शेयर निर्गमित करना क्यों आवश्यक होता है? (बिहार, १९५४)

सागर, इन्टर कामस

४१. भागिता(Partnership) एव स्कॉप फ्रेंचाइज (Joint Stock Co.) की विशेषताओं और सम्प्रभुत्व लाभों को समझाइये (सागर, १९५५)

४२. निजी संमित प्रमरडल से आप क्या समझते हैं? शाफेदारी

और सार्वजनिक परिसित प्रमण्डलों की अपेक्षा निजी सीमित प्रमण्डल के बया लाभ हैं ? (सागर, १६५५)

४३. सार्वजनिक सीमित कम्पनी के मुकाबले में प्राइवेट सीमित कम्पनी के लक्षण और सुविधाओं को बताइये । साफे की अपेक्षा प्राइवेट कम्पनी के बया लाभ होते हैं ? (सागर, १६५२)

४४ साफेदारी कर्म और सयुक्त पैंजी की कम्पनी के अन्तरों को सञ्च विवेचना कीजिये । (सागर, १६५१)

४५ (अ) साफेदारी और सयुक्त पैंजी की कम्पनी के मुख्य भेद बताइये ।
(अ) प्राइवेट कम्पनी क्या होती है ? (सागर, १६५०)

४६ कम्पनी के स्मारक पत्र और अन्तर्नियम से आप क्या समझते हैं ? दोनों का अन्तर स्पष्ट कीजिये । (सागर, १६५०)

४७ सयुक्त पैंजी की कम्पनी की स्थापना (formation) की रीत बताइये । यह साफे से किस प्रकार मिन्ह होती है ? (सागर, १६५६)

४८ भारत में मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली ने क्या काम किया है ? इसकी मुख्य स्थाओं एवं दोषों की विवेचना कीजिये । (सागर, १६४८)

४९ प्राइवेट परिसित कम्पनी क्या होती है ? साफेदारी तथा सार्वजनिक कम्पनी के मुकाबले में इसके लाभों की विवेचना कीजिए । (सागर, १६५८)
बनारस, इन्टर कामर्स

५० शेयर, टिकेचर तथा डिविडेंड वार्ड के अर्थमें बताइये । (१६५३)

५१ साफे और सयुक्त पैंजी की कम्पनी के लक्षण और सापेक्षिक लाभों का वर्णन कीजिए । (बनारस, १६५२, १६४०)

५२. सयुक्त पैंजी की कम्पनी के स्मारक पत्र और अन्तर्नियम से आप क्या समझते हैं ? वे क्या कार्य सम्भव करते हैं ? पूरी तरह समझाइए ।

(बनारस, १६५२)

. ५३ प्राइवेट सीमित कम्पनी के प्रधान लक्षण बताइये । व्यापारिक सगठन के इस स्वरूप के गुण और अवगुण बताइये । (बनारस, १६५१)

५४. निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए : (अ) पूर्वाधिकारी शेयर,

(आ) शोध डिब्बेचर; (इ) शेवर सटिंकिफेड; (ई) बैटवारे का पत्र, (उ) शेवर चारहट। (चनारस, १९४६)

५५. संयुक्त पैंजी की कमनी किस प्रकार स्थापित की जाती है? (चनारस, १९४६)

दिल्ली, हायर सेकिडरी

५६. सार्वजनिक परिमित कमनी की अपेक्षा व्यक्तिगत परिमित कमनी के विशेष लक्षण तथा सुविधाओं का विवरण दीजिये। व्यक्तिगत परिमित कमनी सामें से किस प्रकार भिन्न होती है? (दिल्ली, हा० से०, १९५३)

५७. कोई व्यक्ति किसी कमनी का सदस्य कैसे बन सकता है? उसकी सदस्यता कैसे समात होती है? शेपरहोल्डर के दायित्व का वर्णन कीजिये। (दिल्ली, हा० से०, १९५२)

५८. कमनी की परिभाषा दीजिये, और सामेदारी फर्म को सीमित कमनी में बदल देने के लाभ बताइये। (दिल्ली, १९५१)

५९. सामेदारी और संयुक्त पैंजी की कमनी का अन्वय बताइये। (दिल्ली, १९५०)

६०. निम्नलिखित को समझाइये: (अ) न्यूनतम चन्दा, (आ) सचयी पूर्वाधिकारी शेवर, (इ) प्रासैक्टस या प्रनिवरण। (देहली, हायर सेकिडरी, १९४८)

मध्यभारत, इन्टर कामर्स

६१. एक कमनी के सूचि पत्र (Memorandum) तथा नियमावली (Articles of Association) से आप क्या समझते हैं? दोनों का अन्तर बताइये। (मध्यभारत, १९५५)

६२. एक सामेदार की तुलना (अ) कमनी के सचालक से और एक सीमित कमनी के अशाधारी से काजिये। (मध्यभारत, १९५५)

६३. जिस प्रलेय के द्वारा कमनी जनता से चढ़े (Subscription) का आवेदन करती है, उसका नाम बताइये और उसकी परिभाषा दीजिये। उसके प्रधान वाक्यों की विवेचना भी कीजिये। (१९५३)

६४. भारतीय कमनी निधान की धारा १०३ के अनुसार, संयुक्त पैंजी का—६

की कम्पनी के व्यापार आरम्भ करने पर कुछ रोक-थाम रखती गई है। ये रोक-थाम क्या हैं? (१६५३)

६५. निम्नलिखित में अन्तर चताइये : (अ) प्राइवेट और सार्वजनिक कम्पनी में, (आ) स्मारक-पत्र और अन्तर्नियम में। (मध्यभारत, १६५२)

६६. पाँच सालेशार अपने फर्म को सीमित कम्पनी में बदल देना चाहते हैं। बताइये कि प्रत्येक दशा में उन्हें क्या करना होगा (अ) जब कि वे किसी चाही व्यक्ति को न लेना चाहें? (आ) जब कि वे प्रस्ताविक कम्पनी के शेयर खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना चाहें?

(मध्य भारत, १६५२)

उस्मानिया, इन्टर

६७. संयुक्त पूँजी की कम्पनी से आप क्या समझते हैं? कम्पनी का समानेलन किस प्रकार हो सकता है? (उस्मानिया, १६५२)

६८. कम्पनी के अन्तर्नियम का क्या अर्थ है? इसमें और स्मारक पत्र में क्या अन्तर होता है? (उस्मानिया, १६५१)

६९. आप कम्पनी के प्रारंभेक्षण से क्या समझते हैं? (उस्मानिया, १६५०)
सत्कल, इन्टर कामर्स

७०. कम्पनी के समानेलन (incorporation) की रीति का वर्णन कीजिये। स्मारक-पत्र क्या होता है? (१६५२)

७१. संयुक्त पूँजी की कम्पनी जिन विभिन्न प्रकार के शेयरों का निर्गम करती है, उनको समझाइये। शेयरों की वैटनी (allotment) से आप क्या समझते हैं? (१६५२)

APPENDIX A

Legal Constitution of Different Forms of Business Organisation

संयुक्त पंजी की कम्पनी (ए) सेक्रेटरी का काम

५२

Sole Trader	Partnership	Limited Partnership	Public Limited Company	Private Limited Company
1 Consists of one person, viz the owner of the business	May consist from 2 to 20 members (except in banking business where they cannot exceed 10)	Consist of one or more General Partners and one or more Limited Partners (The maximum number is 20 and in the case of a bank, 10 members)	Cannot consist of less than seven members. The maximum is not fixed	May consist of 2 members but not more than 50 (excluding employees)
2 The proprietor is personally liable for all the debts of the business	Partners are liable for the full amount of the debts of the partnership	The general partners are liable with out limitation for the debts of the firm. The liability of limited partners is limited to the amount they contribute	Each member's liability is limited to the nominal amount of capital under taken to be contributed by him	The members' liability is the same as in the Public Limited Company
3 The proprietor may dispose of his business at any time	Shares are not transferable	A limited partner may transfer his share with the consent of general partners	Shares are freely transferable	There is restriction on the transfer of the shares

व्यापारिक पद्धति और यन्त्र

Sole Trader	Partnership	Limited Partnership	Public Limited Company	Private Limited Company
Audit of accounts is optional	Audit of accounts is optional	The capital is introduced by the proprietor, but he may obtain the use of outside loan The partners named in the article of partnership introduce the capital	Audit of accounts is optional The capital is introduced by the General and limited partners may be invited to subscribe share capital	Audit of accounts is optional The public must not be invited to subscribe capital

APPENDIX B
*Advantages and Disadvantages of Various Forms of Business
 Organization Compared*

Description	Individual Proprietorship	Partnership	Joint Stock Company
1 Motivation	Greatest	Great	Much less
2 Facility of Formation	"	"	"
3 Promptness and Vigour	"	"	"
4 Secrecy	"	"	"
5 Flexibility	Small	Greater	Greatest
6 Capital	"	"	"
7 Judgment and Wisdom	Not very possible	Possible to some extent	Wide scope
8 Division of Labour	Not Necessary	Not so necessary	Not at all necessary
9 Personal Attention of Proprietors,	Great	Greater	Small
10 Credit Facilities	Unlimited	Limited to limited part ners and unlimited to unlimited partners	As the case may be, but gene rally limited
11 Liability			

विदेशी व्यापार

अध्याय ४०

विदेशी व्यापार

किसी देश का व्यापार दो भागों में बँटा जा सकता है : देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। हम इस पुस्तक के प्रथम भाग में देशी व्यापार का अध्ययन कर ही चुके हैं। अब हम विदेशी व्यापार का अध्ययन करेंगे।

§ १. प्रारम्भिक

विदेशी व्यापार का अर्थ

जो व्यापार एक देश किसी दूसरे देश के साथ करता है, वह विदेशी व्यापार कहलाता है। उदाहरण के लिए, भारत जो व्यापार जापान, येट ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, अफगानिस्तान, चीन और लकड़ियां के साथ करता है, वह उसका विदेशी व्यापार कहलाना है।

किसी देश के देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में अन्तर्भूत करना बहुत आवश्यक है। देश के अन्दर होने वाले व्यापार को देशी व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए, कलकत्ते और पटने के दूकानदारों में, इलाहाबाद और लखनऊ के दूकानदारों में, और नागपुर और बम्बई के दूकानदारों में होनेवाला व्यापार देशी व्यापार है। किन्तु जब एक बम्बई का उत्तोगी न्यूयार्क से मशीन खरीदता है या कलकत्ते का व्यापारी योकियो के किसी खरीदार को कपास बेचता है, तो वह विदेशी व्यापारी होता है।

इसकी आवश्यकता और लाभ

प्रकृति ने प्रयेक देश को समान भेंट प्रदान नहीं की है। साधारणतया एक देश किसी दास बस्तु के उत्पन्न करने के लिए विशेष रूप से योग्य होता है और वह उस बस्तु को अपनी निजी आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। किन्तु अन्य बस्तुओं का या तो वह बना नहीं पाता या उन्ह कठिनता से ही उत्पन्न कर सकता है। विदेशी व्यापार के द्वारा वह अपनी अतिरिक्त उत्पत्ति (Surplus Produce) अन्य देशों को बेच सकता है और अन्य देशों से, उदले में, अपनी आवश्यकता के अनुसार बस्तुएँ परीद सकता है। उदाहरण के लिए, मारत अपनी निजी आवश्यकता से अधिक मात्रा में अग्ररप (Manganese) उत्पन्न करता है, किन्तु वह पर्याप्त मात्रा में मशीन और रसायन (Chemicals) उत्पन्न नहीं कर पाता। अतः वह अपनी अतिरिक्त अग्ररप इडलैण्ड आदि विदेशों को बेच देता है और विदेशों से उदले में मशीन और रसायन ले लेता है। अतः विदेशी व्यापार देश को विभिन्न प्रकार के और अधिक मात्रा में मान प्राप्त करने में सहायता होता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार की आवश्यकता स्पष्ट है।

स्मारक्या विदेशी व्यापार के बहुत से लाभ होते हैं जिनका वर्णन नीचे किया जाना है।

(१) विदेशी व्यापार के द्वारा प्रत्येक देश ऐसी बस्तुओं को, जो वह स्वयं उत्पन्न ही नहीं कर सकता या ऊँची लागत पर ही उत्पन्न कर सकता है, विदेशों से उससे दर पर परीद सकता है। उदाहरण के लिए, यदि ग्रेट ब्रिटेन अपने निवासियों द्वारा उपभोग किये जाने वाले गोहूं को पूरी मात्रा में स्वयं उत्पन्न करने लगे, तो वहाँ गोहूं का मूल्य बहुत बढ़ जायगा क्योंकि वहाँ गोहूं उत्पन्न करने की लागत अमेरिका की अपेक्षा, जहाँ से वह इस समय गोहूं मैंगता है, अधिक है। और ब्रिटेन चाहे किनी ही चेष्टा क्यों न करे, वह जट स्वयं नहीं उत्पन्न कर सकता जो कि उसे भरत से मैंगना पड़ता है।

(२) विदेशी व्यापार के द्वारा कोई भी देश अपनी अतिरिक्त उत्पत्ति को

अन्य देशों के हाथ अच्छे मूल्य पर बेच सकता है। भारत में अबरख आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होता है; और यदि वह उसे विदेशों को निर्यात न करे तो वह सब बेकार जाय।

(३) इसके अतिरिक्त, यदि अमान्यवश अकाल, भूचाल या अन्य किसी प्राकृतिक संकट के परिणाम-स्वरूप किसी वस्तु का अम्यंतरिक स्रोत रुक जाय, तो उस वस्तु का विदेशी से आयात किया जा सकता है। यदि हमारे देश में अकाल पड़े, तो हमें आस्ट्रेलिया और अमेरिका से गेहूँ खरीदना होगा। यदि विदेशी व्यापार का अस्तित्व न हो, तो ऐसी दशा में हमारे देशवासियों को भूखों मरना पड़े।

(४) विदेशी व्यापार का सब से बड़ा लाभ यह है कि यह प्रत्येक देश को बे वस्तुएँ उत्पन्न करने देता है जो वह न्यूनतम लागत पर बना सकता है: और उन वस्तुओं को उत्पन्न करने की विवशता से बचाता है जिनको बनाने की लागत आयात करने की लागत से अधिक पड़े। अतः इसके द्वारा अम विभाजन का सिद्धान्त समस्त संसार में क्रियाशील हो जाता है और इसके समस्त लाभ, जिनका अन्तिम परिणाम उत्पत्ति की मात्रा बढ़ाना और लागत घटाना होता है, व्यवहार में प्राप्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक देश की समृद्धि बढ़ती है।

(५) संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक सम्बन्ध अन्य देशों में भी उपयोगी प्रमाणित होते हैं। विचार विनियम आरम्भ हो जाने के कारण एकता का सूत्र ढढ हो जाता है जिससे सांस्कृतिक उन्नति होती है और अन्तर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन मिलता है।

(६) केवल लाभ कमाने के दृष्टिकोण से, विदेशी व्यापार से देशी व्यापार की अपेक्षा अधिक लाभ कमाया जाता है, यद्यपि विदेशी व्यापार की कुछ शाखाओं में पहले की अपेक्षा अब लाभ कम होने लगा है।

विदेशी व्यापार में कठिनाइयाँ

यद्यपि विदेशी व्यापार के इतने लाभ हैं और उसकी उन्नति संसार के

विभिन्न देशों के भौतिक एवं आधात्मिक विकास में इतनी सहायक होती है, किर भी विदेशी व्यापारी को बहुत सी वाधाओं का सामना करना पड़ता है।

(१) दूरी—संघार के विभिन्न देश एक दूसरे से इतने दूर हैं कि शीघ्र एवं धनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में कठिनाई होती है। कौन-सा माल किस देश में सस्ता मिलता है और वह किन किन विक्रेताओं से मित्र-व्यविधि के साथ परीदा जा सकता है, इसका पता लगाने में कामी श्रम करना पड़ता है, यद्यपि व्यापारिक निदेशक-ग्रन्थों (Trade Directories) ने यह काम सरल कर दिया है। आटर की पहुँच और उत्तर की प्राप्ति में काफी समय लगता है, और यदि वैचिलग्राम का उपयोग किया जाय तो यह बहुत होता है। विदेश से परीदे गये माल के आने में भी बहुत समय लगता है।

(२) भाषा-भेद—दूरी के अतिरिक्त प्रत्येक देश की प्रायः अपनी अलग भाषा होती है; और दूर-स्थित और अपरिचित देशों के विभिन्न भाषा-भाषियों से आर्डर शाप्त करना आसान काम नहीं। स्वाभाविक रूप से, विदेशों में अपने माल बेचने के इच्छुक व्यापारी को विदेशी भाषाओं से जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को नौकर रखना पड़ता है। सूची पत्र, मूल-सूचियाँ आदि विशेष भाषाओं में प्रकाशित करनी पड़ती हैं और पञ्च-व्यवहार भी विदेशी भाषाओं में करना पड़ता है। इस बात को यूरोप के विश्वविद्यालयों ने सूच समझा है और उन्होंने अपनी व्यापारिक टिगरियों ना डिप्लोमाओं के प्राप्त करने के लिए एक या दो विदेशी भाषाओं में सफलता प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया है।

(३) यातायात और सम्बेशवाहन की कठिनता—इसके अतिरिक्त यातायात और सदेशवाहन में भी कठिनाई होती है। लाहावाद या नागपुर से चत्ता हुआ पत्र कई सप्ताहों में न्यूयार्क या मैकेन्सो पहुँचता है। वैचिलग्राम अवश्य शीघ्र पहुँचता है किन्तु उसमें व्यय बहुत होता है। कई समुद्रों को पार करके दूर-दूर के स्थानों को माल पहुँचाने में समय लगता है और साथ ही साथ

उसका खच्चा भी बहुत बैठता है जिसके परिणामस्वरूप माल का विक्रय मूल्य बढ़ जाता है।

(२) मार्ग में आपत्ति—माथ हो, मार्ग में आपत्तियाँ भी करें होती हैं। विदेश जाने वाला माल सहस्रों मील जल मार्ग से जाता है और उसे अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ऊँची-ऊँची लहरें जहाज को उलट सकती हैं; जहाज दूसरे जहाज से या चट्टान से टकरा सकता है, चोर या देश-राष्ट्र जहाज और माल को हथिया सकते हैं; सामुद्रिक जल या जलवायु माल को हानि पहुँचा सकते हैं। इन सब आपत्तियों से बचने के लिये विदेशी व्यापारी अपने माल का सामुद्रिक बीमा (Marine Insurance) करा लेते हैं। किन्तु सामुद्रिक बीमा कराने के लिए प्रीमियम (Premium) टेनी पड़ती है जिससे कि माल का मूल्य बढ़ जाता है।

(३) विदेशी व्यापारियों के प्रिय में समाचार—विदेशी व्यापार में एक चड़ी कठिनाई होती है विदेशी व्यापारियों की आधिक दशा, व्यापारिक ईमान-दारी आदि के विषय में विश्वस्त ज्ञान प्राप्त करना। उनमें होने वाले पत्र स्वयंभार एवं नमूने और सुनी पत्र पर ही उसे निर्भर रहना पड़ता है। कुछ देशों में ऐसी व्यापारिक संस्थाएँ हैं जो अपने देश के व्यापारियों के सबसे में विश्रस्त सुनना देने का काम करती हैं; इनसे कानून में बहुत सुविधा मिलती है।

(४) आयात और निर्यात कर—ससार का प्रायः प्रत्येक देश देशों से आने वाले तथा विदेशी को जाने वाले माल पर कर लगाता है। आयात करों का मूल उद्देश्य यह कि इनके लगाने से विदेशी माल का मूल्य इतना बढ़ जाय कि वह देशी माल से स्वधी में विजयी न हो सके। यदि आयात कर बहुत ऊँचे दर का हुआ, तो विदेशी बाजार पहुँच के बाहर हो जाते हैं।

कभी-कभी एक देश अपने माल का निर्यात रोकने की घटि से ऊँचा निर्धारण करता है। यह विशेषतया कहने माल के नियम में किया जाता है। आधुनिक काल में इन प्रशुल्क अवरोधों (Tariff Restrictions) ने ससार के अन्तर्गत व्यापार को बहुत ज्ञाति पहुँचाई है।

(७) विदेशी बाजार की विशेषताएँ—प्रथेक विदेशी बाजार को कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं। उसकी समस्याएँ, उसकी आपश्वकताएँ, उसकी सामग्री और उसकी व्यापारिक गतियाँ पृथक् होती हैं। इन तक पहुँचने के मार्ग देशी बाजार के मार्ग से भिन्न होते हैं, और विभिन्न देशों के लिए विभिन्न मार्गों का सहारा लेना पड़ता है। अतः विदेशी बाजारों के गहरे तथा विस्तृत अध्ययन की आपश्वकता होता है।

(८) भुगतान—यदि उपरोक्त कठिनाइयों के होते हुए भी मान की विनी हो जाय, तो फिर दूसरे के भुगतान की समस्या आती है। यददो देशों के चक्र (currencies) पृथक् पृथक् हों, तो पहले विदेशी चक्र में कितना रुपया बमूल किया जाय, इसका हिसाप लगाना पड़ेगा। किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण गत, जिसके विषय में आशयात्मन प्राप्त कर लेना आवश्यक है, यह है कि सूख का भुगतान हो जायगा और रुपया डूबने नहीं पायेगा। यह बात उस देश के ईमानदारी के दर्जे, व्यापारी की व्यक्तिगत सच्चिदित्री और उस देश में विदेशी शृणदाताओं का दी जाने वाली मुरदा पर निर्भर होती है। यह शोक का नियम है कि कुछ देशों में शृणदाताओं को पर्याप्त मुरदा नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त भुगतान सरल, शीघ्र और सख्त बनाने के लिए एक कुशल वैकिंग प्रणाली का भी होना आवश्यक है।

ऊपर बताई गई साधी कठिनाइया पर अब शनै शनै रडी मात्रा तक विवरण ग्राम कर ली गई है। यातायात और सदेशवाहन के साधनों की काफी उन्नति हो चुका है, व्यापारिक समय अतर्थात् वय पेनाने पर काफी समय से स्थापित हो रहे हैं, गता और बैंकिंग क्षेत्र में काफी उन्नति हो रही है, इन सब बातों ने समस्त संचार को एकता न मूल में बांध दिया है। फिर भी कठिनाइयाँ अब भी विदेशी हैं और उनके कारण विदेशी बाजार में, देशी व्यापार की अपेक्षा, अधिक भुक्तिकाना का सानना करना पड़ता है। कश्चित् इन्हाँ कठिनाइयों को दूर करने के लिए, विदेशी बाजार में देशी बाजार की अपेक्षा अधिक मध्यस्थ (middlemen) बीच में पड़ते हैं।

५२. विदेशों में माल बेचना

विदेशों में माल बेचना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ा परिक्षम और बहुत निपुणता चाहिये। विदेशों से आर्डर प्राप्त करने का प्रथम करने के पहले जिन चारों की जानकारी कर लेना आवश्यक है उनका वर्णन हम नीचे करते हैं।

सबसे पहले विदेशी बाजार में होने वाली मर्ग का सम्भाग और सीमा जान लेना आवश्यक है। विदेशों में बेचे जाने वाले माल के क्रेता उस देश के उपमोक्ता ही होते हैं। अतः उनकी रुचि, आवश्यकताओं और आदतों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि माल क्रेताओं के रुचि के अनुकूल हो और यह आशा हो कि उनकी बड़ी मात्रा में खपत हो सकती है, तो व्यापारी को आगे काम करना चाहिये। यदि माल उपमोक्ताओं की रुचि के प्रतिकूल है, तो विदेशी व्यापार को टटोलना व्यर्थ है—हाँ, यदि व्यापारी में वहाँ माँग उत्पन्न कर सकने की सामर्थ्य हो, तब चात दूसरी है। दूसरी चात यह मालूम करने की है कि विदेश में किननी स्पष्ट है। प्रत्येक व्यापारी विदेश में एक निश्चित न्यूनतम मूल्य पर माल बेच सकता है; और यदि विदेश में इससे कम मूल्य पर माल बिक रहा है, तो वहाँ ब्रिकी की चेष्टा अपश्य ही असफल रहेगी। आजकल प्रायः प्रत्येक देश में आने वाले विदेशी माल पर, सरकारी आय बढ़ाने या विदेशी स्पर्धा रोकने की दृष्टि से, आयात कर (Import Duties) लगाये जाते हैं। ऐसे करा का पता भी लगा लेना आवश्यक है। उसे विदेशी व्यापारियों की ईमानदारी, भुगतान की रीतियों और भुगतान की मुदिधाओं आदि का भी पता लगा लेना चाहिये। इन देशों में विदेशी आयदाताओं को क्या सख्त प्राप्त है और उनके प्रति वहाँ के न्यायालयों का कैसा रख रहता है, ये चारों भी महत्वपूर्ण हैं। अन्त में, ऐसे माल के वितरण के खोतों और विभिन्न सम्प्रभूति हितों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये और उसकी सफलता के पद और विपक्ष में काम करने वाले समस्त प्रभायों पर विचार कर लेना चाहिये। यदि कोई व्यापारी इन चारों का पता लगाये विदेशी व्यापार करता है, तो वह जुआ खेलता है।

जब ऊपर बताइ हुई समस्त बातें विश्वस्त सूचों से प्राप्त हो जायें और व्यापारी को यह सदृशि हो जाय कि वह विदेशों में लाभ से माल बेच सकता है, तब वह विदेशी व्यापारियों से आईं प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रीतियों में से कोई भी काम में ला सकता है।

विज्ञापन

विदेशों से आईं प्राप्त करने का सबसे सस्ता साधन विज्ञापन है। ऐसे बहुत से अखबार और मैगजीन हैं जिनका चलन साराव्यापी है। ऐसे पत्रों में विज्ञापन आकर्षक रीति से बराबर, रह रह कर और लगातार छुगते रहना चाहिये जिससे कि विदेशों में विज्ञापित माल की माँग होने लगे। समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने के अतिरिक्त, विदेशी भाषा में छूपे हुए सूचीपत्र, नोटिस, मूल-सूचियाँ आदि भी विदेशों में बांटने चाहिये। विज्ञापन बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा और उसकी लागत भी बहुत अधिक होगी। किन्तु यदि विज्ञापन कुशलता पूर्वक, होशियारी से तथा मुन्नतिथिं टड़प से छायाये जायें, और विज्ञापित घटाएँ बास्तव में अच्छी हुई, तो उनके लिए शीघ्र ही बाजार खुल जायगा और विज्ञापन की ऊँची प्रारम्भिक लागत शीघ्र ही निकल जावेगी।

परिचय और पूछताछ

विदेशी व्यापारियों से व्यापार आरम्भ करने का एक सस्ता उपाय यह है कि किसी तीसरे फर्म के द्वारा उनसे परिचय (Introduction) प्राप्त कर लिया जाए। इस दिशा में, अन्तर्राष्ट्रीय पूछताछ संघ (International Enquiry Bureaus) से भी काफी सहायता मिल सकती है। यूरोप में ऐसी संस्थाओं की विशेषता उन्नति हुई है।

व्यक्तिगत यात्रा

यदि व्यय बर्दाश्त करने की सामर्थ्य हो, तो भैनजर या मालिक को स्वयं विदेशों की यात्रा करनी चाहिये और विदेशी व्यापारियों से स्वयं मेट करनी चाहिये। थोड़े समझ के पश्चात् यात्रा को भिर दोहराना चाहिये। व्यापार बढ़ाने का व्यक्तिगत यात्रा से अच्छा और कोई उत्तर नहीं। यात्री विदेशी व्यापारियों पर बातचीत द्वारा आमश्वक प्रभाव डाल सकता है और उन्हें इस भाव का

विश्वास दिला सकता है कि उसका माल बेचने में उन्हें बहुत लाभ है, जो वेग़ल विज्ञापन द्वारा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, वह प्रयेक विदेशी व्यापारी के व्यवहार, व्यापारिक ईमानदारी तथा कार्यक्षमता का भी पूरा-पूरा समाचार प्राप्त कर सकता है। वह इन देशों के बाजारों का व्यक्तिगत अध्ययन करने के पश्चात् इस बात का निर्णय कर सकता है कि वहाँ किस प्रकार का मान रप सकता है।

विदेशी यात्रा करने वाले एजेन्ट

यदि विदेशों में माल बिकने लगे और इस बात की आशा हो जाए कि वहाँ इनकी माँग स्थायी रूप से होने लगेगी, तो विदेशों में बाजार करने वाले एजेन्ट भेजने चाहिये जिससे कि वे विक्री में और भी कोशिश के साथ सहायता दे सकें। विदेशों में एजेन्ट भेजने में बहुत सर्व लगता है, और ऐसे एजेन्टों ही को बाहर भेजना चाहिये जो ईमानदार और कार्यकुशल हों। इस काम के लिए विदेशों के विश्वस्त नागरिकों को भी नियुक्त किया जा सकता है। विदेशों में जाने वाले एजेन्टों को माल के विषय में पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिये। उन्हें वेजानिक विवरण कला में दब होना चाहिये और उनमें विदेशी भाषा मुख्यार्थक चौल सकने की योग्यता होनी चाहिये। उन्हें एक व्यापारिक केन्द्र के पश्चात् दूसरे केन्द्र की यात्रा करनी चाहिये, व्यापारियों से मिलना चाहिये, अपने माल का नमूना तथा सूचीपत्र दिलाने चाहिये, और इस बात का विश्वास दिलाना चाहिये कि उन्हें यह माल बेचने में काफी लाभ होगा। उनको यह चताना चाहिये कि उनके माल की किसी दूसरे माल से शेष्ठ है या उनका मूल्य कम है या वे सरीदारों को स्वामानिक दफ्तर से आकर्षित करते हैं। स्थान पर उपरिथ दोनों के कारण, एजेन्ट व्यापारियों पर व्यक्तिगत प्रभाव डाल सकता है जो विक्री में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है। उन्हें विदेशी बाजारों का अध्ययन करके अपने मुख्य दस्तार को इस बात की सूचना देनी चाहिये कि यहाँ किस माल की सप्त हो सकती है। इसी रीति द्वारा जर्मनी और जापान ने कुछ काल पूर्व हमारे बाजारों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और अमेरिका भी अब यही कर रहा है।

इस बात की सामग्री रानी चाहिये कि यात्रा करने वाले एजेन्ट फुटकर विक्रेताओं से कभी सीधा व्यापार न करें। उन्हें सर्वदा आयात करने वाला से बात करनी चाहिये। यह सत्य कहा गया है कि माल बनाने वाले और समुद्र पार कर्मों के बीच का सीधा व्यापार बहुत दुरा व्यापार होता है। अधिकतर आयात थोक आयातकर्ता द्वारा किया जाता है; और जब उन्हें यह माल सूख होता है कि निर्यातकर्ता फुटकर व्यापारियों को सीधा माल बेच रहा है, तो वे कहान्चित् माल सरीदना बन्द कर देंगे। इस प्रकार कुछ समय पश्चात् ही विदेशी व्यापार की दृतिशी हो जायगी।

विदेशी एजेंट

कभी-कभी विदेश में मान की सरन बढ़ाने के लिए एजेन्ट नियुक्त किये जाते हैं। कुछ अच्छे अच्छे कर्मों को, जो निर्यातकर्ता की शर्तों को स्वीकार कर सेते हैं, मान भेज दिया जाता है जिसे वे निर्यातकर्ता के एजेन्ट की हैसियत से बेचते हैं। मान भेजना आवश्यक इतीनिए होता है कि जिससे दरिदर को माल तुरन्त ही मिल जाय। विक्री की राशि पर एजेंट को निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है।

अधिकतर एक देश को विभिन्न ज्ञेन्फलों में विभाजित कर दिया जाता है। और प्रन्येक ज्ञेन्फ एक एजेंट को दे दिया जाता है। विक्रेता या निर्यातकर्ता नियत ज्ञेन्फ में केवल अपने एजेन्ट को ही मान बेचता है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। एजेन्ट का भी यह बन्धन मानना पड़ता है कि वह इसी प्रकार का और विसी फर्मका माल अपने स्टाक में नहीं रखेगा। इस बन्धन का उद्देश्य यह होता है कि एजेन्ट को उस माल की विक्री बढ़ाने में सही और दीर्घकालीन लगन हो।

एजेन्सी प्रणाली में कुछ वैधानिक दोष होते हैं। वैधानिक दृष्टि से, यदि एजेन्ट मान उवार बेचता है और सूखी दमन अदा नहीं कर पाता, तो हानि प्रधान (principal) को उठानी पड़ती है। यह वैधानिक नियम विदेशी प्रधान (principal) के लिये सकटमय है। अतः निर्यातकर्ता बहुधा अपने विदेशी एजेन्ट को कुछ और कमीशन देकर सूखे के मुग्यान का भी उत्तरदायी बना लेते हैं। ऐसे कमीशन को “हैल क्रेडियर कमीशन” (Del credere)

commission) फहरते हैं, और एजेन्ट "डैल कॉमिशनर एजेन्ट" कहलाता है।

विदेशी शाखाएँ

यदि विदेशों में माल की काफ़ी माँग होने लगे, तो वहाँ शाखाएँ भी खोली जा सकती हैं। किंतु विदेशी शाखाएँ खोलने में बहुत व्यव होता है, अतः उनकी स्थापना विक्री वेद जाने पर ही करनी चाहिये। यदि विक्री काफ़ी अधिक हो, तो एकमात्र एजेंसी (Sole Agency) की अपेक्षा विदेशी शाखा सस्ती पड़ेगी। किंतु यदि विक्री कम है, तो शाखा खोलने से हानि होने का भय है। हमारे देश में बहुत से विदेशी व्यापारियों ने शाखाएँ खोल ली हैं। कुछ विदेशी कारखाने वालों ने—जैसे डब्ल्यू० डी० एण्ड एच० ओ० मिल्स (सिगरेट बनाने वाले) और लक्स सोप कम्पनी ने—मो भारत में अपने कारखाने ही खोल लिये हैं क्योंकि यहाँ बना कर माल बेचना, बने बनाये माल को आयात करके बेचने की अपेक्षा, अधिक लाभदायक होता है।

३. विदेशी व्यापार में मध्य-पुरुष

कारखानेवाला माल इसलिए बनाता है कि उनकी चिक्की अतिम उपभोक्ताओं के हाथ हो। अतः व्यापार के लिए कम से कम दो पक्ष अवश्य होने चाहिये—कारखानेवाले और उपभोक्ता। किंतु बहुधा माल तैयार करने वाले उपभोक्ता के घीन में अनेक मध्य पुरुष हाते हैं। ये मध्य पुरुष व्यापार को बहुत सुविधाजनक और आसान बना देते हैं; किंतु जब वे कोई वास्तविक सेवा नहीं करते प्रत्युत माल का मूल्य बढ़ा देते हैं, तब उनकी कड़ी आलोचना होती है। जो व्यक्ति माल बनाने वाले और माल के अन्तिम उपभोक्ताओं के मध्य में आते हैं, वे मध्य-पुरुष (middlemen) कहलाते हैं। थोक और फुटकर व्यापारी मध्य-पुरुष के उदाहरण हैं।

प्रत्येक मध्य-पुरुष मान के मौलिक मूल्य में अपनी सेवा के पुराकार स्वरूप कुछ रकम जोड़ देता है; इस प्रकार मध्य पुरुष माल का मूल्य बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, मान सीजिए एक सिगरेट के कारखाने वाला सिगरेट

आने प्रति पैकेट की लागत पर बनाता है और थोक व्यापारी को ४॥ आने प्रति पैकेट देता है । थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को वह पैकेट शायद ५ आने का बेचेंगे और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को ५॥ आने में बेचेंगे । इस प्रकार मूल्य की वृद्धि रोकने की दृष्टि से घरेलू व्यापार में मध्य-पुरुषों को कम करने की नीति पर काम किया जाने लगा है; किंतु विदेशी व्यापार में यह प्रवृत्ति इतनी स्पष्ट नहीं है । विदेशी व्यापार के परिचालन में मध्य-पुरुषों का इतना महत्वपूर्ण काम होता है कि कम से कम उनमें से थोड़े से तो निश्चय ही अनिवार्य हैं ।

मध्य पुरुषों का महत्व—उत्पादकगण एवं व्येतागण, सभी को मध्य-पुरुषों से लाभ होता है । उत्पादकों के वे कई प्रकार से सहायक होते हैं । पहली बात तो यह है कि यदि उत्पादक माल भा उत्पन्न करे और उनकी विक्री का भी पूरा प्रबन्ध करे, तो उसे काम बहुत हा जायगा जो कदाचित् उसकी सामर्थ्य के परे हो । शायद वह दोना में से कोई भी काम कुशलतापूर्वक न कर सके । किंतु भागवश ऐसे मध्य-पुरुष होते हैं जो मान की विक्री का उत्तरदायित्व अपने सिर पर ले लेते हैं और उत्पादक को केवल उत्पन्न पर ध्यान देने के लिए स्वतन्त्र कर देते हैं । दूसरी बात यह है कि यदि उत्पादक विदेशा में स्वयं ही विक्री करने का प्रबन्ध करे, ता उसे विदेशी व्यापारियों के विरोध का समना करना पड़ेगा जो उसके लिए आत्महत्या करने के समान होगा ।

केवल उपभोक्ता ही नहीं प्रत्युत के तागण भी मध्य-पुरुषों से बहुत लाभ उठाते हैं । उदाहरण के लिये यदि बम्बई का एक व्यापारी इंडलैण्ड के दस विभिन्न कर्नों से माल खरीदना चाहता है तो उसे लम्दन स्थित केवल एक निर्यात एजेंट (Export Agent) को इस बात का आदेश देना पड़ता है कि वह इन दस कर्नों से माल खरीद ले, उनका ठीक तरह से पैकिंग कराये और उन्हें बम्बई जहाज द्वारा रखाना कर दे । यदि निर्यात एजेंट नाम का कोई मध्य-पुरुष न होता तो उसे १० आर्डर देने पड़ते, १० बार पैकिंग का व्यव सेलना पड़ता, दस पैकेट की सुपुर्दगी लेनी पड़ती और दस सुगतान करने पड़ते जिसमें उसका धन एवं समय दोना का हा ज्यादा व्यव होता । इसके अनिरिक्त, यदि क्रेता और विदेशी विक्रेता में कुछ झगड़ा या मतभेद हो जाय, तो निर्यात

एजेंट जो बराबर विदेशी विक्रेताओं के सम्पर्क में रहता है, भगड़ा आसानी से सुलभा सकता है। तीसरी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी माल खरीदना चाहता है, तो हो सकता है कि उसे यह माल अपने देश में खरीदने पर वेज मिले और विदेश में खरीदने पर सस्ता मिले; किन्तु विदेशी माल बनाने वाला केवल अपने एकमात्र एजेंट (Sole Agent) को छोड़ कर और विसी विदेशी को माल शायद न बेचे। ऐसी दशा में क्रेता माल बनाने वाले के देश में स्थित किसी निर्यात एजेंट के द्वारा वही माल खरीद सकता है। इस प्रकार वह माल सस्ते दर पर प्राप्त कर सकता है।


विदेशी व्यापार में मध्य पुरुष—अब हम विदेशी व्यापार में भग्न लेने वाले मध्य-पुरुषों का चिक्र करेंगे। पहले हम माल बनाने वाले के देश को लेते हैं। यदि कोई व्यापारी कोई विदेशी माल अपने स्टाक में रखना चाहता है, तो वह उस विदेश में रहने वाले किसी निर्यात-एजेंट (Export Agent) को माल खरीद कर देने का आदेश दे सकता है। निर्यात एजेंट का काम आदेशा नुसार मान खरीदना और क्रेता को भेज देना है। वह अपनी सेवाओं के उपलब्ध में थोड़ा सा कमीशन ही बरूल करता है। निर्यात एजेंट माल खरीद कर उन्हें ठीक तरह पैक करता है और फिर उन्हें किसी माल लदाने वाले एजेंट (Forwarding Agent) को भेज देता है जो माल को भेजने के काम में विशेषज्ञ होता है। माल लदाने वाला एजेंट माल को जहाजी कम्पनी को सौंप देता है जो माल को क्रेता के देश तक पहुँचा देती है।

जब माल क्रेता के देश में पहुँच जाता है तो उसकी मुपुर्दग्गी एक माल उतारने वाला एजेंट (Clearing Agent) लेता है। इस एजेंट को इस क्रेता नियुक्त करता है और इसका काम माल की मुपुर्दग्गी बहाज से लेना और इस सम्बन्ध के सारे काम करना है। यह माल को आयात एजेंट (Import Agent) के पास भेज देगा जो थोक व्यापारियों के लिये माल आयात करता है। थोक व्यापारी माल को फुटकर व्यापारियों के हाथ बेच देते हैं, जो अन्त में वास्तविक उत्तमोक्ताओं के हाथ माल बेचते हैं।

विदेशी व्यापार में मध्य-पुरुष

उत्पादक के देश में	क्रेता के देश में
१. नियंत्रित एजेन्ट	४. माल उत्तरारने वाला एजेन्ट
२. माल लदाने वाला एजेन्ट	५. आयात-एजेन्ट
३. जहाजी कम्पनी	६. थोक व्यापारी
	७. फुटकर व्यापारी

ऊपर बताये गये समस्त मध्य-पुरुष प्रत्येक सौदे में आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं होते। उनमें से कुछ को छोड़ा भी जा सकता है, जैसा कि विदेशी व्यापार के सौदों की चर्चा करते समय आगे चल कर बताया जायगा।



सीधा या प्रत्यक्ष (Direct) व्यापार

यदि कोई व्यापारी किसी विदेशी माल बनाने वाले को कोई आईर दे, तो हो सकता है कि वह माल उसे सीधे ही भेज दे। ऐसे सौदों में किसी नियंत्र

एजेन्ट, आयात एजेन्ट या ग्रन्थ किसी मध्य-पुस्तक के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और किसी को कमीशन आदि देने की नौमत नहीं आयेगी। भुगतान सीधा माल बनाने वाले को, माल के मूल्य और माल भेजने के व्यय के अनुसार, किया जायगा। ऐसे सौदे में आयात एजेन्ट और निर्यात एजेंट का तो एक दम लोप हो जाता है; और माल लदाने वाले या माल उतारने वाले एजेन्टों की सेवाओं का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। सीधे सौदे बहुत कम होते हैं, किन्तु पहले की अपेक्षा अब उनकी सख्त्या अधिक हो चली है।

परेपण (Commission) व्यापार

कभीकभी माल बनाने वाला विदेशी व्यापारियों को उसका माल स्टाक में रखने और उसकी विक्री बढ़ाने के लिये रानी कर लेता है और इसके बदले में उन्हें विक्री की रकम पर एक निश्चित दर से कमीशन देता है। माल बनाने वाला एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देता है जिससे वह पर विदेशी व्यापारी माल नहीं बेच सकते। व्यापारी आदेशानुसार माल बेचने हैं और विक्री की रकम को, अपना कमीशन और व्यय काट लेने के बाद माल बनाने वाले को भेज देते हैं। इसे परेपण व्यापार (Commission Business) कहते हैं। इस दशा में उपमोक्ता उत्पादक के एजेन्ट से माल खरीदता है; और निर्यात या आयात एजेन्ट तथा थोक व्यापारी का लोप हो जाता है।

निर्यात और आयात कमीशन एजेंट

प्रत्येक बन्दरगाह में निर्यात और आयात एजेन्ट पाये जाते हैं जिनके द्वारा माल विदेशी से मैंगाया जा सकता है। इनका काम है विदेशी आयातकर्ता के लिए एक निश्चित कमीशन पर माल खरीदना और उन्हें रथाना करना, और देशी व्यापारियों के लिए विदेश से माल मैंगाना। वे विदेशी व्यापार में बहुत सहायता पहुँचाते हैं और अपनी सेवा के लिए बहुत थोड़ा कमीशन चलकर रहते हैं। क्योंकि वे थोड़ा सा कमीशन लेकर ही एजेन्ट की तरह काम करते हैं, इस लिए उन्हें कमीशन एजेन्ट कहा जाना है। कमीशन एजेन्ट को माल लारीदाने के लिए विस्तृत आदेश जिस रुपके में दिया जाता है, उसे इंडेंट (Indent)

कहते हैं। अतः इस प्रथा को इंडेंट प्रथा (Indent System) कहा जाता है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में ऐसे बहुत से कर्म हैं जो विदेशी माल मारतीय व्यापारियों को और भारतीय माल विदेशी व्यापारियों को सप्लाई करने का काम करते हैं।

पौत्रिक व्यापारी (Merchant Shippers)

कभी कभी कुछ व्यापारी विक्री के लिए माल खरीद लेते हैं, और जहाँ भी उन्हें उनका विक्री के लिए लाभदातक व्यापार मिलता है, वहीं वे उसे बेच द्याते हैं। वे जिनने कम मूल्य पर माल खरीद सकते और जिनने कैचे मूल्य पर माल बेच सकते हैं उनमा ही उनका लाभ अधिक होता है। उनके खरीदार अधिकाश में वे विदेशी व्यापारी होते हैं जिनके अपने कमीशन एजेन्ट नहीं होते। कुछ समय पूर्व, कड़ी आनाचना होते रहने के बावजूद भी, पौत्रिक व्यापारी की खूब उन्नति हुई, किन्तु अब उसका पतन बराबर हो रहा है।

आधुनिक प्रवृत्ति

कुछ काल पूर्व, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमीशन एजेन्ट (अर्थात् आयात और निर्यात एजेन्ट) का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। उन्हे अपनी सेवाओं के लिए कमीशन तो मिलता ही था, साथ में वे उत्पादक से मिलने वाले बड़े (Discount) का एक भाग भी हड्डप जाते थे। किन्तु सन्देशवाहन के साधनों की उन्नति, स्वर्धा की तीव्रता में वृद्धि और यात्रा करने वाले एजेन्टों आदि की प्रथा तथा अन्य ऐसे ही कारणों के परिणामस्वरूप अब उनका महत्व काफी कम हो गया है। आजकल के आयातकर्ता कमीशन एजेन्ट के बराबर ही जानकारी रखते हैं, और यदि उनकी खरीद वडी रकम की हुई, तो वे उत्पादक से सीधा सम्बंध स्थापित कर लेते हैं जिससे कि मूल्य घटाने वा बढ़ाने की दर बढ़ाने का वे पूरा-पूरा ताब उठा सकें। ऐसी अवस्था में, निर्यातकर्ता आयातकर्ता को माल सीधा भेज देता है। कभी-कभी माल लदाने वाले (forwarding) एजेन्ट खरीदार और निर्यातकर्ता का भी काम कर देते हैं। अब केवल छोटे पैनाने के

आयातकर्ता अथवा बहुत से कर्मों से सीमित मात्रा में माल मँगवाने वाले ही कमीशन एजेन्टों का उपयोग करते हैं। किन्तु धातु तथा अन्य वस्तुओं के बड़े-बड़े केन्द्रित बाजारों में, जहाँ मूल्यों में घट-घट अक्सर और शीघ्रता से होती रहती है और जहाँ कुशल व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक होती है, वहाँ कमीशन एजेन्टों का अन्त भी बहुत महत्व है।

॥ ४. आर्डर या इंडेंट (INDENT) की शर्तें

विदेश से माल मँगवाने का आर्डर देते समय आर्डर फार्म या इंडेंट (Indent) बनाने में विशेष सावधानी से काम लेना चाहिये। पाठकों को आर्डर और इंडेंट का अन्तर समझ लेना आवश्यक है। जब माल सीधे किसी विदेशी उत्पादक से मँगाया जाता है, तो जिस रुके में आर्डर लिखा होता है वह आर्डर या विदेशी आर्डर कहलाता है। किन्तु जब माल कमीशन एजेन्ट के द्वारा मँगाया जाता है, तब एक रुके में उसे माल लियादने और रखाना करने के विषय में विस्तृत आदेश दिये जाते हैं, उस रुके को इंडेंट (Indent) कहते हैं। यह समझना गलत है कि विदेशी आर्डर को ही इंडेंट (Indent) कहा जाता है : ये दोनों वस्तुएँ एक दूसरे से पृथक् हैं।

इंडेंट लिखित होना चाहिये जिससे मतभेद का कोई अवसर ही न आवेद; मौखिक (verbal) आर्डर देने से मतभेद और झगड़े होने का भय रहता है। जब केन्द्रितमार्ग के द्वारा आर्डर दिया जाय, तब लिखित आर्डर द्वारा उसे सुन्दर (confirm) करना आवश्यक है। लिखित होने के अतिरिक्त, आर्डर या इंडेंट की भाषा स्पष्ट होनी चाहिये, वह निश्चित होना चाहिये और उसमें तब मुख्य बातों के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश (instructions) रहने चाहिये। लासकर निम्नलिखित बातों पर निश्चित आदेश का होना नितान्त आवश्यक है :

- (१) पुण्य या किस्य;
- (२) मात्रा;
- (३) दिलावठ, पैकिङ और चिह्न;
- (४) डिलीवरी और जहाज में लदाना;
- (५) मूल्य;
- (६) बीमा;
- (७) भुगतान;
- (८) पचायत।

गुण या किस्म (Quality)

आवश्यक माल की किस्म का पूरा विवरण (particulars) स्पष्ट और निश्चित भाषा में देना आवश्यक है। पूरे विवरण की अनुपस्थिति में, पत्र व्यवहार में समय और धन बर्बाद करना पड़ता है और कभी कभी किसी अस्पष्ट विषय पर मतभेद भी हो जाता है। किस्म को सूचीपत्र, सख्त्या, ग्रेड (Grade) विशिष्ट चिह्न द्वारा बताया जाता है, या यदि जरूरी हो, तो नमूना ही भेज दिया जाता है। यदि कोई विशेष चिन्ह न हो अथवा नमूना न भेजा जा सकता हो, तो माल का पूरा पूरा विवरण आवश्य देना चाहिए।

मात्रा (Quantity)

माल की आवश्यक मात्रा का भी स्पष्टतया जिक्र कर देना चाहिये। मात्रा सख्त्या, बोझ या माप से बनाई जाती है। समस्त ससार भर में सख्त्या तो एक सी ही है, किन्तु तोल और माप के चिह्न एक से नहीं होते। यह बात मात्रा बताते समय धान म रखनी चाहिये क्योंकि ग्रेड प्रिटेन व्यापारी को आड़र देते समय-मीटर में मात्रा बताना उतनी ही भूल होगी जितनी की जर्मनी के व्यापारी को आड़र देने में विटिश चिन्हों में मात्रा का वर्णन करना। यदि ससार के समस्त देश माप और तोल के एक ही चिह्न प्रयुक्त करने लगें, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत लाभ हो।

दिखावट, पैकिंग और चिह्न

इडेंट में माल की दिखावट (make-up), पैकिंग और चिह्न ढालने के बारे में पूरा पूरा आदेश देना आवश्यक है। कभी कभी ये चाँतें निर्यात एजेंट के ऊपर ही छोड़ दी जाती हैं।

दिखावट (Make up)—निर्यात करने के पूर्व, माल को अच्छी तरह क-भड़क दी जाती है, अथात उन्हें आकर्षक बाहरी रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिये, कपड़े की दिखाव से आशय कपड़े के मोड़ने, स्टाम्प करने, गिक्ट लगाने और बाँधने या टाके लगाने से है। यदि आयानकर्ता यह चाहता है कि माल की किसी विशेष प्रकार की दिखावट हो, तो उसे इस विषय में

पूरा-पूरा और ठीक-ठीक आदेश देना चाहिये; अन्यथा विक्रेता अपने विवेक (discretion) के अनुसार काम करेगा।

पैकिंग—माल की दिखावट ठीक हो जाने पर उनका पैकिंग किया जाता है। पैकिङ में बहुत कुशलता से काम लेना पड़ता है। माल को हजारों मील समुद्र पार जाना पड़ता है और उनको असावधाना से चढ़ाने-उतारने, गर्मी या पानी से हानि होने का भय होता है; अतः उनका पैकिङ बहुत सावधानी से करना चाहिये। उपयुक्त बाटर प्रूफ अस्तर और मुद्दट पैकिङ की बस्तु प्रयुक्त करनी चाहये। पैकिङ में माल को मजबूती से बाँध देना चाहिये जिससे माल हिले-हुले नहीं और खड़-खड़ न करे। साथ ही उसे इतना कस कर भी नहीं बाँधना चाहिये कि उसका कचूमर ही निकल जाय। पैकिङ की कुशलता माल को इस ढग से रखने में है कि एक निश्चित स्थान में अधिकतम माल आ जाय। इस मामले में दक्ष (expert) पुरुष माल को एक निगाह देख कर ही उसे पैक करने का तरीका बता सकता है। यही कारण है कि पैकिंग का काम बहुधा पैकरों (packers) को सुपुर्द किया जाता है जो इस काम में निपुण होते हैं। बड़े-बड़े व्यापारिक भवनों में अपने निजी पैकिंग विभाग होते हैं।

कमी-कमी खरीदार स्वयं पैकिङ का ढग बता देता है। यदि इस प्रकार का कोई आदेश खरीदार न दे तो विक्रेता को स्वयं अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिये या जैसे पैकिंग का चलन हो वैसा ही पैकिंग करना चाहिए। पैकिंग का ढग माल के स्वभाव के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिये, कपास गाँठों में पैक किया जाता है। ये गाँठें मशीन द्वारा दबाई जाती हैं और फिर वे टीन की पत्ती से बॉध दी जाती हैं। इन गाँठों के ऊपर तैलवस्त्र (oil cloth) या किरमिच या और कोई बाटर प्रूफ बस्तु लपेट दी जाती है। शराब पीपों में रक्खी जाती है और उसको बाहर से टीन की पत्तियाँ द्वारा कस दिया जाता है। गेहूं और चावल बोरों में भरे जाते हैं। बहुमूल्य वस्तु जैसे सिल्क लकड़ी के सन्दूकों में रक्खी जाती है और रखने के पहले उन्हें तैलवस्त्र (oil cloth) में लपेट दिया जाता है।

यदि कोई बस्तु ग्रहमूल्य हो तो लकड़ी की पेटी, जिसमें जस्ते का अस्तर लगा होता है, काम में लाई जाती है।

चिन्ह डालना—पैकिंग हो चुकने के बाद, पेटियों पर चिन्ह डालना पड़ता है। यदि पैकिंग केसों पर कागज का लेबल चिपका दिया जाय, तो उसको रास्ते में फट जाने का भय होता है। यदि उन पर स्थाही से भी लिख दिया जाय, तो भी शावद वह रास्ते में मिट जाय। अतः केसों पर किसी अन्य अधिक स्थायी (permanent) रीति द्वारा पते का लिखा जाना आवश्यक है। प्रत्येक पैकेज पर पूरा नाम और पता लिखने में समय भी बहुत लगता है, साथ ही जगह कम होने के कारण अक्षरों को छोटा छोटा लिखना भी अनिवार्य हो जाता है। इन कठिनाइयों को चिन्ह या मार्क (mark) द्वारा दूर किया जाता है। मार्क से आशय त्रिकोण या समकोण के समान किसी रेखाचित्र से है जिसके अन्दर आयातकर्ता का सक्षित नाम (initials) लिखा रहता है और उद्दिष्ट बन्दरगाह (Port of Destination) का नाम चित्र के अन्दर या बाहर लिखा रहता है।

किसी एक क्रेता के पास जाने वाले समस्त केस और गाँठों को एक ही दग से पेक किया जाता है और उन पर एक-सा ही चिन्ह डाला जाता है। हर पैकेज पर कम-सख्त भी डाल दी जाती है। डॉक कम्पनी (Dock Company) और जहाजी कम्पनी एक व्यक्ति को भेजे गये पैकेजों को विशिष्ट चिन्ह की सहायता से शीत्रही ग्रलग लौट सकती है। चिन्ह और सख्त स्टैसिल द्वारा पैकेजों पर अकित किये जाते हैं। अधिकतर मार्कों दो तरफ डाला जाता है और अन्य दो तरफ “सावधानी से” (Goods with care), “नाजुक” (Fragile), “यह हिस्ता ऊपर रखिये” (This Side Up), आदि वाक्य लिख दिये जाते हैं।

माल का जहाज में लादना

इस बात का भी निश्चय हाना चाहिये कि माल किस जहाज द्वारा भेजे जायें, वे किस बन्दरगाह को रखाना किये जायें और वे किस समय तक अवश्य

रखाना कर दिये जाते हैं। यदि विक्रेता निश्चिन्त रमय के अन्दर ही माल में बदले वे लिये राखी हो जाता है किन्तु ऐसा कर नहीं पाता, तो वह खरीदार की 'ज्ञातिपूर्ति' (damages) का उत्तरदायी (liable) हो जाता है। इसलिये विक्रेता इस बात पर जोर देते हैं कि आईंडर या इंजेन्ट में "जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र मान रखाना कर दिया जाए" (Shipment as soon as possible) इस प्रकार का नाम अवश्य लिया जाव। साथ में यह भी लिख दिया जाता है कि यदि विलम्ब का कारण ऐसा हो जो विक्रेता के दशा के बाहर है जैसे हड्डियाल, युद्ध, आग, भूचाल आदि, तो विक्रेता ज्ञाति-पूर्ति का उत्तरदायी नहीं होगा।

मूल्य

आईंडर किये जाने वाले माल का मूल्य भी लियना आवश्यक है। विदेशी व्यापार में प्रयुक्त होने वाले जिमिल्स मूल्दो का बर्येन हमने अगले अध्याय में किया है। कमी-कमी इरीदे जाने वाले माल के मूल्य का प्रश्न नियांत्र एंजेन्ट पर छोड़ दिया जाता है, किन्तु ऐसा कमी हो सकता है जब कि आवारकर्ता को नियांत्र एंजेन्ट पर प्रिवास और भरोसा हो।

वीमा

समृद्ध द्वारा भेजा जाने वाला सारा मान बहुत सी सामुद्रिक आनंदितो (risks) का मार्गी होता है। अतः उसका सामुद्रिक बीमा करा लिया जाता है। बीमा-खर्च मार्क (C. I. F.) और सब-खर्च-मार्क (Franco) वाले सौदों में बीमा का जिम्मेदार विक्रेता होता है, जो माल का बीमा किसी अच्छी कम्पनी से ही करावेगा जिससे कि सम्बंधित दुन्डों आलानी से मुन (discount) जाय। अब्य प्रकार के सौदों में, बीमा या तो क्रेता स्वयं ही करता है या विक्रेता उसके जिए बीमा करा देता है, अतः क्रेता को भह स्पष्ट रूप में लिख देना चाहिये कि विक्रेता उसके जिए नाम का बीमा कराये या नहीं। अन्यथा समझतः दोनों ही बीमा करा ले और बेकार खर्च हो। यदि आवारकर्ता यह चाहता है कि नियांत्र-एंजेन्ट बीमा करनी का नाम

भी दे देना चाहिये जिससे वह ब्रीमा-पत्र (insurance policy) खरीदना चाहता है।

भुगतान

विभिन्न देशों के विभिन्न चलन (Currencies) होते हैं। आर्डर या इडेंट में यह स्पष्ट लिख देना चाहिये कि अमुक चलन में भुगतान किया जायगा। ऐसे तो इस विषय में रिवाज का अनुगमन (follow) किया जाता है, जैसे भारत और इङ्लैण्ड के सौदों में भुगतान पाउंड स्टर्लिंग में किया जाता है। भुगतान का दङ्गा और विनिमय की दर भी बता देना चाहिये। इस विषय की पूरी-पूरी विवेचना अगले अध्याय में की गई है।

पञ्चायतनामा (Arbitration)

हर प्रकार को सावधानी करने के पश्चात् भी, क्रेता और विक्रेता में झगड़ा हो सकता है। विदेशों में अभियोग चलाने में बहुत व्यव होता है और व्यापारियों की बदनामी भी होती है। इसलिए आर्डर में लिए दिया जाता है कि भलगड़ा होने पर मामला पञ्चायत द्वारा फैसला किया जायगा। कभी-कभी पचों के नाम भी दे दिये जाते हैं। पचों का फैसला दोनों पार्टियों पर लागू होता है।

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इन्टर कार्मस

- विदेशों में आर्डर प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है? पूर्णतः अपने विचार प्रकट कीजिये। (यू० पी०, १६५४)
- किसी देश के विदेशी व्यापार में भाग लेने वाले मध्यस्थी के कामों की विवेचना कीजिये। (उत्तर प्रदेश, १६५३)

- भारत के निर्यात व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारिक भवनों की विभिन्न किसमें बनाइये और प्रत्येक के दोषों की विवेचना कीजिये। (यू० पी०, १६३५)

बिहार, इन्दर कार्मस

४. आडर और इडेंट का भेद स्पष्ट कीजिये । उनमें कौन-कौन-सी शर्तें दी होती हैं ? (बिहार, १९४६, पूरक)

५. किसी देश के विदेशी व्यापार में कितने प्रकार के मध्य-पुऱ्य सलान होते हैं ? उनके कर्तव्यों की विवेचना कीजिए । (बिहार, १९४७)

उत्तमानिया, इन्दर

६. 'इडेंट व्यापार' का क्या अर्थ है ? इसकी विशेषताएँ और लाभ बता देये । (उत्तमानिया, १९५१)

अध्याय ४१

कोटेशन, आयात-निर्यात-कर और भुगतान

इस अध्याय में हम विदेशी व्यापार की कुछ विशेष समस्याओं का अध्ययन करेंगे। ये समस्याएँ तीन हैं : कोटेशन, आयात निर्यात-कर और भुगतान।

११. विदेशी व्यापार में कोटेशन

विदेशी माल खरीदने वाला सबसे पहले आवश्यक माल के मूल्य की पूछताछ करता है। इस प्रकार की जाँच पढ़ताल को पूछताछ या इक्वाइरी (Inquiry) कहते हैं। इक्वाइरी के उत्तर में, विक्रेता माल का मूल्य लिख कर मेज देता है ऐसे मूल्यों को क्वोटेशन (Quotation) कहते हैं। विक्रेता के गोदाम से माल के विदेशी क्रेता की दूकान तक पहुँचने में काफी व्यय होता है। क्वोटेशन में इन खत्तों में से कुछ या सब खर्च शामिल हो सकते हैं या कोई भी खर्च शामिल न हो। विदेशी व्यापार में इन खत्तों में से थोड़ी या बहुत रकमें मूल्य में शामिल होने के अनुसार विभिन्न मूल्य क्वोट (quote) किये जाते हैं। ये खर्चें निम्नलिखित हैं :

१. माल का निर्माण या विक्रेता द्वारा निश्चित किया हुआ मूल्य।
२. माल के पैकिंग का व्यय।
३. निर्माण के गोदाम से निर्यात-बन्दरगाह तक माल की दुलाई।
४. निर्यात कर।
५. डॉक (Dock) का चार्ज।
६. जहाज पर माल की लदाई।
७. किराया।
८. सामुद्रिक बीमे का श्रीमियम।

	COMMISSIONS	
	OCTROI DUTY	
	CARTAGE TO SHOP	
	TRANSPORT TO RY STN	
	IMPORT DUTIES	
	DOCK CHARGES	
	UNLOADING CHARGES AT PORT	
	MARINE INSCE	
	FREIGHT	
	LOADING CHARGES	
	DOCK CHARGES	
	EXPORT DUTY	
	TRANSPORT TO PORT	
	PACKING CHARGES	
	MANUFACTURER'S PRICE	

 = LOCO

 +  = F A S

 +  +  = F O B

 +  +  +  = C F

 +  +  +  +  = C I F.

 +  +  +  +  +  = FRANCO

[विभिन्न मूल्यों के अङ्ग]

- ६ उद्दिष्ट बन्दरगाह पर माल उतारने का खर्च ।
- १० उद्दिष्ट बन्दरगाह पर डॉक (Dock) का चार्ज ।
- ११ आयात-कर ।
- १२ बन्दरगाह से क्रेता के रेलवे स्टेशन तक माल के यातायात का खर्च ।
- १३ स्टेशन से क्रेता की दूकान तक माल ले जाने का व्यय ।
- १४ म्युनिसिपल बोर्ड की चुन्नी ।
- १५ कमीशन ।

विदेशी व्यापार में निम्नलिखित मूल्य क्वोड किये जाते हैं, प्रत्येक के ग्रामे जो एक दिये हुए हैं वे उन खर्चों को बताते हैं जो उनमें शामिल हैं :

स्थानीय (Loco)

डॉक-चार्ज माफ (F. A. S. or Free Alongside Ship)	१—५
जहाज-लदाई-माफ (F. O. B. or Free on Board)	१—६
किराया-माफ (C. & F. or Cost and Freight)	१—७
बीमा खर्च-माफ (C. I. F. or Cost Insurance & Freight)	१—८
सब खर्च-माफ (Franco)	१—१५


पृष्ठ ११० पर दिया हुआ चित्र इन सब मूल्यों के अर्णों को अच्छी तरह दिखाता है ।

स्थानीय मूल्य (Loco Price) विक्रेता के गोदाम में रखे हुए माल के मूल्य को कहते हैं । माल के विक्रेता के गोदाम से क्रेता या खरीदार की दूकान तक पहुँचाने में जो खर्च होते हैं, वे इस मूल्य में विलुप्त शामिल नहीं होने । विदेशी क्रेता सामान्यतया (generally) स्थानीय मूल्य पर माल नहीं खरीदते ।

डाक चार्ज-माफ-मूल्य (Free Alongside Ship या F. A. S. Price) में स्थानीय मूल्य के अतिरिक्त वे सब खर्चें शामिल किये जाते हैं जो माल के डाक तक (जहाज के समीक्ष) पहुँचने में किये जाते हैं । ये खर्चे ऐकिंग का खर्च, बन्दरगाह तक दुलाई, निर्यात-कर तथा डाक चार्ज होते हैं । यदि आप

टोकियो से डाक-चार्ज-माफ मूल्य पर माल खरीदें, तो आपका विक्रेता उपरोक्त खर्च अदा करेगा; उसके बाद जो भी खर्च होगे, वे आपको देने पड़ेंगे।

जहाज लदाई-माफ मूल्य (Free on Board or F. O. B. Price)—माल के जहाज पर लादे जाने के समय तक जो भी खर्च होते हैं, वे सब इस मूल्य में शामिल होते हैं माल के स्थानीय मूल्य के अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित व्यय शामिल होते हैं : पैकिंग का खर्च, बन्दरगाह तक ढुलाई,




[जहाज लदाई माफ (F. O. B.) मूल्य के अग]

निर्यात कर, डाक खर्च और जहाज पर लदाई। यदि डाक चार्ज-माफ मूल्य में आप लदाई खर्च जोड़ दें, तो जहाज लदाई-माफ मूल्य निकल जाता है। पृष्ठ १११ के चित्र में जहाज लदाई-माफ मूल्य के अगों (Elements) को दिखाया गया है।

किराया-माफ मूल्य (Cost & Freight or C. & F. Price)—इसमें जहाजी किराया अदा करने तक जो भी खर्च होते हैं, वे सभी शामिल

होते हैं यदि बहाज-लदाई-माफ मूल्य में जहाजी किराया जोड़ दिया जाय तो किराया-माफ मूल्य निकल आता है। इसमें बीमा का व्यय शामिल नहीं होता।

बीमा-खर्च-माफ मूल्य (Cost, Insurance & Freight or C. I. F. Price) में सामुद्रिक बीमा की प्रीमियम अदा करने के समय तक के समस्त व्यय शामिल होने हैं। किराया माफ-मूल्य में बीमा की प्रीमियम को जोड़



(बीमा-खर्च-माफ मूल्य के अंग)

देने से यह मूल्य (जिसे C. i. f या 'रिफ' कहा जाता है) निकल आता है। विदेशी व्यापार में यह मूल्य बहुत लोकप्रिय है। ऊपर के चित्र में इसके अंगों को दिखाया गया है।

कभी-कभी विद्यार्थीगण यह गलती कर चैठते हैं कि वे किराया-माफ-मूल्य (C. & F. Price) में बीमा खर्च मी शामिल कर लेते हैं। उन्हें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि माल के जहाज पर लदवाने के पश्चात् ही सामुद्रिक बीमा किराया जाता है; और किराया अदा कर देने के बाद ही बीमा की प्रीमियम अदा की जाती है। अतः किराया-माफ (C. & F.) मूल्य में प्रीमियम शामिल नहीं होती; यह बीमा-खर्च-माफ (C. I. F.) मूल्य में शामिल होती है।

सब-खर्च-माफ मूल्य (Franco or Free Price)—इसमें केता (buyer) के गोदाम में माल के पहुँचने तक जो भी खर्च होते हैं, वे सब शामिल होते हैं। पृष्ठ ११२ पर दिये गये चित्र में, इसके समस्त अंगों को दिखाया गया है।

दोकि
खर्चे

उपरोक्त क्वोटेशनों के अतिरिक्त, कुछ और भी शब्द प्रयोग में आते हैं जिनका यहाँ जिक्र कर देना आवश्यक प्रतीत होता है।

जहाज तक मूल्य (Ex Ship)—इस क्वोटेशन में माल के बहाव के उद्दिष्ट बन्दरगाह तक पहुँचने के समय तक सारे खर्चे शामिल होते हैं। माल की जहाज से सुपुर्दगी आयातकर्ता को लेनी पड़ती है और उसके पश्चात के सब खर्चे उसी को अदा करने पड़ते हैं।

गोदाम खर्च मूल्य (In Bond)—इस क्वोटेशन में माल के प्रमाणित गोदाम (bonded warehouse) में जमा करने तक के सारे खर्चे शामिल होते हैं। आयातकर्ता आयात भर अदा करके प्रमाणित गोदाम से माल की सुपुर्दगी ले सकता है। बाद के सारे खर्चे उसे स्वयं अदा करने पड़ते हैं।

आयात कर माफ मूल्य (Duty paid)—इस क्वोटेशन में आयात कर अदा किये जाने के समय तक के सारे खर्चे शामिल होते हैं। आयातकर्ता को उद्दिष्ट बन्दरगाह पर, आयात कर अदा किये जाने के पश्चात, माल की सुपुर्दगी लेनी पड़ती है और बाद के सारे खर्चे स्वयं उसको करने पड़ते हैं। माल को अपने गोदाम में पहुँचाने का खर्च वही करता है।

इन मूल्यों की गणना की व्याख्या अध्याय ५७ में की गई है।

१२. माल को जहाज पर लादना

एक देश से दूसरे देश को माल पहुँचाने के लिये या तो सामुद्रिक मार्ग का सहारा लेना पड़ता है या थल मार्ग का। सामुद्रिक मार्ग को तय करने का साधन जहाज है, और थल-मार्ग में हम इक, रेल आदि का प्रयोग करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकांश भाग सामुद्रिक मार्ग द्वारा होता है और आयात या नियांत्रित किये जाने वाला माल अधिक तर जहाजों द्वारा ही आता जाता है।

जहाजी किराये का प्रसविदा (Contract of Affreightment)

यदि कोई व्यक्ति किसी बन्दरगाह को माल भेजना चाहता है, तो उसे जहाजी कम्पनी से इस काम के लिए प्रसविदा (Contract) करना पड़ता है।

निय
लदा

नि

इस

जहाज द्वारा माल ले जाने के ऐसे प्रसविदे को जहाजी किराये का प्रसंविदा कहते हैं; और जो रुपया जहाजी कम्बनी इस काम के लिये लेती है यह किराया (Freight) कहलाता है। जहाजी किराये का प्रसविदा अधिकाश में लिखित होता है। इसके दो स्वरूप होते हैं: (१) चार्टर पार्टी या नौमालक पत्र या जहाजी पट्टा (Charter Party या C/P), और (२) जहाजी बिल्टी (Bill of Lading या B/L)।

चार्टर पार्टी (Charter Party)

जब माल बड़ी मात्रा में भेजना होता है, तब पूरे जहाज को किराये पर ले लेने में सुविधा और किसायत होती है। वह रक्का जिसमें जहाज के किराये पर लेने का प्रसविदा लिखा होता है, चार्टर पार्टी (Charter Party) या जहाजी पट्टा कहलाता है। चार्टर पार्टी में तीन प्रमुख बातें दी जाती हैं: (१) वे उन्दरगाह जिनके बीच में जहाज का आना-जाना होगा; (२) ले जाने वाले माल का विमरण, (३) किराये की रकम। इनके अतिरिक्त उसमें और भी साधारण बातें जैसे माल उतारने वाले ने के लिये दिये जाने वाला समय और किराया अदा करने का ढंग आदि बातें दी रहती हैं।

चार्टर पार्टी या तो पूरे जहाज के किराये के लिये होता है या उसके एक भाग के लिये। यह एक विशेष यात्रा के लिये हो सकता है जबउसे यात्रा चार्टर (Voyage Charter) कहते हैं; या वह एक विशेष समय के लिये हो सकता है जब कि उसे समय चार्टर (Time Charter) कहते हैं।

जब चार्टर पार्टी के अन्तर्गत किराये के जहाज पर माल चढ़ाया जाता है, तब जहाजी कम्बनी हस्ताक्षर की हुई जहाजी बिल्टी (Bill of Lading) माल भेजने वाले को देती है। ऐसी दशा में, जहाजी बिल्टी केवल जहाज पर माल आ जाने की रसीद भर ही होती है, और प्रसविदे की सारी शर्तें चार्टर पार्टी या नौमालक पत्र (Charter Party) में लिखी होती हैं।

जहाजी बिल्टी (Bill of Lading)

जब भेजे जाने वाले माल की मात्रा कम होती है, तब माल भेजने वाला या

पौत्रिक (Shipper), जहाज द्वारा माल भेजता है। ऐसी दशा में जहाजी किराये का प्रसविदा जहाजी बिल्टी का स्वरूप लेता है। ऐसी दशा में जो जहाजी बिल्टी दी जाती है, वह जहाज पर लादे गये माल का स्वीकृति-पत्र तो होता ही है; साथ में उसमें वे सब शर्तें भी दी होती हैं जिन पर कि माल जहाज द्वारा ले जाया जाता है। इसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है : भेजने वाले या पौत्रिक का नाम, माल लादने का स्थान और तिथि, उद्दिष्ट बन्दरगाह का नाम, जहाज और उसके कप्तान का नाम, माल का विवरण, उसकी किस्म और अवस्था (Condition), किराये की रकम आदि। जहाजी बिल्टी जहाजी किराये का प्रसविदा है जो अन्य सामान ले जाने वाले सामान्य (general) जहाज द्वारा माल भेजने के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है। साधारणतया “जहाजी बिल्टी” शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है, चार्टर किये हुये समस्त जहाज पर माल लादने के स्वीकृति-पत्र के अर्थ में नहीं।

पाठक को अब स्पष्ट हो गया होगा कि चाहे जहाज चार्टर किया हुआ हो अथवा वह सामान्य जहाज हो, जहाजी बिल्टी का प्रयोग प्रत्येक दशा में होता है। किन्तु इस रूपके की दो किरणें हैं : (१) चार्टर किये हुये जहाज पर जब माल लादा जाता है, तो उसकी प्राप्ति-स्वीकार (acknowledgment) जहाजी बिल्टी के रूप में की जाती है ; (२) जहाजी बिल्टी जहाजी किराये के प्रसविदे की भाँति भी काम में लाई जाती है और ऐसी दशा में उसमें माल की प्राप्ति स्वीकार ही नहीं लिखी जाती प्रत्युत उसमें माल से जाने की समस्त शर्तें भी दी होती हैं। पहले अर्थ में जहाजी बिल्टी चार्टर किए हुए जहाज के सम्बन्ध में प्रयुक्त होती है और यह नौभाटक पत्र या चार्टर पार्टी की सहायक होती है, किन्तु दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग सामान्य जहाज से सम्बन्धित होता है और यह स्वयं जहाजी किराये का प्रसविदा होती है। अधिकतर “जहाजी बिल्टी” शब्द का प्रयोग जहाजी किराये के प्रसविदे के ही अर्थ में किया जाता है।

जहाजी बिल्टी माल का अधिकार पत्र (Document of Title) होती

है और इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तातरण हो सकता है। जहाजी बिल्टी धनीजोग (bearer) और नामजोग (Order), दोनों ही प्रकार की होती है। धनीजोग जहाजी बिल्टी वह होती है जिसको उद्दिष्ट अन्दरगाह पर उपस्थित करने वाले किसी भी व्यक्ति को माल सुपुर्द कर दिया जाता है। नामजोग जहाजी बिल्टी वह होती है जिसमें किसी खास व्यक्ति का नाम दिया रहता है और उद्दिष्ट अन्दरगाह पर बिल्टी के पेश करने पर माल की सुपुर्दगी उल्लिखित व्यक्ति को अर्थवा उसके द्वारा किसी अधिकार व्यक्ति को ही दी जाती है। धनीजोग (bearer) जहाजी बिल्टी का हस्तातरण केवल सुपुर्दगी या डिलीवरी देकर ही किया जो सकता है; किन्तु नामजोग (Order) जहाजी बिल्टी के हस्तातरण के निए वेचान-लेप (Endorsement) और सुपुर्दगी दोनों ही आवश्यक हैं। हस्तातरण द्वारा पाने वाले व्यक्ति का माल पर उतना ही अधिकार (title) होता है कि जिनना कि हस्तातरक (transferer) का था।

क्या जहाजी बिल्टी वेचान साध्य रुक्का होता है?

पाठकों को इस बात का आभास हो गया है कि जहाजी बिल्टी और वेचान-साध्य रुक्के (Negotiable Instrument) में बहुत कुछ समता है। वेचान-साध्य रुक्के की भाँति, जहाजी बिल्टी का हस्तातरण वेचान-लेप और सुपुर्दगी द्वारा किया जाता है, और हस्तातरण द्वारा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम से अभिनोग चला सकता है और दोषी व्यक्ति को मान्य छूट (valid discharge) भी दे सकता है। किन्तु इन समानताओं को देख कर यह नहीं समझना चाहिये कि जहाजी बिल्टी एक वेचान-साध्य रुक्का है क्योंकि इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अन्तर है। जैसा हम ऊपर बता चुके हैं, जहाजी बिल्टी के धारक (holder) का माल पर अधिकार हस्तातरक के अधिकार से श्रेष्ठ नहीं हो सकता; किन्तु वेचान-साध्य रुक्के (जैसे बिल आब एक्सचेज) का नियमानुसार धारक (holder in due course)—अर्थात् वह व्यक्ति जो सदृविश्वास के साथ, टीक-ठीक स्थरूप में, मुद्रत समाप्त होने के पूर्व ही और किसी एवज में

प्राप्त करता है—हस्तातरक के अधिकार में दोष होते हुए भी माल पर निर्दोष अधिकार प्राप्त कर लेता है। यह अन्तर बहुत महत्वपूर्ण और मार्केट का है, और इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये। क्योंकि जहाजी बिल्टी बेचान साथ रुक्के से कुछ बातों में मिलती है और दूसरी बातों में नहीं, इसलिए इसे बहुधा अर्ध बेचान-साथ रुक्का (semi-negotiable instrument) कहा जाता है।

जहाजी बिल्टी के कार्य—जहाजी बिल्टी कई कार्य सम्बन्ध करती है : (१) यह जहाज पर लादे गये माल का स्वीकार-पत्र होती है। (२) यह जहाजी किराये का प्रसंविदा होती है और इसमें माल ले जाने की समस्त शर्तें दी होती हैं। (३) यह माल का अधिकार-पत्र है जिसका धारक माल की सुपुर्दगी लेने का अधिकारी होता है, और इसका बेचान लेख और सुपुर्दगी द्वारा हस्तावरण किया जातकता है। (४) यह अृण की सिक्योरिटी (या प्रतिभूति) के रूप में जमा की जा सकती है।

भारतीय जहाजी कम्पनियाँ

यहाँ हम अपने देश की जहाजी कम्पनियों के विषय में दो शब्द कह देना आवश्यक समझते हैं। सासार के प्रत्येक देश के पास अपना निजी जहाजी बेड़ा है और यह बात उन देशों पर भी लागू होती है जिनका महत्व भारतवर्ष से बहुत कम है। किन्तु यह खेद का विषय है कि प्रथम महायुद्ध के समय तक भारत का अपना जहाजी बेड़ा या ही नहीं और उसे पूर्णतया विदेशी बेड़े पर निर्भर रहना पड़ता था। किन्तु प्रथम महायुद्ध के पश्चात् हमारे देश में स्वदेशी भावना की एक महान् लहर उठी और सेठ नरोत्तम मुरारजी ने सुप्रसिद्ध सिंधिया स्थीम नेवी-गोशन कम्पनी लिंग की नीव ढाली। आधुनिक काल में जहाजी क्लैव में यह प्रथम भारतीय प्रयास था और इसके लिए सेठ नरोत्तम मुरारजी का नाम भारतीय इतिहास में अमर रहेगा। आरम्भ में इस राष्ट्रीय संस्था को बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। शक्तिशान्ति विदेशी कम्पनियों ने अन्यायपूर्ण स्वर्धा की, जीमा कम्पनियों ने सिंधिया के जहाजों पर लादे गये माल का जीमा

नहीं किया, और विनिमय बैंकों (Exchange Banks) ने सिधिया के जहाजों पर आने जाने वाले माल के सम्बंध के बिनों का भुनाना रोक दिया। किन्तु फिर भी सिधिया कम्पनी इन सब कठिनाइयों से लड़ती रही और अन्त में उन पर रिजर्वी हुई। अब इसका जहाजी बेड़ा काफी बड़ा है और इसके जहाज प्रत्येक देश के किनारा को चूमते हैं। अब हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है और निस्सदेह शीघ्र ही हमारा राष्ट्रीय जहाजी बेड़ा बहुत शक्तिशाली हो जायगा।

६३. आयात-निर्यात-कर

जब माल विदेशी बन्दरगाह पर पहुँचता है और जहाज से उतारा जाता है, तब उस पर कर लगता है जिसका अदा करने के पश्चात् ही आयात कर्ता को माल ले जाने का आज्ञा मिलती है। क्योंकि यह कर माल के आयात पर लगाया जाता है, इसलिए इसे हम आयात-कर (Import Duty) कहते हैं। इसी प्रकार जब किसी माल का एक देश में नियात किया जाता है तब कमी-कर्मी उस पर भी कर लगाया जाता है जिसे नियर्यात कर (Export Duty) कहते हैं। यदि आयात निर्यात कर की मात्रा आधक होती है, तो माल का मूल्य बढ़ जाता है, और इससे विदेशी बाजार में बाधा पड़ती है।

आयात और निर्यात करों कि किसम

आगम, सरक्षण और अधिमान्य कर—आयात निर्यात कर कई प्रकार के होते हैं। उनके लगाने के उद्देश्य की दृष्टि से उनका बगाकरण किया जा सकता है। इस दृष्टि से वे आगम कर (revenue duties) हो सकते हैं या सरक्षण कर (protective duties)। साधारणतया सरकार उन्हें केवल आगम या आमदनी का दृष्टि से लगाती है। ऐसी दशा में इनकी दर बहुत नीची होती है और इन्हें आगम कर (Revenue Duties) कहा जाता है। इनके लगाने से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के प्रवाह में बाधा नहीं होती। जिस देश के आयात कर आगम स्वभाव के होने हैं, उसे स्वतन्त्र बाजार (free trade) बाला देश कहते हैं। किन्तु हाल में माल के आयात पर कर लगाने का उद्देश्य देशी उद्योग की रक्षा करना रहा है। उदाहरण के लिये, यदि देशी चीनी

बाजार में दस आने सेर विकती है और विदेशी चीनी नौ आने सेर, तो विदेशी चीनी पर ५% ऐसे सेर आयात कर लगा देने से भारतीय चीनी उद्योग की रक्षा हो सकती है। ऐसी हालत में विदेशी चीनी सबा दस आने सेर विकने लगेगी और देशी चीनी उससे सस्ती पड़ेगी। सरक्षण की घटिस से लगाये जाने वाले करों की दर बहुधा ऊची होती है और उन्हें संरक्षण कर (Protective Duties) कहते हैं। सरक्षण कर लगाने वाला देश सरक्षण देश कहा जाता है।

कभी-कभी किन्हीं खास देशों से आयात किये जाने वाले माल पर पूरे सरक्षण-कर नहीं लगाये जाते; उनमें कुछ कभी कर दी जाती है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश काल में भारत में जो माल ब्रिटिश एम्पायर के देशों से आया था, उस पर और देशों के माल की अपेक्षा कम दर पर आयात-कर लगाया जाता था। इसका उद्देश्य कुछ देशों के माल को अन्य देशों से अधिक मान्य (Preference) देना होता है। इसी कारण इस प्रकार के रियायती करों को अधिमान्य या रियायती कर (Preferential Duties) कहते हैं।

परिमाण-कर और मूल्य-कर—आयात-निर्यात करों का वर्गीकरण उनके ने की रीति के अनुसार भी किया जा सकता है। जब वे आयात या निर्यात किये जाने वाले माल के परिमाण (Quantity) के हिसाब लगाये जाते हैं—जैसे प्रति दन या प्रति गैलन या प्रति इतना रुपया—तब उन्हें परिमाण कर (specific duties) कहते हैं; किन्तु जब वे आयात या निर्यात किये जाने वाले माल के मूल्य के अनुसार लगाये जाते हैं—जैसे प्रति रुपये या प्रति सौ रुपये पर असुक रुपया—तब उन्हें मूल्य कर (ad valorem duties) कहते हैं। मूल्य-कर या तो स्थिर मूल्य पर अर्ओका जाता है या बाजार मूल्य पर। स्थिर मूल्य (Tariff Value) माल का वह मूल्य है जो सरकार स्वयं स्थिर कर देती है और यह मूल्य बाजार मूल्य से कम या ज्यादा हो सकता है। बाजार-मूल्य वह मूल्य है जिस पर माल बाजार में बेचा जा सकता है। माल के ठीक ठीक बाजार मूल्य का अनुमान लगाना सर्वदा सभव नहीं, ऐसी दशा में माल के बीजक वाले द्वारा एक प्रतिशत लाभ के रूप में जोड़ देते हैं, और इस योग को

बाजार मूल्य मान लिया जाता है। हमारे देश में अधिकाश आयात-निर्यात-कर मूल्य-कर हैं।

आयात नियांत-कर सूची (Tariff) आयात और निर्यात किये जाने वाले माल पर लगाये जाने वाले करों की सूची को टैरिफ़ या आयात निर्यात-कर सूची कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बस्तु है।

भारत में आयात-निर्यात-कर

हमारे देश में आयात किये जाने वाले और यहाँ से निर्यात किये जाने वाले बहुत से माल पर कर कर लगाया जाता है, जो भारत सरकार को जाता है। यह कर आगम-कर और सरदूण-कर दोनों ही प्रकार का होता है और अधिकतर मूल्यानुसार लगाया जाता है। आयात-करों की सामान्य दर १५ प्रतिशत है; किन्तु कुछ विलासिता की वस्तुओं पर और रक्षित माल पर अधिक कर भी लगाये जाते हैं। कुछ ऐसी भी वस्तुएँ हैं—जैसे पुस्तकें और खेती के औबार—जिनका आयात प्रोत्ताहित करने के लिये कर-मुक्त कर दिया गया। हमारे देश में कुछ नियांत कर भी लगाये जाते हैं जैसे जट् या सन पर।

विवेकपूर्ण संरक्षण (Discriminating Protection)

अब हम भारतीय आयात-निर्यात-कर सूची या टैरिफ़ पर कुछ प्रकाश डालेंगे। भारत कृषि-प्रधान देश है। एक समय था जब कि उसके उद्योग बहुत उन्नत अवस्था में थे, किन्तु अंग्रेजी राज्य में यन्व के बने हुए माल की स्पर्धा के कारण इन उद्योगों का विनाश हो गया। इसके पश्चात् जब भारत में ही कारखाने स्थापित करने के प्रयास किये जाने लगे, तब देशी माल का मूल्य विदेशी माल के मूल्य से अधिक होने लगा और देशी कारखानों के बन्द करने की नौबत आ गई। अतएव देशी कारखानों को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक हो गया कि विदेशी माल पर इतना आयात-कर लगाया जाय कि वे देशी माल से कम मूल्य पर न बिक पावें। दूसरे शब्दों में, संरक्षण की नीति को अपनाना आवश्यक हो गया।

यह बात स्पष्ट तो बहुत पहले ही हो गई थी, किन्तु प्रथम महायुद्ध के पश्चात् ही इसे रचनात्मक रूप दिया गया। सन् १९२१-२२ के फ़िस्कल

कमीशन (Fiscal Commission) की सिफारिशों के अनुसार यह घोषित कर दिया गया कि सरक्षण चाहने वाले उद्योग को सरकार के पास एक आवदन पत्र मेजना चाहिये। तब सरकार एक टैरिफ बोर्ड द्वारा उस उद्योग की जाँच करावेगी। यदि जाँच द्वारा यह पता लगे कि उद्योग की उन्नति बिना सरक्षण के नहीं हो सकती, उद्योग को स्थानीय सुविधाएँ प्राप्त हैं और कुछ काल बाद सरक्षण की आवश्यकता दूर हो जायगी, तो टैरिफ बोर्ड सरक्षण दे देने की सिफारिश करेगा। यह सिफारिश धारा सभा के सामने रखी जाने लगी जो इस बात का अन्तिम निर्णय करती थी। इस प्रकार प्रत्येक उद्योग को सरक्षण नहीं मिलता था किन्तु उन्हीं उद्योगों को दिया जाता था जिन्हें उसकी वास्तविक आवश्यकता होती थी। इसे विवेकपूर्ण सरक्षण (Discriminating Protection) कहा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार इस दिशा में नई नीति बना रही है।

क्वोटा (Quota), अनुप्रह (Bounty) और प्रतिरोध (Retaliation)

क्वोटा-प्रणाली—कभी कभी दो देशों में यह समझौता हो जाता है कि वे एक दूसरे के माल को निश्चित मात्रा अथवा निश्चित अनुपात में खरीद लेंगे। ऐसे समझौता को क्वोटा प्रणाली कहा जाता है। भारत जापान हाल में किये गये विदेशी व्यापारिक समझौते क्वोटा प्रणाली पर ही आधारित हैं।

अनुप्रह या बाउटी (Bounty)—कभी कभी किसी देश की सरकार यह चाहती है कि देश में किसी माल की उत्पात्ति को या देश से किसी माल के नियात को प्रोत्साहित किया जाय जिससे कि वह कुछ काल में विदेशी माल का मुकाबला करने लगे। अत सरकार बनाये जाने वाले या नियांत किये जाने वाले माल पर उसकी मात्रा के अनुसार कुछ धन पारितोषक (Reward) के रूप में देता है। इसे अनुप्रह या बाउटी (bounty) कहा जाता है। अनुप्रह या बाउटी का उद्देश्य किसी नये उद्योग या राष्ट्रीय महत्व के उद्योग को प्रोत्साहित करना होता है।

सहायता या सम्बिंदा (Subsidy)—किसी नये उद्योग को प्रोत्साहन

देने का एक और तरीका यह है कि उसके कारखानों को कुछ रकम वार्षिक रूप में कुछ समय तक दी जाय या केवल एक ही बार दे दी जाय। इसे सहायता या सब्सिडी (subsidy) कहते हैं।

प्रतिशोध या रिटेलियेशन (Retaliation)—जब कोई देश जिसी विदेश से आयात किये माल पर कोई नवा कर लगा देता है या कर की दर ऊँची कर देता है, तब दूसरा देश भी उस देश से आने वाले माल पर कर लगा देता है या आयात कर की मात्रा बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत अँग्रेजी सूती कपड़े पर आयात कर पञ्चीस प्रतिशत बढ़ा दे, तो बदाचित इंगलैण्ड भी आयात किये जाने वाले भारतीय माल उतने ही प्रतिशत से आयात-कर बढ़ा देगा। इस प्रकार प्रतिशोध के रूप में आयात-कर के बढ़ाने को प्रतिशोध (retaliation) कहते हैं।

विदेशी चुगी घर (Customs House)

प्रत्येक बन्दरगाह पर सरकार ने विदेशी चुगीघर खोल रखे हैं जिनका काम आयात-निर्यात-कर बसूल करना होता है। निर्यात किये जाने वाला माल डॉक (dock) पर तभी भेजा जा सकता है जब कि निर्यात कर चुका दिया जाय, इसी प्रकार आयात किया हुआ माल डॉक से या प्रमाणित गोदाम (Bonded Warehouse) से आयात-कर चुका देने पर ही हटाया जा सकता है।

आयातकर्ता वा निर्यातकर्ता को विदेशी चुगीघर का अधिपत्र (Warrant) भरना पड़ता है जिसमें माल का सम्पूर्ण व्यौरा देना होता है। विदेशी चुगी घर के अफसर उस व्यौरे की जांच करते हैं। यदि वे आवश्यक समझें, तो वे माल के बन्डल खुलवा कर परीक्षा भी कर सकते हैं। वे इस बात को सावधानी से देखते हैं कि आयात किये गये माल की मात्रा और उद्गम स्थान (Place of Origin) टीक टीक लिखे गये हैं। यह इसलिए किया जाता है कि आयात-निर्यात-कर पूरा पूरा बसूल किया जा सके और निर्दोष केताओं को ठगे जाने से बचाया जा सके। यदि कपड़े के थान की लम्बाई लिखी हुई लम्बाई से कम हो

या जापान में बना माल इंगलैण्ड में बना हुआ घोषित किया जाय, तो वे उचित कार्रवाई करते हैं।

माल विदेश से डाकखानों भी द्वारा आता-जाता है। ऐसी पार्सलों पर डाक खानों में ही आयात निर्यात कर बस्तु कर लिया जाता है। प्रत्येक पार्सल पर माल का पूरा विवरण देते हुये एक घोषणा पत्र चिपकाना पड़ता है, जिसके आधार पर डाकखाने वाले कर की मात्रा का हिसाब लगाते हैं। सन्देह होने पर पार्सल योला भी जा सकता है। साधारणतया ऐसा नहीं किया जाता किन्तु खासकर युद्ध काल में पार्सल योल कर देखे जाते हैं ताकि शनुन् देशों को कोई उपयोगी माल न जा सके और देश में कोई हानिकारक बस्तु आ भी न सके। हम पृष्ठ १२५ पर एक चित्र देते हैं जिसमें डाकखाने वालों को पार्सलों के खोलने पर जो वस्तुएँ युद्ध के समय में भिन्नी थीं, वे दिखाई गई हैं।


प्रमाणित गोदाम (Bonded Warehouse)

कभी कभी आयात कर्ता कुल आयात कर एकबारगी अदा नहीं करना चाहता या माल का पुनर्निर्यात करना चाहता है जिस अवस्था में उसे कर नहीं देना पड़ता। तब वह विदेशी चुगीघर के अधिकारी को इस बात का आवेदन पत्र देता है कि माल प्रमाणित गोदाम में रखवा दिया जाय। प्रमाणित गोदाम उस गोदाम को कहते हैं जिसमें आयात कर्ता आयात-कर की अदायगी तक या माल के पुनर्निर्यात के समय तक माल रखना सकते हैं।

आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विदेशी चुगीघर के अधिकारी अपनी देख रेख में माल को प्रमाणित गोदाम में रखवा देते हैं। यदि आयात कर्ता माल की सुपुर्दगी लेना चाहता है, तो वह आयात कर अदा करके माल छुड़ा सकता है। अगर वह माल का निर्यात चाहता है, तो उसे विदेशी चुगी घर के अधिकारियों को एक बाड़ मर कर देना पड़ता है और तब वे अपनी देख रेख में माल जहाज पर लदवा देते हैं।

यह आवश्यक नहीं कि प्रमाणित गोदाम सरकार की ही सम्पत्ति हो। हाँ, यदि वे किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी की सम्पत्ति हैं, तो उन्हें गोदाम सरकार के आदेश के अनुसार बनवाने पड़ते हैं। फिर उन्हें सरकार को एक बड़ी रकम का

बाड़ भी देना पड़ता है जो गोदाम के उचित प्रबन्ध का आश्वासक होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे गोदाम पर उनके स्वामियों तथा विदेशी चुन्हीधर के अधि-



Picture showing some War Discoveries by the Postal Censor

कारियों दोनों का सयुक्त नियन्त्रण रहता है। यदि प्रमाणित गोदाम से विना विदेशी चुन्हीधर के अधिकारियों के आशा के कोई माल निकाल कर आयात

कर्ता को सौंप दिया जाय, तो गोदाम के स्वामी तथा आयात कर्ता दोनों को हां भारी दण्ड देना होता है।

उद्गम का प्रमाण पत्र (Certificate of Origin)

जब एक देश किसी विशेष देश से आये हुये माल पर कम आयात कर लगाता है, तो आयात कर्ता अपने निर्यात कर्ता से यह प्रार्थना करता है कि वह अपने देश के किसी सुयोग्य अधिकारी से इस बात का प्रमाण पत्र भेज दे कि माल उसी देश में भ्रमा है। ऐसे प्रमाण पत्र को उद्गम का प्रमाण पत्र (Certificate of Origin) कहते हैं। उद्गम का प्रमाण-पत्र वह संका होता है जिसमें निर्यात किये जाने वाले माल उद्गम स्थान की घोषणा की जाती है। यह प्रमाण पत्र वीजक के पीछे लगा रहता है। वह विदेशी चुंगी घर से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि इस पर निर्यात कर्ता या उसके एजेन्ट के हस्ताक्षर हों। कुछ चैम्बर आव कामसं भी उद्गम के प्रमाण पत्र देते हैं जिन पर कि चैम्बर के मन्त्री का हस्ताक्षर होता है। यह प्रमाण पत्र उपरियत करने पर आयात कर नीची दर पर लगाया जाता है।

आयात की फिरती (Drawback)

जब आयात किये हुए माल का, जिस पर आयात कर अदा कर दिया जाता है, निर्यात किया जाता है, तो आयात कर वापस कर दिया जाता है। इसे आयात कर की फिरती कहते हैं। इस फिरती को बखूल करने के लिये व्यापारी को जहाजी बिल (Shipping Bill) के साथ एक घोषणा पत्र लगाना पड़ता है और इन कागजों को माल के निर्यात के पहले ही विदेशी चुंगीघर के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। जब माल का निर्यात हो जाता है, उसके पश्चात आशात कर की फिरती की जाती है।

उत्पादन कर (Excise Duties)

आयात निर्यात कर उत्पादन कर से भिन्न होते हैं। उत्पादन कर देश के अन्दर कुछ खास वस्तुओं की उत्पत्ति पर लगाये जाते हैं। उदाहरण के लिये, हमारे देश में चोनी, दियासलाई, गाँजा और शराब पर उत्पादन कर लगाया

जाता है। इसके विपरीत, आयात-निर्यात-कर माल के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है।

चुंगी (Octroi Duty)

मूनिसिपल बोर्ड तथा अन्य स्थानीय संस्थाएँ अपने शहर में आने वाले माल पर कुछ कर लगाती हैं, जिसे चुंगी कहा जाता है। यदि बाद को यह माल शहर के बाहर मेजा जाता है, तो चुंगी लौटा दी जाती है। किन्तु यदि चुंगी की रकम एक निश्चित न्यूनतम रकम से कम हो, तब उसकी फिरती नहीं होती।

६४. विदेशी भुगतान

विदेशी सौदे का अन्तिम सोपान विदेशी आयात कर्ता को रुपया अदा करना या विदेशी आयात-कर्ता से रुपया वसूल करना होता है। यह आयान काम नहीं है। इस सम्बन्ध में दो कठिनाइयाँ सामने आती हैं। एक तो विभिन्न देशों के चलन की विभिन्नता और दूसरी है त्वयं भुगतान का तरीका।

पहली कठिनाई बहुत तात्परि है। विभिन्न देशों के चलन अलग अलग तो होते ही हैं, साथ ही जिन दरों पर इन चलनों का अदल-बदल होता है वे भी रह-रह कर परिवर्तित होते रहते हैं। यदि विक्रेता क्रेता के चलन में भुगतान स्वीकार करने को राजी हो जाता है, तो हो सकता है कि विनियम की दर (exchange rate) उसके प्रतिकूल बदल जाय जिसके परिणामस्वरूप उसे अपने चलन में आशा से कम रकम मिले। इसी प्रकार यदि क्रेता विक्रेता के चलन में भुगतान करने के लिए तैयार हो जाता है, तो हो सकता है कि यिनि मय की दर प्रतिकूल हो जाने के कारण उसे अपने चलन में अनुमान से अधिक दूर्व्य देना पड़े। किन्तु निनियम की दर में होने वाले परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। किन्हीं दो देशों के बीच में जिनमें सौदे होते हैं, वे व्यापारिक प्रथा के अनुसार अधिकतर उनमें से एक ही देश के चलन में किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, इंग्लैण्ड और भारत के बीच में होने वाले सारे सौदे पौंड स्टर्लिंग में होते हैं।

स्वके बाले बिल (Documentary Bill)

किसी विदेशी व्यक्ति को रुपये मेजने के बईं वरीके हैं। उनमें से चर्चेष्ट तरीका इके बाले बिलों द्वारा भुगतान करने का है। यदि आयात कर्ता पर नियांत कर्ता को पूरा विश्वास है, तो वह उसे जहाजी विलटी, गीजक और ग्रीमा पत्र (Insurance Policy) संघे ही मेज सकता है और उस पर एक साथ बिल लिख सकता है। यदि आयात कर्ता विश्वत्त हुआ, तो वह बिल अवश्य स्वीकार कर लेगा। कन्तु यह प्रथा खतरे से खाली नहीं और इसलिए विदेशी व्यापार में यह अधिक प्रचलित नहीं। अधिक प्रचलित प्रथा यही है कि नियांत कर्ता आयात कर्ता पर बिल लिखता है (बिलमें वह उसे एक निश्चित रकम किसी उल्लेखित व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित किसी अन्य व्यक्ति को अदा करने का आदेश देता है), और इस बिल में जहाजी विलटी, गीजक और ग्रीमा-पत्र नहीं कर देता है। जिस बिल में वे सब इके नहीं होते हैं वह स्वके बाला बिल (documentary bill) कहलाता है। नियांत कर्ता इके बाला बिल अपने डैंक को इस आदेश के साथ सौंप देता है कि नहीं किये हुये कागजात आयात कर्ता को तभी दिये जायें जब कि वह या तो बिल स्वीकार कर ले या उसका भुगतान कर दे। इस प्रकार नियांत कर्ता को यह निश्चय हो जाता है कि बिल की स्वीकृति या भुगतान के पश्चात् ही आयात कर्ता को आवश्यक कागजात दिये जायेंगे।

१ ढी/ए बिल (D/A or Documents against Acceptance Bill)

भुगतान का पहला तरीका ढी/ए बिल वे प्रयोग के द्वाय है। बिकेता विदेशी क्रेता पर एक बिल लिखता है और उसमें ऊपर चताये गये कागजात नहीं कर देता है। फिर वह इस बिल का अपने डैंक को इस आदेश के साथ सौंप देता है कि साथ वाले कागजात आयात कर्ता को तब ही दिये जायें जब कि वह बिल स्वीकार कर ले। ऐसे बिल को ढी/ए बिल कहते हैं। बिकेता का डैंक ऐसे बिल को क्रेता के देश में स्थित अपनी शाखा या अपने एजेंट को भेज देता है जो आयात कर्ता से बिल स्वीकार करा कर उसे कागजात दे देते

है। डी/ए बिल की मुद्रत बहुधा दो या तीन मर्हीने की होती है। मुद्रत बीत जाने पर बैंक बिल को आयात-कर्ता के सामने भुगतान के लिए उपस्थित करता है जो उसका भुगतान कर देता है। जब इसका समाचार विक्रेता के बैंक को मिलता है, तब वह बिल का रूपया विक्रेता के खाते में जमा कर लेता है।

विक्रेता डी/ए बिल पर माल के निर्यात करने की तभी राजी होगा जब उसे यह विश्वास हो कि आयात कर्ता की आधिक अवश्या अच्छी है और वह ईमानदार है जिससे कि मियाद चुकने पर वह बिल का भुगतान कर देगा। यदि विक्रेता आयात कर्ता को उधार नहीं देना चाहता तो वह इस आधार पर सौदा करने को सहमत नहीं होता।

२ डी/पी बिल D/P or Documents against Payment Bill)

बच कि विक्रेता आयात कर्ता को माल उधार नहीं देना चाहता और चाहता है कि उसे कागजात कुल भुगतान कर देने पर ही सौपे जायें, तो वह आयात कर्ता पर दर्शना (demand) बिल लिखता है और उसमें आवश्यक कागजात नথी कर देता है। वह इसके बाला बिल अपने बैंक को इस आदेश के साथ देता है कि आयात कर्ता को बिल का भुगतान करने के बाद ही कागजात दिये जायें। बैंक इसके बाले बिल को, आयात कर्ता के देश में स्थित अपनी शाखा या एंजेंट को भेज देता है जो क्रेता से रूपया बसूल करके उसे कागजात सौंप देता है। बहुली का समाचार मिलने पर बैंक विक्रेता वे दाते में बिल का रूपया जमा कर देता है। ऐसे बिल को डी/पी बिल कहते हैं।

३ बैंक पर लिखा गया बिल

कभी कभी निर्यातकना, आयात कर्ता के बजाय किसी बैंक पर बिल लिखना आधिक प्रसन्न करता है, क्योंकि एक तो बैंक पर लिखे गये बिल के प्रतिष्ठित (honour) होने की अधिक सम्भावना होती है और दूसरे बैंक पर लिखा गया बिल कम बड़े पर भुन जाता है। ऐसी दशा में क्रेता अपने बैंक से इस बात का प्रबन्ध कर लेता है कि विक्रेता उस पर बिल लिखे और वह बैंक उस

बिल की प्रतिठां करे। जहाँ तक विक्रेता का सम्बन्ध है, वह बिल लिख कर और उसमें आवश्यक कागजात नहीं करके अपने बैंक को दे देता है। यह बैंक बिल को देनदार बैंक के सामने प्रस्तुत करता है। यदि यह डी/ए निल हुआ तो देनदार बैंक उसे स्वीकार कर लेता है और यदि यह डी/ली बिल हुआ तो वह उसका भुगतान कर देता है। इसके बाद साथ के कागजात उस बैंक को दे दिये जाते हैं।

५. भुगतान होने पर रुक्के सौंपना या सी/डी (Cash against Documents or C/D)

भुगतान होने पर रुक्के सौंपने या सी/डी प्रथा भी बहुत अच्छी है। अक्सर विदेशी खरीदार नकद रूपया देने को तो राजी होता है जिन्होंने वह माल रखाना हो जाने के बाद तथा आवश्यक कागजात उसके या उसके प्रतिरिक्षण के हाथ में आ जाने पर ही रूपया आदा करना चाहता है। ऐसी दशा में वह अपने बैंक के द्वारा विक्रेता के देश में वित्ती बैंक में उच्च रूपया जमा कर देता है, और आदेश दे देता है कि जब विक्रेता आवश्यक रुक्के उस बैंक को दे तभी बीजक का रूपया उसे दिया जाय।

यह प्रथा विक्रेता को बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। यदि उसे किसी विदेशी खरीदार का पहला आईर मिले और वह उससे नकद रूपया मांगे तो समझ है वह खरीदार को नाराज कर दे। साथ ही साथ वह उसे माल उधार भी नहीं देना चाहता। ऐसी दशा में भुगतान होने पर रुक्के सौंपने भी प्रथा उत्तमी यमत्था हल कर देती है।

६. विदेशी बैंक ड्राफ्ट

किसी विदेशी को विदेशी बैंक ड्राफ्ट द्वारा आसानी से रूपया प्रदा किया जा सकता है। विदेशी बैंक ड्राफ्ट एक बिल आव एक्सचेंज होता है जो एक बैंक अपनी विदेशी शाखा या किसी दूसरी विदेशी बैंक पर लिखता है और जिसमें वह उसे इस बात का आदेश देता है कि वह उसमें लिखी हुई रकम बताये गये व्यक्ति या उसके आदेशित व्यक्ति को आदा कर दे। आमतः कर्ता एक नियंत्रित रकम का बैंक ड्राफ्ट अपने बैंक से खरीद कर विदेशी विक्रेता

को भेज सकता है जिसका रूपया विक्रेता अपने बैंक द्वारा बमूल कर लेता है।

यदि खरीदार नया ग्राहक है, तो विक्रेता उसे अरुण नहीं दे सकता; और ऐसी हालत में खरीदार के आईर के साथ ही बैंक इंफट भेजना चाहिये। किन्तु यदि विक्रेता क्रेता से पुराने सम्बन्ध होने के कारण उधार देता है, तो क्रेता को अरुण की अवधि बीत जाने पर बैंक इंफट भेजना चाहिये। कभी-कभी यह भी तब होता है कि क्रेना को जैसे ही आवश्यक कागजात मिलेंगे, जैसे ही वह विक्रेता को बैंक इंफट रखाना कर देगा।

बन्धक-पत्र (Letter of Hypothecation)

यदि कोई निर्यात कर्ता आयात कर्ता पर सँकेवाला चिल लिखता है, तो उसे रूपया मिलने में कुछ न कुछ समय अवश्य लगेगा। अतः वह मुद्रती चिल को किसी बैंक से भुना लेता है या उसके ऊपर उससे रूपया उधार ले लेता है। (यदि चिल दर्शनी हुआ, तो वह बैंक को वसूली के लिये उसे दे देता है और बैंक से रूपया तुरन्त ही दे देने की प्रार्थना करता है।) ऐसी दशा में बैंक उससे एक बन्धक पत्र लिपा लेते हैं। बन्धक-पत्र बैंक को यह अधिकार देता है कि यदि चिल को अप्रतिष्ठा (dishonour) हो तो बैंक माल को बेच दे। जब कि निर्यात-कर्ता बराबर निर्यात करता रहता है और उसे बराबर बैंक से रूपया लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह भविष्य के लिये सौदों के लिये एक सामान्य बन्धक-पत्र (General Letter of Hypothecation) दे देता है।

Letter of Hypothecation

London

6th January 1956

To the Directors of the *Midland Bank, Limited,*

London

Gentlemen,

We enclose herewith 60 days' sight bill drawn by us on Messrs Smith Lombard and Sons Bombay for £ 300 and forward the following shipping documents as security

- (1) Invoice for bales of silk valued at £ 300
- (2) Insurance Policy, £ 300 and

(3) B/L for
bales marked S L per S S *Sandia* for
Bombay 1/5

London to Bombay The documents should be surrendered on the payment of the bill

In case the said bill is dishonoured, we hereby authorize you to cause the said goods to be sold on our account at our risk and subject to the usual charges for commission and all incidental expenses

Yours faithfully,
ATKINSON ATKINSON & SONS

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इन्टर कामर्स

१ विदेशी ऋणदाताओं को भुगतान करने की रातियों का वर्णन कीजिये।
(उत्तर प्रदेश, १९५३)

२ C.i.f मूल्य से क्या आशय है? कौन कौन से स्थानीय मूल्य में जोड़ा आवश्यक है जिनसे किसी विदेशी आवातकर्ता को C.i.f मूल्य

की सूचना दी जा सके ? एक उदाहरण देकर समझाइये । (उत्तर प्रदेश, १९५३)

३. जहाजी बिल्टी की परिभाषा दीजिये । इसके क्या कर्तव्य है ? बेचान-साध्य इनके की परिभाषा दीजिये और यह बताइये कि जहाजी बिल्टी इस प्रकार के रुपके से किन बालों में कम है ? (यू० पी०, १९३१, राजपूताना, १९४०)

राजपूताना, डम्टर कामसं

४. काउसलर बीजक, उद्गम का प्रमाणपत्र तथा बिल आव-लेइंग का वर्णन दीजिये तथा यह बताइये कि नियंत्रि व्यापार में उनका क्या काम होता है ? (राजपूताना, १९५३)

५. एक व्यापारी F. A. S. मूल्य क्वोट कर सकता है जिसमें माल को जहाज के किनारतक पहुँचाने का व्युत शामिल होता है । पाँच प्रकार के और मूल्य बताइये जो माल के सम्बन्ध में क्वोट किये जाते हैं, उनके साक्षर शब्द दर्जिये और बताइये कि उनका ठोक-ठीक अर्थ क्या है । (राजपूताना, १९५१)

६. कप्तान की रसीद क्या होती है ? इसमें और जहाजी बिल्टी में क्या अन्तर होता है ? यह किस अवस्था में दी जाती है ? अच्छी (Clean) और खराब (Foul) रसीद का समझाइये । (राजपूताना, १९५०)

७. रुपके वाला बिल आव एकसचेज क्या होता है ? एक काल्पनिक बिल इस प्रकार का बनाइये । (राजपूताना, १९४७)

८. चार्टर फार्डी और जहाजी बिल्टी में भद्र बताइये । प्रत्येक के क्या कर्तव्य हैं ? (राजपूताना, १९४४)

एटना, इटर कामसं

९. नियंत्रकर्ता अपने माल के मूल्य का भुगतान विदेशों से कैसे प्राप्त करता है ? (पटना, १९५३)

१०. इन्डेट, जहाजी बिल, तथा बन्धक-पत्र (Letter of Hypothecation) पर डिप्पणी लिखिये । (पटना, १९५३)

११. क्या जहाजी बिल्टी और चार्टर पाठा एक ही चीज है ? प्रत्येक के कर्तव्यों की विवेचना कीजिये । (पटना, १६४६ पूरक)

१२. आप आधात-निर्यात कर से क्या समझते हैं ? इन करों के लगाने की विभिन्न रीतियाँ प्रताहस्ये । (पटना, १६४८ पूरक)

१३. देश के यागिष्ठ म बिल आब एक्सचेन्ज का क्या महत्व होता है ? विदेशी बिल आब एक्सचेन्ज का एक उदाहरण दीजिये । (पटना, १६४८)

१४. विदेशी भुगतान के विभिन्न तरीके क्या हैं ? किन्हीं दो की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए । (पटना, १६४८)

१५. आयात निर्यात-कर की मात्रा किस प्रकार निर्धारित की जाता है ? माल के मूल्य का सही अनुमान करने के लिये किन उपारों को काम में लाया जाता है ? (बिहार, १६४६)

सागर, इन्टर कामसं

१६. यदि एक व्यापारी अपना माल दूसरे देश में बेचना चाहता है, तो ऐसे उपकरण को आरम्भ करने के पूर्व कौन सी प्रारम्भिक जानकारी आवश्यक है ? माल निर्यात करने की पद्धति संखेप में समझाइये । (सागर, १६५५)

१७. जहाजी बिल्टी क्या होती है ? इसका कौन और कब निर्गम करता है ? इसमें क्या न्यौसा दिया रहता है ? (सागर, १६५१)

नागपुर, इन्टर कामसं

१८. (अ) जहाजी बिल्टी क्या होती है ? क्या यह रक्कों का अधिकार-यत्र होती है ? यदि हाँ, तो इसमें क्या गुण होते हैं ? (आ) जहाजी बिल्टी को किस सीमा तक बेचानसाथ रक्का कहा जा सकता है ? (नागपुर, १६५५)

बनारस, इन्टर कामसं

१९. जहाजी बिल्टी की परिभाषा दीजिये । यह क्या कर्तव्य सम्बन्ध करती है ? (बनारस, १६४८)

दिल्ली, हायर सेकिंडरी

२०. जहाजी चिल्टी और चार्टर पार्टी का अन्तर बताइये। क्या जहाजी चिल्टी बेचानसाथ रक्का होती है? (दिल्ली, १९५१)

२१. निम्नलिखित का अर्थ बताइये : (अ) प्रवेश विल, (आ) उत्पादन कर, (इ) सपत्र विल, (ई) अच्छी जहाजी चिल्टी। (दिल्ली, १९५०)

२२. निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिये : (अ) प्रवेश विल (Bill of Entry); (आ) उत्पादन कर; (इ) रक्केवाला विल; (ई) अच्छा चिल (Clean Bill)। (देहली, हायर सेकिंडरी, १९४८)

२३. निम्नलिखित का अर्थ बताइये F. O. B.; B/L; C. I. F., Ad valorem, and specific duties. (देहली, हायर सेकिंडरी, १९४७) मध्यभारत, इन्टर कामर्स

२४. “F. O. B. मूल्य की ओपेंक्वा C. I. F. मूल्य पर माल खरीदने में अधिक लाभ होता है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ, तो किर व्यापारी F. O. B. मूल्य पर माल क्यों खरीदते हैं? यदि नहीं, तो मतभेद के कारण बताइये। (मध्यभारत, १९५२)

उस्मानिया, इन्टर कामर्स

२५. निम्नलिखित के अन्तर उदाहरण सहित बताइये : (अ) आयात नियंत कर और उत्पादन-कर, (आ) परिमाण-कर और मूल्य कर। (उस्मानिया, १९५२)

अध्याय ४२

निर्यात व्यापार

अब हम देश से माल के निर्यात करने की रीति का अध्ययन करेंगे। हमारे यहाँ से अधिकतर कच्चा या अधपका माल बाहर जाता है, यद्यपि पक्के माल का निर्यात इधर कुछ समय से बढ़ चला है। माल के निर्यात के दो माध्यम हैं :

(१) निर्यात या कमीशन एजेंट—सब महत्वपूर्ण बन्दरगाहों पर निर्यात एजेंटों के दफ्तर स्थापित हैं, जिनका काम विदेशों से आये हुये भारतीय माल के आईंरा को पूरा करना है। कुछ विदेशी फर्म भारतीय माल बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, अतः खरीदारों के लिए यह हमारे देश में अपनी शाखायें लोले हुये हैं। प्रत्येक दशा में ऐसे फर्मों या शाखाओं के एजेंट देश के विभिन्न भागों में थूमते-फिरते हैं और जहाँ भी माल का भाव सबसे सस्ता होता है, वे माल वहाँ से खरीद कर फर्म या शाखा को मेज देते हैं जो माल को विदेशी आईंरों के अनुसार विदेशों को रखाना कर देते हैं।

(२) भारतीय व्यापारी—कभी-कभी विदेशी व्यापारी बड़े-बड़े भारतीय कारखाने वाले या योक विक्रेताओं के पास सीधा आईंर मेज देते हैं। भारतीय व्यापारी ऐसी दशा में माल को बिना निर्यात एजेंट के माध्यम के द्वारा विदेशों को निर्यात कर देते हैं।

विदेशी सौदे की वास्तविक गतिविधि (course) के अध्ययन के लिए पाठकों को अध्याय ४० में दिये हुये दो चित्रों को सावधानी से मनन करना चाहिए।

मात्र लीजिये अहमदाबाद के कपास के व्यापारी तथा निर्यात एजेंट श्री

रामचन्द्र खूबचन्द्र को लङ्घाशायर के मैसर्स एटकिसन एण्ट एटकिसन के पास कपास का निर्यात करना है। कपास के निर्यात की निम्नलिखित गतिविधि होगी।

१ इन्डेण्ट (Indent)

श्री रामचन्द्र खूबचन्द्र मैसर्स एटकिसन एण्ट एटकिसन के इडेंट मिल जाने के पश्चात् ही कपास का निर्यात करेंगे। लङ्घाशायर का फर्म इडेंट भेजने के पहले पत्र या केबिलग्राम द्वारा अहमदाबाद के फर्म से समर्त आवश्यक गते तय कर लेगा, और जब सब बातें तय हो जायेंगी तभी वह उचित रूप में इडेंट लिप कर अहमदाबाद के फर्म को भेजेगा। यदि दोनों फर्मों में व्यापारिक सम्बन्ध पुराने हैं और वे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो इन्डेंट जिना किसी पूर्व पत्र व्यवहार के भी भेजा जा सकता है। ऐसी दशा में जम अहमदाबाद का फर्म लङ्घाशायर के फर्म के आर्डर की स्वीकृति लङ्घाशायर भेज देता है, तब प्रसविदा (Contract) लागू हो जाता है। इडेंट आने पर यदि कोई इस विषय पर पहले पत्र व्यवहार हुआ हो तो वह उससे मिलान करके यह जाँच करेगा कि इडेंट में मूल्य आदि ठीक ठीक लिखे गये हैं।

इडेंट—यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इडेंट वास्तव में क्या है। कुछ लोगों की धारणा है कि इडेंट आर्डर का दूसरा नाम है, किन्तु यह धारणा निर्मल है। वास्तव में इडेंट किसी माल को खरीदने के लिए दिए गए आदेश का कहते हैं, अधिकतर और यह कमीशन एजेंट को दिया जाता है। इडेंट का सरल निश्चित नहीं होता और उसमें काफी परिवर्तन पाये जाते हैं। इडेंट की दो या तीन नकलें निकाली जाती हैं जिनमें से एक आयात-कर्ता अपने पास रप लेता है। इडेंट या तो बन्द होता है या खुला। जब कि इडेंट म माल का विवरण, उनका मूल्य तथा अन्य सब आवश्यक बातें पूरे तौर पर दी होती हैं, तब इडेंट को बन्द (Closed) इडेंट कहते हैं। किन्तु जब कि इडेंट कुछ बातें निर्यात कर्ता के ऊपर छोड़ देता है, तब उसे खुला (Open) इडेंट कहते हैं। खुले इडेंट में, उदाहरण के लिए, केवल माल की किम्त और मात्रा ही लिखी हो सकती है और शेष समस्त बातें विक्रेता

पर छुड़ा जा सकती हैं। यह भी हा सकता है कि माल का मूल्य विकेता द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात् हा माल भेजने का आदेश दिया गया हो अथवा मूल्य की ऊपर वाली और नीचे वाली सीमाएँ बता दी गई हो। हाल में बन्द इडेन्ट का रिवाज नहुत लोकप्रिय हो गया है।

२. नियंत आशा पत्र की प्राप्ति

इडेन्ट मिलने पर श्री रामचन्द्र खूबचन्द्र (नियंत कर्ता) एक पत्र नियंत नियंत्रक (Controller of Exports), वाणिज्य मन्त्रित्व, भारत सरकार, नई दिल्ली, को लिखेंग जिसमें सूचित करेंगे कि उन्हें माल का इडेन्ट मिला है और इसलिए उन्हें नियंत का आशा पत्र दिया जाय। जिना ऐसे आशा पत्र या परमिट के नियात निपिद्ध है। जब उन्हें नियंत आशा पत्र मिल जाय, तब ऐसे लकाशापर का माल नियात करने के लिए और काम करगे।

सभारण समय में व्यापारी जिस देश को चाहें माल का नियंत कर सकते हैं और इसके लिए सरकार से आशा पत्र या परमिट लेना आवश्यक नहीं होता। किन्तु द्वितीय महायुद्ध के समय में माल की बहुत कमी थी और यह भी देसना आवश्यक था कि माल किसी शुद्ध राष्ट्र की नियंत न हो। अब नियंत नियन्त लगाया गया। यह नियंत्रण अब भी जारी है। भारत से नियंत करने वाले को चाहिए कि वह पहले ही नियंत आशा पत्र प्राप्त कर से जिससे कि नाद को कोई न कठिनाई पड़े और बेकार तुकड़ान न उठाना पड़े।

३. माल एकप्रिय रखना

यदि आडर ठीक है, और नियंत आशा पत्र मिल गया है, तो नियंत एंजेंट आनंदश्यक माल एकप्रिय करना आरम्भ कर देगा। यदि माल उसके स्टाक में होगा तो वह उसे छूँ¹ छूँट कर एक छलग स्थान पर पैकिंग के लिये रख देगा। जो माल स्टाक में नहीं होगा, वह स्थानीय या बाहर के व्यापारियों से मँगा लिया जाएगा। आजकल के घोर सर्पों के सुग में अधिकतर वहे बड़े कमीशन एजेन्ट विशेषज्ञों को रखते हैं जिनको माल, उनके बनाने वालों, उनकी

किसमें और उनके सरते मिलने के स्थानों के विषय में विस्तृत ज्ञान होता है। ये विशेषज्ञ ही इस बात का निर्णय करते हैं कि माल कहाँ से खरीदा जायगा। जब सब माल एकत्रित कर लिया जाता है, तब इंडेन्ट से मिला-मिला कर यह जाँच कर ली जाती है कि उनकी किसम और मात्रा आदि ठीक हैं।

४. दिखावट, पैकिंग और चिन्ह

जब माल नियांत के लिये एकत्रित कर लिया जाता है, तब यदि आवश्यक हुआ तो उनकी विशेष प्रकार से सजावट और दिखावट (make-up) की जाती है यदि विक्रेता ने इस सम्बन्ध में कोई आर्डर दिया हो, तो उसका पालन करना आवश्यक है। सजावट नियांत-कर्ता स्वयं ही कर सकता है। यदि माल कहाँ बाहर से खरीदा गया हो और सजावट करने के लिये साथ में आदेश दिया गया हो, तो माल आने पर इस बात की जाँच कर लेनी चाहिये कि इन आदेशों का पूर्णतया पालन हुआ है।

एकत्रित किये गये माल का सावधानी से पैकिंग करना चाहिये; और यदि इंडेन्ट में इस विषय पर कोई आदेश दिया गया हो, तो उसका भी पूरा-पूरा पालन करना चाहिये। यदि कोई निश्चित आदेश न हो, तो नियांत-कर्ता को स्वयं अपनी दुष्टि से काम लेना चाहिये। यदि पैकिंग की खराकी के कारण माल को हानि पहुँचे तो हो सकता है नियांत-कर्ता को उसका उत्तरदायी लहराया जाय। अतः उसका इस दिशा में सावधान रहना आवश्यक है।

लक्षाशायर जाने वाले कपास की गाँठों पर चिन्ह भी ढालने होंगे। यदि इंडेन्ट में किसी खास चिन्ह के ढालने का आदेश दिया गया हो, तो वही चिन्ह ढालना आवश्यक है; अन्यथा किसी भी सफ्ट चिन्ह के ढालने से काम चल सकता है। चिन्ह में क्या क्या होना चाहिये, यह हम पहले ही बता सुके हैं।

५. माल लदाने वाले एजेन्ट (Forwarding Agent) की नियुक्ति

इसके पश्चात् अहमदाबाद का फर्म इस बात का प्रबन्ध करेगा कि कोई व्यक्ति माल की टिलीवरी बम्बई रेलवे स्टेशन से लेकर बम्बई के डॉक तक पहुँचा दे और फिर उन्हें जहाज पर लदा भी दे। यदि फर्म कोई अपना

प्रतिनिधि इस काम के लिये बम्बई भेजे, तो इसमें खर्च बहुत पड़ेगा और इसमें कठिनाई भी अधिक होगी। अतः अच्छा यह होता है कि यह काम लदाने वाले एजेन्ट को सौंप दिया जाय जो थोड़ा सा कमीशन लेकर इस काम को मुच्चाह रीति से सम्पन्न कर देते हैं। यदि निर्यात-कर्ता बन्दरगाह के शहर म ही रहता हो, तब भी माल लदाने वाले एजेन्ट की नियुक्त से बहुत सुविधा हो जाती है।

६. माल को बन्दरगाह वाले शहर भेजना

माल का पैकिङ हो जाने और लदाने वाले एजेन्ट की नियुक्ति हो जाने के पश्चात् अहमदाबाद वाला फर्म माल को रेल द्वारा बम्बई भेजेगा। चिल्टी, साधारणतः भेजने वाले (अर्थात् अहमदाबाद वाले) फर्म के नाम में ही ली जाती है जो उस पर लदाने वाले एजेन्ट के हक से बेचान लेत (endorse) लिख देगा। फिर वह चिल्टी को एक पत्र के साथ लदाने वाले एजेन्ट के पास भेज देगा। पत्र में माल के जहाज पर लदाने के सम्बन्ध में पूरे पूरे आदेश दिये होंगे। इसके पश्चात् माल के जहाज पर लादने का सारा काम माल लदाने वाला एजेन्ट हा करता है।

७. विदेशी चुन्नी-घर का परमिट (Permit)

माल की डिलीवरी लेने के बाद माल लदाने वाला एजेन्ट विदेशी चुन्नी घर के अधिकारियों से माल के निर्यात करने की आशा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजेगा। वह पत्र म माल का पूरा विवरण देगा और माल का उद्दिष्ट स्थान भी बतावेगा। यदि उस माल के उस बन्दरगाह को निर्यात करने पर निषेध नहीं है, तो विदेशी चुन्नी घर निर्यात करने की आशा दे देगा। ऐसे लिखित आशा पत्र को विदेशी चुन्नी-घर का परमिट (Customs Permit) कहते हैं।

विदेशा चुन्नी-घर के परमिट की आवश्यकता इसलिये होती है कि कभी-कभी किसी माल के किसी खास देश को निर्यात करने की मनाही कर दी जाती है। युद्धकाल में ऐसे नहुत से निषेध होते हैं। वास्तव में निर्यात कर्ता को बन्दरगाह के शहर को माल खाना करने के पहले ही इस बात का पता लगा

लेना चाहिये कि उस माल के निर्यात की आज्ञा है या नहीं। यदि वह बराबर निर्यात करता रहता है, तो कदाचित् उसे इस बात का ज्ञान होगा ही। यदि वह यह भी न जानता हो तो माल लदाने वाले एजेंट को, जो इस काम में विशेषज्ञ हैं, इस बात का निश्चय ही ज्ञान होगा। फिर भी निर्देशी चुक्कीधर का परमिट माधारणतया अवश्य ही ले लिया जाता है।

८. जहाज द्वारा माल भेजने का प्रबन्ध करना : जहाजी आर्डर

इसके पश्चात् दूसरा काम यह है कि किसी जहाजी कम्पनी से उद्दिष्ट घन्दरगाह तक माल ले जाने का प्रबन्ध किया जाय। यदि निर्यातकर्ता ने किसी खात जहाजी कम्पनी का नाम इस विषय में दिया हो, तो माल उसी कम्पनी द्वारा भेजना चाहिये। किसी विशेष आदेश की अनुपस्थिति में माल लदाने वाले एजेंट को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिये और ऐसा जहाज चुनना चाहिये जो सुरक्षित हो और साथ में जिसका किराया भी कम हो। जहाज द्वारा माल भेजने का प्रबन्ध दलाल के द्वारा भी किया जा सकता है और सीधे भी। दलाल अपनी सेवा के पुरस्कार के रूप में थोड़ा कमीशन लेता है; किन्तु उसे इस सम्बन्ध में विशिष्ट और विस्तृत जानकारी द्वाने के कारण, वह माल भेजने का प्रबन्ध किफायत से कर देता है।

यदि जहाजी कम्पनी माल ले जाने के लिये राजी होती है, तो वह एक दस्तका देती है जिसे जहाजी आर्डर (Shipping Order) कहते हैं। जहाजी आर्डर जहाज के कस्तान को दिया जाने वाला आदेशपत्र होता है जिसमें उसे कथित माल को जहाज पर लदाने का आदेश दिया रहता है। बिना जहाजी आर्डर के दिखाये कस्तान जहाज पर माल नहीं लादने देगा।

जहाजी आर्डर दो प्रकार के होते हैं : तैयार (ready) और अग्रिम (forward)। तैयार जहाजी आर्डर वह होता है जिसमें कि माल ले जाने वाले जहाज का नाम लिखा रहता है। अग्रिम जहाजी आर्डर में जहाज का नाम नहीं लिखा रहता—यह नाम बाद में घोषित किया जाता है—किन्तु उसमें जिस तारीख तक माल घन्दरगाह से रखाना कर दिया जानगा वह तारीख लिखी रहती है।

जहाजी आईर मिल जाने पर समझौता (agreement) लागू हो जाता है और फिर माल भेजना आवश्यक हो जाता है। यदि किसी कारण से भाल न भेजा जा सके, तो जहाजी कम्पनी फिर भी इस बढ़ह पर किराया वसूल कर सकती है कि वह इसके बजाय और माल नहीं ले जा सकी। ऐसी दशा में जो किराया चिना माल भेजे अदा करना पड़ता है, उसे मृत किराया (dead freight) कहते हैं।

८. निर्यात-कर: जहाजी बिल (Shipping Bill)

जब जहाज द्वारा माल भेजने का प्रबन्ध कर लिया जाय, तब निर्यात-कर भुगतान कर देना चाहिये। इसके लिये माल लदाने वाले एजेन्ट को जहाजी बिल या विदेशी चुन्डीघर के चालान की तीन प्रतियाँ भरनी पड़ती हैं। जहाजी बिल की तीनों प्रतियाँ अलग-अलग रग में छपी रहती हैं जिससे वे एक दूसरे से पृथक् दिपाई पड़ती हैं। जहाजी बिल में दिये हुये कपन के आधार पर विदेशी चुन्डीघर वाले निर्यातकर वसूल करते हैं। वे जहाजी बिल की एक प्रति अपने पास रख लेते हैं और शेष दो माल लादने वाले एजेन्ट को देंदेते हैं। जो प्रति विदेशी चुन्डीघर में रह जाती है, वह वहाँ के हिसाब की जाँच के लिये काम में आती है और उसके आधार पर देश के सामूहिक व्यापार सम्बन्धी ऑफिस भी सकलित किये जाते हैं। हम पृष्ठ १४४-१४५ पर जहाजी बिल का नमूना देते हैं।

निर्यात किये जाने वाले माल या तो मुक्त (Free) होते हैं या कर-देय (dutiable) या तटीय (Coastal)। मुक्त माल वह होता है जिस पर कोई निर्यात-कर नहीं लगाया जाता, कर-देय माल वह होता है जिस पर निर्यात-कर लगता है; और तटीय माल वह होता है जो एक भारतीय बन्दरगाह से दूसरे भारतीय बन्दरगाह को भेजा जाता है। मुक्त, कर-देय और तटीय माल के लिये अलग-अलग प्रकार के जहाजी बिल काम में लाये जाते हैं।

९०. डॉक चालान (Dock Chalan)

माल लदाने वाला एजेन्ट फिर माल को डॉक पर भिजवाने का प्रबन्ध करेगा। इसके लिए डॉक के अधिकारियों की पहुँच से आशा लेना आवश्यक

होता है। इसके लिये माल लदाने वाले एजेन्ट को डॉक चालान की दो प्रतियाँ भरनी पड़ती हैं। डॉक का खर्चा (dock dues) दे देने पर चालान की दूसरी प्रति एजेंट को दे दी जाती है। इसके बाद माल डाक पर भेजा जा सकता है। माल लदाने वाले एजेन्ट को, डॉक के अधिकारियों को जहाजी आर्डर (जिसे जहाजी कम्पनी देती है) की एक प्रति और जहाजी बिल (जिसे विदेशी चुगी पर वाले देते हैं) की एक प्रति भी देनी पड़ती है जिससे कि वे माल को जहाजी पर लदवा दे। जहाज पर माल लदवाने का काम डॉक के अधिकारी ही करते हैं।

११. माल का लादना

बच जहाज माल लादने के लिये तैयार होता है, तब उस पर माल लादना शुरू कर दिया जाता है। इस समय वहाँ चुगीघर के जाँच करने वाले अधिकार (Customs and Preventive Officers) उपस्थित रहते हैं जो माल को तभी लादने देते हैं जब कि उन्हें जहाज बिल दिया दिया जाता है। वे केवल उतना ही माल लादने देते हैं जितना कि जहाज बिल में लिखा रहता है। जहाज के कप्तान को जहाजी आर्डर मी दिलाना पड़ता है क्योंकि उसे बिना देखे वह जहाज पर माल नहीं लादने देता।

—

१२. कप्तान की रसीद (Mate's Receipt)

माल के लद चुकने के बाद जहाज के अफसर डॉक के अधिकारियों को लादे गये माल की प्राप्ति स्वीकृति के रूप में एक रसीद देते हैं। इसे कप्तान की रसीद कहते हैं। कप्तान की रसीद में पैकिंग की दशा भी लिखी रहनी है। यदि पैकिंग संतोषजनक हो तो रसीद अच्छी (clean) कहलाती है; किन्तु यदि पैकिंग दूषित हो, तो रसीद खराच (foul) कही जाती है। माल लदाने वाले एजेन्ट को जहाजी अफसर के ऐसे लेख से विपरीत मत जाहिर करने या उससे सहमत होने के लिए वहाँ उपस्थित रहना चाहिये।

१३. जहाजी बिलटी (Bill of Lading)

इसके पश्चात् माल लादने वाले एजेन्ट को डॉक के अधिकारियों से कप्तान की रसीद ले लेनी चाहिये और उसे लेकर जहाजी कम्पनी के दफतर में जाना चाहिए। वहाँ उसे मुद्रित जहाजी बिलटी के फार्म निर्मल्य मिलेंगे। उसे उन्हें

व्यापारिक पद्धति और यज्ञ

SHIPPING BILL FOR DUTIABLE GOODS
Port Bombay
Exporter's Name _____ ORIGINAL Signature _____
Address _____

Name of Vessel	Master or Agents	Colours	Port at which goods are to be discharged	Remarks		
Packages	Details of goods to be given separately for each class or description					
Number and Description	Mark and Numbers	Quantity	Description	Value	Duty	Country of Final Destination
		Unit / Amount	Rate	Amount	Rate	Amount
				Rs a, P	Rs a P	
Entered No 19	Cashier	I/we hereby declare the particulars given above to be true Signature of Exporter or his Authorised Agent Let Export after examination and weighment Bombay, 19				

Assistant Collector of Customs

19

N B.—Export Shipping Bills shall be presented by shippers in duplicate

The original of this will be taken with the first boatload of each consignment to the ship and delivered to the master who will keep it until the loading of the vessel is completed and at the time of applying for Port Clearance deliver all such Export Shipping Bills duly endorsed, to his having received on board the quantity covered by these Bills with the Export Manifest in Duplicate as usual

The Duplicate will remain in the Customs House

Vessel's name may be altered	Vessel's name may be altered
------------------------------	------------------------------

Fee one Rupee

195 Assistant Collector	195 Assistant Collector
-------------------------	-------------------------

Fee Received

Fee Received

Cashier

Cashier

After check with the original

Entry for

Fresh one may be granted to

The portion shut out are not shipped

Fee one Rupee

195	Assistant Collector
-----	---------------------

No.

FOR MEASUREMENT AT BUNDER AND COLLECTION OF MEASUREMENT FEE

Bombay	195	Rs a p
--------	-----	--------

Measurement Fee on	Bales on
--------------------	----------

Signed

Measurement Fee Clerk
Contents received on board

Signature

Master of the Vessel

भर कर कप्तान की रसीद के साथ दफ्तर में दे देना चाहिये। यदि किराया पेशागी देना है, तो उसे किराया भी अदा कर देना चाहिये। जहाजी कम्पनी का दफ्तर किराया अदा करने पर (यदि किराया पेशागी देना हो तब) कप्तान की रसीद ले लेगा और जहाजी बिल्टी की सब प्रतियों पर हस्ताक्षर करके माल लदाने वाले एजेंट को दे देगा। साधारणतया जहाजी बिल्टी की कई प्रतियाँ ली जाती हैं। प्रत्येक प्रति पर एक आने का टिकट होना आवश्यक है।

कप्तान की रसीद में पैकिङ के विषय में जो भी लेख लिखा रहता है उसकी नकल जहाजी बिल्टी पर उतार दी जाती है किन्तु यदि कोई कप्तान की खारब रसीद के बदले में अच्छी जहाजी बिल्टी प्राप्त करना चाहे, तो उसे ज़तिपूर्ति का बंधक पत्र (Indemnity Bond) भर कर देना पड़ता है।

१४. सामुद्रिक बीमा

यदि अहमदाशाद के फर्म ने माल लदाने वाले एजेंट को माल का सामुद्रिक बीमा कराने का आदेश दिया हो, तो उसे बीमा भी करा देना चाहिये। यदि इस विषय में निर्यातकर्ता किसी तास बीमा कम्पनी का नाम बताये, तो बीमा उसी कम्पनी से कराना चाहिये। अन्यथा एजेंट को अपने विवेक से काम लेना चाहिये और ऐसी कम्पनी चुननी चाहिये जो अच्छी भी हो और जिसके साथ बीमा कराने में किफायत भी हो। माल, लदाने वाले एजेंट को माल के मूल्य में दस प्रतिशत लाभ के लिए जोड़ देना चाहिये और पोग की रकम के लिए बीमा कराना चाहिये। आवश्यक प्रीनियम अदा कर देने पर बीमा कम्पनी सामुद्रिक बीमा-पत्र देती है।

१५. माल लदाने वाले एजेंट की सूचना

अब माल लदाने वाले एजेंट को जो कुछ काम करना था, वह उसके द्वारा सम्पन्न हो चुका। अब उसने निर्यातकर्ता के लिए जो कुछ भी कर्या व्यय किया है, उसका वह एक लेख बनायेगा और उसमें अपना कमीशन भी जोड़ देगा। वह इस लेख को और उसके साथ जहाजी बिल की दो प्रतियाँ, दोक चालान जहाजी बिल्टी का दो या तीन प्रतियाँ और बीमा-पत्र निर्यातकर्ता के पास भेज

देगा। निर्यातकर्ता ये सब कागज मिलने पर माल लदाने वाले का दिल चुका देगा।

१६. निर्यात बीजक

अब निर्यातकर्ता मेजे गये माल का बीजक तैयार करेगा। निर्यात बीजक बनाने की वास्तविक रीति हम अगले अध्याय में बतायेगे। बीजक की दो या तीन प्रतियाँ तैयार की जाती हैं।

व्यापार-दूत द्वारा प्रमाणित बीजक (Consular Invoice)—
कुछ देशों के क्रेताओं को व्यापार-दूत से प्रमाणित बीजक मेजना आवश्यक होता है। व्यापार-दूत विदेश में रहने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण अफसर होता है, जिसका कर्तव्य अपने देश के व्यापारिक हितों की रक्षा करना होता है। व्यापार-दूत से प्रमाणित बीजक प्राप्त करने के लिये निर्यातकर्ता को उसके दफ्तर से मुद्रित बीजक के तीन फार्म लेने पड़ते हैं। इन तीन फार्मों में उसे माल का पूरा पूरा विवरण देना पड़ता है और वहाँ के अधिकारियों के सामने यह भी घोषणा करनी पड़ती है कि उसके सारे कथन सत्य हैं। फिर उन पर व्यापार-दूत हस्ताक्षर कर देता है। व्यापार-दूत बीजक की दो प्रतियाँ अपने पास रख लेता है और एक प्रति निर्यातकर्ता को दे देता है। इसी को व्यापार दूत द्वारा प्रमाणित बीजक कहते हैं। निर्यातकर्ता यह बीजक क्रेता के पास मेज देता है। राजदूत बीजक की एक प्रति अपने देश के विदेशी चुंगीघर के अधिकारियों को मेज देता है जो उसके आधार पर माल के आने पर उन पर आनात कर लगाते हैं।

उद्गम का प्रमाण-पत्र (Certificate of Origin)—कुछ देशों से आने वाले माल पर कभी-कभी कुछ कम कर लगाया जाता है। ऐसी दशा में आयातकर्ता निर्यातकर्ता से उद्गम का प्रमाण-पत्र में गा लेता है। यह प्रमाण-पत्र तैयार करके किसी चैम्बर आब कामर्स के मन्त्री से अथवा अन्य किसी अधिकारी व्यक्ति से हस्ताक्षर करा लेना चाहिये और अन्य कागजातों के साथ आयातकर्ता के पास मेज देना चाहिये।

१७ भुगतान

अब निर्यातकर्ता, अर्थात् अ रामचन्द्र सूदचन्द्र, को लङ्गाशाहर के फर्म से इयरा पाना अनशेष रहा। भुगतान का तरीका दोनों पक्षों के समझौते के ऊपर निर्मार होता है। यदि भुगतान डी/री विल के द्वारा होना हो, तो निर्यातकर्ता सङ्काश पर के फर्म पर यिन लिखेगा और उसमें सब जहाजी कागजात न-धी कर दगा। वह रक्कें जाने पिन का किसी यिनिमय बैंड को दे देगा और उसे वह आदेश दे देगा कि जब अबल का भुगतान हो जाय तभी कागजात दिये जावें। इस बैंड की रिदेश गाया या एजेंट इस आदेश का पालन करेगा अर्थात् रक्त मिलने पर कागजात आयातकर्ता को दे देगा। अपनी शाला या एजेंट से रक्त पाने की मूल्यनाप्राप्त होने पर वैंक निर्यातकर्ता के हिसाब में उतना रुपया जमा कर लेगा।

१८. क्रेंगा को सूचना

निर्यातकर्ता अपने वैंक को रक्के वाला विल दे देने के पश्चात् लकाशाहर के फर्म का एक पत्र लिखेगा कि माल रखाना कर दिया गया है और उस पर एक विल दिया गया है। इस सूचना-पत्र के साथ निर्यात बीजक की एक प्रति भी भेजी जाती है।

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इन्टर कार्मसे

१. कानपुर का एक व्यापारी लदन के एक व्यापारी को ५०० चोरा शक्कर का निर्यात करना चाहता है। इस माल के निर्यात की रीति का संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिये और उन सब मुख्य पत्रों के नाम लिखिए जिन्हें निर्यात व्यापारी प्रयोग करेगा। (उत्तर प्रदेश, १६५२)

२. यदि आपको रई का इगलैण्ड को निर्यात करना हो, तो आप किस रीति का पालन करेंगे? सौदे की गणिविधि में जिन रक्कों का प्रयोग होगा उनको बताइये। (यू० पी०, १६४६, १६५७)

३. यदि प्राप्त आद्वेलिया को तिल का निर्भात करना चाहें, तो आप जिस रीति का अनुगमन करेगे उसका वर्णन कीजिये। (यू० पी०, १६४८)

४. कानपुर के एक नियन्त्रिकर्ता फर्म को कुछ माल का इडेट दर्वन से मिला है स्पष्ट हप स बताइये कि इस आर्डर की प्राप्ति के समय से माल बहाज द्वारा भेजने के समय तक उसे किस रीति का अनुगमन करना पड़ेगा। (यू० पी०, १६४४)

राजपूताना, इन्टर कामसे

५. व्यापार दूत द्वारा प्रमाणित बोलक (Consular Invoice), उद्गम का प्रमाण दत्र (Certificate of Origin) और बहाजी बिल्टी (Bill of Lading) का समझाइये और यह भो बताइये कि निर्यात व्यापार में उनका क्या हाथ होता है ? (राजपूताना, १६५३)

६. सर्वधी गुरुता एसड सस ने मैनचेस्टर के एक फर्म को ६० गाँठ कपास का निर्यात किया है। माल के नियाव करने में वे जिस विधि का पालन करेंगे उसका साक्षत व्यापार दानिये आर उन मुख्य पत्रों के नाम गिनाइये जिनका निर्यातकर्ता प्रयोग करेंगे। (राजपूताना, १६५१)

७. अहमदाबाद के अनन्तराम ने मैनचेस्टर के एक फर्म का कपास की साठ गाँठ का नियात किया है। निर्यात करने की रीति का वर्णन कीजिये और इस सोदे में जो प्रमुख रक्त प्रयुक्त हुए हाँ उनको भी बताइये। (राजपूताना, १६४६)

८. ब्रम्हवं वेस्टर्न ट्रेटिंग कम्पनी कपास की १०० गाँठों को स्वैंसर एसड कम्पनी लिचरपुल को नियात करती है। नियात की रीति का वर्णन कीजिये और नस्तवधी रक्तों का गिनाइये। (राजपूताना, १६४६)

पटना, इन्टर कामसे

९. सर्वधी रामजीदास एस बादेर्च, पटना, कुछ माल मार्शल, पोगू एसड के सन्दर्भ को भेजते हैं। निर्यात विधि का व्यौरा और प्रयुक्त होने वाले पत्रों का जिक्र कीजिये। (पटना, १६५२ वार्षिक)

१०. निदेशा का माल निर्यात करने की रीति को बताइए। किसी देश के

सामुद्रिक व्यापार में बिल आव एक्सचेंज और जहाजी बिलटी का क्या हाथ होता है ? (पटना, १९५२)

११. कलकत्ते के निर्यातकर्ता को लंदन के किसी फर्म को जहाज द्वारा माल भेजने में जिस रीति का अनुगमन करना पड़ेगा उसका वर्णन कीजिये । (पटना, १९४६)

१२. चम्बई के एक निर्यातकर्ता को मैनचेस्टर के किसी फर्म को २०० गाँठ संद निर्पात करने में जिस गतिविधि के अनुसार काम करना होगा, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए । इस सम्बन्ध में जिन रूपकों का प्रयोग होगा, उनको भी बताइए । (पटना, १९४८)

१३. भारत का एक गलीचा बनाने वाला न्यूपार्क को माल का निर्यात संगठित करना चाहता है, और आप से इस सम्बन्ध में सलाह माँगता है । बताइए उसे किस रीति का अनुगमन करना चाहिये ? (पटना, १९४७)

बिहार, इन्टर कामर्स

१४. कलकत्ते से लन्दन को जूँ निर्यात करने का तरीका बताइये, और इस सम्बन्ध में प्रयुक्त होने वाले प्रलेखों का हवाला दीजिये । (बिहार, १९५५)

सागर, इन्टर कामर्स

१५. सागर नगर के एक व्यापारी को दो सौ गाँठ रुप्ए एक लन्दन के व्यापारी को भेजना है । सचेप में वर्णन करो कि यह माल कैसे भेजा जायगा, और इस सम्बन्ध में किन-किन मुख्य व्यापारिक पत्रों का प्रयोग किया जायगा । (सागर, १९५३)

१६. नागपुर के सर्वश्री अमवाल बदर्स को आस्ट्रेलिया के एक व्यापारी का ५०० कपास की गाँठ का आदेश प्राप्त हुआ है । निर्यातकर्ता एक्सचेंज बैंक आव आस्ट्रेलिया के द्वारा अधिकार पत्र भेजना चाहते हैं । माल निर्यात करने की विधि का वर्णन कीजिये । (सागर, १९५१)

१७. कौसिल का बीजक (Consular Invoice), उद्गम प्रमाण पत्र तथा जहाजी बिलटी का बौरा दीजिये और बताइये निर्यात व्यापार में उनका क्या काम होता है । (सागर, १९४६)

१८. यदि आपको इंग्लैण्ड को कपास का निर्यात करना हो तो आप किस रीति का अनुगमन करेंगे ? सौदे में जिन रुक्कों का प्रयोग होगा उनको भी बताइये (सागर, १६४८)

नागपुर, इन्टर बास्से

१९. आप विलापत को एक कम्पनी से ट्रैक्टर्स मैंगवाना चाहते हैं । इसके लिये आप क्या कार्यवाही करेंगे, पूर्णतया लिखिये । (नागपुर, १६५१)

२०. यदि आपको अमेरिका से ट्रैक्टर मैंगना हो, तो आप किसे किस प्रकार की लिखा पढ़ा करेंगे और उसका मूल्य चुकाने की क्या व्यवस्था करेंगे ? (नागपुर, १६५०)

२१. डर्बन (अफ्रीका) के एक व्यापारी ने नागपुर के फर्म से कपास की कुछ गाँठें मैंगवाई हैं । आरम्भ से अन्त तक जिस रीति का अनुगमन करना होगा उनका संक्षिप्त व्यौरा दीजिये और उन रुक्कों को भी बताइये जिनका कि प्रयोग किया जाएगा । (नागपुर, १६५६)

बनारस, इन्टर कामस्से

२२. वहाज द्वारा माल भेजने वाला जिस रीति द्वारा जहाजी कम्पनी से हस्ताक्षर की हुई जहाजी घिलटी प्राप्त करता है, उस रीति का वर्णन कीजिये । (बनारस, १६५६)

२३. आपको लिवरपूल के व्यापारी को १०० गाँठें कपास भेजना है । नियोन की रीति तथा सम्बन्धित रुक्कों का व्यौरा दीजिये । (बनारस, १६५५)

दिल्ली, हृष्यर सेकिडरी

२४. यदि आप इंग्लैण्ड को कपास का निर्यात करने में जिस रीति का पालन करेंगे, उसकी संक्षिप्त व्याख्या कीजिये । सौदे की गतिविधि में किन प्रतेकों (documents) का प्रयोग होगा उनके नाम बताइये । (दिल्ली, हा० से०, १६५४)

२५. भारत से इंग्लैण्ड को जूट के निर्यात करने की विधि विस्तारपूर्वक लिखिये । (दिल्ली, १६५०)

२६. भारत से इङ्ग्लैण्ट को माल निर्यात करने का तरीका विस्तारपूर्वक बताइये। (दिल्ली, हायर सेकंडरी, १९४८)

२७. श्री मित्तल एण्ट कम्पनी देहली, ने न्यूयार्क के श्री फिलिप एण्ट कम्पनी को कुछ गलीनों का निर्यात किया है। निर्यात का तरीका वथा इसमें प्रयुक्त होने वाले रूपकों की व्याख्या कीजिये। (दिल्ली, हायर सेकंडरी, १९४८) (मध्यभारत, इन्टर कामर्स)

२८. बम्बई की नयन सुल एण्ट कम्पनी सूती कटपीस की गोठों का कराँची के हलील अदर्स को निर्यात करते हैं। निर्यात की विधि बताइये ग्रौं और प्रयुक्त किये जाने वाले पत्रों का जिस बीजिये। (१९५२)

अध्याय ४३

आयात व्यापार

द्वितीय महायुद्ध के पहले हम लगभग १५० करोड़ रुपये से लेकर १७५ करोड़ रुपये तक का माल प्रति वर्ष आयात करते थे। अधिकतर हम पहुँच माल का आयात करते हैं। इनमें प्रमुख नशील, आजार, माटर, कागज, रासायनिक व दार्थ आदि हात हैं। हार अधिकार आयात इण्जेंड आर अमेरिका से आते हैं।

यदि काइ भारताय गापारा किसी विदेशी कारखाना बाल स माल मेंगाना चाहे, तो वह उनक गाई साधा आईर भेज सकता है। किन्तु याद उस कई निदेश करना से मान खरादना हा, तो कदाचित् वह किसी नियंत्रित एजेन्ट के पास इटट भजना अधिक अच्छा समझेगा।

अब हम माल के आयात करने की रीत की विवरणा करेंगे। पाठक का चाहिये कि यह अध्याय ३६ में जो दो चित्र दिये गये हैं, उनका पहले याम धानी से मनन कर ले। मान लीजिये कि इलाहानाद का किंताब महल इण्जेंड क मैसर्स पी० एस० किंग एण्ड सस, पैरेंजन बुक्स निं०, और सर आइ जक पिटमन एण्ड सस लिं० से पुस्तके खरीदना चाहता है। आयात व्यापार की वास्तविक गानेविधि इस प्रकार होगी।

१. आयात आज्ञा पत्र तथा विनियम की प्राप्ति

कि नृन मूल का मनेजर ऑफ रहन आयात नियन्त्रक (Controller of Imports), गांधीज भारत, भारत सरकार, नई दिल्ली का यह लिखेगा कि वह कुछ पुस्तकों का इण्जेंड से आयात करना चाहता है, अतः उसे आयात आज्ञा पत्र दिया जाय। जब आयात आज्ञा पत्र प्राप्त हो जाय, तो उसे रिजर्व बैंक आज्ञा दर्दया के बम्बई कार्यालय का विदेशा विनियम (Foreign Ex-

change) अर्थात् पौड़ प्राप्त करने के लिये पन लिखना चाहिये । आयात-आज्ञा-पत्र मिल जाने का आशय यह होता है कि आयात के लिये आवश्यक विनिमय रिजर्व बैंक से मिल जायगा । यही विनिमय आयात-कर्ता निर्यात-कर्ता को भेज कर दाम तुकारा है ।

यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि साधारणतया व्यापारीगण किसी भी देश से माल का आयात करने के लिये स्वतन्त्र होता है और इसके लिये सरकारी आज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु दूसरे महायुद्ध के समय में आयात को सीमित और नियंत्रित करने की आवश्यकता समझी गई और तब से यह नियन्त्रण अब भी जारी है, अतः किसी विदेशी फर्म के पास आर्डर भेजने के पहले आयात आज्ञा पत्र प्राप्त कर लेना आवश्यक है । यह स्मरण रखना चाहिये कि दूसरे महायुद्ध के पहले किसी भी बैंक से विदेशी विनिमय या चलन प्राप्त किया जा सकता था । किन्तु अब केवल रिजर्व बैंक आवश्यकिया से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है; और यह बैंक आयात आज्ञा-पत्र दिये जाने पर ही विनिमय देगा ।

२. इन्डेन्ट

किनार महल का मैनेजर इन फर्मों से जितनी किताबें खरीदना चाहता है, उसकी एक सूची तैयार करेगा । उसके पश्चात् वह उचित रूप में एक इंडेन्ट बनायेगा और उसे इंग्लैंड के किसी निर्यात एजेन्ट के पास भेज देगा । वह उपरोक्त प्रकाशकों में से प्रत्येक को अलग-अलग आर्डर नहीं भेजेगा । क्योंकि इसमें समय तथा रूपये दोनों का ही अपव्यय होगा । वह इंडेन्ट बनाने में विशेष सावधानी से काम लेगा और किताबों के नाम और उनकी मात्रा, उनके मूल्य, रखाना करने का समय, पैकिंग तथा आदि समस्त जातों के सम्बन्ध में निश्चित आदेश देगा ।

३. निर्यात एजेन्ट

जब निर्यात एजेन्ट को इलाहाबाद के फर्म का इंडेन्ट मिल जायगा, तब वह प्रकाशकों से पुस्तके खरीदने का प्रयत्न करेगा । वह इस बात की सावधानी रखेगा कि किताबें वे ही खरीदी जाय जो इंडेन्ट में बताई गई हैं और उन

माला भी इंडेंट के अनुसार हो । वह फिर किताबों की अच्छी तरह पैकिंग करायेगा और फिर वह उन्हें बद्रगाह को जहाज द्वारा भेजने के लिये रवाना कर देगा । वह इस काम के लिये लदाने वाले एजेंट की सेवाओं का उपयोग करेगा । यदि इस सम्बन्ध में किताब महल ने कुछ आदेश दिये हों तो वह उनका पूरा पूरा पालन करेगा ।

माल जहाज पर लद जाने और जहाजी बिल्डी तथा सामुद्रिक बीमा पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् निर्यात एजेंट एक बीजक बुनायेगा जिसमें वह किताबों का मूल्य, उसके द्वारा इलाहाबाद के फर्म के लिए दिया गया खर्च और स्वयं उसका कर्मीशन भी शामिल होगा । वह क्रेता पर बीजक की रकम का एक बिल लिखेगा और उसमें ऊपर चताये गये कागजात लगा देगा मान हीजिये कि यह बिल डी/पी बिल है । निर्यात एजेंट इसके बाले बिल को अपने बैंक को बदली के लिए दे देगा । वह किताब महल के मैनेजर को माल के रवाना होने की सूचना भी दे देगा और साथ में बीजक की एक प्रति भी भेज देगा ।

४. जहाजी कागजात की प्राप्ति

जब इगलैण्ड के निर्यात एजेंट से माल रवाना होने की सूचना और बीजक आ जायगा, तब किताब महल का मैनेजर बीजक का मिलान इंडेंट से करेगा । इसी बीच में अप्रेजी बैंक की इलाहानाद वाली शाखा के पास डी/पी बिल भी जायगा और वह किताब महल के पास इस बात का पत्र भेजेगी कि रूपया अदा करके जहाजी कागजात ले लिए जायें । यदि बिल डी/ए हुआ, तो किताब महल द्वारा बिल स्वीकृत कर लिये जाने पर ही साथ के कागजात किताब महल को दिये जायेंगे । जहाज कागजात प्राप्त कर लेने के पश्चात् किताब महल अभी भी जाहज से माल लेने, आयात कर अदा करने और उन्हें इलाहाबाद लाने का प्रबन्ध करेगा ।

५. माल उतारने वाले एजेंट को आदेश

किताब महल इस काम के लिये अपने निजी प्रतिनिधि को अवृद्धि भेजना पसन्द नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रूपये और समय दोनों की बरबादी होगी ।

यह काम माल उतारने वाले एजेन्ट के द्वारा किफायत से कराया जा सकता है। अतः एक माल उतारने वाले एजेन्ट (Clearing Agent) की नियुक्ति कर दी जायगी। किंतु महन ऐसे एजेन्ट को जहाजी कागजात में देगा और उसे एक उचित आदेशपत्र भी भेजेगा। माल उतारने वाला एजेन्ट अपनी सेवाओं के लिये बहुत थांडा कमीशन लेता है।

६. सुपुर्दगी के लिये बेचान

जहाजी बिलटी में माल लाने वाले जहाज का नाम लिखा रहता है। माल उतारने वाला एजेन्ट उस जहाज के आने की बाड़ देपता रहेगा। जैसे ही जहाज आयेगा, वह जहाजी कम्बना के दक्षतर में जाकर जहाजी बिलटी पर कम्बनी के एजेन्ट से बेचान लेल (endorsement) लिया लेगा जिससे कि सुपुर्दगी उसे निल जाय। यदि किराया अभी नहीं लिया गया हो या जहाजी कम्बनी का कुछ समय देना आकी रह गया हा, तो उसका भुगतान हो जाने के पश्चात् ही जहाजी कम्बनी का एजेन्ट जहाजी बिलटी का बेचान करेगा।

७. आयात-कर : प्रवेश-बिल

इसके पश्चात माल उतारने वाला एजेन्ट आयात-कर सम्बन्धी कार्रवाई करेगा। वह प्रवेश बिल (Bill of Entry) की तीन प्रतियाँ भरेगा और उन्हे विदेशी तुङ्गी घर में उपरित करेगा। प्रवेश-बिल की तीनों प्रतियाँ अलग अलग रग में छपी होती हैं जिससे कि वे एक दूसरे से पृथक् दीख पड़ें। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सुक्त, करदेय और तरीय माल के लिये अलग-अलग प्रकार के फार्म होते हैं। यदि करदेय माल देश के अन्दर चिनी और उत्तमोग की दृष्टि ने ताज गया हो, तो जो प्रवेश बिल नरा जाता है उसे घरेलू उपभोग की प्रवाइट (Entry for home use ex-ship) कहते हैं। यदि वह भारत से पुनर्निर्यात के लिये मँगाया गया हो, तो जो प्रवेश बिल भरना होता है उसे पुनर्निर्यात प्रविष्टि (Entry of bond) कहते हैं। प्रवेश बिल में आयात किये गये माल का पूरा विवरण देना होता

है। हम पुठ १५८-१५९ पर एक प्रवेश बिल का नमूना उद्धृत करते हैं। इसमें की गई घोषणा आगे के आधार पर विदेशी चुन्जीघर के अधिकारी यदि आश्रम के हो तो आयात-कर की रकम का निश्चय करते हैं यदि प्रवेश बिल में दिये विवरण की सत्यता पर उन्हें उछूँ सदैह हो, तो वे माल खुलवाकर देख सकते हैं। अब आयात कर दे दिया जाता है, तो विदेशी चुन्जीघर ने अधिकारी प्रवेश बिल की एक प्रति अपने पास रख कर शेष दो प्रतिशत मा उतारने वाले एजेन्ट को दे देंगे। इनमें से एक आयात कर की प्राप्ति की रसीद होती है और दूसरा वास्तविक प्रवेश-बिल।

हृष्टि बिल (Bill of Sight).—कभी कभी माल उतारने वाले एजेन्ट के पास आयात किये जाने वाले बिल का प्रगति विवरण नहीं होता। ऐसी दशा में वह प्रवेश बिल नहीं भरता क्योंकि उसमें इस बात की घोषणा करनी पड़ती है कि दिया गया विवरण सत्य है। उसके स्थान पर वह एक हृष्टि बिल भरता है जिसमें वह इस बात का आश्वासन देता है कि जहाँ तक उसे जान कारी है, आयात किया गया माल बिल में लिये गये विवरण ने ही अनुसार है। ऐसी दशा में कदाचित् विदेशी चुन्जीघर वाले माल देखकर ही चुन्जी निश्चय करते।

५ डॉक के चार्ज (Dock Charges)

यदि उछूँ अयात कर देना हो, तो उसे देने के पश्चात माल उतारने वाला एजेन्ट डॉक के चार्ज अदा करने के लिये डॉक चालान (dock chalan) के दो प्रतिशत भरेगा। इनके उपस्थित किये जाने पर डॉक के अधिकारी चार्ज बमूल कर लेंगे और माल उतारने वाले एजेन्ट को डॉक चालान की प्रति लौटा देंगे जो चार्ज बिल जाने की रसीद होती है। जब तक डॉक चार्ज अदा नहीं किये जायेंगे तब तक डॉक के अधिकारी माल नहीं हटने देंगे डॉक से माल की सुपुढ़ेगी लेना।

जब जहाँ बन्दरगाह में आ जाता है, तब उन पर माल उतारा जाता है माल उतार उतार कर विशेष चिन्हों के अनुसार छाट-छोट कर ग्रलग रख जाता है। माल उतारने वाला एजेन्ट चिन्ह देख कर अपने माल को आसानी

ORIGINAL[DEBIT PER
BILL OF ENTRY]

Vessel	General Manifest No.	Master or Agent	Colours	Port of Shipment
SS				
Packages	Details of goods to be			

Number and Description	Marks and Numbers	Quantity	Unit Amount	Descrip-
				tion

Total No. of packages (in Words).....

G. M. Clerk

Index No. of 194	For use in Cash Department	Orders
Court Fee Stamp		

पहचान लेगा। वह माल की सावधानी से परीक्षा करेगा और यदि उन्हें कुछ हानि पहुँची है या कुछ दूष-फूरा है, तो वह जहाजी कम्पनी के एजेंट से माल की परीक्षा करा लेगा। यदि को जो हानि हुई होगी वह या तो जहाजी कम्पनी से या बीमा कम्पनी से परिस्थिति के अनुसार बण्ट कर ली जायगी।

जब माल छाँट लिया जायगा, तब जहाजी कम्पनी का एजेंट जहाजी चिली पर बेचान लिय गा उगे के बाद प्रवेश गिल, डॉक चालान तथा बेचान की हुई जहाजी चिली के देने पर डॉक के अधिकारी माल ले जाने की आशा दे देंगे। जहाँ तक हो सके, माल जल्दी ही हटा लेना चाहिये क्योंकि देरी होने से हर्जना (demurrage) देना पड़ता है।

सुपुर्दगी का आर्डर (Delivery Order)— कभी-कभी आपात कर्ता डाक के अधिकारियों से माल सुपुर्दगी लेने के पहले ही माल को कई खरीदारों के हाथ बेच देता है। ऐसी दशा में खरीदार स्वयं डॉक के अधिकारियों से माल की सुपुर्दगी ले लेता है। आपातकर्ता प्रत्येक खरीदार को एक सुपुर्दगी का आर्डर दे देता है जिसमें वह डॉक के अधिकारियों को माल लिखित घण्टि को सौंपने का आदेश दे देता है। उह इस बात को जहाजी चिली पर भी लिय देता है जिसे वह जहाजी कम्पनी के एजेंट से बेचान करा कर डॉक के अधिकारियों को दे देगा। जिससे सुपुर्दगी के आर्डर के धारकों (holders) को माल आपाती से मिल जाय।

४०. माल का गोदाम में रखना

कभी कभी आपातकर्ता माल पर पूरी चुड़ी तुरन्त ही नहीं बुकाना चाहता है। ऐसी दशा में वह विदेशी चुरीघर में अधिकारियों से यह निवेदन करता है कि माल प्रमाणित गोदाम (bonded warehouse) में रख दिया जाए। इसके लिए आपातकर्ता को एक विशेष ब्रवेश गिल भर कर चुरीघर में दाखिल करना पड़ता है। इसके पश्चात् विदेशी चुड़ीघर के अधिकारियों के निरीक्षण में माल प्रमाणित गोदाम में रखवा दिया जाता है। वहाँ से आपात-कर अदा ही जाने के पश्चात् ही माल की सुपुर्दगी दी जाती है।

कभी-कभी आपात-कर्ता आपात-कर अदा कर देने के बाद भी माल को

किसी गोदाम में, उनकी चिन्ही होने तक, रखवाना चाहते हैं। प्रत्येक बन्दरगाह पर ग्राइवेट कम्पनियों ने या बन्दरगाह के अधिकारियों ने इस काष के लिए अपने गोदाम खोल रखे हैं जिनमें थोड़ा सा किराया देकर माल रखता जा सकता है।

माल आ जाने पर गोदाम वाला एक रसीद देता है जो डॉक वारट(Dock Warrant) का स्वरूप लेती है। डॉक वारट पर टिकट लगा रहता है और इसका हस्तान्तरण बेचान और सुपुर्देगी द्वारा किया जा सकता है। कभी-कभी माल को कई भागों में बॉट। देता जाता है और प्रत्येक भाग के लिए एक अलग डॉक वारट बनाया जाता है। डॉक वारट दे देने पर सम्बन्धित माल की सुपुर्देगी दी जाती है।

यदि डॉक वारट का प्रयोग न हुआ हो तो आयातकर्ता गोदामवाले को लिखित आदेश इस बात का दे सकता है कि उसका माल किसी खास व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाय। सुपुर्देगी के आदेश का भी हस्तान्तरण बेचान और सुपुर्देगी द्वारा किया जा सकता है।

११. माल को रेल द्वारा भेजना

यदि किनाब महल की माल की तुरन्त आवश्यकता हो और गोदाम का प्रयोग न करना हो, तो माल उतारने वाला एजेंट माल को माल गाड़ी द्वारा बम्बई की स्टेशन पर पहुँचा देगा, और रेल में लदवा कर रेल की रसीद प्राप्त कर लेगा। वह फिर किनाब महल को इस बात की खबरना दे देगा कि माल रेल द्वारा इलाहाबाद रखाना कर दिया गया। इस में वह रेल की रसीद, प्रवेश चिल, ढाक की रसीद और अपने खर्चों का बिल भी भेज देगा।

१२. रेल से माल छुड़ाना

बब किनाब महल के पास रेल की रसीद आ जायगी तब वे स्टेशन से माल की सुपुर्देगी ले लेंगे। वहाँ से गाड़ी में यर कर माल किनाब महल के गोदाम में लाया जायगा। राते में बीजक में दिये हुये विवरण के आधार पर सुंगी भी तुकानी पड़ेगी। इसके पश्चात् माल आयातकर्ता के गोदाम में आ

जायगा। आयातकर्ता माल उतारने वाले एंबेट के बिल को चुकता कर देंगा।

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इन्दरकामसे

१. सर्व श्री महाबीर प्रसाद औ गोपाल, दिल्ही, ने बर्मिंघम से साइकिलों का आयात किया है। निर्यात-कर्ताओं ने सब अधिकार पत्र (Documents of Title) सेन्ट्रल ऐक आफ इंडिया के मार्फत मैज दिये हैं। माल आयात करने का पूरा विवरण दीजिये और कौन-कौन से प्रलेखों (Documents) का प्रयोग होगा इस पर भी प्रकाश ढालिये। (१९५५, ३० प्र०)

२. लखनऊ का एक व्यापारी लेदन के किसी एक कर्म से साइकिल का आयात करना चाहता है। माल को आयात करने की, आयातकर्ता के गोदाम में माल पहुँच जाने के समय तक की शैति का सक्रिय विवरण दीजिए। (यू० पी०, १६५१)

३. दिल्ली का एक व्यापारी कनाढ़ा के सूखे दूध का आयात करना चाहता है। माल के प्राप्त करने के लिए वह जिस रीति का पालन करेगा उसका न्योरा दीजिए। (यु० वी०, १६४५)

राजपूताना, इन्टर कामसं

४. आगरे का एक व्यापारी इङ्लैण्ड से मशीन मँगता चाहता है। माल आयात करने की रीति की व्याख्या कीजिए। (राजपूताना, १६५७)

५. लंदन से अजमेर को माल का आयात करने में किन-किन रक्कों का उपयोग करना पड़ेगा ? किन्हीं दो का नमूना दीजिए। (राजपूताना, १६४५)

पटना, इन्टर कामर्स

६. चिहार मशीन कम्पनी ने इडलैण्ड से कुछ मशीनों का आयात किया है। माल की घुपुर्दगी लेने के लिये आयातकर्ता को जिस रीति का अनुगमन करना पड़ेगा, उसका वर्णन कीजिए। (पट्टना, १८५१ पूरक)

७. कलंकते के एक व्यापारी ने न्यूयार्क से कुछ माल मँगवाया है।

कलकत्ता के विदेशी चुगीघर (Customs House) से माल निकालने के लिए उसे किस रीति का पालन करना पड़ेगा ? (पटना, १६४४)

सागर, इन्टर कामर्स

१६४५

८ इलाहाबाद के श्री बालमल न्यूयार्क (यू० एस० ए०) से फोर्ड जीप आयात करना चाहते हैं। आदेश भेजने से लेकर माल के इलाहाबाद पहुँचने तक जिस रीति का पालन करना होगा उसका व्यौरा दीजिये। (सागर, १६५४)

९ जबलपुर का एक व्यापारी इन्डिलैंड से ट्रैक्टर का आयात करना हत है। इसके लिए वह जिस विधि का पालन करेगा, उसका वर्णन कीजिये। (सागर, १६५२)

१० दिल्ली का एक व्यापारी अमेरिका से बस्तुएँ मेंगाना चाहता है। सदौप में उस विधि का वर्णन कीजिये जिसके द्वारा वह ऐसा कर सकेगा। (सागर, १६५१ पूरक)

११ दिल्ली का एक व्यापारी ब्रिटेन से माल का आयात करना चाहता है। उसे जिस रीति का अनुगमन करना पड़ेगा, उसका सचिप्त व्यौरा दीजिये। (सागर, १६४६)

नागपुर, इन्टर कामर्स

१२. विदेश से कुछ यत्र मैंगवाये हैं। निराकार्य करण्ह में से उनका निष्कासन करने के लिए किल पक्कार कार्यवाही करनी हागी ? (नागपुर, १६५२)

१३ नागपुर के श्री अग्रबाल ब्रदर्स ने आस्ट्रेलिया से कपड़े की कुछ गाँठों का आयात किया है। निर्यात कर्ता ने अधिकार यत्र एकसचे ज बैंक आय आस्ट्रेलिया के द्वारा भेजे हैं। उन सब कामों का व्यौरा दीजिये जिनके सापने करने वापर माल आयात कर्ता की दूकान में पहुँचेगा। (नागपुर, १६४८)

शनारस, इन्टर कामर्स

१४ सर्व श्री रामगोपाल बशीघर, लखनऊ, बीस पेटी साइकिल का स्टैंडर्ड साइकिल क०, लिं० लन्दन से आयात करना चाहते हैं। माल के

आयात व्यापार

आयात की विधि बताइये और प्रयोग में आने वाले पत्रों के नाम दीजिये।
(बनारस, १९५१)

१५. कलकत्ते के एक व्यापारी का इंगलैंड से माल का निर्यात करना है। जिस गिरि का अनुगमन करना पड़ेगा और जिन दस्तकों का उपयोग करना पड़ेगा उनका वर्णन कीजिये। (बनारस, १९४६)

दिल्ली, हायर सेकिडरी

१६. आयात व्यापार के विभिन्न सोपानों की आईर देने से जहाज आने तक की स्थिरता दीजिये। इस व्यापार में प्रयुक्त होने वाले ग्रेहिलों के नाम बताइये और उनका विवरण दीजिये। (दिल्ली, हा० से०, १९५३)

१७. कर देप (dutiable) माल के आयात का विस्तृत वर्णन दीजिये, और इस सम्बन्ध में थोक (wholesale) वथा प्रमाणित (bonded) गोदाम जो काम करते हैं, वह बताइये। (दिल्ली, हा० से०, १९५२)

१८. आयात व्यापार की विभिन्न श्रेणियों का, आईर देने से माल की पहुच तक, वर्णन कीजिये। प्रयुक्त होने वाले पत्रों का भी हवाला दीजिये। (दिल्ली, १९५०)

१९. करदेव (dutiable) माल के आयात करने का तरीका विस्तारपूर्वक बताइये। इस सम्बन्ध में प्रमाणित गोदाम (Bonded Warehouse) की उपयोगिता को भी समझाइये। (देहली हायर सेकिडरी, १९४७)

विदेशी वीजक बनाना

विदेशो व्यापार में वीजक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही कारखाने वाला या नियानि एंडेंट विदेशी खरीदार को माल मेजता है, वैसे ही वह वीजक की तीन प्रतियाँ तैयार करके खरीदार के पास रखाना कर देता है। वीजक में खरीदार के लिये अदा किये गये खर्च और माल के मूल्य सम्बन्धी विवरण दिये रहते हैं, साथ में बरेडलों पर लगाया गया चिन्ह, उनकी "उत्पत्ति" और साइज, जिस जहाज में माल आ रहा है उसका नाम भी लिखा रहता है। वीजक मिलने पर आपात-कर्ता इसका प्रबन्ध करता है कि जैसे ही जहाज बन्दरगाह पर आये, माल की मुपुर्दग्धी ले ली जाय।

५१. वीजक का स्वरूप

ऐसे वीजक के आरम्भ में मेजे जाने वाले माल की मात्रा और किस्म, लाने वाले जहाज का नाम, उदागम बन्दरगाह और उद्दिष्ट बन्दरगाह के नाम और खरीदार का नाम लिखा जाता है। यदि इडेंट की कोई सख्त्य हो, तो वह भी लिख दी जाती है।

शीर्षक के पश्चात् एक तालिका दी होती है। इसके पहले स्तम्भ (column) में बरेडलों पर लिखा हुआ चिन्ह लिखा जाता है, दूसरे स्तम्भ में माल का विवरण तथा पौरीक (अभावी माल मेजने वाले) ने विकेता के लिये जो खर्च किया हो उसका विवरण लिखा जाता है; तीसरे स्तम्भ में दर लिखी जाती है; और चौथे और पाँचवें स्तम्भों में रकम। वीजक के नीचे "भूल चूक लेने देनी" (Errors and Omissions Excepted या E. & O. E.) लिख दिया जाता है; और उसके पश्चात् वीजक की तारीख दी जाती है और विकेता का हस्ताक्षर होता है।

Specimen Invoice

TWENTY CASES OF SILK

shipped by the undersigned per S S *Rajtarangini*
 from London to Bombay
 by order and for account and risk of
 MESSRS B RAMDAS & CO, BOMBAY

Indent No 175

Mark	Particulars	@	Rs	as	P	Rs	as	P
E & O E (Name of Exporter)								

विदेशी बीजकों के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं

(१) विदेशी बीजक, प्रचलित प्रथा के अनुसार, या तो देशी चलन में या विदेशी चलन में बनाये जाते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन और मारत के बीच में होने वाले व्यापार सम्बंधी बीजक टर्टिंग में बनाये जाते हैं, इन्होंने में नहा। (यह बताना यहाँ आवश्यक नहीं है कि बीजक विक्रेता या निर्यातकर्ता बनाता है, सरीदार या आयात कर्ता नहीं)

(२) निर्यात कर्ता को बीजक बनाने में विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए। बीजक निर्यात किये गये माल के अनुसार ही होना चाहिये। ऐसे जाने वाले माल और बीजक में लिखे हुये विवरण में कुछ अन्तर हुआ, विदेशी चुम्बाघर में कशाचिन् इसका पता लग जाय और आयात कर्ता को लिए भारी दण्ड देना पड़े। ऐसी दशा में आयातकर्ता निर्यातकर्ता से का इन्होंना माँगेगा। यह भी हो सकता है कि वह निर्यातकर्ता के आचरण इतना अप्रसन्न हो जाय कि उससे वह माल मौंगवाना ही बन्द कर दे।

(३) चीजक, स्थानीय (Loco Invoice) हो सकता है, या जहाज लदाई-माफ (Free on Board या F. O. B.) चीजक, या जहाज-किराया-माफ (Cost and Freight या C. & F.) चीजक, या श्रीमा खर्च-माफ (Cost, Insurance & Freight या C. I. F.) चीजक, या सब खर्च-माफ (Franco) चीजक। चीजक इनमें से किस प्रकार का होगा, यह केवल और विक्रेता के बीच में जो समझौता हुआ हो, उस पर निभंग होता है। मूल्य के अतिरिक्त चीजक में वे भी खर्च लिखे जाते हैं जो कि नियांतकर्ता आपात-कर्ता के लिए अदा करता है। उदाहरण के लिए अगर माल स्थानीय मूल्य के आधार पर मेज़ा गया है तो चीजक में पैकिंग का खर्च, बन्दरगाह तक गड़ी से माल पहुँचाने का खर्च, जहाज पर लदाने का खर्च, किराया, प्रीमियम आदि लिखे जायेंगे। यदि आधारित मूल्य जहाज-लदाई-माफ मूल्य हो, तो चीजक में केवल किराया और श्रीमा का खर्च शामिल किया जायगा। यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि अधिकाश सौदे जहाज-किराया-माफ मूल्य (C. & F.) और श्रीमा-खर्च-माफ (C. I. F.) के आधार पर होते हैं।

६२. किराये की गणना

विदेशी चीजक बनाने में विद्यार्थियों को जहाजी किराये की गणना करनी पड़ती है। जहाजी किराया अधिकार प्रति टन के हिसाब से, किन्तु कभी-कभी प्रति बन्दल या प्रति रट्टिंग पाउंड के हिसाब से, आँका जाता है। जो टन गणना का आधार होता है, उसकी दो किसिं होती हैं :

(१) तैल का टन (Ton Weight)—यह २२४० पौंड का साधारण टन होता है; या

(२) माप का टन (Ton Measurement)—यह बन्दलों के घनाकार (cubical) माप से निकाला जाता है। प्रत्येक बन्दल का घनाकार माप उसकी १ लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई के गुणा करने से प्राप्त किया जाता है। उसके पश्चात् ४० घनाकार फीट को एक टन के बराबर मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बन्दलों का माप १०० घनाकार फीट हो, तो तील

$\frac{4}{5} = 2\frac{1}{2}$ टन होगी। इस स्टैंडर्ड को माप का टन कहते हैं। कभी-कभी ४० घनाकार फीट को एक टन के वरावर मानने के बजाय ५० घनाकार फीट को १ टन के वरावर माना जाता है। साधारणतया बन्डलों का माप प्रमाणित माप-कर्ता (Licensed Measurers) करते हैं जो बन्दरगाहों में पाये जाते हैं। उनके मार्गों को जहाजी कम्पनियाँ माल्य समझती हैं।

किराया जहाजी कम्पनी की इच्छानुसार या तो तौन के अनुसार आँका जाता है या माप के टन के अनुसार। जहाजी कम्पनी उसी आधार का प्रयोग करती है जिसमें उसे अधिक किराया मिले। जहाज का स्थान सीमित होता है और यदि दो बन्डलों पर दिनका बोझ बरावर हो किन्तु जिनमें से एक दूसरे की अपेक्षा तिगुनी या चौगुनी जगह थेरे, बरावर किराया लेना अनुचित होगा। सामान्यतया माल के टन के आधार पर ही अधिकतर किराये की गणना की जाती है।

Illustration. A exports ten cases containing artificial silk, each measuring $60'' \times 42'' \times 45''$. Freight is to be charged per ton of 40 cubic feet. Find out the freight @ 35s. per ton

The calculation involves three steps as follows

(i) The volume of all the 10 packages comes to
 $10 (60'' \times 42'' \times 45'') = 10 \left(5' \times \frac{7'}{2} \times \frac{15}{4} \right) = \frac{5250}{8} \text{ c.f.} = 656.25 \text{ cubic feet.}$

(ii) Since 40 cubic feet make one ton, $656.25 \text{ cubic feet} = \frac{656.25}{40} = 16.4 \text{ tons}$

(iii) Now we have to find out the freight of 16.4 tons @ 35s per ton. The freight will be -

£ 16.4 @ 20/-per ton

£ 8.2 @ 10/-per ton

£ 4.1 @ 5/-per ton

Total £ 28.7 @ 35/-per ton
= £ 28.14.0.

यहाँ यह बता देना चाहिये कि गुणा करने का ऊपर वाला तरीका साधारण तरीके से अच्छा होता है। साधारण तरीके के अनुसार तौल को सीधे किराये की दर से गुणा करने म (ऊपर के मे १६.४ × ३५ शिलिंग) कठिनाई होती है और उसमें ब्रूटियाँ भी हो सकती हैं। किन्तु ऊपर वाला तरीका आसान है और उसमें ब्रूटियाँ होने की सम्भावना कम होती है। गणना को और भी आसान बनाने के लिये जहाँ तक हो सके, दशमलव का प्रयोग करना चाहिये।

अतिरिक्त किराया (Primage)—जहाजी कम्पनी वास्तविक किराये में । १० प्रतिशत और जाइ देती है। इसे अतिरिक्त किराया या प्राइमेज कहते हैं। आरम्भ में यह किराया जहाज के कप्तान को माल की देख रेख करने के उपलक्ष में दिया जाता था। किन्तु अब कप्तानों को जहाजी कॉर्पनिंयर्स पूरा बहन देती है और अतिरिक्त किराया रस्सी तथा अन्य ऐसी ही बख्तओं की लागत के लिए रख लेती है। कभी-कभी अतिरिक्त किराया माल भेजने वाले को, पूर्णतया या आशक स्वर में, ब्रूट की तरह दे दिया जाता है। आजकल की प्रवृत्ति यह है कि अतिरिक्त किराये को किराये म ही विलीन (merge) कर दिया जाय।

३. सामुद्रिक बीमे की प्रीमियम की गणना

जहाज से जो भी माल भेजा जाता है उसका सामुद्रिक बीमा अवश्य करा लिया जाता है जिससे कि विनाश या हानि होने पर समुचित ज्ञातिपूति हो जाय। प्रीमियम की दर बीमा के दलाल या स्वयम् बीमा कमनिशों से पूछ कर जानी जाती है। बीजक की रकम म १०% या १५ प्रतिशत लाभ के रूप में जोड़ कर कुल रकम का बीमा कराया जाता है। बीमा इस रकम से न तो अधिक का कराना चाहिये और न कम का। सामुद्रिक बीमे का प्रयोगिका ज्ञातिपूति का प्रस विदा* (contract of indemnity) होता है इसलिये यदि कोई हानि बीमे की रकम से अधिक हो तो बीमे की रकम से अधिक रूपका बीमा कम्पनी से

*देखिये अगला अध्याय “सामुद्रिक बीमा”।

नहीं मिल सकता, और यदि हानि की रकम बीमे के रकम से कम हो तो केवल हानि की रकम ही मिल सकेगी। मान लीजिये किसी माज का मूल्य १२००) रुपया है किन्तु उस पर केवल १०००) का बीमा कराया गया है। यदि माल का पूर्ण विनाश हो जाय तो १०००) से अधिक नहीं मिलेगा। यदि माल का मूल्य ८००) हो और बीमा १०००) का हो, तो पूर्ण विनाश होने पर केवल ८००) ही मिलेगे। अतः यह स्पष्ट है कि यदि बीमा कराने वाला उचित रकम से अधिक गा कम का बीमा करायेगा, तो वह घाटे में रहेगा।

बीमे की प्रीमियम की गणना करते समय आधी शिलिंग से कम की रकम को छोड़ दिया जाता है और आधी शिलिंग या उससे अधिक की रकम को एक शिलिंग मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, पौं० २६४६—५—५ को पौं० २६४६ के बराबर माना जायगा; किन्तु पौं० २६४६—१२—५ को पौं० २६५० माना जायगा। विद्यार्थियों को जो प्रश्न दिये जाते हैं उनमें जिस रकम पर प्रीमियम की गणना करनी होनी है, वह दी होती है; और कभी-कभी प्रीमियम की रकम ही दी जाती है।

॥ ४. मूल्य की गणना

विदेशी व्यापार में जो मूल्य काम में आते हैं, उनकी विस्तृत विवेचना हम अध्याय ५४ में कर चुके हैं। जब आपको कोई खास मूल्य (जैसे जहाज-लदाई-माफ मूल्य या बीमा-खर्च-माफ मूल्य) आँकना हो, तो पहले आपको यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि उस मूल्य में कौन-कौन से अश सम्मिलित होते हैं। उस मूल्य में जो भी अश शामिल होते हों, उनको माल के। मौलिक मूल्य में जोड़ देने से आवश्यक मूल्य निकल आता है। यदि पाठक नीचे दिये जाने वाले बीजकों का सावधानी से अव्ययन करे, तो उन्हें मूल्य आँकने का तरीका मालूम हो जायगा।

॥ ५. बीजकों के उदाहरण

don, shipped the following goods per S S *Demos* to Bombay by order of Bansidhar Ramgopal, General Merchants, Delhi

Ten cases marked



each containing 500

pieces of artificial silk (Sample No 87345), each piece of 8 yards at 1 $\frac{1}{4}$ d per yard. The charges in connection with the ship were Packing 7s 6d per case, Carriage to port, 12s Dock charges, 17s 6d, Bill of Lading, etc., 5s Freight @ 35s per ton of 40 cubic feet plus 10%, the measurements of each case being 60'×42"×45", Insurance on £ 250 @ 5s% Commission @ 5%. You are required to make (1) Loco Invoice (2) F O B Invoice (3) C & F Invoice, (4) C I F Invoice, and (5) Franco Invoice.

(1) स्थानीय बीजक (Loco Invoice) यदि माल स्थानीय मूल्य पर बेचा गया हो, तो जो मूल्य प्रश्न में दिया हो उसी को बीजक में लिखना चाहिये। जिसने भी खर्च हो, वे अलग से दिखाने चाहिये। माल के मूल्य तथा सभ खर्चों को जोड़कर जो कुल रकम आविं उस पर कमीशन मालूम किया जाता है। हम नीचे स्थानीय बीजक देते हैं

स्थानीय (Loco) वीजक

INVOICE OF TEN CASES OF ARTIFICIAL SILK

Shipped by the undersigned per S. S. Demos

From London to Bombay

By order and for account and risk of
MESSRS BANSIDHAR RAMGOPAL, DELHI

Indent No. 1375

B. R. Bombay 1/0	Ten cases, each containing 500 pieces of Artificial Silk, Sample No. 87345, each piece of 8 yds., 40,000 yds.	£	s.	d.	£	s.	d.
	<i>Charges</i>	1 4			208	6	8
	Packing of ten cases	7	6	3 15			
	Carriage to port			12			
	Dock charges			17	6		
	Bill of Lading, etc.			5			
	Freight on 10 (60" X 42" X 45") = 656. 25 cubic feet @ 35 per ton = £28 - 14 - 0 + 10% = £ 2 - 7 - 5						
	Marine insurance on £250	5%		31 11 5			
				12 6			
					37	13 5	
	Commission ...	5%			246	0	1
					12	6	
						258	6 1
E. & O. E. London, February 10, 1950. Douglas Fraser & Sons, Ltd.							

(२) जहाज-लदाई-माफ (F. O. B.) वीजक—यदि माल जहाज-
लदाई-माफ मूल्य पर बेचा गया हो, तो प्रर्ण हल करने के लिए सबसे पहले

जहाज-लदाई-माफ मूल्य का पता लगा लेना चाहिये। इस मूल्य में किराया और श्रीमें की प्रीमियम सम्मिलित नहीं होती; अतः इनको व्यव के शीर्षक के अन्तर्गत दिखाना चाहिये। जहाज-लदाई-माफ मूल्य की गणना अगले पृष्ठ पर दिखाई गई है।

जहाज-लदाई-माफ (F. O. B.) बीजक

INVOICE OF TEN CASES OF ARTIFICIAL SILK


Shipped by the undersigned per S. S. *Demos*

From London to Bombay

By order and for account and risk of

MESSRS BANSIDHAR RAMGOPAL, DELHI.

Indent No. 1375



		£	s.	d.	£	s.	d.
Ten cases, each containing 500 pieces of Artificial Silk (Sample No. 87345), each piece of 8 yds.=40,000 yds. F. O. B London	... 1.33d				213	16	2
<i>Charges</i>							
Freight on 10 (60"×42"× 45")=656.28 cubic feet @ 35 per ton £=28-14-0 +10% =1-17-5		31	11	5			
Marine Insurance on £250	5%		-	12.6			
					32	3	11
Commission	... 5%				246	0	1
E. & O. E.					12	6	0
London, February 10, 1950					258	6	1
Douglas, Fraser & Sons Ltd.					—	—	—

		s	d
	£		
0 pieces of artificial Silk each piece of 8 ¹ / ₂ yds @ 1 ¹ / ₂ d per yd.	208	6 8
— Add packing of ten cases @ 716	3	15 0
" carriage to port	0	12 0
" dock charges	0	17 6
" B/L etc.	0	5 0
<u>Cost of goods on board</u>	<u>213</u>	<u>16</u> 2

F O B price per yard = £213-16-2 - 40,000 1 33 d

(3) जहाज किराया माफ (C & F.) बीजक—यदि उपरोक्त समा चार के आधार पर आपको जहाज किराया-माफ बीजक बनाना हो, तो आपको सबसे पहले जहाज किराया-माफ मूल्य की गणना करनी चाहिये। बीमा की प्रीमियम ही केवल ऐसी वस्तु है जो मूल्य में सम्मिलित नहीं होती, अतः उसे अलग से व्यय के रूप में दिखाना पड़ेगा। जहाज किराया माफ मूल्य इस प्रकार निकाला जायगा।

Price of goods on board	£	s	d
Add freight	31	11	5
	<u>Total 235 7 7</u>		

C and F. Price per yard = £245-7-7 - 40,000 = 1 47 d

जहान-किराया-माफ (C. & F.) वीजक

INVOICE OF TEN CASES OF ARTIFICIAL SILK

Shipped by the undersigned per S. S. *Demar*

From London to Bombay

By order and for account and risk of
MESSRS BANISDHAR RAMGOAL, DELHI,

Indent No. 1375.

B. R. Bombay 1/10	Ten cases, each containing 500 pieces of Arti- ficial Silk / Sam- ple No. 87345) each piece of 8 yds. = 40,000 yds., C. & F. Bombay ...	£	s.	d.	£	s.	d.
	Charges	1.47d			245	7	7
	Insurance on £250	5s.%				12	6
	Commission London, Feb. 10, 1950. Douglas Fraser & Sons, Ltd.	4%			246	0	1
E. & O. E.					12	6	0
					258	6	1

(४) वीमा-सर्व-माफ (C. I. F.) वीजक—जैसा ऊपर किया गया है, उससे पहले आप वीमा-सर्व-माफ मूल्य निकाल लीजिये। प्रश्न में बताये गये सब सर्व इस मूल्य में सम्मिलित होते हैं; केवल कमीशन ही अलग से व्यवहार के रूप में दिखाना पड़ता है। वीमा-सर्व-माफ मूल्य की गणना इस प्रकार होती :

		£	s,	d.
C. & F. price 245	7	7
Add Insurance 12	6	
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total	...	246	0	1

C. I. F. price per yard = £246-0-1 ÷ 40,000
= 1.48d.

चीमा-त्वच्च-माफ (C. I. F.) वीजक

INVOICE OF TEN CASES OF ARTIFICIAL SILK

Shipped by the undersigned per S. S. *Demos*.

From London to Bombay

By order and for account and risk of
MESSRS BANSIDHAR RAMGOPAL, DELHI

Indent No. 1375.

B. R. Bombay 1/10	Ten cases, each containing 500 pieces of Arti- ficial Silk (Sample No. 87345) each piece of 8 yds.= 40,000 yds., C I F., Bombay.	£	s. d.	£	s. d.
	Charge	...	1.48d	246	0
	Commission	...	5%	12	6
				<hr/>	<hr/>
	E. & O. E.			258	6
				<hr/>	<hr/>
	London. Feb. 10. 1950. Douglas Fraser & Sons. Ltd.				

(५) सब खर्च माफ (Franco) बीजक—इस प्रकार के बीजक बनाने के पहले सब-खर्च माफ मूल्य निकाल लेना चाहिए। माल के आयातकर्ता के दरवाजे तक पहुँचने में जितना भी व्यय होता है, वह इस मूल्य में सम्मिलित होता है। माल का सब खर्च माफ मूल्य मालूम करने के लिए, हमें बीमा खर्च माफ मूल्य में निम्नलिखित व्यय जोड़ने पड़ेगे। बम्बई में लगने वाला आयात कर, डाक का चार्ज, बम्बई स्टेशन तक गाड़ी द्वारा ढुलाई का व्यय, दिल्ली तक रेल का किराया और दिल्ली स्टेशन से आयातकर्ता के गोदाम तक माल की ढुलाई। सब खर्च-माफ मूल्य में कमीशन भी शामिल होता है। सब खर्च माफ बीजक अधिकतर आयातकर्ता के चलन में ही तैयार किये जाते हैं। किन्तु मान इस मूल्य पर कदाचित् ही कभी खरीदा जाता हो। अत ऐसे बीजक बनाने का अवसर बहुत कम आता है। हम नीचे इसका उदाहरण देते हैं

Rs	as	ps
----	----	----

C I F price £246 0 1, which is equal
to @ Re 1=ls 6d

Add Import Duty	3,280	1	0
" Dock Charges	600	0	0
" Cartage	15	0	0
" Railway Freight	6	0	0
" Octroi duty	300	0	0
" Cartage	50	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
" Commission @ 5%	6	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4 257	1	0
	212	13	7
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4469	14	7

Franco price per yard Rs 4,469 14 10—40 000
=1 a 9 5 ps

सब-खर्च-माफ (FRANCO) वीजक

INVOICE OF TEN CASES OF ARTIFICIAL SILK

Shipped by the undersigned per S. S. Demos

From London to Bombay

By order and for account and risk of

MESSRS BANSIDHAR RAMGOPAL, DELHI

Indent No 1375

	Ten cases, each containing 500 pieces of Artificial Silk (Sample No. 87345), each piece of 8 yds.=40,000 yds.	Rs. A p.	Rs.	A. p.
B.R. Bombay 1/10	1 a. Franco Bombay	9.5p.	4,469	4 10

E & O. E.

London, February 10
1950. Douglas Fraser
& Sons, Ltd.

६. एक और उदाहरण : स्थानीय (LOCO) वीजक

Prepare a loco invoice for ten cases marked numbers
I. H. 31/40 containing 30 pieces of 26" Artificial Silk,
B. the lengths being 2/60, 5/70, 8/65, 10/66, 5/68
@ 1s per yd. shipped by Messrs Smith, Bolton
& Co., London, to Messrs Ramchand Hirach-
and. Poona, per S. S. Jaitrang. The charges

were : Packing, 9s per case, carriage to port, 10s.; freight
to Bombay at 18s, 6d. per ton and ten per cent; each case
measuring 2'10"×1'11"×11"; B/L and shipping charges,
10s. 8d.; Marine insurance @ 5s. per cent.

INVOICE OF TEN CASES OF ARTIFICIAL SILK
 Shipped by the undersigned per S. S *Jalatarang*
 From London to Bombay
 By order and for account and risk of
MESSRS RAMCHAND HIRACHAND, POONA

R. H B 31/40	Ten cases, containing 30 pieces 26" Artificial Silk 2/60, 5/70 8/65, 10/66, 5/68 = 1990 yds.	£ s d	£ s d
		1 s	99 10
	Charges		
	Ten cases, packing	6d	3 — —
	Carriage to port .		— 10 —
	Freight on 95 c f - 40 @ 18/9 + 10%		2 9 —
	B/L & shipping charge		— 10 8
	Marine Insurance on £117	5s	— 5 10
			6 — —
			— 106 5 2
	E & O E		
	London, May 1, 1950		
	Smith, Bolton & Co		

§ ७. एक और उदाहरण - जहाज-लदाई-माफ

(F. O. B.) वीजक

Messrs Atkinson & Atkinson, Leicester, shipped to the
 Standard Leather Stores, Bombay, the following goods per

S. S. Victoria: four cases, 2 containing 200 pairs of Men's Leather Boots each priced @ 12s F. O. B. London, and the other two containing 200 pieces of Ladies' Leather Boots each priced @ 10s F. O. B. London. Freight is paid on 65' 4" @ 85s Marine insurance is effected @ 10s. per cent. Prepare the F. O. B. Invoice which Messrs. Atkinson & Atkinson, Leicester, will send to the Standard Leather Stores, Bombay.

INVOICE OF FOUR CASES OF SHOES

Shipped by the undersigned per *S. S. Victoria*

From London to Bombay

By order and for account and risk of
THE STANDARD LEATHER STORES, BOMBAY.

L. S.	Two cases, each containing 200 pairs of Men's Leather Boots, F O B. London.	£ s. d.	£ s. d.
B /	12s.	240	— —
10/2			— —
12/14	Two cases, each containing 200 pairs of Ladies' Leather Boots, F. O. B. London.	10s. 200	— —
		— — —	440 — —
	Charges	—	—
	Freight 65'4" @ 85s = £6-18-10 + 10% £0-13-11	7 12 9	— — —
	Marine Insurance on £452	10s. 2 9 2	10 1 11
		— — —	450 1 11
	E. & O. E. Leicester, May 1, 1950. Atkinson & Atkinson	— — —	— — —

C. सब खच माफ (FRANCO) वीजक

Prepare a Franco Invoice for the following goods sold by Tupman and Sons, London, to Quixote & Bros, Bombay 8 cases, each 45 pcs, 20' white shirtings, at 35 3s per piece Packing 3s per case Carriage to London and Freight at 22s per steamer ton plus 10% Each case measures 3'2"×1'1"×2'4" Marine insurance, B/L and charges come to 2s 4d Import duty Rs 10 Exchange Re 1=1s 6d Shipped from London per S S Windsor

हल

1 Price

45 pieces @ 3s 3d =	$\text{£} 7 \text{ 6s } 3\text{d}$
---------------------	------------------------------------

8 cases, each containing 45 pieces =	$\text{£} 58 \text{ 10 }$
--------------------------------------	---------------------------

2 Packing @ 3s

 $\text{£} 1 \text{ 40 }$

3 Freight

8 ($3' 2'' \times 1' 1'' \times 6' 4'' = 8$ cubic feet)
 $= 64$ cub ft

@ 11s per ton of 40 cub ft

 $= \text{£} 0 \text{ 17 } 7$ Add 10% = $\text{£} 0 \text{ 19 } 4$

$\text{£} 0 \text{ 19 } 4$

4 Insurance, B/L and Charges

 $\text{£} 0 \text{ 24 }$

Total	$\text{£} 60 \text{ 15 } 8$
-------	-----------------------------

$\text{£} 60 \text{ 15 } 8 @ 1s 6d = \text{Rs } 1$	$= \text{Rs } 810 \text{ 7 } 0$
--	---------------------------------

Add import duty	$= \text{Rs } 100 \text{ 0 }$
-----------------	-------------------------------

Total Cost	$= \text{Rs } 820 \text{ 7 } 1$
------------	---------------------------------

Price per piece 1s $\frac{\text{Rs } 820 \text{ 7 } 1}{360} = \text{Rs } 2 \text{ 4 } 6$
--

INVOICE OF EIGHT CASES OF WHITE SHIRTINGS

Shipped by the undersigned per S. S *Windsor*

From London to Bombay

By order and for account and risk of
MESSRS. QUIXOTE & BROS., BOMBAY

Q. B. Bombay 10/17	Eight cases, each contain- ing 45 pieces 20' White Shirtings, Fran- co Bombay	Rs.	Rs.	a	P
		2-4-6	820	7	1
			820	7	1
E. & O. E.					
	London August 1 1851. Tupman & Sons.				

अभ्यास के प्रश्न

१. बीजक क्या होता है ? इसमें क्या लिखा रहता है ? इसका एक नमूना दीजिये ।

२. विदेशी बीजक बनाने में कौन-सी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

३. जहाजी किराये की गणना करने के क्या आधार हैं और उनमें से कौन-सा सबसे अधिक महत्व का है ? W/M का क्या आशय है ?

४. एक काल्पनिक उदाहरण लेकर जहाजी किराये की गणना करने की विधि बताइये । आतिरिक्त किराया (Primage) क्या होता है ?

५. सामुद्रिक बीमे की रकम मालूम करने के लिए माल के चीज़क वाले मूल्य में १० प्रतिशत, वर्षों जोड़ देते हैं ?

6. Messrs. ~~Bickwick~~ and Snodgrass want 1 ton 3 cwt of furniture valued at £25 10s to be placed on board the S S *Winter* at London for conveyance to Marseilles. The rate is 35s 9d per ton. The charges for transferring the goods from quay to the hold of the vessel is 1s per ton weight. Add stamps 6d, gratuities 2s 6d. Find out the F O B quotation (Answer £ 27 15s)

7. A merchant in Bombay requests Messrs J Middleton & Co of Leeds, to quote for 10 tons cwt of iron bars 10'X 2"X1/2" F O B at Liverpool. The cost of collection is 2s per ton, of transit to Liverpool 8s per ton, of carriage in Liverpool 12s and a sum of 5s 6d has to be added for dues and incidentals. The metal is worth £ 3 10s per ton. Find out the F O B price (Answer £ 42 1s 6d)

8. Messrs T Robbins and Bros, Pall Mall, S W, want to prepare a quotation for linen packed in cases and delivered F O B at Liverpool to be sent to Brazil. Taking railway freight from London to Liverpool as £ 3 15s prepare an F O B quotation, given that the gross weight is 1 ton 10 cwt, that the cost of packing £ 2 15s, of carriage in London 12s 6d, of carriage, dues and shipping charges at Liverpool £ 2 3s and of fire insurance, 7s 6d p c on the value of the goods which is £ 850 (Answer £ 862 9s 3d)

9. Quote Franco, London to Sydney, for two tanks of soap valued at £ 225 15s less 20 p c trade discount, if the expenses are as follows 2 tanks at 50s each, Bs/L 2s, shipping costs, 2s 6d, lighterage on 2 tons 10 cwt 2 qrs at 4s 9d per ton, 2s 6d, lighterage on 2 tons 10 cwt 2 qrs at 4s 9d per ton, port rate in London, 1s 2d insurance, £ 217 at 6s 3d p c and stamps 3d, freight on 141' 10' at 52s 6d per ton + 10 p c, import duty on soap 20 p c ad valorem, wharfage 5s per ton (measurement), carriage £ 1, agents, commission 10s, sale of cases 15s, each, bond rent, four weeks at 3d per week, delivery charges 1s 6d. Also prepare a Franco Invoice (Answer £ 243 10s 1d)

10 Make out an invoice, a freight account and a C I F. quotation for the locomotives shipped from Newcastle-on-Tyne to Buenos Aires via London. Locomotives weigh 80 tons and are valued at £ 2000, coasting steamer, Newcastle-on-Tyne to London @ 25s per ton, lighterage by barge from coasting steamer to outward Buenos Aires steamer @ 12s 6d, per ton, Ocean freight, London to Buenos Aires, @ 60s per ton, marine insurance 10s p c, revenue stamps on policy @ 1d p c, policy, 3d, Bs/L, 1s, 6d, duck dues at Newcastle £ 11 2s, agents' commission, 1 p c on his disbursements (i.e., on everything but the cost of the goods)

There are ten cases, numbered 21 to 30 and the marks are

N	V,
B	A
B	A

(Freight £ 406 15s 5d, C I F £ 2,410 16 9d)

11 What would be the amount for freight on the following. (a) 4 cases each 3'4"×2'6"×3'9" @ 36s and 10 p c, (b) 5 bales each 3'9"×4'3"×3'3" @ 32s and 10 p c, (c) 3 cases each 3'5"×4'2"×2'3" @ 19s and 10 p c, (West Riding C C Inter.)

12. 20 rolls of cloth each of 100 yds, are quoted 9d per yd. The cases cost 18s 6d, Dock charges 4s 9d, Insurance 5s. 3d, Freight & B/L £ 3-0 10 Show how you will arrive at F O B, C I F and C and F prices

13 Draw up in proper style and form an invoice for the following produce shipped from Jamaica per steamer Port Kingston, by Arnold and Co, and consigned to Jones and Co, Bristol 25 cwt Ginger @ 65s, 1200 lbs Pimento @ 23/4d, 50 cwt Beeswax @ 155s, 200 lbs Sarsaparilla @ 1s 3d, 200 tons Logood @ 85s, 50 tons Fustic @ 60s Charges. warehousing and wharfage, £ 10 5s Advertising £ 5 13s. Brokerage, 1 p c.

(Lancashire and Cheshire Union Senior Exam.)

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इंटर कार्मस

१ अपनी तरफ से ५ कल्पन सौदे लेकर निर्यात ग्रीजक तेवर कीजिये।

(उत्तर प्र० १६५४)

३. बम्बई के मैसर्स रतीलाल एण्ड कम्पनी ने डरबन के श्री मुत्तारक अली को ५,००० गज सफेद कमीज का कपड़ा 'जलविहार' जहाज द्वारा भेजा है जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

कपड़े का गोदाम पर मूल्य ॥१॥ गज ; पैकिंग खर्च २०॥ घन्दरगाह पर माल भेजने का खर्च १४॥, घन्दरगाह की फीस २५॥); स्टाम्प खर्च २॥), जहाज का भाड़ा २२०) जिस पर १० प्रतिशत प्रायमेज लगा; बीमा खर्च ॥) प्रतिशत ।

उपरोक्त विवरण से निर्यात बीजक बनाइए और जिन चातों की आवश्यकता हो स्वयं भरिए । (यू० पी०, १६५१)

४. नवम्बर २०, १६४८ को लन्दन की मैसर्स मार्टिन एण्ड कम्पनी ने लन्दन नगर जहाज द्वारा निम्नलिखित माल बम्बई की मिडलैण्ड एण्ड कम्पनी को भेजा :—

१० पेटियाँ मार्कां म जिसमें प्रत्येक में १५६ छाते थे । इन

छातों का मूल्य ६४ शिं० प्रति दर्जन था । माल भेजने में निम्नलिखित खर्च हुआ :—

बैंधाई १४ शिं० प्रति पेटी; घन्दरगाह तक गाड़ी भाड़ा १३ शिं० ६ पेस, जहाज महसूल २३ शिं०, बिल बनाने का रचा आदि ४ शिं० ३पैस; कमीशन ५ प्रतिशत; बीमा ४२५ पौंड पर ६ शिं० प्रति शत । प्रत्येक पेटी का नाप इस प्रकार है—४' ६" X ३' ४" X ३' ३" और महसूल दर २७ शिं० प्रति ४० घन फीट प्रति टन है । इसके अतिरिक्त १० प्रतिशत जहाज की दस्तूरी भी लगी है ।

बीजक के रपये के लिए ६० दिन के ही/ए बिल की तीन प्रतिलिपियाँ बनाकर अन्य अधिकार पत्रों के साथ नेशनल बैंक आव इडिया लि० बम्बई को भेज दिये गये हैं ।

उपयुक्त विवरण से (अ) चीजक बनाइए और (ब) उचित नमूने पर बिल का पहला प्रतिरूप तैयार कीजिये । (यू० पी० १६५०)

5. From the following particulars prepare in proper form an invoice to be submitted to Messrs Himmat Ram Kripa Shanker of Bombay —

On 15th January, 1940, Messrs, Allen Brothers & Co , of Manchester, shipped the following goods per S S Light of Asia to the order of Messrs Himmat Ram Kripa Shanker of Bombay —

10 cases marked

N	K
---	---

each containing 50

of Bombay

pieces of grey shirtings @ 12 as per piece of 40 yards The charges in connection with the shipment were —

Packing 5s per case, Carriage to port, 12s 6d ; Shipping Charges, 10s , Bills of Lading, etc., 3s 6d Each case measures 4'5"×3'8"×3'4" and freight is to be charged at the rate of 22s per ton of 40 cubic feet and 10 p c primage Insurance is to be effected at £350 at 5s per cent (U P 1945)

6 Prepare an A/S of 100 bales of Kashmir Wool ex- S S Orient from Karachi, sold by Sydney Webb & Co , London, for account and risk of Rahim Baksh & Sons, Karachi

Gross Weight 364 cwt 2 qr 14 lb

Tare and draft 14 cwt 1 qr 7 lb

Sold at 64 shillings per cwt The charges incurred by the consignees were • Freight on gross weight @ 60 shilling per ton or 20 cwt , Fire insurance, £ 2 15-0, Dock and warehouse charges, £ 16 7 6, Sales expenses @ 6d per bale, Brokerage @ 1/2 p c, on gross proceeds, Commission and del credere @ 2½ p c (U P , 1944)

7 On 5th January 1943, Messrs John Anderson Co , of Manchester, shipped the following goods per S S City of Karachi to the order of Messrs K I Mehta and Company, Bombay —

Five cases of artificial silk marked

KL M & Co

each

Bombay

containing 24 pieces of 48 yards each @ 7 3/4d per yard The charges in connection with the shipment are —

Packing 10s 6d per case, carriage to port, 83s 3d, Shipping charges, 12s, 4d, Bills of Lading, 3s 6d, Freight 35s per ton of 40 cub ft and 10 p c primage

Marine Insurance on £ 220 at 6s per cent F P A Each case measured 4'4" X 2'6" X 4'0"

Make out the invoice in proper form, and calculate the price per yard C I F Bombay (U P Com, 1943)

राजपूताना, इंटर कामसे

8 On 10th March, 1950, A B & Co, Ltd, London, shipped the following goods per *S S Demas* to Bombay by order of Bansidhar Ram Gopal, Merchants, Delhi —

Ten cases marked B R each containing 300 pieces of Artificial Silk Trimmings each piece of 8 yds @ 1 $\frac{1}{2}$ d less 12 $\frac{1}{2}\%$ The charges in connection with shipment were Packing 7/6d per Case, carriage to port 12/, Dock charges, 17/6 d, B/L etc 5/, Freight @ 20/ per ton of 40 c. f +10%, the measurement of each case being 60" X 42" X 45", Insurance on £250 @ 5/ per cent, Commission @ 5/ per cent

You are required to make out the invoice in proper form (Rajputana, 1951)

9 Make an export invoice, using imaginary particulars (Rajputana, 1948)

10. Bhatia & Co, of Bombay, order from Shorts and Co, London, the following goods 500 000 P J Cigarettes 'Standard' Size, 100,000 P J Cigarettes 'Large size,' 6 Gross Briar Pipes, and 10 dozen Oil skin tobacco pouches

Submit the above order in form of an indent with the usual instruction such documents contain

Assume your own price for the above goods, and prepare the invoices Shorts & Co would send to Bhatia & Co, with

the additional charges usual in such transaction. The cigarettes are subject to 10 per cent, and the remaining goods to 15 per cent trade discount (Rajputana, 1944)

सागर, इन्टर कामर्स

11 Make out a C & F invoice from the following particulars —

Sellers—Messrs Southey & Co, London

Buyers—Messrs Badruddin & Co, Bombay

Steamship—Star of India

Shipment—One case measuring 3'6"×4'9"×3'3"

marked	 S Co	containing
126		

the following —

6 Silver flasks @ £ 1/8/6 each

6 Leather cases @ 13 sh each

6 Dozen Silver Coffee Spoons @ £ 2/18/4 doz Discount 15% Trade Discount

Charges Freight £ 2/8/ per ton measurement (1 Ton = 40 c. f.) + 10% primage, carriage to the port of London /8/6d. Dock charges & B/L, /4/

Insurance for the amount of invoice @ 10/6 d per cent (Sagar 1951 S)

12 फरवरी १०, १९४८ को दिल्ली के श्री वशीधर रामगोपाल के आड़ेर क अनुसार श्री डगलस फ्रेजर एण्ड संस्स निम्नलिखित माल 'जनतरग' नामक जहाज के द्वारा बम्बई को भेजा।

१० पेटी जिन पर यह चिन्ह

B R.	0/40
BOMBAY	

अंकित है और प्रत्येक पेटी

में ५०० टुकड़े नकली सिल्क के (नमूना नं. द७३४५) हैं। प्रत्येक टुकड़ा

द गज का है और दर है १२५ पैस प्रति गज अरुण १२। प्रतिशत। माल भेजने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यय हुआ :

पैकिंग ७ शिं ६ पैस प्रति पेटी; बन्दरगाह तक दुलाई १२ शिं; डाक व्यय, १७ शिं ६ पैस; जहाजी बिल्टी, ५ शिं, जहाजी किराया, ३५ शिं प्रति टन (४० घन फीट या Cubic feet का) घन १० प्रतिशत (प्रत्येक पेटी का नाप है ६०" \times ४२" \times ४५"); २५० पौंड पर चीमा दर ५ शिं प्रतिशत। कमीशन बीजक की कुल रकम पर ३ प्रतिशत।

माल का बीजक उपयुक्त स्वरूप में बनाइए। नेशनल वैंक आव इंडिया के पक्ष में एक दफ्तर के बाला बिल भी बनाइए जो स्वीकृति से ३० दिन बाद देय होगा।
(सागर, १९४६)

नागपुर, इन्टर कार्मस

१३. बम्बई की रामचंद्रा कम्पनी ने मैनचेस्टर की एडर्सन कम्पनी से निम्नलिखित माल खरीदा : —

(१) १०० गज ट्वीड क्रमाक ६०५ दर २॥) प्रति गज।

(२) ८०० गज बस्टेंड क्रमाक १०१५ दर २॥) प्रति गज।

(३) १,००० गज ओवरकोट का कपड़ा क्रमाक २१२५ दर २।) प्रतिगज।

(४) १,५०० गज पैट का कपड़ा क्रमांक ३२२३ दर १।) गज।

प्रत्येक प्रकार का माल अलग-अलग पेटियों में बन्द कर 'जलजमा' जहाज द्वारा बम्बई भेजा गया। प्रत्येक पेटी पर बगल की सुहर थी। खर्च इस प्रकार

हुआ : बैठन १०); बाहन व्यय १२); नौ व्यय १५);

बहन-पत्र २); भाटक ४० घनफुट के लिए ८५) के

प्रमाण में और अधिनौमाटक १०%; समुद्र आगोप ५५); प्रत्येक पेटी का नाप ४' \times २' \times ४' है। C. I. F.

रामचंद्रा कम्पनी

बम्बई

बीजक तैयार कीजिये (नागपुर, १९५२)

बनारस, इण्टर कार्मस

१४. अपनी कल्पना से व्यौरा देकर, एक स्थानीय बीजक बनाइये।

(बनारस, १९४६)

15. On 10th December, 1950, Messrs Read & Co, of Liver-

pool, shipped the following goods per S S *City of London* to Messrs Prem & Co, Kanpur —

Five cases marked P C each containing 75

pieces of white shirting @ 23s per piece of 40 yards. The charges in connection with the shipment are packing 8s per carriage to port 125 case, 6d commission £ 5, insurance is to be effected on £ 450 at 5s per cent. Each case measures 4'6" × 3'8" × 3'8" and freight is charged @ 22s per ton of 40 c f and 10% primage. All the cases weigh 1½ tons.

A thirty days' after sight D/A Bill is drawn in triplicate for the amount of the invoice and the shipping documents are sent through the National Bank of India, Ltd, Kanpur.

You are required (a) to make out the *invoice* for the goods and (b) to draft the *first copy of the bill* (Banaras 1952).

दिल्ली, हायर सेकंडरी

16 On 25th March, 1951, Smith & Co of London shipped to Messrs Deviprasad and Co, Bombay, the following goods per S S *Renown*—

12 Cases, each containing 450 pieces of artificial silk trimmings, each piece of 10 yds @ 1/8d per yard less 10%. The charges in connection with the shipment were packing 7s 6d per case, carriage to port 15s, dock charges 25s, B/L etc 6s, freight @ 25s per ton of 40 c f plus 10%, the measurement of each case being 70" × 48" × 36", Insurance £ 400 @ 6s 4d per cent, Commission

@ 5s per cent Cases D C 1/12 Make out invoice on

Bombay

Loco and F O B terms (Delhi, 1951)

विहार, इन्टर कामर्स

१८ प्राइमेज (Primage) का क्या अर्थ होता है? (निहार, १६५४)

बीमा

अध्याय ४५

बीमा (Insurance)

१. प्रारम्भिक

मनुष्य के जीवन और सम्पत्ति को आगामी दिशाओं से विनाश या क्षति का सकट लगा रहता है। यह हो सकता है कि किसी परिवार के पोषक की मृत्यु हो जाय और उसका परिवार निर्धनता की यातनाओं का शिकार बन जाय। यह भी हो सकता है कि किसी मनुष्य के घर में आग लग जाय और कुछ समय में ही वह राख का देर हो जाय। व्यापारी का जहाज ऊँची-ऊँची लहरों के कारण उलट सकता है और उसकी क्षति हो सकती है या पूर्ण विनाश हो सकता है। जो व्यक्ति ऐसे संकटों के शिकार होते हैं उनको भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है और उनमें से बहुत से वस्तुतः उजड़ ही जाते हैं। ऐसे संकटों से रक्षा प्राप्त करने के लिए ही बीमा की प्रणाली का आविष्कार किया गया है। बीमा कम्पनी योड़े से रुपये, जिन्हें प्रीमियम (Premium) कहते हैं, के एवज में इस बात की प्रतिशा करती है कि किसी विशेष घटना के घटित होने पर वह एक निश्चित घन-राशि अदा करेगी। उदाहरण के लिये, एक कारखाने का स्वामी जिसका मूल्य बीस हजार रुपये है, योड़ों प्रीमियम देकर कारखाने का बीमा २०,०००) का करा सकता है। यदि कारखाने में आग लग जाय और वह राख का देर हो जाय, तो बीमा कम्पनी उसके स्वामी को २०,०००) अदा करेगी। इसी प्रकार एक २३ वर्ष का युवक जगभग २५०) वार्षिक प्रीमियम के एवज में अपने जीवन का बीमा १०,०००) का करा सकता है। यदि उसकी मृत्यु हो

जाय, तो बीमा कम्पनी उसके उत्तराधिकारी को १०,००० देगी। इस प्रकार यह स्फूट है कि बीमा कम्पनी मनुष्यों की भारी आर्थिक हानि से रक्षा करने का एक बहुत ही उपयोगी व्यापारिक उपाय है।

बीमा एक ऐसा प्रसविदा है जिसके अनुसार किसी प्रतिफल (consideration) के एवज में एक पहुँच दूसरे पक्ष को किसी विशेष घटना के घटित होने पर एक निश्चित घनराशि अदा करने के लिये सहमत हो जाता है। अमेरीकन न्यायाधीश, चीफ जस्टिस छिंडाल, ने एक बार कहा था कि बीमा ऐसा प्रसविदा है जिसमें कि बीमा पात्र बीमा कर्ता को रूपये की एक रकम उसकी इस प्रतिशा के एवज में देता है कि वह एक कथित घटना के घटने पर उससे बड़ी रकम अदा करेगा। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की किसी संकट से रक्षा करता है बीमा कर्ता (Insurer) कहलाता है, और जिस व्यक्ति की संकट से रक्षा होती है, वह बीमा-पात्र (Insured) कहलाता है। जिस रकम के लिये बीमा-पत्र लिया जाता है वह बीमा की रकम (Insured amount) कहलाती है। बीमा-पात्र बीमा-कर्ता को जो प्रतिफल देता है, उसे प्रीमियम (Premium) कहते हैं।

यह साफ-साफ समझ लेना चाहिये कि बीमा हानि या विनाश के संकट को नहीं रोक सकता, वह केवल संस्टजन्य हानि को, जो एक व्यक्ति पर पड़ती है, अनेक व्यक्तियों पर फैला देता है।

बीमा का स्वभाव

एक विद्वान् ने बीमा के उपयोगिता की इस प्रकार व्याख्या की है :

सम्पत्ति और व्यक्ति, दोनों को ही कुछ सक्तों का भर लगा रहता है और विद्वान् मनुष्य अपने या अपने ऊपर निर्भर रहने वालों के लिये आमदनी के बने रहने के उद्देश्य से उस आमदनी का एक भाग उन व्यक्तियों को प्रसन्नता से दे देते हैं जो इन सक्तों के भय को अपने ऊपर ले लेने को तैयार हो जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि स्वभाव में बीमा सहे की भाँति है, किन्तु बीमा को जु़ये का स्वरूप अहण करने से रोकने के लिये विद्वान् ने यह नियम बना दिया है कि ऐसे प्रसविदे वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें बीमे के विषय में

आधिक हवत हा। अत कोइं व्यक्ति जिसी प्रभार की समति अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के जावन का बामा रमा कग सकता है उब कि उस समति के विनाश अथवा उस व्यक्ति की मृत्यु स उक आधिक हानि हो। जिस व्यक्ति के हित के लिये बामा कराया जाता है वह हानि का सकट बीमा कर्ता पर रख देता है और बामा नव इस सकट का बोर सहे क समान है निश्चितता (Certainty) ने परिवर्तव बर लगा है.. बीमा-पत्र का यह काम होता है कि वह विभिन्न श्रेणियों के सहृदयों को विस्तृत ज्ञेन्य पर फैजा दे, प्रत्यक्ष श्रेणी में इतनी अविकल्पनुग्रही की द्वयी द्वयी रकमों का बीमा करे कि उनका छनिपूर्ति का नीमाओं में वही अनुराग पड़ जो कि समस्त द्वाति का कुन सहृदयों के मालूम किया गया अनुराग है। फ़र वह प्रमिति की एक ऐसी दर बीमा-पत्र ने लेता है कि बा दावे का रकम (Claims) और प्रबन्ध का वय अद्वा करने के लिये काफ़ा हो। ऐसा प्रणाली में सहे का अश लगभग लुप्त हा जाता है और अद्वा करने के लिये निश्चित साधन प्राप्त हा जाते हैं।*

Assurance और Insurance

अँग्रेजी म बामा क लिये Assurance और Insurance इन दो शब्दों का प्रयोग होता है। बहुधा ये प्रयापवाचा शब्दों, अथवा समान अर्थ वाल शब्दों, का माति प्रयोग में लाये जाते हैं। किन्तु कुछ विद्वानों ने इन शब्दों में नद माना है।

कुछ लेखकों का मत है कि Assurance शब्द का प्रयोग हमें उन बीमा क प्रसविदों के सम्बन्ध में करना चाहिये जिनमें कि बीमा का रकम ऐसी धर्ना क परित हाने पर देन हा, जिसका होना निश्चित हा, और Insurance शब्द का प्रयोग ऐसा क उन प्रसविदों के सम्बन्ध में करना चाहिये। जिनमें कि "मा की रकम ऐसी धर्ना क बाटव हाने पर देय हो जो हा मा सकता है और नहीं भा हो सकती या जो अशरु हा हो। बीदन बीमा की रकम मृत्यु होने

*Clemson, *Methods and Machinery of Business*, pp 173-174

पर देय होती है, जिसका हाना निश्चय है, इसलिये जीवन बीमा के सम्बन्ध में Assurance रु०८ का प्रयोग करना चाहिये। अग्नि-बीमा और सामुद्रिक-बीमा में माल के अग्नि या सामुद्रिक सकंडे से नष्ट हो जाने या उसकी हानि हो जाने पर ही बीमे की रकम देय होती है, यदि विनाश या हानि न हा तो, बीमे की रकम की अदायगा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः इसमें जिस घटना के घटित होने पर बीमे की रकम देय होती है, वह ही भी सकती है और नहीं नी हो सकती; इसलिये बीमा के इन प्रसंविदों के सम्बन्ध में हमें Insurance शब्द का प्रयोग करना चाहिये।

कुछ अन्य लेतकों का मत है कि बीमा पात्र अपने जीवन या सम्पत्ति को insure कराता है, और बीमा कम्पनी उसे इस बात की assurance देती है कि बताई हुई घटना के घटित होने पर और विनाश या हानि होने पर उसके धाटे की पूर्ति कर दी जायगी।

किन्तु यह मेर सर्वदा माने नहीं जाते; और न इस प्रकार बाल की खाल निकानने स कई उद्देश्य ही पूरा होता है। अतः इन दोनों शब्दों को पर्याय बाची ही मानना चाहिये।

१२. बीमा के प्रकार

बीमा के अगणित रूप होते हैं। जीवन, अग्नि एव सामुद्रिक बीमे इसके मुख्य रूप हैं। किन्तु हानि में ही अन्य प्रकार के बीमों का भी उदय हुआ है, और अब हम प्रायः प्रत्येक सकंड से रक्षा करने के लिये बीमा परीद सकते हैं। कुछ बीमा कम्पनियाँ तो निश्चित आयु में स्त्रिया के सौन्दर्य का भी बीमा करती हैं: निश्चित आयु में यदि सौन्दर्य बिगड़ जाय तो निश्चित रकम अदा कर देता है। यारः हर प्रकार के बीमे की असाधारण उन्नति, आधुनिक बाल की सब से महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जीवन, अग्नि और सामुद्रिक जामे की तो हाल म उन्नति हुड़ है, साथ म अन्य प्रकार के अनेक जामे भी बहुत लोङ-प्रिय हा तुक हैं और हो रह हैं।

जीवन वीमा

बीमे की सब ,से महवपूर्ण किस्म जीवन वीमा है । एक व्यक्ति अपने जीवन का या ऐसे व्यक्ति के जीवन का जिसमें उसका आर्थिक हित है वीमा करा सकता है; जिससे कि मृत्यु होने पर अथवा वीमा पात्र की निश्चित आयु हो जाने पर (जैसा भी प्रसविदा हो) वीमा कम्पनी वीमे की रकम अदा कर देती है । किसी भी परिवार के जीविका कनाने वाले की मृत्यु से परिवार को बड़े सकट का सामना करना पड़ता है । मृतक कदाचित् अपनी विधवा एवं बच्चों की नितात दरिद्रता में छोड़ जाय, और यदि उसके माता पिता तथा अन्य सम्बन्धी उसी के आसरे रहते हों, तो उनको भी आर्थिक यातना भोगनी पड़ेगी । किन्तु यदि उसके जीवन का वीमा कराया जा चुका हो, तो उसके स्त्री, बच्चों एवं उसके आसरे पर रहने वाले सम्बंधियों को उसकी मृत्यु पर एक निश्चित रकम दे दी जाती है जो उनको आर्थिक कठिनाई से बचाती है । भारत में सयुक्त परिवार की प्रणाली इस फ़िटि से बहुत अच्छी है क्योंकि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसका स्त्री और बच्चों का पालन पोषण होता रहता है । किन्तु सयुक्त परिवार की प्रणाली का अब द्वास हो रहा है और वीमा उसका स्थान ग्रहण कर रहा है ।

अग्नि-वीमा

अग्नि वीमा, वीमा की दूसरी महत्वपूर्ण किस्म है । किसी कारखाने या दुकान या घर का स्वामी योड़ी सी प्रीमियम देकर अग्नि-वीमा पर खरीद सकता है, और यदि उसकी सम्भति पूर्णतया अथवा अशतया जल जावे तो वीमा कम्पनी उसकी ज्ञति पूर्वि कर देगी । योड़ी सी प्रीमियम देकर ही उसे बहुत सरक्षण मिल जाता है । हम समझते तो यह है कि आग बहुत कम लगती है और उससे नुकसान कम होता है; किन्तु यदि हम विभिन्न देशों में आग द्वारा होने वाले नुकसान के आँकड़े देखें तो हमें पता चलेगा कि ऐसे नुकसान की मात्रा कितनी भीषण होती है ।

सामुद्रिक वीमा

वीमा की तीसरी मुख्य किस्म सामुद्रिक वीमा है । समुद्र में चलने वाले

जहाजों को बहुत से संकटों का सामना करना पड़ता है। जहाज कभी-कभी एक दूसरे से टकरा जाते हैं; उन्हें चोर या देश के शत्रु पकड़ सकते हैं; वे चट्ठान से टकरा कर चूर-चूर हो सकते हैं। ऐसी दशा में जहाज तथा उस पर लदे हुए माल दोनों की हानि होगी और उनके स्वामियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि ऐसे संकटों से रक्षा करने के लिये बीमा बी संरक्षण की प्रणाली न होती, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत घबका लगता। सामुद्रिक बीमा का सबसे पहले जन्म हुआ, उसके पश्चात् जीवन और अग्नि बीमा का।

दुर्घटना का बीमा (Accident Insurance)

बीमा बी इन तीन किस्मों के अतिरिक्त कुछ और किस्में भी प्रचलित हो चुकी हैं जिनको सामूहिक रूप से दुर्घटना बीमा कहते हैं। बेकारी बीमा (Unemployment Insurance), जिसके अन्तर्गत बेकारी के समय में बीमा करनी एक निश्चित आय अदा करती रहती है, इसी समूह के अन्दर आती है। श्याम के एक नरेश ने राजत्याग के पूर्व कई बेकारी बीमा करा लिये थे, जिनके अनुसार राजत्याग के पश्चात् उन्हें ४०,००० डालर प्रति वर्ष की आय मिलने लगी। इसी के अन्तर्गत मजदूर-क्षतिपूर्ति-बीमा (Workmen's Compensation Insurance) भी आता है। यदि कोई मजदूर काम करते समय धायल हो जाय, तो कारखाने वाले को उसकी क्षति-पूर्ति करनी पड़ती है; अतः कारखाने के मालिक बहुधा इस संकट से रक्षा प्राप्त करने के लिये बीमा करा लेते हैं। मोटर बीमा, फसल बीमा, अग्नि छब्बने का बीमा, ओले का बीमा, लाम बीमा, रोग बीमा आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। इनका उद्देश्य इनके नाम से ही स्पष्ट है।

३. बीमा संगठन के प्रकार

बीमा के संगठन कई प्रकार के होते हैं। जिनका वर्णन नीचे किया जाता है।

१. बीमा कम्पनी

बीमा व्यवसाय करने के लिये संयुक्त पैंजी वाली कम्पनियाँ बहुत खुल

गई हैं। ऐसी कम्पनी के शेयर-होल्डर उसकी समस्त पूँजी जुटाते हैं; इसका प्रबन्ध एक डाइरेक्टरों का बोर्ड करता है; और इसके लाभ शेयर-होल्डर में बटते हैं। चीमा-पत्र, धारकों (Policyholders) की श्रेणी शेयर-होल्डरों की श्रेणी से पूर्णतया भिन्न होती है : वे तो केवल कम्पनी के ग्राहक होते हैं जो किंहीं खास शर्तों पर चीमा खरीदते हैं। व्यापार में जो लाभ या हानि होती है, वह शेयर होल्डरों को ही जाती है।

कम्पनियों में स्थार्थी अब इतनी तीक्ष्ण हो गई है कि अब कम्पनी के प्रबन्ध में चीमा-पत्र धारकों को भी एक भाग दिया जाने लगा है, वस्तुतः लाभ का अधिकांश भाग उन्हीं को देदिया जाता है। संधारणतया लाभ का ६० प्रतिशत पत्र-धारकों में बांट दिया जाता है और शेष १० प्रतिशत हा शेयर-होल्डरों को मिलता है। ऐसी कम्पनियाँ आजकल बहुत लोक-प्रिय हो रही हैं।

२. सहयोगी समितियाँ (Mutual Associations)

कमो-कमो थोड़े से व्यक्ति मिल कर स्वयं अपने जीवन का चीमा कराने के लिये एक चीमा समिति स्थापित कर लेते हैं। ऐसी समिति को सहयोगी समिति कहते हैं।

सहयोगी समिति का प्रत्येक सदस्य चीमा करने वाला और कराने वाला दोनों ही होता है। अतः यह स्पष्ट है कि ऐसी समिति का पूरा प्रबंध पत्र धारक स्वयं ही करते हैं और व्यवसाय से जो भी लाभ होता है वह उन्हीं को दिया जाता है। इस प्रकार के चीमा सगठन से दो लाभ हैं। पहला तो यह कि चीमा-धारकों का समिति में सीधा हित होने के कारण प्रबंध की कार्यक्रमता ऊँची श्रेणी की रहती है। दूसरा यह कि समस्त लाभ एवं धारकों को मिलने के फलस्वरूप चीमा की असली लागत भी कम पड़ती है।

३. लायड समितियाँ (Lloyd's Associations)

लायड समितियाँ व्यक्तिगत चीमा कर्ताओं की समितियाँ होती हैं, जिन्हे आश्वासक या 'आइराइस' (Underwriters) कहते हैं। लायड समिति की विशेषता यह है कि इसके ग्रन्तगंत जो भी चीमा पत्र होता है उसकी रकम के कई टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े पर एक अलग चीमा-कर्ता उत्तरदायित्व

ले लेना है। उदाहरण के लिये, यदि कोई एक १०,०००) का सामुद्रिक बीमा पत्र ले, तो हो सकता है कि दस आश्रासन एक एक हजार रुपये का उत्तर दायित्व स्वीकार कर लें। यदि माल का पूर्ण विनाश हो जाय, तो प्रत्येक आश्रा सक एक एक हजार रुपया देगा। समिति के नियम और उपनियम बहुत छिन होने हैं और सदस्यों को उनमा सावधानी से पालन करना पड़ता है। समिति इस बात की भी सावधानी रखती है कि सदस्य ऐसे ही व्यक्ति बनाये जायें जिनकी ईमानदारी और आर्थिक अवस्था में किसी प्रकार कर सन्देह न हो। प्रत्येक सदस्य को समिति में एक बड़ी रकम जमा भी करनी पड़ती है जिससे कि यदि वह कोई दावे की रकम का भुगतान न कर सके, तो समिति उसके जमा रुपये में से दावा सत्रुट्ट कर सके। लायड समितियाँ वैसे तो हर प्रकार का बीमा करती हैं, किन्तु वे सामुद्रिक बीमा के द्वेष में विशेषतया विरक्त हैं। इगलैड ऐसी समितियों का घर है।

४ स्व-बीमा

कभी-कभा बीमा पत्र किसी कम्पनी से लेने के स्थान पर, व्यापारी स्वयं एक निश्चित रकम अलग रखना जाना है जिससे एक किसी विशेष सकट से हानि होने पर वह इस कोष में से दृति पूर्त कर सके। उदाहरण के लिये, याद किसी जहाजी कम्पनी के पास दस जहाज हा, तो वह एक निश्चित रकम प्रत्येक वर्ष निकाल कर एक कोष में रख सकता है जिससे कि जहाजों को हानि पहुंचने पर या उनका विनाश होने पर इसी कोष में से दृतिपूर्ति कर ली जाय। यह बामा बड़े बड़े व्यापारिक भवन ही करते हैं जिनकी सम्पत्ति इतना अधिक होती है कि उन्हें अन्य कम्पनियों से बीमा दरीदरे की अपेक्षा त्वं बीमा सत्ता पड़ता है और प्रति वर्ष होने वाली हानि बहुत कुछ निश्चित रूप से रहता है।

५ सरकारी बीमा

कुछ देशों में स्वयं सरकार ने कुछ विशेष कार्यों के लिए स्वयं बीमा का व्यवसाय स्थापित कर रखा है। ऐसी दशा में सरकार बीमा-कर्ता होता है।

बीमा के इस स्वरूप को सरकारी बीमा (State Insurance) कहते हैं। मारत में ढाकलाने में बीमा कराने की म्हीम इसी प्रकार की है। इस स्कीम के अतर्गत सरकारी नौकर सहते दर पर बीमा करा सकते हैं। इसकी प्रीमियम की दर व्यापारिक कम्पनियों की प्रीमियम की दर से नीचे होती है।

५. बीमा का प्रसंविदा

जब कोई व्यक्ति किसी बीमा कम्पनी में बीमा कराता है तो इन दोनों में एक प्रसंविदा किया जाता है जिसके अनुसार बीमा पात्र एक निश्चित प्रीमियम अदा करने की प्रतिशा करता है और बीमा-कर्ता कथित घटना के घटित होने पर एक निश्चित रकम अदा करने का उत्तरदायित्व लेता है। ऐसे प्रसंविदे का बीमा का प्रसंविदा (Insurance contract) कहते हैं। यह प्रसंविदा बीमा नियम (Insurance Policy) का रूप लेता है।

बीमे के प्रसंविदों की किसमे

बीमे के प्रसंविदों को हम दो भागों में बांट सकते हैं: **क्षतिपूर्ति के प्रसंविदे** (Contracts of Indemnity) तथा **जीवन प्रसंविदे** (Life Contracts)।

(अ) **क्षतिपूर्ति के प्रसंविदे**—जीवन बीमों तथा व्यक्तिगत दुर्घटना के बीमों के अतिरिक्त लगभग सभी बीमे क्षतिपूर्ति के प्रसंविदे होते हैं। इनमें अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा सब से अधिक महत्वपूर्ण है। इन्हें क्षतिपूर्ति के प्रसंविदे इस कारण कहते हैं कि शर्तों के अनुसार बीमा दर्ता यह प्रतिशा करता है कि यदि कथित सकट से बीमा कराई गई सम्भात्त को कुछ क्षति हो तो बीमा-कर्ता उसकी पूर्ति करेगा। कथित घटना के घटित होने पर बीमा-कर्ता केवल उननी ही रकम अदा करता है जो बीमा पात्र के नुकसान के बिल्कुल बराबर है। वह बास्तविक हानि से न तो अधिक होती है और न कम। मान लीजिये राम-चंद्र अपने घर का बीमा २०,०००) का करता है उसका घर जल कर राख का ढेर हो जाता है, किन्तु विनाश के समय उसके घर का मूल्य केवल १५,०००) था। ऐसी अवस्था में रामचंद्र को केवल १५,०००) ही मिलेगे, २०,०००) नहीं

न्योकि उसका वास्तविक नुस्खान १५,०००) का ही हुआ है। ज्ञातिपूर्ति का सिद्धान्त इस विचार पर आधारित है कि बीमे के प्रसविदे को बीमा पात्र की वास्तविक हानि से रक्षा करनी चाहिये और उसे लाभ का साधन नहीं बनाना चाहिये।

(ब) जीवन-प्रसंविदे—जीवन-बीमा का प्रसविदा ज्ञातिपूर्ति का प्रसविदा नहीं। इस प्रसविटे में बीमा कर्ता इस बात की प्रतिश्न नहीं करता कि मृत्यु होने पर जो वास्तविक ज्ञाति होंगी वह उसकी पूर्ति करेगा। मृत्यु से जो हानि होती है उसको न तो नापा ही जा सकता है और न उसको पूरा ही किया जा सकता है। अतः जीवन बीमा कितनी ही बड़ी रकम का कराया जा सकता है और मृत्यु होने पर वह सारी रकम वसूल की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का बीमा दो लाख रुपये का कराये तो उसकी मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी इस रकम के लिये दावा कर सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि जीवन-बीमे का प्रसविदा ज्ञातिपूर्ति का प्रसविदा नहीं प्रत्युत यह बीमा-पात्र की मृत्यु पर अथवा उसके किसी कथिन आयु के हो जाने पर निश्चित रकम के अदा कर देने की प्रतिश्ना है।

बीमा के प्रसविदे के आवश्यक लक्षण

बीमे का प्रसविदा किसी अन्य प्रकार के प्रसविदे की ही माँति होता है और वह भारतीय प्रसविदा विधान (Indian Contract Act) द्वारा शाखित होता है। मान्य (Valid) होने के लिये इसमें निम्नलिखित आवश्यक लक्षण अवश्य होने चाहिये : (१) प्रस्ताव और स्वीकृति, (२) योग्य पद्धति, (३) स्वतन्त्र सहमति, (४) वैधानिक उद्देश्य, आदि। किन्तु इन आवश्यक लक्षणों के अतिरिक्त बीमा के प्रसविदे में दो और लक्षण भी होने चाहिये : बीमायोग्य हित (Insurable Interest) और सभल मूलरूपी बातों का स्पष्टीकरण (Disclosure of all material facts)। हम इन विशेष लक्षणों का नीचे वर्णन करेंगे।

बीमायोग्य हित

बीमा का प्रसविदा तभी मात्र होगा जब कि बीमा पात्र का बीमा के विषय (subject matter) में बीमायोग्य हित हो अर्थात् बीमा पात्र का बीमा के प्रियप के साथ इस प्रकार का आर्थिक सम्बन्ध हो कि उसकी सुरक्षा से उसका लाभ ही तथा उसकी हानि से उसको नुकसान पहुँचे। अत इम यह परिभाषा दे सकते हैं कि बीमायोग्य हित किसी वस्तु में ऐसे आर्थिक हित के होने को कहते हैं कि उसकी सुरक्षा से आर्थिक लाभ और उसकी हानि से आर्थिक हानि हो। यदि बीमा पात्र का बीमा के विषय में बीमा योग्य हित नहीं है तो ऐसे प्रसविदे का वैधानिक दण्ड से कुछ भी मूल्य नहीं है। बीमायोग्य हित से हीन बीमे का प्रसविदा एक जुये के समझौते के समान है और वह कानून में विरजित (Void) है। उदाहरण के लिये, यदि आत्मराम वशीघर को, एक कुत्ते के बाईं ओर मुड़ जाने पर १०,०००) देने की प्रतिशा करे, तो यह कोरा जुआ हुआ और वह विवर्जित है। इसे हम बीमे का प्रसविदा नहीं कह सकते क्योंकि कुत्ते की त्रिया में वशीघर का कोई बीमायोग्य हित नहीं—यदि कुत्ता दाहिना ओर मुड़ जाता है तो इससे वशीघर को कुछ लाभ नहीं होगा और न उसके बाईं ओर मुड़ने से उसे कुछ आर्थिक हानि ही होगी।

यद्यपि बीमायोग्य हित का अस्तित्व बीम के प्रसविदे के माय होने के लिये नितान्त आवश्यक है, तो भी केवल बीमायोग्य हित के हाने से हो और बिना किसी प्रसविदे के किसी घट्कि को किसी तीसरे एक पर ज्ञातिपूर्ति का दावा करन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। यदि आप की पुस्तक आग में जल कर गख हो जाय तो यह नहीं हो सकता कि आप किसी भी बीमा कम्पनी के दफ्तर में जाकर उससे अपनी पुस्तक का मूल्य मांगने के अधिकारी हो जाय, क्योंकि आप में और बीमा कम्पना में ज्ञातिपूर्ति का कोइ प्रसविदा ही नहीं हुआ। इसी प्रकार यदि आप किसी दूकानदार से १०००) का मालखरीद कर उसी की दूकान पर रखा रहने दे और दूकान में आग लग जाने से वह

माल जल कर राख हो जाय, तो आप उस माल का मूल्य दूकानदार से माँगने के अधिकारी नहीं क्योंकि आप के और उसके बीच में अग्नि बीमा का कोई प्रसविदा नहीं हुआ ।

जीवन-बीमा में बीमायोग्य हित प्रसविदा होते समय उपस्थित होना चाहिये । बीमा-पत्र खरीदते समय प्रस्तावक को यह दिखाना पड़ेगा कि जो जीवन-बीमा का विषय है उसमें उसका बीमायोग्य हित है । सामुद्रिक बीमे में बीमायोग्य हित उस समय होना चाहिये जब कि कोई हानि अरथवा विनाश हो जाय । यदि माल सामुद्रिक यात्रा में नष्ट हो जाय तो बीमा-पात्र को यह प्रमाण देने पर ही कि माल के नष्ट होने के समय उनमें उसका बीमायोग्य हित था, बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति¹ करेगी । अग्नि-बीमा, के सम्बन्ध में वैधानिक नियम बहुत कड़े हैं क्योंकि अग्नि-बीमा में बीमायोग्य हित का बीमा-पत्र लेते समय तथा ज्ञात होने के समय—दोनों ही समय—उपस्थित रहना आवश्यक है । अग्नि-बीमा का प्रसंविदा बीमा करने वाले और बीमा करने वाले के बीच में एक व्यक्तिगत प्रसविदा माना गया है, अतः बीमा पात्र को क्षतिपूर्ति¹ का दावा सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि वह बीमा कर्ता को इसबात से सतुष्ट कर दे कि बीमा के विषय में (अर्थात् बीमा पात्र का) बीमा-पत्र लेते समय तथा ज्ञात होने के समय, दोनों ही समय उसका बीमायोग्य हित था । मूलरूपी बातों का स्पष्टीकरण

बीमा के प्रसविदे का दूसरा विशेष लक्षण यह है कि बीमा करने वाला और कराने वाला दोनों ही समस्त मूलरूपी बातों को स्तर कर दे । इसलिए बीमे के प्रसविदे को सच्चे विश्वास का प्रसविदा (Contract *aberrimae fidis* या Contract of absolute good faith) कहते हैं । मूल रूपी बात (material facts) वे होती हैं जो दूसरे पक्ष के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं । अग्निश्वास या किसी मूलरूपी बात के छिपाने से बीमा-पत्र विवर्जित (void) हो जाता है । साधारण प्रसंविदे में भी यह आवश्यक है कि उसमें किसी बात का मिथ्या प्रतिनिधित्व (mis-representation) न हो, मिथ्या-प्रतिनिधित्व होने पर दूसरे पक्ष के विकल्प पर प्रसविदा विवर्जनीय

(voidable) हो जाता है। किन्तु बीमा के प्रसंविदे में मिथ्या प्रतिनिधित्व तो होना ही नहीं चाहिए; इसके अतिरिक्त किसी भा पक्ष कोई भी जानी हुई मूलरूपी बात नहीं छिपानी चाहिए। अन्यथा प्रसंविदा विवर्जित (void) हो जायगा।

लार्ड मेन्सफील्ड (Lord Mansfield) ने एक निर्णय में कहा था कि सभूर्य विश्वास प्रत्येक पक्ष पर वह प्रतिरोध लगा देता है कि वह प्राइवेट तरीके से जानी हुई बात को छिपाकर तथा दूसरे पक्ष की अज्ञानता के कारण और उसके विपरीत विश्वास के कारण उससे प्रसंविदा कर न ले। अब यह पूर्णतया स्थापित हो चुका है कि यदि मिथ्या-प्रतिनिधित्व हो अथवा कोई मूलरूपी बात छिपाई गई हो, तो वह जान बूझकर किया गया हो या आकस्मिक हो, तो बीमा-पत्र विवर्जित हो जाता है।

बीमा-पत्र को बीमा के विषय के साथ पूरी जानकारी होती है; अतः पूर्ण स्पष्टीकरण का उत्तरदायित्व मुख्यतया उसी के ऊपर आता है। किन्तु यह उत्तरदायित्व बीमा कर्ता का भी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिये किसी व्यापारी को अपने जहाज की स्थिति का ज्ञान नहीं और इसलिए वह उस जहाज का बीमा कर्मनी के साथ करा लेता है जिसे मालूम है कि जहाज उद्दिष्ट स्थान को ठीक-ठीक पहुँच चुका है। यदि बीमा कर्मनी जहाज का बीमा कर दे और इस मूलरूपी बात को न बताये, तो बीमा-पत्र विवर्जित हो जायगा और बीमा-कर्मनी को श्रीमियम वापस करनी पड़ेगी।

५. स्थान-ग्रहण का सिद्धांत (Subrogation), दोहरा बीमा (Double Insurance), और पुनर्बीमा (Re-Insurance)

बीमा के कुछ विधान तथा व्यवहार-सम्बन्धी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर यहाँ प्रकाश ढालना आवश्यक है।

स्थान प्रहण का सिद्धान्त

(१) स्थान प्रहण का सिद्धान्त (Doctrine of Subrogation) केवल ज्ञातिपूर्ति के प्रसविटे, अर्थात् अग्नि और सामुद्रिक बीमों, पर ही लागू होता है, जीवन बीमा पर नहीं। इसके अनुसार बीमा कर्ता जब बीमा पात्र की समस्त अथवा आशिक ज्ञाति की पूर्ति कर देता है, तब यह बीमा-पात्र का स्थान प्रहण कर लेता है, और यदि बीमा पात्र को बीमा के विषय के सम्बंध में किसी तीसरे पक्ष पर कुछ अधिकार हो, तो वे सब अधिकार बीमा कर्ता के हो जाते हैं। यदि बीमा पात्र किसी तीसरी पार्टी से किसी रकम का लेनदार हो, तो बीमा कम्पनी को यह पद मिल जाता है, और वह बीमा पात्र के नाम में ऐसी तीसरी पार्टी पर दावा कर सकती है। इस सम्बंध में दो बाँोंपर विशेष ध्यान देना चाहिये: (१) बीमा-कर्ता की बीमा-पात्र के समस्त अधिकार तभी प्राप्त होते हैं जब कि वह बीमा-पात्र को ज्ञातिपूर्ति कर चुका हो, अर्थात् उसके दावे का भुगतान कर चुका हो। (२) बीमा-कर्ता केवल उन्हीं अधिकारों को प्राप्त करता है जो बीमा पात्र के सम्बंध में किसी तीसरे पार्टी के ऊपर स्वयं प्राप्त हों, और उसे बीमा पात्र के नाम में दावा करना भी आवश्यक है। हम नीचे इस सिद्धान्त के कुछ उदाहरण देते हैं :—

(१) मान लीजिये कि अजन्ता बीमा कम्पनी न्यू जनरल स्टोर्स की विलिंग का बीमा ₹१०,००० में करती है। परन्तु एक व्यक्ति मकबूल हुसेन द्वारा आग लग जाने के कारण विलिंग नष्ट हो जाती है। इस दशा में न्यू जनरल स्टोर्स को अजन्ता बीमा कम्पनी से ₹१०,००० ज्ञातिपूर्ति के रूप में मिलेंगे, और अजन्ता बीमा कम्पनी को न्यू जनरल स्टोर्स के मकबूल हुसेन के विरुद्ध समस्त अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

(२) मान लीजिये सिधिया जहाजी कम्पनी के जलतरग नामक जहाज का भारतीय बीमा कम्पनी ने एक लाख रुपये की रकम का बीमाकिया। जलतरग जहाज को शत्रु पकड़ लेते हैं, और सिधिया जहाजी कम्पनी भारतीय बीमा कम्पनी से एक लाख रुपया बखूल कर लेती है। यदि जहाज शत्रुओं से बापत मिल जाय, तो वह भारतीय बीमा कम्पनी की सम्पत्ति हो जायगा।

दोहरा बीमा (Double Insurance)

जैसा कि नाम से ही विदित हुआ है, किसी वस्तु पर एक से अधिक बीमा लगारीदाने को ही दोहरा बीमा कहते हैं। जीनन-बीमा का जहाँ तक सम्भव है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन पर जितने भी चाहे चाहे करा सकता है और सब बीमा पत्रों का रूपया उन्नित समय पर मिल जावेगा। किन्तु इतिपूर्वी के प्रसविदे, अर्थात् अग्नि और सामुद्रिक बीमों में, ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके अन्तर्गत बीमा-पत्र अपनी वास्तविक ज्ञति से अधिक रूपया वसूल नहीं कर सकता। यदि उसी वस्तु पर एक से अधिक बीमा-पत्र लगाया हो और उनकी रकमों का योग माल के वास्तविक मूल्य के बराबर हो, तो माल की पूर्ण ज्ञति हाने पर उन सब का पूरा पूरा रूपया अदा कर दिया जायगा। किन्तु यदि इन बीमा पत्रों की रकमों का योग माल के वास्तविक मूल्य से अधिक हुआ, तो बीमा-पत्र वास्तविक ज्ञति से अधिक कुछ भी वसूल नहीं कर सकता। वह बीमा पत्रों के अन्तर्गत जिस क्रम में चाहे दावे कर सकता है और जितनी भी रकम का चाहे उतनी का दावा करने का भी उसे अधिकार है, किन्तु वह जितना भी रूपया वसूल करे उसका योग वास्तविक ज्ञति से अधिक नहीं होना चाहिये। जहाँ तक बीमा कर्ताओं का आपसी सम्बन्ध है, वे ज्ञति को आनुपातिक भागों में बांट लेंगे, और यदि किसी बीमा-पत्र ने अपने आनुपातिक भाग से अधिक रूपया अदा कर दिया है, तो वह अतिरिक्त रकम उन बीमा-कर्ताओं से लेने ना अधिकारी है जिन्होंने अनुपात से कम रूपया दिया है। मान लीजिए रामलाल ने अपने मकान का बीमा ₹५०००) के लिए 'क' से, ₹४०००) दाये के लिए 'ख' से, और ₹६०००) के लिये 'ग' से कराया हो, तो उन तीनों की कुल रकम ₹१५,०००) हुई। यदि मकान का मूल्य ₹१००००) हो और मकान पूर्णतया नष्ट हो जाय, तो रामलाल ₹१०,०००) वसूल कर सकता है और वह जिस क्रम में चाहे उसे वसूल करे। उदाहरण के लिये वह 'ख' से ₹४०००) वसूल कर ले और 'ग' से ₹६०००) और 'क' से कुछ न ले। किन्तु 'क' 'ख' और 'ग' ₹१०,०००) की ज्ञति आनुपातिक भागों में, अर्थात् क्रमशः ₹१००००, ₹१०००० और ₹१०००० क हिसाब में, बांट लेंगे।

'क' अपना हिस्था 'ज' और 'ग' को इस प्रकार देगा कि उन दोनों का मुगलान उनके अनुपात के अनुसार ही हो।

पुनर्बीमा (Re-insurance)

दोहरे बीमे और पुनर्बीमे का अन्तर्मेंद जानना बहुत आवश्यक है। जब कोई बीमा कम्पनी अपनी सामर्थ्य से अधिक रकम का बीमा बेच देती है, तो वह कुल रकम या सकट (risk) के एक भाग का किसी दूसरी कम्पनी से बीमा कर लेती है। इसी को पुनर्बीमा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी बीमा किये हुये सकट का किसी दूसरी कम्पनी से पूर्णतया अथवा अर्थात् वह बीमा कराना ही पुनर्बीमा कहलाता है। पुनर्बीमे पर वे सब शर्तें लागू होती हैं जो मौलिक बीमे के प्रसविदे में थीं। पुनर्बीमे का प्रसविदा दो बीमा कम्पनियों के बीच में होता है और उससे बीमा-पात्र का कोई व्योजन नहीं। यदि बीमा-पत्र के अन्तर्गत कोई दावा उठे, तो बीमा-कर्ता उस कम्पनी पर दावा करेगा जिसने उसका बीमा किया था, पुनर्बीमा बाली कम्पनी के ऊपर नहीं। वैसे तो पुनर्बीमा बीमा के प्रत्येक चेत्र में लोकप्रिय है, किन्तु अग्नि-बीमा में उसका चलन बहुत प्रमुख है। वान्तव में, कुछ अग्नि-बीमा की कम्पनियाँ देवल पुनर्बीमा ही करती हैं।

६. बीमा के लाभ

बीमा के लाभों का सहार भर में अच्छी तरह जाना जा चुका है और स्वर्गीय सम्माट जारी पत्र ने इसे “एक महान् और प्रगतिशील उद्योग” कहा था। हम नीचे योड़े से लाभों को सज्जेप में बताते हैं।

१. जीवन बीमा मित्रविता की आदत ढालने के लिए, रुपया बचाने के लिए और फिजूलखर्चों रोकने के लिए एक अमोघ साधन है। जब बीमा कराने वाला यह समझता है कि प्रीमियम अदा न करने पर बीमा-पत्र छूट जायगा, तब वह अपना बेकार रुप्च काट कर छुट्टे रुपया अवश्य बचाता है।

२. जीवन-बीमा वृद्धावस्था के लिए, जब एक मनुष्य के कमाने की शक्ति घट जाती है, बहुत अच्छा साधन है। वृद्धावस्था के आरम्भ होने के समय

परिपक्व (mature) हाने वाला चीमा-पत्र इतना रूपया दे देता है कि जिससे वृद्धागत्या में आराम से काम चल सकता है।

३. जीवन चीमा में सकट से रक्षा (Protection) तथा विनियोग (investment) के तत्वों का सर्वश्रेष्ठ समन्वय होता है। प्रीमियम अदा कर देने पर चीमा-रात्रि को दो लाभों का अधिकार हो जाता है। (१) उसकी मृत्यु से रक्षा होती है, अर्थात् उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को एक निश्चित रकम मिल जाती है। यह जीवन चीमा का रक्षा तत्व हुआ। (२) उसकी अदा की हुई प्रीमियम का विनियोग कर दिया जाता है और वह चक्रवृद्धि (compound) ब्याज के आधार पर बढ़ती रहती है। यह चीमा का विनियोग तत्व हुआ। जीवन चीमा साधारण विनियोग से इसी दिशा में शेष है कि इसमें विनियोग के साथ साथ रक्षा-तत्व का भी समन्वय होता है। साथ में ही साधारण सिक्योरिटी की माँति चीमे का मूल्य घटता बढ़ता नहीं।

४. चीमा के समस्त स्वरूपों का यह बड़ा लाभ है कि रक्षा तथा कुशलता की भावना उत्पन्न करते हैं। जीवन के प्राय प्रत्येक द्वेष में बढ़े और अनि-शिव्वत नुकसान होने की आशंका होती है। चीमा कम्पनी इसे थोड़े और निश्चित नुकसान में परिणत कर देती है। उदाहरण के लिए आर को यह भय होता है कि यदि आप का घर जल कर राख हो जाय, तो आप की मारी आर्थिक क्षति होगी। किन्तु यदि आप योड़ी सी प्रामियम अदा करें, तो चीमा कम्पनी आप को इस चिन्ता से मुक्त कर देगी, इस प्रकार वीर रक्षा और निश्चितता चीमा-पत्र को बहुत सन्तोष और शान्ति प्रदान करती है। यह विशेषतया व्यापारियों को बहुत लाभप्रद है क्योंकि यदि उनके मस्तिष्क में शाति हो तो उनकी कार्यक्रमता बढ़ जाती है। यदि उनका कारखाना और दूकानें अग्नि-चीमा द्वारा मुरक्कित हो, यदि उसके जहाज और उन पर लदा हुआ मल्ल सामुद्रिक सज्जों के भय से मुक्त हो और झूले ढूब जाने की जोखिम से उपयुक्त चीमा पन द्वारा वह मुरक्कित हो, तो उसके चित्त को बहुत शाति मिलेगी और उसकी कार्यक्रमता का बढ़ जाना स्पामाविक है।

५. जीवन-बीमा-पत्र से मनुष्य की सास (credit) बढ़ जाती है। यदि माल और सम्पत्ति का अग्नि और सामुद्रिक बीमा करा लिया गया हो, तो उनके आधार पर न्यूण आवानी से मिल सकता है। जीवन-बीमा पत्र अत्यन्त उच्चम पारिश्वेक प्रतिभूति (Collateral Security) या सहायक जमानत होती है। बीमा पत्र के समर्पण मूल्य (Surrender Value) के बराबर बीमा कम्पनी से ही या किसी पैक से कम व्याज पर रखया उधार निया जा सकता है। व्यापारी के निये, जिसे बहुधा न्यूण लेने की आवश्यकता पड़ती है, यह बहुत महत्वपूर्ण मुदिधा है।

६. सामाजिक बीमा भी योजनाएँ—जैसे रोग, वृद्धाग्रस्था, बेकारी तथा दुर्घटना आदि का बीमा—मनुष्य की निर्धनता एवं यातनाओं से रक्षा करता है। बीमा के अभाव में इन सकों के शिकार भिखारी के समान हो जाते हैं और वे समाज के निए मार बन जाने हैं क्योंकि समाज को उन्हें व्यक्तिगत दान अथवा सरकारी सहायता द्वारा पाना पड़ता है। किन्तु बीमा ऐसे बुरे दिनों में बराबर आमदनी मिलती रहने का आनोखन करता है और ऐसे अभागे व्यक्तियां और समाज का महान् हित करता है।

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इटर कार्मस

१. विदेशों से आईर प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है? पूर्णतः अपने विचार प्रकृत कीजिये। (उ० प०, १६५४)

२. “बीमे का प्रसविदा चतिष्पूर्ति तथा सद्विश्वास का प्रसविदा है।” इस कथन का अर्थ समझाइये। यह कथन जीवन-बीमा पर कहाँ तक लागू होता है? (उत्तर प्रदेश, १६५२)

३. किसी व्यापारी को बीमा से जा लाभ होता है, उसकी विवेचना कीजिये। (य० पी०, १६५०)

४. निम्नलिखित का अर्थ चताइये :

(अ) चीमा योग्य हित; (आ) बीमे का ज्ञानिपूर्ति का प्रसविदा होना;
 (इ) समर्पण मूल्य। (यू० पी०, १६४७)

५. “चीमा ज्ञानिपूर्ति का प्रसविदा होता है।” क्या यह कथन सब प्रकार के बीमों पर घटता है? (यू० पी०, १६४७)

६. जीवन-चीमा के प्रसविदे तथा अग्नि-चीमा के प्रसविदे का अन्तर्मेंद बताइये। (यू० पी०, १६४६, १६४५)

७. अग्नि और सामुद्रिक चीमे पर लागू होने वाला चीमा-पोग्य हित क्या होता है? क्या यह आवश्यक है कि चीमा-पत्र के निर्गम के समय तथा ज्ञानि के समय चीमा योग्य हित उभयस्थित हो? (यू० पी०, १६४५)

राजपूताना, इन्टर कामर्स

८. दोहरा चीमा तथा पुनर्जीमा का अर्थ समझाइये। (राजपूताना, १६४६)

९. चीमे के प्रसविदे के आवश्यक अग क्या होते हैं? चीमे का प्रसविदा किसी साधारण प्रसविदे से किन बातों में भिन्न होता है? “चीमा ज्ञानिपूर्ति का प्रसविदा होता है।” क्या यह सब प्रकार के बीमों के विषय में सत्य है? (राजपूताना, १६४६)

१०. “चीमे का प्रसविदा सभ्ने विश्वास का प्रसविदा होता है।” अभ्न-चीमा नया सामुद्रिक चीमा के सम्बन्ध में इस कथन की सविस्तार व्याख्या कीजिये। (राजपूताना, १६४६)

पटना, इन्टर कामर्स

११. स्थान प्रहण के सिद्धान्त (Doctrine of Subrogation) से आप क्या समझते हैं? (पटना, १६५३)

१२. चीमे के प्रसंविदे में चीमा योग्य हित का महत्व बताइये। उत्तर में प्रधानतया अग्नि, सामुद्रिक और जीवन चीमा का हवाला दीजिये। (पटना, १६४६, पूर्क)

नागपुर, इन्टर कामर्से

१३. जीवन-बीमे तथा अन्य प्रकार के बीमों में वास्तविक अन्तर क्या है ? बीमा-योग्य हित का अर्थ स्पष्ट कीजिये। बीमा कम्पनियाँ विभिन्न प्रकार के बीमा-पत्र स्थों निर्गमित करती हैं ! (नागपुर, १६४६)

१४. बीमा से क्या लाभ होते हैं ? बामे की मुख्य किसमें बताइये, और इस बात की भी विवेचना कीजिये कि सामुद्रिक बीमा-पत्र में किन जोखिमों का समावेश होता है ! (नागपुर, १६४५)

बनारस, इन्टर कामर्से

१५. अग्नि-बीमे सामुद्रिक बीमे और जीवन-बीमे में क्या अन्तर होता है ? अग्नि-बीमा क्षतिपूर्ति का प्रसविदा किस प्रकार होता है ? (बनारस, १६४६)

१६. बीमा का प्रसविदा साधारण प्रसविदे से किन घानों में भिन्न होता है ? (बनारस, १६४६ १६४७)

१७. बामे के प्रसविदे के। सम्बन्ध में प्रयुक्त होने वाले निम्नांकित शब्दों का अर्थ बताइये : (अ) स्थान ग्रहण; (आ) विशेष औसत, (इ) बीमा-योग्य हित, (है) माल फेंकना (jettison), (उ) निर्धारित मूल्य बाजा बीमा पत्र, (ऊ) लायड समिति; (ए) बन्दोवस्ती बीमा पत्र, (ऐ) औसत बाक्य । (बनारस, १६४६)

दिल्ली, हायर सेक्विएंडरी

१८. बीमायोग्य हित की परिमाणा दीजिए। क्या सब प्रकार के बीमों में इस हित का हाना आवश्यक है ? यदि हाँ, तो किस समय ? (दिल्ली, हा० सौ०, १६५३)

१९. बीमायोग्य हित को परिमाणित कीजिए। क्या बीमायोग्य हित सब प्रकार के बीमों में रहना आवश्यक है ? यदि हाँ, तो किस समय ? (देहली, राहव सेकेन्टरी, १६४७)

२०. Assurance और Insurance का मेद बताइए। जीवन य,

या सामुद्रिक चीमा-पत्र लेने की रीति का सवित्तार वर्णन कीजिए। (देहली, हायर सेकेंडरी, १९४७)

२१ “चीमा कृतिशूर्ति का प्रसंविदा होता है।” क्या यह सब प्रकार के चीमों पर लागू होता है? (देहली, हायर सेकेंडरी, १९५८)

सागर, इन्टर कामर्स

२२. “चीमा एक प्रकार का कृति-पूर्ति प्रसंविदा है।” इस कथन को सष्टि कोजिये। क्या यह कथन हर प्रकार के चीमों में सत्य है? (सागर, १९५३)

अध्याय ४६

जीवन-बीमा

५१. प्रारम्भिक

जीवन-बीमा बीमा के समस्त स्वरूपों में सब से अधिक महत्वपूर्ण है। यह ऐसा प्रसविदा है जिसके अनुसार बीमाकर्ता एक या अनेक प्रीमियमों के एवज में, जिस व्यक्ति के हित में बीमा किया गया हो उस व्यक्ति को, बीमा-पात्र की मृत्यु पर अथवा उसके किसी निश्चित आयु के हो जाने पर, उसे एक निश्चित रकम देने की प्रतिशा करता है। बीमा कम्पनी किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा प्रीमियम के एवज में ही बरती है; और यह प्रीमियम या तो एक हो बार दे दी जा सकती है या यह कई वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक किसी में अदा की जा सकती है। यह बीमा-पात्र की मृत्यु पर या उसके एक निश्चित आय के हो जाने पर एक निश्चित रकम अदा करने की प्रतिशा करती है। अतः बीमा पात्र को यह आश्वासन होता है कि उसके निश्चित आयु के हो जाने पर बीमा कम्पनी उसे, या उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों को, एक निश्चित रकम अदा कर देगी।

बीमा-पात्र को बृद्धावस्था में तथा उसके आधिनों को उसकी मृत्यु के उपरान्त आधिक रक्षा प्रदान करने के लिये जीवन-बीमा संरचनाएँ साधन हैं। यह बहुधा देखने में आता है कि कुछ व्यक्ति जब तक कमाते रहते हैं, तब तक खूब शान से रहते हैं, यहाँ तक कि वे कुछ भी नहीं बना पाते। किन्तु जब वे बृद्ध हो जाते हैं और उनकी कमाने की शक्ति घट जाती है, तब उन्हें अपना खर्च चलाना असम्भव हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी परिवार का पालनकर्ता मृत्यु का शिकार हो जाय और वह कुछ भी रकम न छोड़े, तो उसके परिवार को निर्धनता में रहना पड़ेगा। यदि ऐसा

व्यक्ति जीवन बीमा खरीद लेता है, तो उसे वृद्धावस्था प्राप्त करते समय, या उसकी मृत्यु पर उसके परिवार को, एक निश्चित रकम मिल जाती है जिससे बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। यदि कोई व्यक्ति प्रति वर्ष अपनी आय के एक मांग का विनियोग (Invest) करता जाय, तो भी हो सकता है कि वह इतने दिन तक न जिये, या वह इतने दिन तक कमाता न रहे, कि वह अपने आधिकारियों के लिये पर्याप्त धन अपने जीवन काल में एकत्रित कर ले। अतः ऐसे व्यक्ति को बीमा बहुत सौभाग्य की वस्तु है क्योंकि इसके द्वारा उसे यह आशामन हो जाता है कि उसकी असामयिक मृत्यु हो जाने पर उसके आधिकारियों को, और उसके दीर्घायु होने पर वृद्धावस्था में स्वयं उसी को, एक निश्चित रकम प्राप्त हो जायगी। यही कारण है कि जीवन बीमा का सबार में सर्वत्र ही चड़ा विकास हुआ है और हो रहा है। हमारे देश में सबुक परिवार की प्रणाली वृद्धावस्था में एवं मृत्यु के चाह आधिकारियों के पात्रता पोषण का साधन थी, किन्तु अब यह प्रणाली छिन भिन हो रही है और बासा इसका स्थान अद्यतन करता जा रहा है। जीवन बामे के अन्य लाभ पाठक को जीवन बीमा-पत्रों के स्वरूपों एवं उनके विशेष लाभों के अध्ययन से मालूम हो जायेंगे।

रक्षा और विनियोग तत्व

जीवन बीमा का मुख्य लक्षण और लाभ यही है कि उसमें रक्षा एवं विनियोग तत्वों का समन्वय है। बीमा कम्पनी एक निश्चित रकम अदा या तो मृत्यु होने पर करती है अथवा व मापत्र के एक निश्चित आयु के प्राप्त कर लेने पर। जो ग्रीमियम बीमा पात्र अदा करता है, वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ती रहती हैं और जब निश्चित आयु प्राप्त हो जाती है, उस समय उनकी रकम बीमे की रकम के बराबर हो जाती है और उस समय यह रकम। बीमा पात्र को अदा कर दी जाती है। यह विनियोग का तत्व है। किन्तु यदि बीमा-पात्र की मृत्यु उस आयु के प्राप्त होने के पूर्व ही हो जाय, तब भी बीमा कम्पनी उसके आधिकारियों को वे मे की रकम अदा करती है। यह रक्षा का तत्व है। अन्य कोई आर्थिक प्रबन्ध ऐसा नहीं है कि जिसमें रक्षा और विनियोग के तत्वों का इतना सुन्दर समन्वय हो। अग्रिम-बीमा को ही ले लीजिये। यदि बीमा-पात्र

का घर जल कर नष्ट हो गया है, तो बीमा कम्पनी बीमा की रकम अदा कर देगी। किन्तु यदि घर में आग न लगे, तो बीमा कम्पनी कुछ भी देनेदार नहीं। अतः अग्नि बीमा में केवल रक्षा तत्व ही शामिल है विनियोग तत्व नहीं। इसके विपरीत, बैड में जमा किया जाने वाला स्पष्ट निश्चित ऋण वी दर पर बढ़ता रहेगा और जमा करने वाले को या उसके प्रतिनिधि को किसी भी समय मूलधन तथा ऋण मिल सकता है। अतः इसमें केवल विनियोग-तत्व ही शामिल है। यह जीवन बामे को ही विशेषता है कि उसमें रक्षा-तत्व और विनियोग-तत्व दोनों ही होते हैं।

२. जीवन-बीमा कराने की विधि

जीवन बीमा पर खरीदने की वास्तविक विधि में निम्नलिखित सोपान होते हैं :

१. प्रस्ताव

जो व्यक्ति बीमा कराना चाहता है उसे सबसे पहले उस बीमा कम्पनी से एक प्रस्ताव पत्र (Proposal Form) प्राप्त कर लेना चाहिये जिससे वह बीमा कराना चाहता है। प्रस्ताव पत्र मुद्रित होता है और किसी भी बीमा कम्पनी के दफ्तर से या किसी बीमा एजेंट से मुफ्त मिल सकता है। बीमा पत्र में प्रस्तावक को ऐसी सब बातें लिखनी पड़ती हैं जो जोखम की मात्रा (degree of risk) पर प्रकाश ढाल सकें। उदाहरण के लिए प्रस्तावको उसमें अपनी आयु, पेशा, यदि वह रोगी हो तो रोग का नाम, अपने माता, पिता भाई और बहिनों की आयु, यदि वे जीवित हों तो उनके स्वास्थ्य की दशा और यदि वे मर जुके हों तो उनकी मृत्यु का कारण आदि बातें लिखनी पड़ती हैं। जीवन बामा का प्रसविदा पूर्ण विश्वास का प्रसविदा होता है, और प्रस्ताव-पत्र भरने समय इसका ध्यान रखना चाहिये कि मिथ्या प्रतिनिधित्व (misrepresentation) और अपूर्ण विश्वास जीवन-बीमा के प्रसविदे के लिये धातक होते हैं। प्रस्तावको अपने ऐसे दो मित्रों के नाम और पते भी देने पड़ते हैं जो उसके एजेंट के सबूती न हों और जिनसे पूछतांच की जा सके।

२. डाक्टरी परीक्षा

जब बीमा कम्पनी को प्रस्ताव पत्र मिलता है, तो वह किसी डाक्टर को प्रस्तावक की डाक्टरी परीक्षा करके उसके स्वास्थ्य पर अपनी सम्मति देने के लिये नियुक्त करती है। डाक्टर प्रस्तावक के हृदय और फेफड़ों की परीक्षा करता है, विशेषतया किसी पारिवारिक रोग के अस्तित्व की जाँच करता है, ऊँचाई, तौन आदि नापता है, शारीरिक दोष अपवा विशेषता नोट करता है, और अपनी पूरी रिपोर्ट कम्पनी की मेज देता है।

३. प्रस्ताव की स्वीकृति

यदि प्रस्तावक द्वाया दी हुई बातें सत्योष्यनक हुई और डाक्टर की रिपोर्ट भी ठीक हुई, तो कम्पनी प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और प्रस्तावक से पहली प्रीमियम माँगती है। पहली प्रीमियम अदा होते ही प्रस्तावक संपूर्ण हो जाता है, और जोखिम आरम्भ हो जाती है। इसके पश्चात् बीमा कम्पनी बीमा पत्र तैयार करती है और बीमा पात्र के पास मेज देती है।

४. आयु का प्रमाण

बीमा कम्पनी बीमा पात्र से उसकी आयु का प्रमाण भी माँगती है। किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, मुनिषिपल रजिस्टर में जन्म की प्रविष्टि भी प्रतिलिपि, या जन्म दुरुटली मान्य होती है। यदि बीमा पात्र बीमा पत्र लेते समय अपनी आयु का प्रमाण न दे, तो उसे यह प्रमाण बीमा के परिपक्व (mature) हो जाने पर देना होगा, या उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसके आधिकों को वह प्रमाण उपस्थित करना पड़ेगा। इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ होना स्वाभाविक है, अतः आयु का प्रमाण पत्र बीमा खरीदते समय ही अपवा उसके उपरान्त ही देना चाहिए।

प्रीमियम

बीमा पात्र बीमा पत्र के प्रतिकल में जो रपथ अदा करता है उसे प्रीमियम कहते हैं। बीमा पत्र लेते समय प्रीमियम एक ही मुश्त में अदा की जा सकती है।

किन्तु एक मुश्त की रकम बहुत बड़ी होती है, और बीमा पात्र की शीघ्र मृत्यु होने पर उसे धाया भी रहता है, क्योंकि यदि उसने निश्चित में प्रीमियम दी

होती तो उसे मृत्यु के समय तक कम रखया बीमा कम्पनी को देना पड़ता है। इस लिए अधिकतर प्रीमियम वार्षिक, छमाही, निमाही या मासिक किश्तों में ही अदा की जाती है। यदि प्रीमियम किश्तों में दी जाती है तो प्रीमियम देय होने के पूर्व कम्पनी एक स्मारक (reminder) भेजती है, यह वैधानिक दृष्टि से अनियार्थ नहीं, किन्तु यह साधारण रिवाज हो गया है। ऐसी दशा में बीमा कम्पनी कुछ अनुग्रह दिवस (Days of Grace) देती है—वार्षिक किश्त में एक महीने और मासिक किश्त में पन्द्रह दिन का अनुग्रह समय साधारणतया दिया जाता है—और प्रीमियम देय तिथि (Due date) के पश्चात् अनुग्रह दिवस के व्यतीत होने तक अदा की जा सकती है। यदि प्रीमियम अनुग्रह समय के व्यतीत होने तक अदा न हो, तो बीमा हूँ जाता है और कुछ शर्तों को सतुष्ट करने पर ही वह पुनर्जीवित किया जा सकता है।

यदि आप किसी जीवन नीमा कम्पनी ने प्रारंभेक्टस या प्रविवरण को देखें, तो उसमें आप को प्रीमियम की दरों के कई कंप्लेक्ट (Tables) मिलेंगे जो विभिन्न जोखिमों पर लागू होते हैं। आप देखेंगे कि प्रीमियम की दर सर्वदा १०००] के बीम के लिये टी जाता है। आप को यह भी पता चलेगा कि आय की दृढ़ि के साथ साथ प्रीमियम की दर भी बढ़ जाती है। एक और बात यह भी है कि विभिन्न प्रकार के बीमा पत्रों के लिये अन्य अलग प्रीमियम की दरें होती हैं।

किसी वक्ति ने आय के $\frac{1}{2}$ भाग तक प्रीमियम पर आय कर नहीं लगता। इसका उद्देश्य मिन्नवयिना एवं नीमा को प्रोत्साहित करना है।

प्रारंभेक्टस या प्रविवरण में जो दर दी होता है, वे प्रसामान्य (normal) जीवन के लिये होती है। यदि डाकटरी परीक्षा से यह पता चले कि प्रस्तावित जीवन प्रसामान्य से नीचे स्तर का है तो प्रीमियम की दर अनिरिक जोखिम को ढकने (Cover) के लिये बढ़ा दी जानी है। इसी प्रकार यदि कोई वक्ति किसी भय ग्रस्त पेशे में सलग्न हो—जैसे अस्त्र शस्त्र चनाने में या हवाई जहाज उड़ाने में—तो भी उसमें अधिक प्रोमियम ली जाती है। इसे प्रीमियम का लादा जाना (Loading the premium) कहते हैं। यदि जीवन

किसी भ्यानक रोग से जैसे क्षय रोग से पीड़ित हो अथवा आरक्ष हो या उसमें और कोई दोष हो, तो चीमा कम्पनी उसके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती है।

चीमा-पत्र

पहली प्रीमियम मिल जाने पर चीमा कम्पनी चीमा-पत्र निर्गमित (issue) करती है। जीवन-चीमा-पत्र एक टिकट लगा हुआ बक्का या प्रलेख (document) होता है जिसमें जीवन चीमे का प्रधानिदा तथा चीमा करने व्हीर करने वाले के चैच तथा की हुई शर्तें दी रहती हैं। साधारणतया इस पर कम्पनी की मुहर लगी होती है, और इस पर दो डाइरेक्टरों के हस्ताक्षर तथा मैनेजर के प्रति-हस्ताक्षर (Counter signature) होते हैं। चीमा पत्र में निम्नलिखित प्रमुख वाक्य होते हैं :

१. चीमा-पात्र का नाम, पेशा, पता और अगले जन्मदिवस पर उसकी आयु।
२. जिस रकम के लिये चीमा पत्र निर्गमित किया गया हो, वह रकम और चीमा पत्र का सलाभ या अलाभ होना।
३. प्रीमियम की रकम और उसकी अदायगी का समय।
४. यदि चीमा पात्र किसी सुकटमय पेशे में ललान हो, तो उसे उसकी सूनना देनी चाहिये।
५. ये दशाएँ जिनमें चीमा-पत्र विवर्जित (void) हो जाता है, जैसे आत्महत्या।
६. चीमा पत्र का छूटना और उसका पुनर्जीवित होना।
७. चीमा पत्र का समर्पण मूल्य।
८. चीमा-पत्र का हस्ताक्षण (Assignment)।
९. दावे का भुगतान।

३. जीवन-चीमा-पत्रों के प्रकार

चीमा-पत्र का केता दो चाहों पर विशेष ध्यान रखता है : (१) उसे जो प्रीमियम अदा करनी पड़ेगी उसकी रकम, और (२) चीमा कम्पनी द्वारा बादा की गई रकम और वे अवस्थाएँ जब वह देय होगी। वर्गीकरण मनुष्यों की आर्थिक अवस्था और आवश्यकताएँ अलग अलग होती हैं, अतः वे अलग-

अलग प्रकार की नुसिधाओं और प्रीमियम वाले बीमा पत्र प्रसन्द करते हैं। इस कारण जीवन बीमा-पत्र की बहुत सी किस्में हो गई हैं। इनमें से कुछ मुख्य किस्मों की विवेचना की जाती है।

बन्दोबस्ती बीमा पत्र (Endowment Policy)

बन्दोबस्ती बीमा-पत्र के अन्तर्गत बीमे की रकम मृत्यु पर अधिका निश्चित अवस्था की प्राप्ति पर, जो भी पहले हो, अदा कर दी जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति २० साल का बन्दोबस्ती बीमा परियोगता है। इसका यह अर्थ हुआ कि यदि उसकी मृत्यु २० वर्ष के पूर्व हो जाय, तो मृत्यु होने के समय ही बीमे की रकम अदा कर दी जायगी। किन्तु यदि वह जीवित रहे, तो २० वर्ष व्यतीत होने पर बीमे की रकम अदा की जायगी।

ऐसे बीमा-पत्र में रक्षा तत्व और विनियोग तत्व का प्रशसनीय समावेश होता है, और यदि बीमा कम्पनी, बीमा पात्र की आयु तथा बीमा पत्र की शर्तों का चुनाव सावधानी से किया जाय, तो जीवित रहने पर ब्याज की दर २% से ३% तक आकर पहुँचती है।

ऊरर की सीम जिसके अनुसार बीमे का रकम मृत्यु अधिका निश्चित आयु की प्राप्ति होने पर जो भी पहले हो, देय हो जाती है, उसे एक बन्दोबस्ती बीमा पत्र कहते हैं। यह दुगुने बन्दोबस्ती बीमा-पत्र (Double Endowment Policy) से भिन्न होता है जिसके अनुसार निश्चित अवधि में मृत्यु होने पर बीमे की रकम अदा की जाती है। किन्तु उस अवधि तक जीवित रहने पर उसकी दुगुनी रकम अदा की जानी है। इस प्रकार के बीमे पत्र में कभी कर्नी बीमा कम्पनी एक निश्चित रकम, दी हुई आयु की प्राप्ति पर चुक्ता करने की प्रतिक्रिया करती है और समान रकम मृत्यु होने पर देने का भी वायदा करती है। इसके अनिरिक्त खालिस बन्दोबस्त (Pure Endowment) भी होता है जिसके अनुसार एक निश्चित रकम एक खाल भावी तारीख को देय होती है, यदि उस तारीख का बीमा-पात्र जीवित हो। यदि बीमा बराने वाले की इस तारीख के पहले ही मृत्यु हो जाय, तो बीमा कम्पनी कुछ भी अदा नहीं करती।

आजीवन बीमा-पत्र (Whole Life Policy)

आजीवन बीमा पत्र बहुत मुश्याना है। इसके अनुनार जीमे की रकम बीमा पत्र के बल एक ही प्रीमियम दे कर या कुछ निश्चित वर्षों तक वार्षिक प्रीमियम अदा करके, अथवा ग्राजीवन वार्षिक प्रीमियम चुकाता करके परीदा जा सकता है। ऐसे बीमा पत्रों को क्रमशः एक भुगतानवाला आजीवन बीमा-पत्र (Single Payment Life Policy), निश्चित भुगतानवाला आजीवन बीमा पत्र (Limited Payments Life Policy), या साधारण आजीवन बीमा पत्र (Ordinary Life Policy) कहते हैं।

(१) साधारण आजीवन बीमा पत्र—ऐसे बीमा पत्र के अन्तर्गत जरूर तक बीमा पात्र जीवित रहता है तब तक वह निश्चित अवधि पर प्रीमियम अदा करता रहता है। प्रीमियम मूल्य होने पर अदा करनी पड़ती है, यहाँ तक कि वृद्धागत्था में भी, जब कि मनुष्य की आय कम हो जाती है, प्रीमियम अदा करनी पड़ती है जो कि इस बीमा पत्र का बड़ा दायर है।

(२) निश्चित भुगतान वाला आजीवन बीमा पत्र—ऐसे जीवन बीमा-पत्र के अन्तर्गत प्रीमियम निश्चित सार्वों तक ही अदा करनी पड़ती है। इस अवधि के अंतीम हो जाने पर प्रीमियम की अदायगी बन्द हो जाती है क्योंकि अदा की जाने वाली प्रीमियमों की सख्त निश्चित होती है, अतः इसे निश्चित भुगतान वाला बीमा पत्र कहा जाता है।

(३) अकेले भुगतानवाला आजीवन बीमा पत्र—निश्चित भुगतानवाले बीमा-पत्र की एक विशेष किसी वह होती है जिसमें केवल एक ही प्रीमियम, बीमा-पत्र के निर्गमित के समय, अदा की जाती है। ऐसे अकेले भुगतान वाला आजीवन बीमा-पत्र कहते हैं क्योंकि इतनी गङ्गी रकम एक बार में घोड़े से ही व्यक्ति अदा कर सकते हैं, इसनिए वह लोकप्रिय नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि बीमा पात्र की मृत्यु ही हो जाय तो उसे नुकसान रहेगा, क्योंकि इस प्रथा के अन्दर वह अन्य दोनों प्रथाओं जी अपेक्षा अधिक रूपका बीमा करनी को अदा करेगा।

हमने साधारण आजीवन ग्रामा पत्र तथा अकेने भुगतान वाले आजीवन चीमा-पत्र के दोगो का वर्णन ऊपर कर दिया है। इन तीनों में निश्चित भुगतान वाला आजीवन ग्रामा पत्र सबसे अच्छा है, क्योंकि इसके अन्तर्गत शीमा करने वाले का प्रीमियम एक निश्चित अवधि तक—ही जब तक कि उसकी आय पर्याप्त हो तभी तक—द्रढ़ा करनी पड़ती है और जब आदमी बुद्ध हो जाता है और उसकी आय कम हो जाता है या बन्द हो जाती है, तब प्रीमियम देना बन्द हो जाता है।

सलाभ और अलाभ शीमा पत्र

आजीवन या बन्दवन्ती ग्रामा-पत्र से जाप (With Profit) और अलाभ (Without Profit) दोनों ही प्रकार के होते हैं। से जाप शीमा-पत्र के क्रेता का कमना के लाभ में भाग होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हाज़र में से जाप ग्रामा से बहुत लाभावाह पत्र गये हैं। साधारणतया कमनी के कुन लाभ का ८० प्रतिशत ग्रामा पत्र में बाँट दिया जाता है, केवल शेर १० प्रतिशत हो शारदाहड़ों का मिलता है। शीमा धारक को कमना के लाभ का मिलने वाला माग अनिरिक्त लाभाश या बोनस (Bonus) कहलाता है। कमनी का लाभ निश्चित अवधि पर मालूम किया जाता है और तभा बांग जाता है। पन्त (१) नकद रुपया के रूप में लिया जा सकता है, या (२) बामे की रकम में जाड़ा जा सकता है, या (३) बारिंग प्रीमियम के घटाने में काम आ सकता है। अनाभ ग्रामा पत्र, कमनी के लाभ में भाग लेने का अधिकार नहीं देता। स्थाभाविक रूप से सलाभ ग्रामा पत्र के प्रीमियम का दर अनाभ शीमा पत्र की अपेक्षा अधिक होती है।

मियादी शीमा पत्र

मियादी शीमा पत्र शीमा काल में रक्षा के निमित्त निगमित किया जाता है और उसमें विनियोग तत्व नहीं होता। इसके अन्तर्गत बामे की रकम शीमा पत्र का निश्चित अवधि में मृत्यु होने पर ही देय होती है। यदि बामा पात्र निश्चित अवधि तक जावित रहे तो शीमा कमनी कुछ भी रुपया नहीं द्रढ़ा करती। अत रिस्ट्र है कि इसमें विनियोग तत्व का पूर्णरूपा अभाव होता है। मियादी ग्रामा-

पत्र की अधिकतम मियाद साधारणतया दस वर्ष होती है। नियादी बीमा-पत्र की प्रीमियम की दर सभ्से सस्ती होती है। ऐसा बीमा-पत्र आशु लेने के लिए पाश्वेंक जमानत (Collateral Security) के रूप में बहुधा दिया जाता है। बीमा पत्र-धारक यह भी अधिकार प्राप्त कर सकता है कि यह बाद को पर्याप्त प्रीमियम देकर बीमा पत्र को आजीवन या बन्दोबस्ती बीमा-पत्र में बदलवा ले। ऐसे बीमा-पत्र का विशेष गुण यह होता है कि आरम्भ में आयु कम होने के समय कम प्रीमियम देनी पड़ती है और बाद को आयु बढ़ जाने पर अधिक प्रीमियम दे कर आजीवन बन्दोबस्ती बीमा-पत्र में उसको परिवर्तित कराया जा सकता है। ऐसे बीमा-पत्र को परिवर्तनशील मियादी बीमा पत्र (Convertible Term Policy) कहते हैं।

संयुक्त जीवन बीमा पत्र

बीमा-पत्र दो या दो से अधिक जीवनों पर खरीदा जा सकता है। ऐसी दशा में जीमे की रकम बीमा-पात्र में से किसी एक की भी मृत्यु होते ही देय हो जाती है। ऐसे जीवन बीमा-पत्र बहुधा पति पत्नी या सामेदारों के संयुक्त जीवनों पर लिया जाता है। सामेदारों में ऐसा होता है कि किसी भी सामेदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को उसकी पैंची तथा ख्याति (Goodwill) का उसका माग लौटाना पड़ता है, अतः यदि तंयुक बीमा लिया गया हो तो किसी भी सामेदार की मृत्यु होने पर फर्म को इतना रुपया बीमा कम्पनी से मिल जाता है कि मृतक का भाग अदा कर दिया जाय, और फर्म को किसी भी प्रकार की दूष सम्बंधी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। पति पत्नी परिवर्ति संयुक्त बीमा सें, तो पति की मृत्यु होने पर पत्नी को और पत्नी की मृत्यु होने पर पति को, एक रकम मिल जाती है जिससे कि अकेले रह जाने पर धन की चिन्ता से मुक्ति मिल जाती है।

अन्तिम अतिजीवित बीमा-पत्र (Last Survivor Policy)

कभी कभी संयुक्त बीमा-पत्र इस शर्त पर निया जाता है कि जीमे की रकम अन्तिम अतिजीवित व्यक्ति की मृत्यु होने पर ही अदा की जायगी। इसको अन्तिम अतिजीवित बीमा पत्र कहते हैं। संयुक्त बीमा-पत्र के अन्तर्गत पहली

मृत्यु होने पर ही बीमे की रकम देय हो जाती है; किन्तु अनितम अतिजीवेत बीमा पत्र के अन्तर्गत धर्म में की रकम आन्तम मृत्यु होने पर ही देय होती है।

वार्षिक वृत्ति (Annuity)

अधिकाश बीमा कमनियाँ वार्षिक वृत्ति भी बेचती है। वार्षिक वृत्ति खरीदने वाले को वार्षिक वृत्तिमाही (Annuitant) कहते हैं, और उसे एक रकम बीमा कमनी को देनी पड़ती है। इसके एवज में बीमा कमनी उसे जीवन पर्यन्त वार्षिक वृत्ति देती रहती है। समझौते के अनुसार, वृत्ति का भुगतान प्रसंविदे क पूर्ण होने पर ही अथवा कुछ समय ब्यातीन होने पर आरम्भ होता है। स्पष्टतया वृत्ति बीमे से ग्रिल्कुन डुल्टी बस्तु है; क्योंकि बीमे में बीमा-पत्र वार्षिक भुगतान करता है और नीमा कमनी एक रकम अदा करती है। किन्तु वार्षिक वृत्ति में क्रेता एक रकम अदा करता है और बीमा कमनी सालाना वृत्ति अदा करती है।

खियो और बच्चों का जीपन-बीमा

कुछ कान पहले भारतीय बीमा कमनियाँ खियों का जीवन-बीमा नह करती थीं क्योंकि प्रसव कान में खियों का जीपन सकटमप होता है और खियों अपने स्वास्थ्य की सापशानी भी नहीं करती। किन्तु अब खियों का जीवन बीमा किया जाने लगा है यद्यपि यह बीमा अतिरिक्त प्रीमियम लेकर ही किया जाता है। किन्तु ५० वर्ष की आयु के उमरस्त खियों का प्रयत्न कान समाप्त हो जाता है और तभ उनको ननुओं के समान ही प्रीमियम देनी होती है।

बच्चों का भी जीपन बीमा कराना जा सकता है। ऐसे बीमा-पत्र या तो वैत्रा-हिंक बीमा-पत्र होते हैं या शिक्षण बीमा पत्र। पहली दशा में पिता को एक निश्चित समय तक प्रीमियम अदा करनी पड़ती है। उसके पश्चात् विवाह के अवसर पर कमनी दर्मे की रकम अदा कर देती है। यदि पिता की मृत्यु सारी प्रीमियम अदा करने वे पहले ही हो जाय, तो शेष प्रीमियम मार्फ कर दी जानी है। यदि बीमा कराने वाला ही विवाह के पूर्व चल बसे, तो पहली प्रीमियम को छोड़कर शेष सभ प्रीमियम लौटा दी जानी है। इसी प्रवार शिक्षण नीमा-पत्र वे अन्तर्गत पिता को एक निश्चित समय तक प्रीमियम अदा करनी पड़ती है।

और उसके पश्चात् बीमा करनी विद्यार्थी को एक निश्चित समय तक कुछ रूपया साज़ाज़ा या छुपाही या मारिक विश्वासी में देती रहती है। बीमा-पत्र के समाप्त होने के पूर्व ही यदि पिता की या बच्चे की मृत्यु हो जाय, तो ऊपर बताई हुई शर्तों के अनुसार ही काम किया जाता है।

५४. बीमायोग्य हित, हस्तांकन, आदि बीमायोग्य हित

यदि बीमा-पत्र का बीमा के विषय में बीमायोग्य हित (Insurable Interest) न हो, तो बीमा का प्रसंविदा मान्य नहीं होता। यह प्रत्येक बीमे के प्रसंविदे की भाँति जीवन-बीमे पर भी लागू होता है। जीवन-बीमे में बीमायोग्य हित बीमा-पत्र लेते समय अवश्य होना चाहिये; बीमा-पत्र के दावा (Claim) करने के समय यदि इसका अभाव हो, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में बीमायोग्य हित होता है। किसी दूसरे के जीवन में बीमायोग्य हित सम्भवी होने के नाते या विवाह हो जाने पर या द्रव्य सम्बंधी सम्बंध स्थापित हो जाने पर प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि पुत्र अपने पिता पर आभिन हो, तो पिता के जीवन में उसका बीमायोग्य हित होगा; इसी प्रकार ऋणदाता को ऋण लेने वाले के जीवन में ऋण के रकम की मात्रा तक बीमायोग्य हित प्राप्त हो जाता है। नीचे बीमा-योग्य हित के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:

१. प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में बीमायोग्य हित होता है।
२. पति को अपनी पत्नी के जीवन में और पत्नी को पति के जीवन में बीमायोग्य हित होता है।
३. यदि पिता पुत्र पर आभिन हो, तो पुत्र के जीवन में उसका बीमायोग्य हित होता है।
४. यदि पुत्र पिता पर आभिन हो, तो पिता के जीवन में उसका बीमायोग्य हित होता है।
५. ऋणी के जीवन में ऋणदाता का ऋण की रकम की मात्रा तक बीमायोग्य हित होता है।

६. जो हित किसी द्रस्टी की रक्षा में छोड़ दिया गया हो, उसमें द्रस्टी का बीमायोग्य हित होता है।

यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन बीमा का प्रसंविदा चतिपूर्ति का प्रसंविदा नहीं है। बीमाकर्ता बीमा-पात्रों की मृत्यु होने पर जो ज्ञाति होती है उसे पूरा करने का उत्तराधिकार नहीं लेता क्योंकि उस ज्ञाति की तो गणना ही नहीं हो सकती। अतः जीवन-बीमा किसी भी रकम का कराया जा सकता है।

बीमा-पत्र का हस्ताक्षण (Assignment)

बीमा-पात्र बीमा-पत्र का हस्ताक्षण किसी दूसरे व्यक्ति को या तो प्रेम या स्नेह के कारण करता है या कृत्य की जमानत के रूप में। हस्ताक्षण बीमा पत्र पर बेचान लेख लिख कर किया जा सकता है या किसी अलग रुक्ते के द्वारा किया जाता है। किन्तु बीमा कम्पनी को हस्ताक्षण की सूचना अवश्य देनी चाहिये और कम्पनी का स्वीकृति-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिये। पदि कोई व्यक्ति बीमा-पत्र का हस्ताक्षण किये बिना ही मर जाय, तो उसके उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार का ब्राह्मण-पत्र देना होगा, और नभी बीमा कम्पनी रुपया चुकायेगी। यह ब्रात ध्यान देने की है कि जिस व्यक्ति के नाम हस्ताक्षण किया जाता है, उसका बीमा किये हुए जीवन में बीमायोग्य हित होना आवश्यक नहीं। अतः एक व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करा सकता है और उसे ऐसे व्यक्ति को हस्ताक्षित कर सकता है जिसे उसके जीवन में किसी भी प्रकार का बीमायोग्य हित न हो।

समर्पण मूल्य (Surrender Value)

जब बीमा-पात्र को रूपयों की आवश्यकता होती है या वह अगली प्रीमियम देने में अनुर्ध्व हो जाता है, तब वह बीमा-पत्र समर्पित या वापस कर देता है। तब बीमा कम्पनी बीमा-पात्र को समर्पण-मूल्य अदा कर देती है। अतः यदि कहा जा सकता है कि समर्पण मूल्य उस रकम को कहते हैं जो बीमा-कम्पनी बीमा के समर्पण करने पर बीमा-पत्र धारक को अदा करती है। समर्पण-मूल्य उस समय तक अदा की गई प्रीमियमों की कुल रकम से सदैव कम होता है। समर्पण-मूल्य अलाभ बीमा-पत्रों की अदा की गई प्रीमियमों की कुल रकम का केवल

२५ प्रतिशत या ३० प्रतिशत भाग होता है, और स लाभ बीमा पत्रों की अदा की गई प्रीमियमों की कुल रकम १ लाखमध्य ४० प्रतिशत। मियादी बीमा पत्रों में कुछ भी समर्पण मूल्य नहीं होता। कभी कभी यह कहा जाता है कि समर्पण मूल्य पर्याप्त नहीं होता। किंतु यह बात ठीक नहीं, दी गई प्रीमियमों में से जो रकम घर दी जाती है वह प्रदत्त रक्षा की लागत, प्रबन्ध व्यय और बीमा पत्र के समर्पण से कम्पनी को जो अधिक जोखिम केलनी पड़ती है, उन सबके कारण होती है।

बीमा पत्रों पर ऋण

यदि द्रव्य की आवश्यकता पड़ने पर बीमा पात्र बीमा पत्र समर्पित न करना चाहे तो वह बीमा पत्र की जमानत पर बीमा कम्पनी से साधारण दर पर रुपया उधार भी ले सकता है। समर्पण मूल्य के ६० प्रतिशत तक रुपया उधार दे दिया जाता है।

परीक्षा-पृष्ठ

उत्तर प्रदेश, इन्टर कामसै

१ जीवन बीमा पालिसी कैसे प्राप्त की जाती है ? बीमा किये हुये व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी पालिसी का रुपया कैसे बसूल किया जाता है ? (३० प्र०, १६५५)

२ (क) समुक्त जीवन बीमा पत्र (Joint Life Policy) तथा अन्तिम अतिजीवित बीमा पत्र (Last Survivorship Policy) के भेद बताइये। (ख) वैवाहिक एवं शिव्यण जीवन बीमा पत्रों के क्या उद्देश्य हैं ? (३० प्र०, १६५५)

३ (अ) समुक्त जीवन बीमा (Joint Life Policy) तथा अन्तिम अतिजीवित बीमा (Whole Life Policy) पत्रों के भेद दिखलाइये।

(आ) वैवाहिक एवं शिव्यण जीवन बीमा पत्रों के क्या उद्देश्य हैं ? समझ कर लिखिये। (१६५४)

४ जीवन-बीमा प्रसविदे के सम्बन्ध में बीमायोग्य हित एं क्या आशय

है ! ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइये कि जिनमें जीवन-बीमा प्रसविदे के अन्तर्गत बीमायोग्य हित प्राप्त हो सकता है ? (उत्तर प्रदेश, १६५३)

५. आजीवन बीमा-पत्र तथा बन्दोबस्ती बीमा-पत्र में अन्तर बताइये। (उत्तर प्रदेश, १६५३)

६. आजीवन बीमा पत्र तथा बन्दोबस्ती बीमा-पत्र का ऐद बताइये और उनके हानि तथा लाभों का वर्णन कीजिये। (यू० पी०, १६५१)

७. जीवन बीमे तथा अग्नि बीमे के अन्तर्भूत बताइये। (यू० पी०, १६५५)

राजपूताना, इन्टर कार्मस

८. जीवन बीमे में बीमायोग्य हित से आप क्या समझते हैं ? ब्राउन के स्त्री है, पुत्र है, नौकर है, दादी है और एक मित्र है जिससे ब्राउन को ५० पौड़ लेने हैं क्या ब्राउन का इन व्यक्तियों के जीवन में बीमायोग्य हित है ? क्या इन व्यक्तियों का ब्राउन के जीवन में बीमायोग्य हित है ? यदि हाँ, तो किन दशाओं में और किस सीमा तक ? (१६५२)

९. जीवन-बीमा की परिमाण दीजिये। बीमायोग्य हित से सम्बन्ध रखने वाले नियम बीमा की शाखा पर कहाँ तक लागू होते हैं ? यह भी बताइये कि जीवन-बीमा पत्र हस्ताक्षित हो सकता है अथवा नहीं, यदि हाँ, तो हस्ताक्षिती को अपना अधिकार (title) पूरा करने के लिए क्या काम करना चाहिये ?

(राजपूताना, १६५०)

१०. आपने १०,०००) के लिये अपना जीवन बीमा कराने का निश्चय किया है। बीमा-पत्र प्राप्त करने के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या कीजिए। (राजपूताना, १६४६)

पटना, इन्टर कार्मस

११. जीवन-बीमा के सामाजिक तथा आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिये। (पटना, १६५५)

१२. जीवन-बीमा के प्रसविदे का स्वभाव तथा उद्देश्य बताइये। बीमा के अन्य प्रसविदों से यह किस प्रकार भिन्न होता है ? (पटना, १६५३)

२३. आजीवन-बीमा-पत्र तथा बदोवस्ती बीमा-पत्र का भेद बताइये। (पट्टना, १९५१)

२४. “जीवन-बीमा में रक्षा तथा विनियोग, दोनों के तत्व सम्मिलित होते हैं।” इस कथन की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये। क्या जीवन-बीमे की हर किस्म पर यह कथन घटता है? (पट्टना, १९५६)

२५. जीवन-बीमा के मूल विद्वान्तों की विवेचना कीजिए और उस आधार की व्याख्या कीजिए जिस पर कि प्रीमियम की गणना की जाती है। (पट्टना, १९५६)

सागर, इन्टर कार्मस

२६. “आगोप ज्ञातिपूर्ति का प्रसंविदा है”—क्या यह सभी प्रकार के आगोपों के लिए सत्य है? समझाइये। (सागर, १९५५)

२७. जीवन बीमे के प्रसंविदे में बीमायोग्य हित से आप क्या समझते हैं? राम के एक स्त्री है, एक पुत्र है, एक नौकर, एक दादी और एक मित्र जो उसका ५००) का शूलण है। क्या राम का इनमें किसी के भी जीवन में बीमायोग्य हित है? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में और किस सीमा तक? (सागर, १९५०)

नागपुर, इन्टर कार्मस

२८. जीवनागोप व अन्य आगोपों में क्या भेद है? (नागपुर, १९५२)

२९. जीवनागोप सम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रकार के गोप-लेखों का वर्णन कीजिए। इनमें से किसको आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और क्यों? (नागपुर, १९५१)

३०. यदि आपका कोई मित्र आपसे वह सलाह पूछे कि वह बीमा कम्पनी में किस प्रकार का जीवन-आगोप करावे, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? उत्तर सकारण दीजिये। (नागपुर, १९५०)

३१. जीवन-बीमा-पत्रों की विभिन्न किस्मों के अन्तर्भृत बताइये। इनमें से कौन सा बीमा-पत्र सबसे अधिक लोकप्रिय है और क्यों? (नागपुर, १९५८)

बनारस, इन्टर कामर्स

२२. जीवन-बीमा का स्वभाव और उद्देश्य बताइये। बीमा के अन्य प्रसं-विदों से यह किस प्रकार भिन्न होता है। (बनारस, १९५५)

२३. जीवन-बीमे में बीमायोग्य हित क्या होता है? जीवन-बीमा-पत्र में बीमायोग्य हित रखने वाले व्यक्तियों के नाम चताइये। (बनारस, १९५२)

२४. आजीवन बीमा-पत्र तथा बन्दोवस्ती बीमा-पत्र का अन्तर बताइये। आप अपने मित्र से इनमें से कौन-सा बीमा-पत्र लेने की सिफारिश करेंगे, और क्यों? (बनारस, १९५१)

२५. आप निम्नलिखित जीवन-बीमा-पत्रों से क्या समझते हैं और प्रत्येक किन अवस्थाओं में उपयुक्त है: (अ) आजीवन बीमा-पत्र; (आ) सयुक्त-बीमा-पत्र; (इ) बन्दोवस्ती बीमा-पत्र; और (ई) अकेले भुगतान वाला जीवन-बीमा-पत्र। (बनारस, १९४४)

दिल्ली, हायर सेकिंडरी

२६. भारत में बीमा क्षमतियाँ जिस प्रकार के जीवन-बीमा-पत्र निर्गमित करती हैं, उनकी मुख्य किसी की व्याख्या कीजिये। (देहली, हायर सेकिंडरी, १९४६)

२७. जीवन-बीमा क्षमती बीमित व्यक्ति की और सारे देश की क्या सेवाएँ करती हैं? (देहली, हायर सेकिंडरी, १९३८)

उस्मानिया, इन्टर कामर्स

२८. जीवन बीमा-पत्र के विभिन्न प्रकार चर्चाइये और जिखिये कि प्रत्येक किन अवस्थाओं में उपयुक्त है? (उस्मानिया, १९५२)

अध्याय ४७

अग्नि-बीमा

वैसे तो अग्नि मनुष्य की बड़ी मित्र रही है, किन्तु यह कभी कभी बहुत विनाशकारी रूप धारण कर लेती है; और लगभग प्रत्येक वर्ष ही लाखों रुपयों की सम्पत्ति जल कर राख हो जाती है। जिस अमागे पर यह सकट टूटता है, वह अधिकाश में इतनी द्वितीय वर्द्धनश्च नहीं कर सकता और उसकी आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक हो जाती है; इस प्रकार की द्वितीय से मनुष्यों की रक्षा करने के लिए ही अग्नि बीमा का आविष्कार हुआ। थोड़ी सी प्रीमियम देकर ही सम्पत्ति का स्वामी अपनी सम्पत्ति का अग्नि-बीमा करा सकता है; और इसके एवज में बीमा कम्पनी इस बात की प्रतिश्ञा करती है कि यदि उसकी सम्पत्ति को आग लगने से कुछ हानि हो, तो कम्पनी उसे, बीमे की रकम तक, पूरा कर देगी। अग्नि-बीमा बड़ी रक्षा प्रदान करता है, और इसलिए यह बहुत लोक-प्रिय हो गया है।

बीमा-पात्र का उत्तरदायित्व

अग्नि-बीमा, बीमा-कर्ता को द्वितीयपूर्ति के लिए बाध्य कर देता है। इसी प्रकार बीमा-पात्र प्रीमियम अदा करने के लिए बाध्य हो जाता है। साथ में बीमा-पात्र को चाहिये कि वह पूर्ण विश्वास व्यवहार में लावे। उसे निम्नलिखित बातों का उत्तरदायित्व भी लेना पड़ता है :

(१) बिना बीमा कर्ता की अनुमति के, माल ने या जिस इमारत में वह रखा हो, उसमें ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाय कि जिससे जोखिम घट जाय।

(२) माल को बिना बीमा-कर्ता की अनुमति के न हटाया जाय।

(३) वसीयतनामे के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से बीमा-पत्र को बिना बीमा-कर्ता की अनुमति के हस्ताक्षित नहीं करना चाहिये।

५ १. अग्नि-बीमा का प्रसंविदा

अग्नि बीमा ऐसा प्रसंविदा है जिसके अनुसार एक पक्ष, प्रीमियम के एवज में, दूसरे पक्ष की उत्तिवित सम्पत्ति को निश्चित अवधि में अग्नि द्वारा द्वाति पहुँचने पर, उसकी पूर्ति करने की एक निश्चित रकम तक, प्रतिशा करता है। बीमा-कर्ता एक निश्चित प्रीमियम अदा करता है, इसके नदले में बीमा कम्पनी यह प्रतिशा करती है कि यदि बीमा की हुई सम्पत्ति को अग्नि से एक निश्चित अवधि में कुछ द्वाति पहुँचे, तो वह उसकी एक निश्चित रकम तक पूर्ति करेगी।

द्वातिपूर्ति का सिद्धान्त

यह स्पष्ट है कि अग्नि बीमा द्वातिपूर्ति का प्रसंविदा होता है। बीमा पात्र बीमा कराई हुई सम्पत्ति को अग्नि द्वारा होने वाली वास्तविक द्वाति को, बीमे की रकम की सीमा तक, पूरा करने के लिए दावा करने का अधिकार होता है। बीमा कम्पनी बीमे को रकम तक अग्नि द्वारा की कई द्वाति को पूरा करने की प्रतिशा करती है। बीमा-पात्र अग्नि बीमे से कुछ लाभ नहीं उठा सकता। यदि ऐसा न हो तो बीमा-पात्रों को बैंगानी से अपनी सम्पत्ति स्वयं ज्ञाने का प्रोत्साहन मिलने लगे।

बीमा पत्र एक निश्चित रकम के लिये लिया जाता है। यह अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये कि बीमे की रकम द्वाति की वास्तविक रकम से भिन्न होती है। बीमे की रकम वह आधकनम सीमा है जहाँ तक कि द्वातिपूर्ति का वापदा किया जा सकता है। किन्तु सम्पत्ति का आग द्वारा विनाश हो जाने पर बीमा पात्र, बीमे की रकम तक, विनाश के समय उस सम्पत्ति का चाजार मूल्य ही माँग सकता है। मान लीजिये कि उसी सम्पत्ति का चाजार मूल्य $2,000/-$ है किन्तु उसका बीमा केवल $2,000/-$ के लिये कराया गया है। यदि इस सम्पत्ति को आग लग जाने के कारण $2,000/-$ की द्वाति पहुँचे, तो बीमा पात्र कम्पनी से $2,000/-$ ले सकता है। किन्तु यदि नुकसान $4,000/-$ का हो तो भी वह केवल $2,000/-$ रुपये ही

ले सकता है।* केवल निर्धारित मूल्यवाला (valued) बीमा-पत्र ही इस सामान्य नियम का अपवाद (exception) है। ऐसे बीमा-पत्र में सम्पत्ति का मूल्य पहले निर्धारित कर लिया जाता है और सम्पूर्ण त्रुटि (Total Loss) हो जाने पर बीमे की रकम बसूल की जा सकती है।

अग्नि-बीमा और जीवन-बीमा

(१) अग्नि-बीमा त्रुटिपूर्ति का प्रसंविदा होता है, किन्तु जीवन-बीमे का ऐसा स्वभाव नहीं होता। अतः अग्नि-बीमा में कम्पनी से अग्नि द्वारा नष्ट होने वाली सम्पत्ति का केवल वास्तविक मूल्य ही बसूल किया जा सकता है, किन्तु जीवन-बीमे में बीमे की पूरी रकम बसूल की जा सकती है, और बीमा कितनी भी रकम का किया जा सकता है।

(२) जीवन-बीमे में रक्षा-तत्व और विनियोग-तत्व दोनों ही सम्मिलित होते हैं; किन्तु अग्नि-बीमे में केवल रक्षा-तत्व ही होता है।

(३) अग्नि-बीमा-पत्र की अवधि १० दिन से लेकर १२ महीने तक होती है; किन्तु जीवन-बीमा-पत्र अधिकतर इससे लम्बी अवधि का होता है।

(४) अग्नि-बीमे में संकट विभिन्न प्रकार के होते हैं। अतः इन संकटों का वर्गीकरण बहुत विषय और लम्बा-चौड़ा होता है; यही कारण है कि अग्नि-बीमे की दरों में बहुत अन्तर पाये जाते हैं। किन्तु जीवन-बीमे में प्रत्येक औसत जीवन को, आयु के अनुसार, एक प्रीमियम देनी पड़ती है। जीवन के औसत स्थाय से नीचे स्तर के होने पर ही अतिरिक्त प्रीमियम ली जाती है।

(५) जीवन-बीमा-पत्र दो या तीन वर्ष के बाद समर्पण-मूल्य प्राप्त कर लेता है; किन्तु अग्नि-बीमा-पत्र का कोई भी समर्पण-मूल्य नहीं होता।

(६) जीवन-बीमे में बीमायोग्य हित बीमा कराते समय उपस्थित होना आवश्यक है, किन्तु अग्नि-बीमे में यह हित बीमा कराते समय और हानि होते समय, दोनों ही समय उपस्थित होना चाहिये। अग्नि-बीमे में संकट की

*किन्तु यदि बीमा-पत्र में औसत वाक्य (average clause) हो, तो वास्तविक त्रुटि का केवल $\frac{2}{3}$ भाग ही बसूल किया जा सकता है। देखिये ७३।

मात्रा अधिक होती है। इसलिए अग्नि-बीमे को व्यक्तिगत प्रसविदा कहा जाता है और अग्नि-बीमा-पत्र जिना बीमा कमनी की अनुमति के हस्ताक्षित नहीं किया जा सकता।

अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा

अग्नि-बीमे और सामुद्रिक बीमे में यह समानता है कि दोनों ही क्षतिपूर्ति के प्रसविदे होते हैं। किन्तु इनमें दो वह अन्तर हैं : (१) अग्नि-बीमा में बीमा-पात्र नष्ट होने वाली सम्पत्ति का केवल वात्सविक मूल्य ही बमूल कर सकता है; किन्तु सामुद्रिक बीमे में वह माल की मूल्य के अतिरिक्त जहाज आदि का व्यव तथा १० प्रतिशत या १५ प्रतिशत इसके ऊपर लाभ के रूप में भी ले सकता है। (२) अग्नि बीमे में बीमायोग्य हित बीमा कराते समय भी होना चाहिये और क्षति होते समय भी; किन्तु सामुद्रिक बीमे में इस हित का केवल क्षति के समर ही होना आवश्यक है।

अग्नि-बीमा के प्रसविदे के आवश्यक लक्षण

बीमे के प्रत्येक प्रकार के प्रसविदे की मात्रा अग्नि-बीमे के प्रसविदे में, दो प्रियोग लक्षण होने चाहिये—पूर्ण विश्वास का व्यवहार और बीमायोग्य हित की उपस्थिति।

पूर्ण विश्वास—अग्नि-बीमे के प्रसविदे के दोनों पक्षों को पूर्ण विश्वास व्यवहार में लाना चाहिये, और दूसरे पक्ष को समत्त मूल तथ्यों को बता देना चाहिये। यह बीमा-पात्र पर विशेष रूप से लागू होता है क्योंकि बीमे के विषय के सम्बन्ध में उसकी पूरी जानकारी होना स्वाभाविक है। प्रस्ताव-पत्र में जो सूचना बीमा पात्र देता है, उसी के आधार पर बीमा कमनी बीमा बेचती है और प्रीमियम की दर निश्चित करती है। अतः बीमा-पात्र को आवश्यक रूप से सारे मूल तथ्य, जैसे मकान जिस सामग्री का बना हो उसका विवरण, प्रयोग के लिये तैयार रहने वाले अग्नि बुझाने के साधन, इमारत में रखें जाने वाले माल का स्वभाव, आसपास की दृमारता का स्वभाव और उनका प्रयोग बता देना चाहिये। किसी भी मूल तथ्य का गोपन प्रसविदे को दूषित कर देगा और दूसरा पक्ष यदि चाहे तो प्रसविदा भग कर सकता है। बीमे-पात्र के बीमा-पत्र के

पूरे जीवन-काल में पूर्ण विश्वास रखना चाहिये और जोलिम के स्वभाव में परिवर्तन होते ही उसकी सूचना बीमा कम्पनी को दे देना चाहिये।

बीमायोग्य हित—बीमा-पात्र का अग्नि बीमा के विषय में बीमायोग्य हित भी होना चाहिये; नहीं तो प्रखण्डित जुर्ये की भाँति हो जायगा जो वैधानिक (legal) दृष्टि से विवर्जित है। किसी व्यक्ति का किसी सम्पत्ति में बीमायोग्य हित तब होता है जब कि उस सम्पत्ति के जल जाने से उसकी आर्थिक हानि हो और उसकी रक्षा से उसका आर्थिक हितवर्द्धन हो। ऐसा हित वैधानिक दण से प्राप्त हो सकता है, जैसे वैधानिक स्वामित्व के कारण; यह न्याय-सिद्धांत (Equity) के अनुसार भी प्राप्त हो सकता है जब कि आर्थिक सम्बन्ध स्वामित्व से कम होता है जैसे किसी सम्पत्ति की जमानत पर ऋण देना। अतः एक मनुष्य अपनी सम्पत्ति का बीमा करा सकता है, ऋणदाता उस सम्पत्ति का जो उसके बहाँ गिरवी रखती गई हो, गोदामवाला अपने ग्राहक के माल का, द्रस्टी द्रस्ट के माल का, और एजेंट अपने प्रधान के माल का। यदि बीमा कम्पनी किसी सम्पत्ति का बीमा कर दे, तो वह उसका पुनर्जीमा करा सकता है।

५२. अग्नि-बीमा कराने की रीति

टैरिफ तथा विना टैरिफ वाली कम्पनी

बीमा-पात्र को पहले इस बात का निर्णय करना चाहिये कि वह किस कम्पनी से बीमा कराना चाहता है। अग्नि बीमा बहुत सी कम्पनियाँ बेचती हैं। इनमें से कुछ तो केवल अग्नि-बीमा ही करती हैं और कुछ और भी प्रकार के बीमे करती हैं। ये सब कम्पनियाँ दो भागों में बांटी जा सकती हैं—टैरिफ वाली कम्पनी या आफिस और विना टैरिफ वाली कम्पनी या आफिस।

टैरिफ वाली कम्पनियाँ—अग्नि-बीमा की कम्पनियाँ आपस में स्पर्धा को रोकने के लिए, जिसका परिणाम प्रीमियम की दर का घटना होता है, एक समिति बना लेती है। इसे टैरिफ समिति कहते हैं। यह समिति मुख्य-मुख्य जोलिमों पर ली जाने वाली प्रीमियम की दर निश्चित कर देती है और उसके सदस्यों को यहीं दरें वसूल करनी पड़ती हैं। इससे दरों में समानता हो जाती

है, सर्वां में रोक होती है और प्रीमियम की दर उचित स्तर पर रहती है। टैरिफ समिति के सदस्यों द्वा टैरिफ कम्पनी या आफिल कहते हैं। अधिकारा अग्नि बीमा की कम्पनियाँ ऐसी समिति की सदस्य होती हैं।

विना टैरिफ वाली कम्पनियाँ—अग्नि-बीमा की सभी कम्पनियाँ टैरिफ समिति की सदस्य नहीं बनती। ये बिना टैरिफ वाली कम्पनियाँ कहलाती हैं। यह समिति के नियम से बड़ी नहीं होती और कम या अधिक जो भी चाहें, प्रीमियम की दर बसूल करती हैं। साधारणतया नई कम्पनियाँ यह चाहती हैं कि यदि वे पुरानी कम्पनियों से कुछ कम प्रीमियम ले तो उन्हें अच्छा व्यापार मिल जायगा, इसलिए वे टैरिफ समिति की सदस्य नहीं बनती। ऐसी कम्पनियाँ कभी-कभी बहुत कम प्रीमियम लेती हैं, जिससे कि वे सब दावों का भुगतान नहीं कर पाती। अतः ऐसी कम्पनियों से बीमा लेना भय से शून्य नहीं। ऐसी कम्पनियाँ थोड़ी होती हैं।

बीमा करना

(१) प्रस्ताव-पत्र—यह निश्चय कर लेने के पश्चात् कि बीमा-पत्र किस कम्पनी से खरीदना है, बीमा-पत्र एक प्रस्ताव-पत्र (Proposal Form) मरता है। यह रक्का ही प्रसविदे का आधार होता है और इसके मरने में पूर्ण विश्वास से कान लेना चाहिये। कोई भी मूल्य तथा—अर्थात् ऐसी बात जो समवतः कम्पनी के निर्णय पर प्रभाव डालने वाली हो—छिपाना नहीं चाहिये और कोई बात गलत भी नहीं कहनी चाहिये। सब मूल तथ्यों को साफ-साफ और ठीक-ठीक लिखना चाहिये। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ऐसा देना चाहिये कि उसका एक ही अर्थ निकल सके।

बीमा उतनी ही रकम का लेना चाहिये जो उपयुक्त हो। सम्पत्ति का विनाश हो जाने पर, उसके बाजार मूल्य के बराबर ही रकम बसूल की जा सकती है। अतः यह आवश्यक है कि बीमे की रकम सम्पत्ति के मूल्य से कुछ ही अधिक हो जिससे कि यदि विनाश के समय सम्पत्ति का बाजार मूल्य कुछ ऊँचा हो जाय, तो उसको भी बसूल किया जा सके।

(२) सदाचरण का प्रमाण—अग्नि-बीमे में नैतिक जोखिम बहुत होती है। बीमा-पत्र अपनी इमारत में लाभ कमाने की दृष्टि से स्वयं ही आग लगा सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति उसकी समति में ईर्ष्या से या किसी प्रकार का नतमेद हो जाने के कारण आग लगा सकता है। इसलिए बीमा कम्पनी इस घात का निश्चय कर लेना चाहती है कि स्वयं बीमा पार रखा और ईमानदार हो। यदि वह उनका परिचित है, तब तो ठीक है। अन्यथा कम्पनी प्रस्तावक से यह ग्रार्थना करती है कि वह अपने सदाचार का कुछ प्रमाण दे।

(३) सम्पत्ति का निरीक्षण—यदि जोखिम थोड़ी हो, तो कम्पनी सम्पत्ति का सावधानी से निरीक्षण नहीं करती। किन्तु यदि जोखिम अधिक हो, जो कि विभिन्न तथा विषय कारणों पर निर्भर होती है, तो विशिष्ट निरीक्षक (surveyors) सम्पत्ति का सावधानी से निरीक्षण करने वाला जोखिम की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए भेजे जाते हैं। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर कम्पनी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करती है। स्वीकार करने पर वह प्रीमियम को क्वोट (quote) करती है।

(४) प्रस्ताव की स्वीकृति—प्रस्ताव पत्र और निरीक्षण का रिपोर्ट के आधार पर कम्पनी प्रीमियम की दर निश्चित करती है और बीमा पत्र को प्रीमियम अदा करने के लिए लिखती है। प्रामियम अदा कर देने पर ही प्रसविदा पूर्ण होता है।

(५) आवरण पत्र (Cover Note)—प्रीमियम चुकता कर देने पर प्रसविदा पूर्ण हो जाता है और बीमा कम्पनी तुरन्त ही एक आवरण पत्र निर्गमित (issue) कर देती है। जब तक बीमा पत्र बन कर तैयार नहीं होता, तब तक आवरण पत्र ही पत्र धारक की रक्षा करता है।

(६) बीमा पत्र—बाद को कम्पनी बीमा-पत्र तैयार करके बीमा पत्र के पास भेज देती है।

प्रीमियम की दर

अग्नि-बीमा पत्र पर ली जाने वाली प्रीमियम की दर अलग-अलग होती है। प्रीमियम की दर का निर्णय इमारत के स्वभाव, बीमा के विषय की किसी

और स्वभाव, चारों ओर की इमारत का स्वभाव, अग्नि बुझाने के साधनों की प्राप्ति तथा अन्य ऐसी बातें के आधार पर किया जाता है। जहाँ आग लगने की सम्भावना कम होती है और जहाँ आग बुझाने के साधन अच्छे और सुलभ होते हैं, वहाँ प्रीमियम की दर कम होती है।

जोखिम तीन बगों में विभाजित की जाती है : साधारण, सकटजनक तथा अत्यन्त सकटजनक। साधारण जोखिम पर सबसे कम प्रीमियम की दर ली जाती है, अत्यन्त सकटजनक जोखिम पर सबसे अधिक; और सकटजनक जोखिम पर बीच की दर वसूल की जाती है। इन सब दरों को आधारभूत या प्रसामान्य दरें (Normal Rates) कहा जाता है। यदि जोखिम प्रसामान्य है, तो प्रीमियम की दर भी प्रसामान्य ही ली जाती है। किन्तु जोखिम प्रसामान्य से कम या अधिक हो, तो प्रीमियम की दर कम या अधिक कर दी जाती है। कोई इमारत कठिनता से जलनेवाली सामग्री की बनी हो और अग्नि बुझाने के साधन भी संतोषजनक और सुलभ हों, तो प्रीमियम की दर घटा दी जाती है। किन्तु यदि इमारत शीघ्र प्रज्ञलित होने वाली सामग्री की बनी हो या आसपास की इमारतें इस प्रकार की हों या अग्नि बुझाने के साधन प्राप्त न हों, तो प्रसामान्य दर से लंबी दर वसूल की जाती है। अग्नि-बीमे की प्रीमियम निश्चित करने की प्रथा विशिष्ट और विषम होती है, अतः उसका इस स्थान पर विवेचन नहीं किया जाता।

५. अग्नि-बीमा-पत्र और उसकी किस्में

अग्नि बीमा-पत्र में बीमा-पत्र का नाम और पता, बीमे की सम्पत्ति का पूरा विवरण, बीमे की रकम, आदि बातें दी जाती हैं। इस पर बीमा कम्पनी के किसी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए और उस पर रसीदी ठिकट भी लगा लेना चाहिये। बीमा पत्र की पीठ पर वे सब शर्तें छुरी होती हैं जो प्रसविदे को शासित करती हैं।

बीमा-पत्र की शर्तें:

बीमा-पत्र की पीठ पर छुरी हुई शर्तें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि प्रस-

विदा इन्हीं के द्वारा शासित होता है। इनमें से मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

(१) मिथ्या विवरण, मिथ्या प्रतिनिधित्व या किसी मूल तथ्य को छिपाना चीमा-पत्र को विवर्जित (void) कर देगा ।

(२) जोखिम में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना कम्पनी को देनी चाहिये और चीमा-पत्र पर बेचान-लेख भी लिखवा लेना चाहिये ।

(३) चीमा-पत्र निम्नभिलित की रक्षा नहीं करता : (अ) द्रेट के माल की या कमीशन पर रखने हुये माल की, (आ) चीमी के वर्तन, जबाहिरत, पाहु-लिपि, चित्र आदि, (इ) पैटर्न, माडिल और डिजाइन, (ई) तमस्कुक, बाड, हुन्डी, रुपया आदि, (उ) विस्फोटक पदार्थ या विस्फोट के द्वारा होने वाली चृति, (ऊ) गर्मी द्वारा होने वाली चृति, (ए) भूचाल, देश-शत्रु, या दलों के द्वारा होने वाली चृति ।

(४) यदि चीमे की सम्पत्ति का किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तातरण हो जाए, तो चीमा पत्र पर कम्पनी का बेचान-लेख न कराने पर चीमा-पत्र समाप्त हो जाता है ।

(५) चृति होने पर उसकी लिखित सूचना शीघ्र ही कम्पनी को दे देनी चाहिये और १५ दिन के अन्दर चृति का विवरण भी भेज देना चाहिये ।

(६) यदि दावा कपड़पूर्ण (fraudulent) हो, तो चीमे के समन्त लाभ लुप्त हो जाते हैं ।

(७) कम्पनी विनष्ट सम्पत्ति को या तो दोबारा बनवा सकती है या नकद रुपया दे सकती है ।

(८) जिस द्वारा चृति हुई हो, कम्पनी की उसमें प्रवेश करने का अधिकार होगा और वह चीमे की सम्पत्ति को हटा सकती है और चाहे तो उसे अपने अधिकार में कर सकती है ।

(९) यदि सम्पत्ति पर दोहरा चीमा कराया गया हो, तो कम्पनी चृति के केवल आनुपातिक भाग की देनदार होगी ।

(१०) यदि उसी सम्पत्ति पर कोई और चीमा कराया गया हो और उसमें

औसत वाक्य (average clause) लागू हो, तो वह इस बीमे पर भी लागू हो जायगा ।

(११) यदि दावे के सम्बंध में कोई मतभेद हो, तो उसका पचायत द्वारा निपटाया होगा ।

(१२) यदि बीमा-पत्र विवर्जित हो जाय, तो अदा की गई प्रीमियम जन्म ही जायगी ।

(१३) केवल कम्पनी की हृषी रसीद ही मान्य होगी ।

(१४) यदि कम्पनी किसी तीसरे पक्ष पर दावा करे, तो बीमा पत्र को कम्पनी की सहायता करनी होगी ।

(१५) यदि किसी साधारण शर्त (warranty) को तोड़ा जाय, तो बीमा के अन्तर्गत कोई दावा नहीं किया जा सकता ।

बीमा-पत्र की किरणें

अग्नि बीमा पत्र कई प्रकार के होते हैं । इनमें से चार किरणें प्रमुख हैं : विशिष्ट (Specific) बीमा पत्र, निर्धारित मूल्य का (Valued) बीमा-पत्र, विस्तृत (Floating) बीमा पत्र और औसत (Average) बीमा-पत्र । इनके अतिरिक्त कुछ और प्रकार के भी अग्नि-बीमा-पत्र होते हैं ।

विशिष्ट बीमा पत्र (Specific Policy)—विशिष्ट बीमा-पत्र एक निश्चित रकम के लिए निर्गमित होता है और उस रकम तक हतिपूर्ति करने की बीमा कम्पनी प्रतिशा करती है, बीमे की सम्पत्ति का मूल्य कुछ भी हो । उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने मकान का, जिसका मूल्य १०,०००० है, २,०००) के लिए बीमा कराये और अग्नि द्वारा उसे २,०००) की हति हो जाय, तो बीमा-पत्र बीमा कम्पनी से २,०००) मांग सकता है । यदि हति १,५००) ही हो, तो वह १,५००) रुपये वसूल कर सकता है । किन्तु यदि २,०००) से अधिक की हो, तो इस रकम से अधिक कुछ भी नहीं वसूल किया जा सकता । साधारणतया विशिष्ट बीमा-पत्र कम्पनी के मूल्य के बाहर ही लिया जाता है; और ऐसी दशा में प्रीमियम निर्धारित करने समय यह कल्पना कर ली जाती है कि वास्तव में ऐसा ही किया गया है ।

निर्धारित मूल्य वाला (Valued) बीमा पत्र—जिस बीमा पत्र में बीमा कर्ना और बीमा-पत्र बीमे की सम्पत्ति के मूल्य पर पहले से ही सहमत हो जाते हैं, उसे निर्धारित मूल्य वाला बीमा पत्र कहते हैं, और सम्पत्ति का पूर्ण विनाश हो जाने पर बीमे की पूरी रकम अदा कर दी जाती है। ऐसी दशा में बीमे की रकम, आग लगने के समय सम्पत्ति का जो बाजार मूल्य हो उससे कम या अधिक हो सकती है अत यह बीमा पत्र ज्ञातिष्ठाति के प्रति बूल पड़ता है। निर्धारित मूल्य वाला बीमा पत्र बहुधा ऐसी सम्पत्ति पर ही लिया जाता है जिसके बाजार मूल्य का आग लगने के समय पता लगाना कठिन हो, जैसे पर में प्रतिदिन काम में आने वाला सामान। ऐसा बीमा पत्र बीमा करने और करने वाले दोना ही के लिये हानिकारक है। यदि आग लगने के समय सम्पत्ति का बाजार मूल्य बीमे की रकम से अधिक हो, तो बीमा पत्र को हानि उठानी पड़ती है किन्तु यदि यह कम हो, तो बीमा कम्पनी को अनावश्यक रकम अदा करनी पड़ती है।

विस्तृत बीमा पत्र (Floating Policy)—जो बीमा पत्र विभिन्न स्थानों पर रखें हुए माल की रक्षा करता है, वह विस्तृत बीमा पत्र कहलाता है। यह बहुधा डॉक या गोदाम में रखें हुए माल पर लिया जाता है जो कि कुछ ही समय बाद वहाँ से हटा दिया जाता है।

औसत बीमा-पत्र (Average Policy)—जिस बीमा पत्र में औसत वाक्य सम्मिलित होता है उसे औसत बीमा पत्र कहा जाता है। औसत वाक्य (Average Clause) के अनुसार बीमा करने वाले को ज्ञाति का वही अनुभाव देना होता है जो बीमे की रकम और लगने के समय सम्पत्ति के बाजार मूल्य में होता है। मान लीजिये किसी घर का ५,०००) के लिये अग्नि बीमा कराया गया है और उसमें आग लगने से २,०००) की ज्ञाति हुई। यह भी मान लीजिये कि ज्ञाति के समय उस मकान का बाजार मूल्य १०,०००) था। अत बीमा करने वाले को केवल $\frac{5+2}{10} \times 10 = 700$ मिल सकेगा। यदि मकान का दोहरा बीमा कराया हो और किसी भी बीमा पत्र में औसत वाक्य हो, तो वह सब बीमा पत्रों में लागू हो जायगा।

अन्य प्रकार के बीमा-पत्र—इनके अतिरिक्त और भी बीमा-पत्र होते हैं जो अग्नि द्वारा होने वाली ज्ञति से तो नहीं, किन्तु अग्नि के परिणामों से बीमा-पत्र की रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिये किराया बीमा-पत्र आग लग जाने के कुछ समय का किराया न मिलने से जो हानि होती है, उसको पूरा करता है। लाभ-ज्ञान बीमा पत्र आग लग जाने के कारण व्यापार दक जाने से जो लाभ का हास होता है, उसको पूरा करता है। यातायात बीमा-पत्र माल के एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते समय उनकी रक्षा करता है।

बीमा-पत्र का हस्तांकन (Assignment)

अग्नि-बीमे का प्रसविदा बीमा करने और कराने वाले के बीच में एक व्यक्तिगत प्रसविदा है। अतएव अग्नि-बीमा बीमा-पत्र की इच्छानुसार किसी दूसरे व्यक्ति को हस्ताक्षित नहीं किया जा सकता; और न सम्पत्ति के वेचने या दूसरे व्यक्ति को देने के साथ-साथ उससे सम्बंधित अग्नि-बीमा-पत्र। ही दूसरे व्यक्ति को चला जाता है। अग्नि बीमा-पत्र केवल बीमा कम्पनी की अनुमति से ही हस्ताक्षित किया जा सकता है।

सम्पत्ति हस्तांतरण विधान (Transfer of Property Act) की धारा ४६, अग्नि बीमा की हुई सम्पत्ति के हस्तातरित (transferee) के अधिकार की इस प्रकार व्याख्या करती है : “यदि स्थिर सम्पत्ति किसी प्रतिफल के बदले में हस्तातरित की जाय और उस सम्पत्ति या उसके किसी भाग का हस्तातरण के समय अग्नि द्वारा विनाश या हानि से रक्षा करने के लिए बीमा कराया हुआ हो, तो हस्तातकिती (transferee) विनाश या हानि होने पर, किसी प्रतिकूल प्रसंविदे की अनुपस्थित में, हस्तातरक को बीमा-पत्र के अन्तर्गत मिन्ने वाला कुल रुपया माँग सकता है, या उसका वह भाग माँग सकता है जो सम्पत्ति के फ़िर से खड़ा करने के लिए आवश्यक हो।” उसी विधान की धारा १३५ हस्तातकिती (assignee) के अधिकार की इस प्रकार व्याख्या करती है : “वेचान-लेख या अन्य किसी लेख द्वारा सामुद्रिक जीमे या अग्नि-बीमे को पाने वाले हस्तातकिती को, जिसको कि हस्ताक्षित के समय सम्पत्ति के सभ-

अधिकार दे दिये जाते हैं, अभियोग चलाने के सब अधिकार मी हस्तांतरित या प्राप्त हो जाते हैं मानो कि बीमा पत्र में लिखा हुआ प्रसविदा उठी के साथ हुआ हो।”

अग्नि-बीमा-पत्र का पुनर्जीवन (Renewal)

अग्नि-बीमा पत्र बहुधा एक ही वर्ष के लिए निर्गमित किये जाते हैं। किन्तु बीमा-यत्र दोशारा प्रीमियम अदा करने से पुनर्जीवन किया जा सकता है। बीमा कम्पनियाँ पुनर्जीवन प्रीमियम अदा करने के लिए कुछ अनुग्रह दिवस (Days of Grace) देती हैं। यदि अनुग्रह दिवस में समति को आग लग जाय और उसके परिणाम स्वरूप उसकी विनाश या हानि हो, तो बीमा कम्पनी को ज्ञातिपूर्ति करनी पड़ेगी यद्यपि पुनर्जीवन प्रीमियम अदा नहीं की गई, किन्तु यदि इस दान का निश्चित प्रमाण हो कि बीमा पत्र का बीमा-पत्र पुनर्जीवित करने का विचार ही नहीं या, तो जात दूखरी है।

कुछ अग्नि बीमा-पत्र एक साल से कम के होते हैं और उन्हें अल्पकालीन बीमा-यत्र कहते हैं। कुछ अग्नि-बीमा-पत्र एक साल से लम्बी अवधि के होते हैं और उन्हें दीर्घकालीन बीमा पत्र कहते हैं। पुनर्जीवन का सिद्धान्त दोनों पर समान रूप से लागू होता है।

६. दावा और उसका भुगतान

दावा

यदि बीमे की समति में आग लग जाय और उसका विनाश या हानि हो जाय, तब बीमा कम्पनी पर दावा किया जा सकता है। यह यात स्टॉर्ट रूप से समझलेनी चाहिये कि दावा तभी किया जा सकता है, जब कि अग्नि प्रवृत्तिलित (ignition) हो। यदि ज्वाला नहीं उठती तो यह माना जायगा कि आग नहीं लगी और मिर दावे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दावा करते समय जिस रीति का प्रयोग करना चाहिये, वह बीमा पत्र में लिखी होती है; और सफल दावा करने के लिये बीमा पत्र को उसका पूर्णतया पालन करना चाहिये।

दावे का भुगतान

हम नीचे दावा करने और उसके भुगतान की वास्तविक पिंडि बताते हैं :

(१) आग की सूचना—जैसे ही आग लगे बीमा पात्र को तुरन्त ही उसकी सूचना बीमा कम्पनी को देनी चाहिये । यह बहुत आवश्यक है । यदि बीमा पात्र ऐसा करने में भूल करे, तो उसका दावा करने का अधिकार छुप्त हो जाता है । साथ में, उसे अग्नि दुखाने के लिये उचित उपाय भी काम में लाना चाहिये ।

(२) दावे का फार्म—आग की सूचना पाते ही बीमा कम्पनी बीमा-पात्र को एक दावे का फार्म (Claim Form) भेज देगी । इसे बहुत सावधानी से मरना चाहिये और सम्पन्नित सम्पत्ति का पूर्ण विवरण एवं ज्ञति का अनु-मान टीक-टीक देना चाहिये । दावे का फार्म मर कर बीमा कम्पनी को भेज देना चाहिये ।

(३) दावे का प्रभाग—दावा करते समय ऐसे प्रभाग, कागजात, रसीदें और लेख आवश्य देने चाहिये जो बीमा कम्पनी को सदुपृष्ठ कर सके ।

(४) बीमा कम्पनी द्वारा निरीक्षण—सूचना मिलने पर कम्पनी सम्पत्ति का निरीक्षण करायेगी । वह इस बात का पता लगाने की चेष्टा करेगी कि आग का कारण क्या था, इमारत की दशा क्या थी, सम्पत्ति की क्या ज्ञति हुई, ज्ञति का अनुमान क्या है और ऐसी ही अन्य बातें जो उसके उत्तरदायित्व पर प्रभाव ढालती हैं । बीमा कम्पनी को यह अधिकार है कि वह सम्पत्ति का निरीक्षण करे, जहाँ आग लगी है वहाँ प्रवेश कर सके और ज्ञति प्राप्त सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले ।

(५) वास्तविक ज्ञति का निश्चय—इसके पश्चात् ज्ञति की मात्रा का निश्चय किया जाता है । यह बीमा कम्पनी का काम है । यदि ज्ञति थोड़ी-सी हो तो बीमा कम्पनी वाले रख्य ही उसका मूल्य आँक लेंगे और दावे का मुगतान कर देंगे । किन्तु यदि दावा वही रखम का हो, तो निरीक्षकों (Surveyors) या निर्धारकों (Assessors) को इछ कान के लिए रखना जाता है । निरीक्षक

या निर्धारक कृति प्राप्ति सम्पत्ति का मूल्य आँकते हैं, अवशेष (Salvage) को अच्छे से अच्छे मूल्य पर बेचते हैं और बीमा करने और कराने वालों का आपस में निपटारा करते हैं।

औसत वाक्य (Average Clause)

यदि बीमा-पत्र में औसत वाक्य हो, तो बीमा कम्पनी दाने का भुगतान करते समय उससे लाभ उठाने की चेष्टा करेगी। इस वाक्य के अनुसार, 'यदि' कृति के समय बीमे की रकम सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य से कम हो, तो बीमा-पत्र शेष रकम का स्वयं बीमा कर्ता समझ लिया जायगा। बीमा कम्पनी से वास्तविक कृति का केवल वही अनुपात लिया जा सकता है जो बीमे की रकम और सम्पत्ति के मूल्य में उपस्थित है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सम्पत्ति पर ₹६०००) का बीमा कराया गया हो, किन्तु कृति के समय उसका बाजार मूल्य ₹१०,०००) हो, तो ₹६०००) की कृति होने पर बीमा कम्पनी केवल ₹५०००—₹६००० = ₹० ३६०० देगी। यदि औसत वाक्य न हो तो, बीमा कम्पनी को ₹६०००) देना पड़ता।

एक से अधिक आग

यदि एक बीमा पत्र के जीवन-काल में बीमे की सम्पत्ति में एक से अधिक बार आग लगे तो क्या अवस्था होगी? क्या बीमा कम्पनी को दोनों बार पूरी-पूरी कृति अद्दा करनी पड़ेगी? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी अवस्था में बीमा कम्पनी कुन्ज मिला कर बीमे की रकम तक रुपया देगी, उससे अधिक नहीं। उदाहरण के लिये, मान लीजिए किसी इमारत का ₹५०००) के लिये बीमा कराया गया। इसे आग के द्वारा ₹३०००) का नुकसान हो जाता है; और उसके बाद फिर आग लगने पर उनकी ही कृति और होती है। ऐसी दशा में बीमा कम्पनी कुन्ज मिलाकर ₹५०००) अद्दा करेगी—₹३०००) पहले और ₹२०००) बाद को। किंतु एक बार आग लगने पर बीमा पात्र और प्रीमिशम देकर फिर पूरी रकम का बीमा करा सकता है।

दोहरा बीमा (Double Insurance)

कभी-कभी किसी सम्पत्ति पर एक से अधिक बीमा करा लिया जाता है।

इसे दोहरा बीमा कहते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक कम्पनी क्षति का आनुपातिक भाग (Rateable Proportion) ही अदा करेगी। यानि लोअरिंग किसी इमारत का 'क' ने ५०००) के लिए, 'ख' ने ४०००) के लिए, 'ग' ने १०००) के लिये बीमा किया; तब क्षति का 'क' $\frac{५}{१०००}$ भाग, 'ख' $\frac{४}{१०००}$ भाग और 'ग' $\frac{१}{१०००}$ भाग अदा करेगा। जीमा-पात्र जिस क्रम और मात्रा में चाहे स्पया वसूल कर ले। किन्तु बीमा कम्पनियाँ आपस में ले-देकर उपरोक्त आनुपात में क्षतिपूर्ति करेंगी। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यदि किसी भी बीमा-पत्र में श्रौतवाक्य हुआ, तो वह और भी बीमा-पत्रों पर लागू हो जायगा।

पुनर्स्थापन (Re-instatement)

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बीमा करने और कराने वालों का क्षति-सम्बन्धी आनुमान भिन्न-भिन्न होता है। बीमा कम्पनी समझती है कि दावा अतिशयोक्तिपूर्ण (exaggerated) है। ऐसी अवस्था में वह नकद स्पया देने के स्थान पर सम्भति को पुनर्स्थापित करा देती है। यह स्मरण रखना चाहिये कि पुनर्स्थापन का विकल्प (option) केवल बीमा-कर्ता को प्राप्त होता है; बीमा-पात्र कम्पनी को पुनर्स्थापन के लिये चाल्य नहीं कर सकता।

पंचायत (Arbitration)

कभी-कभी बीमा करने और कराने वाले में दावे के सम्बन्ध में मतभेद हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि मामला न्यायालय तक जात तो भय यह होता है कि कम्पनी की बदनामी होगी और यह भी सम्भव है कि कम्पनियों पर जनता का विश्वास ही कम होने लगे। अतः प्रायः सभी बीमा-पत्रों में यह दिया होता है कि मतभेद होने पर मामला पंचायत के सुपुर्द कर दिया जायगा जिसका एक पत्र कम्पनी नियुक्त करती है और दूसरा बीमा-पात्र। ऐसों का निर्णय दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। यदि दोनों पत्र एकमत न हो सकें तो एक संरपत चुन लेते हैं जिसका निर्णय अनितम होता है।

स्थान प्रहण का सिद्धान्त (Subrogation)

बीमा-पात्र की क्षतिपूर्ति कर देने के पश्चात् बीमा कम्पनी को वे सब

अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो वीमा पात्र को तीसरे पक्ष के विश्वद प्राप्त हों। इसे स्थान ग्रहण का सिद्धान्त कहते हैं। इसका वर्णन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं।

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इन्टर कामर्स

१. एक गेहूँ के गोदाम का अग्नि वीमा कराने की क्या विधि होगी ? अग्नि वीमा कराने का अधिकारी कौन कौन होता है ? क्या अग्नि वीमा-पत्र हस्ताक्षित (assign) किया जा सकता है, (१६५५)

२. किन्हीं तीन प्रकार की अग्नि वीमा के विषय में वर्णन दो। (१६५५)

३. अग्नि वीमा प्रसविदे में वीमा पात्र के क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं ? स्पष्ट रूप से समझाइये। (उत्तर प्रदेश, १६५३)

४. मूल्याकित तथा अमूल्याकित अग्नि वीमा-पत्र में अन्तर बताइये। (उत्तर प्रदेश, १६५३)

५. अग्नि वीमा पत्रों में किस सम्पत्ति के मूल्य से अधिक या कम का वीमा कराने से क्या प्रभाव पड़ता है ? उदाहरण सहित स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिये। (उत्तर प्रदेश, १६५२)

६. अग्नि-वीमा पत्र क्या होता है ? निर्धारित मूल्य और अनिर्धारित मूल्य बाले अग्नि वीमा पत्र में क्या अन्तर होता है ? (यू० पी०, १६५१)

७. अग्नि-वीमे और जीवन वीम को मिन्नताश्रा को स्पष्ट कीजिये। अग्नि-वीमा किस प्रकार कराया जाता है ? (यू० पी०, १६४८, १६५६)

राजपूताना, इन्टर कामर्स

८. अग्नि वीमा पत्र का स्वभाव पूर्णतया स्पष्ट कीजिये। ऐसे वीमा पत्र के परे किस प्रकार की दृतियाँ रखती जाती हैं, और कौन-सी दृतियाँ इसमें कभी भी शामिल नहीं हो सकती ? पुनर्स्थापन वाक्य का क्या उद्देश्य होता है, (राज-पूताना, १६५३)

६. अग्नि बीमा के प्रसविदे में प्रस्ताव के समय से दावे के भुगतान तक जिस विधि का पालन किया जाता है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। (राजपूताना, १९५२)

१०. “अग्नि बीमा दत्तियूर्ति का प्रसविदा है और इसमें अधिकतम सद्-विश्वास होना आवश्यक है।” इस कथन को समझाइये और इसके उदाहरण दीजिये। यह बीवन बीमे में कहाँ तक लागू होता है? (राजपूताना, १९५१)

११. अग्नि बीमा-पत्र का स्वभाव अच्छी तरह बताइये। कौन सी ज्ञातव्याँ अभ्यन्तरीय पत्र से सामान्यतया बहिष्कृत की जाती हैं और किस प्रकार की ज्ञाति इसके अन्तर्गत नहीं आती? मुनस्थीपन का क्या आशय है? (राजपूताना, १९५२)

१२. जो व्यक्ति आग से अपनी समति का बीमा करता है, उसे किस विमेदारिया का पूरा कराना आवश्यक है, जिससे उसका दावा मान लिया जाय? (राजपूताना, १९३६)

पटना, इन्टर कामर्स

१३. अग्नि बीमा कम्पनियाँ जो बीमा-पत्र बहुधा नियंत्रित किया करती हैं उनकी व्याख्या करिये। (पटना, १९४८ पूरक)

१४. अनाज के किसी गोदान का अग्नि-बीमा किस प्रकार कराया जा सकता है? इसका बीमा कौन करा सकता है? क्या अग्नि बीमा पत्र हत्ताकित किया जा सकता है? (पटना, १९४८ पूरक)

बिहार, इन्टर कामर्स

१५. अग्नि बीमा पत्र का अर्थ समझाइये। किस प्रकार की ज्ञाति ऐसे बीमा-पत्र से सामान्यता और किस प्रकार की ज्ञाति इससे सर्वदा परे रखनी पड़ती है? मुनस्थीपन वाक्य (Reinstatement clause) का क्या अर्थ है? (बिहार, १९५४)

बनारस, इन्टर कामर्स

१६. अग्नि बीमा क्या होता है? निष्पारित मूल्य वाले और अनिष्पारित मूल्य वाले अग्नि बीमा पत्र का भेद स्पष्ट करिये। (बनारस, १९५२)

सागर, इन्टर कार्मसे

१७. अग्नि-बीमा-पत्र प्रमेंडल विभिन्न प्रकार बीमापत्रों को निर्गमित करते हैं। उनकी व्याख्या कीजिये। घृतिपूर्ति के लिये बीमा करने वाले को क्या करना चाहिये ? अग्नि-बीमा पत्र में श्रौतस वाक्य (Average Clause) का क्या महत्व है ? (सागर, १६५४)

अध्याय ४८

सामुद्रिक वीमा

११. प्रारम्भिक वाते

जल-मार्ग या थल-मार्ग से जाने वाले माल को बहुत से संकटों का सामना करना पड़ता है जिनसे रक्षा प्राप्त करने के लिए चीमा-पत्र स्वरीदा जा सकता है। थल-मार्ग से जाने वाले माल को रक्षा के लिए ही रेल और डाकखाने की चीमा-योजनाएँ स्थापित की गयी हैं। किन्तु यज्ञ-मार्ग में अधिक संकट नहीं होते; अतः इन योजनाओं का बहुत मूल्यवान् या कोमल वस्तुओं के सम्बन्ध में ही प्रयोग होता है। इसके विपरीत, समुद्र से जाने वाले माल को इतने अधिक और कठिन संकटों का सामना करना पड़ता है कि प्रायः सदैव उनका सामुद्रिक वीमा कराया जाता है।

समुद्र से जाने वाले माल के सामने बहुत से संकट आते हैं। जहाज का स्वामी इनमें से कुछ जोखिमों के लिए, उत्तरदायी अवश्य होता है किन्तु वह बहुत-सी जोखिमों के लिए, जिनका नाम जहाजी चिल्टी या चार्टर यारी के “अपवादित जोखिम वाक्ष्य” (Excepted Perils Clause) में दिया होता है, उत्तरदायी नहीं होता। जहाजी कन्पनियों में स्पष्टी हतनी तीव्र होती जा रही है कि इस नाक्ष्य में दी हुई जोखिमों को सख्त्या बराबर घटाती जा रही है। इन अपवादित जोखिमों के लिये, जिनके लिए जहाजी कम्पनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, सामुद्रिक वीमा पत्र स्वरीदा जाता है। जिन जोखिमों से सामुद्रिक वीमा-पत्र रक्षा करता है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: प्रवृत्तिजन्य संकट, देश-यज्ञ द्वारा जहाज का पकड़ा जाना, अग्नि, कप्तान या मर्लाहों का जहाज अदृश्य कर देना, भयानक वायु आदि। पाठक को जहाजी चिल्टी में शामिल और सामुद्रिक चीमा-पत्र में शामिल होने वाली जोखिमों का अन्तर-

समझ लेना चाहिये। जहाजी बिल्डी में केवल वही जोखिम शामिल की जाती है जो कि जहाजी बिल्डी के परे होती हैं। जहाँ जहाजी कम्पनी का उत्तरदायित्व समाप्त होता है, वहीं से बीमा कम्पनी के उत्तरदायित्व का प्रारम्भ होता है; और दोनों में एक ही जोखिम सम्मिलित नहीं होती।

सामुद्रिक बीमा केवल माल पर ही नहीं लिया जाता किन्तु जहाज और जहाजी किराये की भी रक्षा कराया है।

सामुद्रिक बीमे का प्रसंबिदा

सामुद्रिक बीमे के प्रसंबिदे के अनुसार, बीमा-पात्र सामुद्रिक यातायात के सम्बन्ध में होने वाली ज्ञति की, निश्चित रीति से और निश्चित सीमा तक, पूर्ति करने का बीमा पात्र को आश्वासन देता है। यथवि कि सामुद्रिक बीमे का प्रसंबिदा प्राथमिक रूप से सामुद्रिक सकटों से रक्षा करता है, पर कभी-कभी इसका ज्ञेय विस्तृत हो जाता है और यह सामुद्रिक यात्रा से सम्बन्धित भीतरी जल-यातायात और धल यस्तायात के सकटों से भी रक्षा प्रदान करता है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, सामुद्रिक बीमे का प्रसंबिदा ज्ञतिपूर्ति का प्रसंबिदा होता है; और इस दृष्टि से वह अग्नि-बीमे के समान होता है। अग्नि-बीमे में ज्ञतिपूर्ति वास्तविक ज्ञति की भात्रा तक सीमित होती है; ज्ञति से अधिक रूपया बीमा कम्पनी से वसूल करना गैरकानूनी है। किन्तु सामुद्रिक बीमा में बीमा-पत्र लेते समय ही माल का मूल्य दोनों वक्तों द्वारा निश्चित कर लिया जाता है और ज्ञतिपूर्ति इसी मूल्य के आधार पर की जाती है; अतः ज्ञति-पूर्ति वास्तविक ज्ञति से कम या अधिक हो सकती है।

थोड़ी-नीची प्रीमियम के बदले में बीमा कर्ता बीमा पात्र को किसी हानि विनाश के रूप में निश्चित सकटों द्वारा, जिन्हें कभी-कभी “सामुद्रिक सकट” (Perils of the Sea) कहते हैं, होने वाली ज्ञति की पूर्ति की प्रतिशो करता है। किन्तु जिन सकटों से रक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा किया जाता है वे सब सामुद्रिक सकट नहीं होते जैसे सामुद्रिक यातायात सम्बन्धी धल-यात्रा के सकट, इखलिए इन सकटों को “बीमा कराये हुए सकट” (Perils insured against) कहना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है।

सामुद्रिक बीमा का विषय

सामुद्रिक बीमा पत्र कथित सकटों से रक्षा करने के लिए (१) माल, (२) जहाज और (३) किराये पर लिया जाता है।

माल का बीमा (Cargo Insurance)—समुद्र मार्ग द्वारा जाने वाले माल को जिन सकटों का सामना करना पड़ता है और जिनकी रक्षा प्राप्त करने के लिये सामुद्रिक बीमा लिया जाता है, उनका वर्णन हम ऊपर ही कर सकते हैं।

जहाज का बीमा (Hull Insurance)—जिन सकटों का भय माल को होना है, उनका भय जहाज को भी होता है। जहाज बहुत मूल्यवान् होता है, इसलिये जहाजी कम्पनी प्रत्येक जहाज का सामुद्रिक बीमा करा लेती है।

किराये का बीमा (Freight Insurance)—किराये की रक्षा करने के लिए भी बीमा-नक्शे खरीदा जाता है। किराया या तो पेशगी त्रुक्त दिया जाता है या जहाज के उद्दिष्ट बन्दरगाह तक पहुँच जाने पर त्रुक्त दिया जाता है। यदि किराया पेशगी त्रुक्त दिया गया हो, तो माल की ज्ञति होने पर माल का स्वामी उस ज्ञति का भागी होगा, इसलिये वह माल के भीमे के साथ साथ किराये का भी बीमा करा लेता है—वह माल के मूल्य में किराये की रकम को जोड़ कर कुल योग पर बीमा करा लेगा है। यदि किराया उद्दिष्ट बन्दरगाह पर देय हो, तो सामुद्रिक पिधान के अनुसार यह माल के सुरक्षित रूप में उद्दिष्ट बन्दरगाह को पहुँचने पर ही माँगा जा सकता है। यदि माल मार्ग ही में नष्ट हो जाए और उद्दिष्ट बन्दरगाह तक न पहुँच सके तो जहाजी कम्पनी को किराया नहीं मिलता और उसे उनका ज्ञनि होती है। इस प्रकार की किराये की ज्ञति से अपनी रक्षा करने के लिये जहाजी कम्पनी सामुद्रिक बासा सर्वदा लेती है। इसे किराये का बीमा कहते हैं।

२. सामुद्रिक भीमे के प्रसंविदे के आवश्यक तत्व

सामुद्रिक भीमे के प्रसंविदे के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं : (१) बीमा-

योग्य हित; (२) मूल तथ्यों का स्पष्टीकरण; (३) जहाज की सामुद्रिक-योग्यता (Seaworthiness); (४) उपक्रम (Venture) का वैधानिक होना; और (५) पथ-भ्रष्ट न होना (Non deviation)। इनमें से (अन्तिम तीन मानी हुईं साधारण शर्तें) (Implied Warranties) हैं।

बीमा-योग्य हित

बीमे की सम्पत्ति में बीमा-पात्र का बीमा योग्य हित अवश्य होना चाहिये; अन्यथा बीमे का प्रसंविदा जुट की भाँति हो जायगा जो विधान में विवरित है। किसी सम्पत्ति में किसी व्यक्ति का बीमा योग्य हित कर होता है जब कि माल के सुरक्षित अवस्था में पहुँच जाने पर उसका हित-वर्धन हो और माल के विनष्ट होने या उसमें हानि हो जाने पर उसको आर्थिक ज्ञाति हो। बीमे के विषय में बीमा-योग्य हित ज्ञाति के समय होना आवश्यक है, बीमा कराने समय उसका अस्तित्व होना या न होना महत्वहीन है। निम्नलिखित व्यक्तियों का बीमा-योग्य हित होता है :

१. जहाज के स्वामी का जहाज में।

२. माल के स्वामी का माल में।

३. किराया पाने के अधिकारी व्यक्ति का उतने किराये में जो कि माल के उद्दिष्ट बन्दरगाह पर पहुँच जाने पर देय हो।

४. सामुद्रिक बीमा-पात्र को बीमे के विषय में बीमा-योग्य हित प्राप्त हो जाता है और वह उसका पूर्णतः अथवा अशावः पुनर्बीमा कर सकता है।

५. यदि कोई व्यक्ति जहाजी बन्धक (Bottomry Bond) या माल बन्धक (Respondentia Bond) के आधार पर अमृण देता है, तो इसे अपने अमृण की रकम तक बीमा-योग्य हित प्राप्त हो जाता है।

६. किसी जहाज के कष्टान या मल्लाहों को अपनी मजदूरी की सीमा तक बीमायोग्य हित प्राप्त हो जाता है।

७. यदि बीमे का विषय गिरवी या बन्धक रख दिया जाए, तो बन्धकवाही (Mortgagee) को जितना रपया लेना होता है, उतनी रकम के लिये उसे बीमायोग्य हित प्राप्त हो जाता है।

इन्हें दृसी को दृस्ट की हुई सम्पत्ति में बीमायोग्य हित होता है।

सदूचिश्वास (Good Faith)

प्रत्येक बीमे के प्रसविदे की माँति, सामुद्रिक बीमे के प्रसविदे का भी यह एक आवश्यक तत्व होता है कि सदूचिश्वास से काम लिया जाय और सब मूल तथ्यों का सम्पूर्ण कर दिया जाय। यदि पूर्ण सदूचिश्वास से किसी पक्ष ने काम न किया, तो दूसरा पक्ष यदि चाहे तो प्रसविदे को विवर्जित कर सकता है। करपटपूर्ण व्याहार करने वाले पक्ष के समस्त अधिकार जो उसे बीमा पत्र के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। प्रत्येक पक्ष का चाहिये कि वह दूसरे पक्ष को सब मूल तथ्य बतला दे, अर्थात् वे सब जाते जो दूसरे पक्ष के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। यदि कोई चात गुम रखली गयी हो तो दूसरा पक्ष अपनी इच्छानुसार प्रसविदे को विवर्जित कर सकता है। क्योंकि बीमा पत्र को बीमे की सम्पत्ति सम्बन्धी सभी जातों की जानकारी होती है, अत उसे सम्पूर्ण करणे का विशेष ध्यान रखना चाहिये।

मानी हुई साधारण शर्तें (Implied Warranties)

कुछ साधारण शर्तें सामुद्रिक बामे के प्रसविदे में उपस्थित मान ली जाती है। इन्हें मानी हुई साधारण शर्तें कहते हैं। साधारण शर्तें बीमा पत्र द्वारा की गई प्रतिक्षा है कि कोई विशेष जात की जायगी अथवा नहीं की जायगी, या कोई आवश्यक शर्त (Condition) पूरी की जायगी, या जिसके द्वारा वह किन्हीं विशेष तथ्यों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कथन करता है। साधारण शर्तों (Warranties) का पूरा पूरा पालन करना नितान्त आवश्यक है। यदि बीमा पत्र किसी साधारण शर्त को भग करे, तो भग होने की तिथि से प्रसविदा विवर्जित हो जाता है। साधारण प्रसविदे में साधारण शर्त के भग होने से दोनों दृक् दूसरे पक्ष की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी हो जाता है, किन्तु सामुद्रिक बीमे के प्रसविदे में ऐसी दशा में निर्दोषी पक्ष अपने उत्तरदायित्व से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कुछ साधारण शर्तें प्रसविदे में स्पष्ट रूप से लिख दी जाती हैं। इन्हें स्पष्ट साधारण शर्तें (Express Warranties)

कहते हैं। कुछ साधारण शर्तें ऐसी होती हैं जो कि प्रसंविदे में लिखी नहीं जातीं किन्तु जिनका अस्तित्व मान लिया जाता है; इन्हें मानी हुई साधारण शर्तें कहते हैं। स्पष्ट साधारण शर्तों का बर्णन हम आगे चलकर करेगे। यहाँ हम केवल तीन मानी हुई साधारण शर्तों—जहाज की समुद्र-योग्यता, उपक्रम और वैधानिकता और जहाज की पथानुकूलता—पर प्रकाश ढालेंगे।

जहाज की समुद्र-योग्यता

यह मान लिया जाता है कि बीमा-पात्र जहाज की समुद्र-योग्यता का आश्वासन देता है। जहाज समुद्र-योग्य तब कहलाता है जब कि वह हर प्रकार से बीमे की सम्बन्धित यात्रा में सामने आने वाले साधारण सामुद्रिक संकटों का सामना करने के लिए न्यायतः (*reasonably*) समर्थ हो। जहाज को रखाना होते समय समुद्रयोग्य होना चाहिये; और यदि यात्रा कई भागों में बँटी हो, और प्रत्येक विभाग में ज्ञालग-अलग हैंगारी आवश्यक हो, तो प्रत्येक विभाग के आरम्भ में उसे समुद्र-योग्य होना चाहिये।

उपक्रम की वैधानिकता (Legality)

यह भी एक मानी हुई साधारण शर्त होती है कि बीमे से सम्बन्धित उपक्रम वैधानिक है और जहाँ तक बीमा-पात्र का अधिकार है, उपक्रम वैधानिक रीति से ही होगा। यदि उपक्रम अवैधानिक हो जाय, तो बीमे का प्रतिविदा विवरित हो जाता है।

पथानुकूलता (Non-deviation)

तीसरी मानी हुई साधारण शर्त के अनुसार बीमा-पात्र यह आश्वासन देता है कि जहाज पथ-भ्रष्ट नहीं होगा, अर्थात् बीमा पत्र में जिस मार्ग की कल्पना की गई है उस मार्ग से वह अलग नहीं होगा। हम पथानुकूलता के प्रश्न पर आगे चल कर और प्रकाश ढालेंगे।

६३. सामुद्रिक बीमा कराने की रीति

अब हम सामुद्रिक बीमा कराने की वास्तविक रीति का वर्णन करेगे। कमनी से और लायड समिति (Lloyds Association) से बीमा खरीदने की

रीतियाँ अलग अलग होती हैं। बीमा कम्पनी एक साधारण संयुक्त पैँडी को कम्पनी होती है जो सामुद्रिक बीमा बेचने का काम करता है। हमारे देश में प्रायः समस्त सामुद्रिक बीमे का व्यवसाय कम्पनियों के ही हाथ में है। किन्तु लन्दन में कम्पनियाँ और लायड समितियाँ, दोनों ही सामुद्रिक बीमे के क्षेत्र में महत्व-पूर्ण स्थान ग्रहण किये हुये हैं। लायड समिति बीमा कर्ताओं की समिति होती है जो अनन्त व्यक्तिगत हैरियट में बीमा बेचते हैं। साथ में जहाँ भी ऐसी समितियाँ पाई जाती हैं, वे लन्दन की लायड समिति के आधार पर बनाई गई हैं।

बीमा कम्पनी

बीमा कम्पनी से बीमा खरीदने की रीति इस प्रकार होती है :

१. सबसे पहले बीमा खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिये कि वह कुछ कम्पनियों से जोखिम के बीमे के लिए क्वोटेशन मांगे। इनमें से वह सबसे कम क्वोटेशन वाली कम्पनी को चुनेगा और उससे बीमा करायेगा।

२. वह एक प्रस्ताव-पत्र भरेगा। इसमें वह जोखिम सम्बंधी समस्त विवरण लिख देगा। उसे अपना नाम, जहाज का नाम, यात्रा, माल का स्वभाव और उसकी मात्रा, बीमे की रकम आदि बातें लिखनी पड़ती हैं। यह पार्म भर कर बीमा कम्पनी को सीधा या एजेंट के द्वारा मेज दिया जाता है। माल के मूल्य में १०% लाम के लिए नोड कर कुछ रकम के लिए बीमा कराया जाता है।

३. प्रस्ताव पत्र और प्रीमियम भिलने पर बीमा कम्पनी जोखिम स्वीकार करती है। यह ठीक रूप में बीमा पत्र चना कर बीमा-पत्र को मेज देती है।

लायड समिति

लायड समिति व्यक्तिगत बीमा-कर्ताओं की एक संज्ञा होती है। कुछ काल बीते एक लायड नाम के महाशय ने लन्दन में एक कहवाबर खोला जहाँ जहाजों से सम्बंधित व्यक्ति कहवा दीने के लिए एकत्रित हुआ करते थे। अपने माइकों को सुनिधा के लिये लायड महाशय ने जहाज सम्बंधी समाजार

मँगाना भी आरम्भ कर दिया। धोरे-धोरे इसी कहवावर ने वर्तमान रूप धारण कर लिया; और आज यह सङ्घठन सामुद्रिक चीमे के लिए संसार में एक शक्तिशाली सङ्घठन बन गया है। प्रत्येक जोखिम का कई चीमा-कर्ता चीमा करते हैं। प्रत्येक चीमा-कर्ता जोखिम के एक अंश का ही चीमा करता है। यह चीमा कम्पनी के विशेष वात है क्योंकि एक कम्पनी पूर्ण जोखिम का चीमा अकेले ही करती है। लायड कम्पनी में चीमा कराने की रीति इस प्रकार है:—

१. जो व्यक्ति चीमा कराना चाहता है उसे पहले एक दलाल को नियुक्त करना पड़ता है जिसे वह जोखिम सम्बंधी सभूर्ण विवरण दे देता है और चीमे की रकम उसे बता देता है। कम्पनी से चीमा लेते समय दलालों को चीच में ढालना आवश्यक नहीं है, किन्तु लायड में चिना इसके बाम ही नहीं चल सकता।

२. आदेश मिलने पर दलाल जोखिम का पूर्ण विवरण एक पर्णी (Slip) में लिप्त लेता है। उसमें चीमे के माल, उसके मूल्य, जहाज का नाम, माल लदाने और उन्नारने वाले बन्दरगाहों का नाम आदि बातें लिखी जाती हैं। वह इस पर्णी को एक चीमा-कर्ता को दिखाना है जो उस पर प्रीमियम की दर लिख देता है। यदि यह दर स्वीकार कर ली जाती है, तो चीमा-कर्ता पर्णी पर अपना हस्ताक्षर कर देता है और जितनी रकम के लिए वह चीमा करना चाहता है वह रकम भी लिप्त देता है। दलाल चीमा-कर्ताओं के पास पर्णी धुमाना रहता है जब तक कि पूरी रकम का चीमा न हो जाय। प्रत्येक चीमा कर्ता उतनी ही रकम के लिये उत्तरदायी होता है, जो वह लिखता है।

३. तीसरा काम पर्णी से चीमा-पत्र बनाने का होता है। इस पर सङ्घ चीमा-कर्ता हस्ताक्षर करते हैं। दलाल प्रीमियम वसूल करके चीमा-पत्र चीमा-पात्र को सौंप देता है। दलाल को प्रीमियम का १०% भाग अपने कमीशन के रूप में चीमा-कर्ताओं से मिलता है।

५४. चीमा-पत्र और उसकी किस्में सामुद्रिक चीमा-पत्र

बिस कागज में सामुद्रिक चीमे के प्रशंसिद्ध की समस्त शर्तें लिखी होती हैं,

वह सामुद्रिक बीमा पत्र कहलाता है। यह बीमे के विषय के यतोथात में सामने आने वाले कधिन सकटों से रक्षा करने के लिये ज्ञातिपूर्ति का प्रसन्निदा होता है। सामुद्रिक बीमा पत्र का स्वरूप बहुत पुराना है और पूर्वजों ने इसका निर्माण किया था। अतः यह वर्तमान अवस्थाओं के पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं; किन्तु एक यढ़ा लाभ यह है कि दीर्घकाल से इसका प्रयोग करते-करते इसके प्रायः प्रत्येक शब्द का अर्थ स्थिर हो गया है। यही कारण है कि यह स्वरूप [पुराना होने पर भी अभी नहीं त्यागा गया और कदाचित् भविष्य में न त्यागा जाय।

सामुद्रिक बीमा-पत्र का हस्तांकन (Assignment)

यदि बीमा पत्र हस्ताक्षण का निषेध न करे, तो सामुद्रिक बीमा पत्र बीमा-पत्र किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षित कर सकता है। हस्ताक्षिती (Assignee) के अपने नाम में बीमा पत्र के व्यन्तर्गत अभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हस्ताक्षण बेचान-लेप (endorsement) द्वारा या अन्य किसी प्रचलित रीति द्वारा किया जा सकता है। साधारणतया माल भेजने वाला अपने नाम में बीमा पत्र खरीद लेता है और बाद को माल खरीदने वाले या उसके एजेंट के नाम हस्ताक्षित कर देता है।

सामुद्रिक बीमा पत्र कई प्रकार का होता है। उसकी मुख्य विशेषों का वर्णन नीचे किया जाता है।

यात्रा बीमा पत्र (Voyage Policy)

यात्रा बीमा पत्र वह होता है जो बीमे के विषय का किसी निश्चित यात्रा के लिये बीमा करता है, जैसे कलकत्ते से टोकियो तक या लन्दन से बम्बई तक। ऐसा बीमा पत्र नहुधा माल पर लिया जाता है, जहाज पर नहीं।

समय बीमा पत्र (Time Policy)

जो बीमा पत्र एक निश्चित समय के लिये लिया जाता है, उसे समय बीमा-पत्र कहते हैं, जैसे जनवरी १ से दिसम्बर ३१ तक। समय बीमा पत्र की

अधिकतम अवधि बारह महीने हो सकती है, इससे लम्बी अवधि का बीमा पत्र अमान्य (invalid) होता है। ऐसा बीमा पत्र साधारणतया जहाज का कराया जाता है क्योंकि प्रत्येक याना वे लिये बार बार बीमा कराने के स्थान पर एक समय के लिये बीमा कराने में जहाजी कम्पनी को सुविधा होती है।

मिश्रित बीमा पत्र

मिश्रित बीमा-पत्र में समय और याना बीमा पत्रों, दोनों ही के लक्षण विद्यमान होते हैं। यह बीमे के विषय की निश्चित बन्दरगाहों के मध्य में निश्चित अवधि तक स्तरा करता है। यह अधिकतर निश्चित बन्दरगाहों के बीच में आने-जाने वाले जहाजों पर ही लिया जाता है।

निर्धारित मूल्य वाला बीमा पत्र

जिस बीमा-पत्र में सम्पत्ति का मूल्य स्पष्टतया घोषित कर दिया जाता है, उसे निर्धारित मूल्यवाला बीमा-पत्र (Valued policy) कहते हैं। बीमे की रकम, माल की लागत में निम्नलिखित रकमें, जोड़कर मालमूल की जाती हैं (१) किराया और जहाजी ०४% आदि, (२) लाभ के लिये १०% या १५%। बीमा पत्र का घोषित मूल्य क्षति का माप होता है। यदि माल का सम्पूर्ण विनाश हो जाय तो बीमा कम्पनी इसी घोषित मूल्य की देनदार हो जाती है, और यदि माल की अंशत हानि हो जाय, तो इसी मूल्य के आधार पर कम्पनी का उत्तरदायित्व स्थिर किया जाता है। निर्धारित मूल्य वाले बीमा पत्र बहुत प्रचलित हैं।

अनिर्धारित मूल्य वाला बीमा पत्र (Unvalued Policy)

जिस बीमा पत्र में सम्पत्ति का मूल्य नहीं लिखा जाता, प्रत्युत वह बाद को पता लगाने और प्रभागित करने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे अनिर्धारित मूल्य वाला बीमा पत्र कहते हैं। ऐसी दशा में माल का बीमा योग्य मूल्य (Insurable Value) क्षति का माप माना जाता है। माल की लागत में

किराया और जहाजी पर्चे जोड़कर बीमायोग्य मूल्य मालूम किया जाता है, इसमें लाभ के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा जाता। यदि पूर्ण ज्ञानि हो जाय, तो बीमा कम्पनी से बीमा योग्य मूल्य वसूल किया जा सकता है; और यदि आशिक ज्ञानि हो, तो बीमा-योग्य मूल्य के आधार पर ज्ञानि की मात्रा नापी जाती है। ऐसे बीमा-पत्रों का चलन बहुत ही कम है।

विस्तृत (Floating) बीमा-पत्र

विस्तृत बीमा-पत्र कई जहाजी लदानों (shipments) की रक्षा करने के लिए एक खास रकम के लिए लिया जाता है—जहाज का नाम और लदान सम्बन्धी अन्य विवरण बाद को घोषित किये जाते हैं। ऐसा बीमा-पत्र बहुधा ऐसे व्यापारी ही लेते हैं जो किसी खास बन्दरगाह को माल बहुधा भेजते रहते हैं। इसके दो लाभ होते हैं : (१) बार-बार बीमा लियरदने की। असुविधा दूर हो जाती है; और (२) प्रीमियम की दर भी सस्ती हो जाती है। ऐसे बीमा पत्र को खुला बीमा-पत्र (Open Policy) या घोषित बीमा-पत्र (Declaration Policy) भी कहते हैं।

जुए वाला (Wager बीमा-पत्र

जुए वाला बीमा-पत्र वह होता है जिसके अन्तर्गत बीमा-पात्र का जीमे के विषय में कार्ड बीमायोग हित नहीं होता या जिसके अन्तर्गत बीमा-कर्ता बीमा-योग्य हित प्रमाणित नहीं करता। ऐसे बीमा-पत्रों को बीमायोग्य हित रद्दित पत्र (Policy Proof of Interest या P. P. I. या Interest or No Interest) कहते हैं। ऐसा प्रसविदा जुए के समान होता है; अतः ऐसे जुए वाला बीमा-पत्र कहते हैं। इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता; और यदि बीमा-कर्ता अपना उत्तरदायित्व न उकाये, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। किन्तु अधिकलर बीमा-कर्ता अपनी प्रतिष्ठा-बनाये रखने के लिए अपने उत्तरदायित्व के अनुसार काम करते हैं। इसनिए इन्हें प्रतिष्ठा बीमा-पत्र (Honour Policy) भी कहा जाता है।

COPY OF LLOYD'S FORM OF POLICY

S G £

Be it known that
as well in ~~own~~ Name, as for and in the
Name and Names of all and every other
person or persons to whom the same doth,
may, or shall appertain in part or in all,
doth make assurance and cause
and them and every of them to be insured,
lost or not lost, at and from
upon any kind of Goods and Merchandi-
ses, and also upon the Body, Tackle,
Appar-l, Ordnance, Munition, Artillery,
Boat and other Furniture, of and in the
good Ship or Vessel called the whereof is
Master, under God, for this present
voyage,

- or whosoever else shall go for Master in the said Ship,
or whatsoever other Name or Names the same Ship, or the
Master thereof, is or shall be named or called beginning the
adventure upon the said Goods and Merchandises from the
loading thereof abroad the said Ship
upon the said ship, etc,

and shall so continue and endure
during her Abode there, upon the said Ship etc and further,
until the said ship, with her Ordnance Tackle, Apparel, etc,
and Goods, and Merchandises whatsoever shall be arrived at
Upon the said Ship, etc, until she hath moored at Anchor
Twenty four Hours in good Safety, and upon the Goods and
Merchandises until the same be there discharged and safely
landed and it shall be lawful for the said Ship, etc., in this
Voyage to proceed and sail to and stay at any ports or Places
whatsoever

without Prejudice to this Insurance The said ship, etc,
Goods and Merchandises, etc, for so much as concerns the
Assured by Agreement between the Assured and Assurers in
this Policy are and shall be valued at

TOUCHING the Adventures and Perils which we the Assurers
are contented to bear and do take upon us in this Voyage,

they are, of the Seas Men of-war, Fire, Enemies, Pirates, Rovers Thieves, Jettisons, Letters of Mart and Counter-mart, Surprisals, Takings at Sea, Arrests, Restraints, and Detainment of all Kings, Princes and People, of what Nation, Condition, or Quality soever, Barratry of the Master and Mariners, and of all other Perils Losses, and Misfortunes that have or shall come to the Hurt, Detriment or Damage of the said Goods and Merchandises and Ship, etc, or any part thereof, and in case of any Loss or Misfortune, it shall be lawful to the Assured, their Factors, Servants and Assigns to sue, labour, and travel for, in, and about the Defence, safeguard and Recovery of the said Goods and Merchandises and Ship, etc, or any part thereof without Prejudice to this Insurance, to the Charges whereof we, the Assurers, will contribute, each one according to the Rate and Quantity of his sum herein assured And it is especially declared and agreed that no acts of the Insurer or Insured in recovering, saving, or preserving the property insured, shall be considered as a waiver or acceptance of abandonment And it is agreed by us, the Insurers, that this Writing or Policy of Assurance shall be of as much Force and Effect as the surest Writing or Policy of Assurance hereto fore made in Lombard Street, or in the Royal Exchange, or elsewhere in London

Warranted nevertheless free of capture, seizure and attention, and the consequences thereof or of any attempt, threat, piracy excepted and also from all consequences of hostilities or warlike operations, whether before or after declaration of war

And so we the Assurers are contented, and do hereby promise and bind ourselves, each one for his own parts our Heirs, Executors, and Goods, to the Assured, their Executors, Administrators, and Assigns, for the true Performance of the Promises, confessing ourselves paid the Consideration due unto us for this Assurance by the Assured

at and after the Rate of

IN WITNESS whereof, we the Assurers have subscribed our Names and Sums assured in

N B — Corn Fish, Salt, Fruit, Flour, and Steel are warranted free from Average, unless general, or the Ship be stranded,

Sugar, Tobacco, Hemp, Flax, Hides, and Skins are warranted free from Average under Five Pounds per cent; and all other Goods, also the Ship and Freight, are warranted free from Average under Three Pounds per cent unless general, or the Ship be stranded.

५. सामुद्रिक बीमा-पत्र के वाक्य

हमने ऊपर के लायट के सामुद्रिक बीमा-पत्र की एक प्रति दी है। पाठकों को चाहिये कि वे उसको अच्छी तरह मनन करें। हम इस बीमा-पत्र के विभिन्न वाक्यों का नीचे विवेचन करते हैं।

१. बीमा-पत्र का नाम

सामुद्रिक बीमे पत्र के प्रारम्भिक वाक्य होते हैं।

“विदित हो कि (Be it known that).....”

रिक्त स्थान बीमा-पत्र या उसके एजेंट का नाम भरने के लिए होता है। इस वाक्य में बीमा-पत्र के हस्ताक्षण का भी आयोजन किया जाता है जिससे कि यदि कोई व्यक्ति बीमा के विषय में धार्द को बीमा-योग्य हित प्राप्त कर ले, तो वह इस बीमा-पत्र से लाभ उठा सके।

२. ज्ञाति हुई हो या न हुई हो (Lost or Not Lost)

कभी-कभी व्यापारी या तो माल रखाना हो जाने के बाद इस बात की सूचना प्राप्त करने के कारण या बीमा कराने का समय न मिलने के कारण, माल रखाना हो चुकने के पश्चात् बीमा करता है। ऐसी अवस्था में बीमा करने और कराने वाले दोनों ही श्रीमा के विषय की सुरक्षा या हानि से उस समय अनभिज्ञ होते हैं; अतः बीमा पत्र में हानि हुई हो या न हुई हो, यह वाक्य सम्बिलित कर लिया जाता है, जिसके अनुसार बीमा-कर्ता इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि यदि विषय को बीमा कराने के पूर्व ही ज्ञाति पहुँच चुकी हो, तब भी वह उसकी पूर्ति करेगा। इस प्रकार इस वाक्य का प्रभाव भूतकालीन (retrospective) होता है। किन्तु यह आवश्यक है कि बीमा करने और कराने वाले दोनों ही माल के सुरक्षित या ज्ञाति-प्राप्त होने से पूर्णतया अनभिज्ञ हों। यदि बीमा-पात्र यह जानते हुये कि माल को ज्ञाति पहुँच चुकी है,

बीमा करता है, तो वह गोपन (concealment) का दोष है और सद्विश्वास का लड़न करता है जिसके परिणामस्वरूप बीमा विवरित हो जाता है। इसके विपरीत, यदि बीमा-कर्ता यह जानते हुये कि माल मुर्दाहृत अवस्था में उद्दिष्ट स्थान को पहुँच गया है, बीमा करे, तो यह दूसरे पक्ष को किसी भी प्रकार की रक्षा प्रदान नहीं करता और उसे प्रीमियम लौटानी पड़ेगी। इस वाक्य का प्रभाव तभी हो सकता है जब कि दोनों पक्ष पूर्ण सद्विश्वास से काम लें।

३. यात्रा का वर्णन

दूसरा वाक्य “पर और से” (At and From) वाक्य कहलाता है और यह यात्रा का वर्णन करता है। यात्रा का वर्णन या तो “अमुक बन्दरगाह पर और से” कह कर किया जाता है या “अमुक बन्दरगाह से” कह कर किया जाता है। पहली अवस्था में बीमे के विषय की रक्षा उसके बन्दरगाह में रख्ये रहने के समय एवं वहाँ से रवाना होने के समय से होती है। किन्तु “बन्दरगाह से” बाले बीमे का त्वेव सकुचित होता है और वह विषय की रक्षा माल के बदरगाह से रवाना होने के समय से करता है। मान लीजिये रामदास अपने जहाज का बीमा “बम्बई पर और से लन्दन तक” करता है, तो बीमा-पत्र जहाज की रक्षा बम्बई बन्दरगाह में रहने के समय में और उस बन्दरगाह से रवाना होने के समय से रक्षा प्रदान करेगा। यदि जहाज बम्बई बन्दरगाह में पहुँचे किसी कारण से नष्ट हो जाय, तो बीमा कम्पनी को छुटि पूर्ति करना पड़ेगी। किन्तु यदि बीमा-पत्र में “बम्बई से लन्दन तक”, यह लिखा हा, तो जहाज के बम्बई से रवाना होने के समय से ही बीमा आरम्भ होगा, और यदि जहाज रवाना होने के पूर्व ही नष्ट हो जाय, तो बीमा कम्पनी उसकी देनदार नहीं होगी।

जब जहाज उद्दिष्ट बन्दरगाह को पहुँच जाता है, उसके २४ या ३० घण्टे बाद तक बीमा काल जारी रहता है। अतः जब दूसरा बीमा-पत्र, पहले बीमा पत्र की अवधि समाप्त होने के पश्चात् लिया जाता है, तब उसमें इस प्रकार का आयोजन समिलित कर लिया जाता है : “रक्षा पूर्व बीमा पत्र की अवधि

समाप्त हो जाने के पहले आरम्भ नहीं होगी।” इससे यह लाभ होता है कि एक ही समय में बीमा के विषय पर दो बीमा पत्र नहीं चालू होते।

ये शब्द केवल यात्रा बीमा पत्र में ही काम आते हैं, अर्थात् उन्हीं बीमा पत्रों में जो कि किसी निश्चित यात्रा के लिये जाते हैं। समय बीमा पत्रों में, जो किसी निश्चित समय के लिये जाते हैं, रक्ता आरम्भ तथा अन्त होने की तिथि और घटा दिये रहते हैं।

४. जहाज और कप्तान का नाम

उपरोक्त वाक्य के पश्चात् जहाज और कप्तान का नाम लिखने के लिए स्थान रिक्त छूटा रहता है। बीमा पत्र में जहाज का नाम इतुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माल के बीमे में बीमा कर्ता की अनुमति के जहाज नहीं बदला जा सकता, चाहे दूसरा जहाज पहले से किनारा ही अच्छा क्यों न हो। किंतु यदि पहले बाले जहाज को कुछ हानि हो जाय और माल किसी दूसरे जहाज पर रखना पड़े, तो उससे बीमा पत्र दूषित नहीं होता। जहाज के नाम के पश्चात् कप्तान का नाम लिखने के लिये स्थान होता है। किंतु यह स्थान महुआ याली छोड़ दिया जाता है।

५. जोखिम का आदि और अन्त

यह वाक्य जोखिम का आदि और अन्त बताता है। इसकी जहाज और माल के सम्बंध में हम अलग-अलग विवेचना करते हैं।

जहाँ तक जहाज का सम्बंध है, जोखिम का आरम्भ “से और तक” वाक्य द्वारा निर्धारित होता है। बीमा पत्र जहाज के उद्दिष्ट बद्रगाह में पहुँच जाने और उसके पश्चात् चौबीस पटे तक सुरक्षित ग्रावस्था में वहाँ लगर ढाले रहने तक जहाज की रक्षा करता रहता है। बीमा पत्र जहाज के लगर ढालने के समय से चौबीस पटे बीत जाने पर ही समाप्त होता है।

माल (और किराये) के सम्बंध में, जोखिम का आरम्भ—जब तक विपरीत समझौता न हो—माल के जहाज पर लादने के समय से होता है। जब तक माल सुरक्षापूर्वक उतर नहीं जाता, तब तक जोखिम जारी रहती है। जब माल

मुख्यापूर्वक-उचित समय में और सामान्य तरीके से जहाज से उतर आता है, तब वीमा-पत्र समाप्त होता है।

६ स्पर्श और ठहराव (Touch and Stay : पथ-भ्रष्टता (Deviation))

इसके पश्चात् बाला वाक्य जहाज को आवश्यकतानुसार पिभिन्न बदरगाहों पर कोनला लेने, माल उतारने या अन्य किसी काम के लिए, रुकने का अधिकार देता है। यह वाक्य इस प्रकार होता है—

“और कथित जहाज को, इस यात्रा में किसी भी बदरगाह या स्थान को सर्व करना और वहाँ ठहरना, चिना भीमे को दूरित किये हुए, वैधानिक होगा।”

इस वाक्य से यह प्रतात होता है कि यह जहाज को किसी भी बदरगाह पर रुकने का असीमित अधिकार दे देता है, किन्तु बास्तव में ऐसा नहीं है। इस अधिकार की तीन महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं : (१) जिन बन्दरगाहों पर जहाज रुके, वे यात्रा के साधारण मार्ग में होने चाहिये। (२) उन परभी गोलिक क्रम के अनुसार ही रुकना चाहिये। उदाहरण के लिए, बम्बई से लन्दन जाते समय पहले अदन पर और फिर स्वेज बदरगाह पर रुकना चाहिये। (३) रुकने का कारण यात्रा सम्बंधित और उचित होना चाहिये। इस वाक्य और उसका सीमाओं का उद्देश्य जहाज को रियाज के अनुसार ही यात्रा से सम्बंधित उचित कारणों के लिए मार्ग के बदरगाहों पर रुकने का अधिकार देना है।

पथ भ्रष्टता (Deviation)—प्रसामान्य मार्ग से भ्रष्ट होने को ही पथ भ्रष्टता कहते हैं। वीमा पत्र पथ भ्रष्टता का निषेध करता है, और यह वीमा पत्र को विवरित कर देता है। पथानुकूलता एक मानी हुई साधारण शर्त (Implied Warranty) है और उसका खड़न वीमा के प्रसविदे के लिए धातक होता है और वीमा कर्ता पथ भ्रष्टता के समय से अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। यदि जहाज पथ-भ्रष्ट हो जाय, किन्तु शीघ्र ही उचित मार्ग पर फिर आ जाय और पथ भ्रष्टता के काल में कोई कृति न हो, तो भी प्रसविदा विवरित हो जाता है।

कल्पित यात्रा से जहाज का पथ-भ्रष्ट हो जाना निम्नलिखित दशाओं में माना जाता है :—

(अ) जब बीमा-पत्र में यात्रा के मार्ग का वर्णन दिया गया हो और जहाज उस मार्ग से भ्रष्ट हो जाय; या

(आ) जब कि बीमा-पत्र में यात्रा के मार्ग का वर्णन न दिया गया हो और जहाज प्रसामान्य मार्ग से भ्रष्ट हो जाय।

किन्तु पथ-भ्रष्टता निम्नलिखित सात अवस्थाओं में क्षम्य (excused) होती है :

(१) जब यह बीमे की किसी शर्त द्वारा अधिकृत (authorised) हो।

(२) जब कि इसका कारण कप्तान या जहाज के मालिक के अधिकार के बाहर हो।

(३) जब कि किसी स्पष्ट या मानी हुई साधारण शर्त को पूरा करने के लिए पथ भ्रष्टता आवश्यक हो।

(४) जब जहाज या माल की सुरक्षा के लिए पथ-भ्रष्टता आवश्यक हो।

(५) जब मानवीय जीवन चर्चाने के लिए या ऐसे जहाज की रक्षा करने के लिए जिसमें मानवीय जीवन सकट में है, पथ-भ्रष्टता की जाय।

(६) जब जहाज पर सवार किसी व्यक्ति के लिए डाक्टरी सहायता आवश्यक हो और उसे प्राप्त करने के लिए पथ भ्रष्टता की जाय।

(७) कप्तान या मल्ताह द्वारा जहाज के अद्वय कर देने (Barratry) से रक्षा प्राप्त करने के लिये की गई पथ-भ्रष्टता।

जब पथ भ्रष्टता क्षम्य हो, तब जहाज को चाहिए कि जितना शीघ्र हो उके प्रसामान्य (normal) मार्ग पर चला आये, नहीं तो यह माना जायगा के वह, फिर पथ-भ्रष्ट हो गया और बीमे का प्रसविदा विवर्जित हो जायगा।

७. मूल्य निर्धारण (Valuation)

अगला वाक्य मूल्य निर्धारण का होता है और उसमें विषय का मूल्य लिखा जाता है। यह वाक्य इस प्रकार का होता है :

“कथित जहाज आदि, भार्ग आदि.....का मूल्य है और रहेगा।”

यह वाक्य केवल निर्धारित मूल्य वाले बीमा-पत्रों में ही होता है क्योंकि इसमें विषय का मूल्य बीमा करने और कराने वाले पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं और वह इस वाक्य में लिख दिया जाता है। यदि बीमा-पत्र अनिर्धारित मूल्य वाला हुआ, तो इस वाक्य को लाली छोड़ दिया जाता है; और ज्ञाति होने पर विषय का मूल्य मालूम किया जाता है।

८. संकट (Perils)

अगले वाक्य में वे सब संकट लिखे जाते हैं जिनसे रक्षा प्रदान की जाती है। ये निम्नलिखित होते हैं : (१) सामुद्रिक संकट—इनका कारण समुद्र होता है; (२) अग्नि; (३) देश-शत्रु और योद्धा; (४) समुद्री डाकु और चौर; (५) माल फेंकना (Jettison); (६) समुद्र में जहाज का पकड़ा जाना; और (७) कस्तान या मर्स्याहों का जहाज को अद्वय कर देना।

९. चेष्टा वाक्य (Sue and Labour Clause)

यह वाक्य बीमा-पत्र को यह अधिकार देता है कि वह बीमे के विषय को होने वाली ज्ञाति रोकने के लिए अथवा उसे कम करने के लिये आवश्यक उपाय करे। बीमा-पत्र को बुद्धिमानी और विवेक से इस प्रकार काम करना चाहिये मानो कि उसने बीमा कराया ही न हो। ज्ञाति रोकने या घटाने में उसका जो उचित दृष्टि होता है, उसे इस वाक्य के अन्तर्गत बीमा करनी को देना पड़ता है।

१०. स्वत्व त्याग (Waiver) वाक्य

यह वाक्य चेष्टा वाक्य का सहायक है और अनुसार प्रसविदे का कोई भी पद—बीमा करने या कराने वाला—ज्ञाति की आशका होने पर ऐसा व्यय कर भूकता है जिसकी कल्पना चेष्टा-वाक्य में की जाती है; और इससे उसका अधिकार दूषित नहीं होता।

११-प्रतिफल या प्रीमियम

अगला वाक्य प्रतिफल वापर कहलाता है और अनुत लभ्य होता है। इसमें वीमा-कर्ता प्रीमियम की प्राप्ति स्वीकृत करता है जिसके बदले में रक्षा प्रदान करता है। 'साधारणतया' प्रीमियम वीमा पन तरीके समय नहीं चुकाई जाती प्रत्युत अगले महीने की द तारीख को चुकाई जाती है। किन्तु प्राप्ति स्वीकृति वीमा-पन में इसलिये कर दी जाती है कि बाद की वीमा कर्ता द्विपूर्ति करने से इसलिये मना न कर दे कि उसे प्रीमियम नहीं मिली।

स्मारक (Memorandum)

लायड वीमा पन के अन्त में एक नोट दिया जाता है जिसे स्मारक कहते हैं। इसका उद्देश्य वीमा-कर्ता को ऐसे छोटे छोटे दाषों से-व्याप्त होता है जिनका कारण माल को नाशमानता (Perishability) होता है। स्मारक में निम्नलिखित आयोजन कर दिया जाता है-

(१) वीमा-कर्ता आठा, मध्यनी, नमक, फल, अनाज और चीज़ों की आशिक दृति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि ये वस्तुएँ अत्यन्त नाशमान होती हैं।

(२) चीनी, तमाद, हेम, फ्लेस्ट और खाल की ५ प्रतिशत से कम दृति के लिये वह उत्तरदायी नहीं होगा। ये वस्तुएँ ऊपर के वाक्य की वस्तुओं से कम नाशमान होती हैं।

(३) अन्य सब वस्तुओं की, जिनमें जहाज और किराज भी सम्मिलित हैं, ३% रु नीचे की आशिक दृति के निए वह उत्तरदायी नहीं होगा।

वह निम्नलिखित दशाओं में कथित सीमाओं से कम आशिक दृति के लिए भी उत्तरदायी होता है : (१) यदि आशिक दृति सामान्य औसत (General Average) हो ग्रथात् वह सब सम्बन्धित हितों की रक्षा के लिये उठाई गई हो, और (२) यदि जहाज भूमि में फैल जाय या जल जाय या ढूँढ़ जाय।

अन्य विशेष वाक्य

कर्मी-कर्मी वीमा पनों में कुछ और विशेष वाक्य भी सम्मिलित करा लिये जाते हैं। इनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं।

विशेष औसत मुक्त (Free of Particular Average या F. P. A.)—यह वाक्य बीमा-कर्ता को विशेष औसत (Particular Average) से बचा कर देता है। यदि आशिक छति विशेष औसत न हो तो बीमाकर्ता को 'नीतिष्ठृति' करनी पड़ेगी।

विशेष औसत सहित (With Particular Average या W. P. A.)—इस वाक्य के अनुसार बीमा-कर्ता विशेष औसत के लिए उत्तरदायी होता है।

विदेशी सामान्य औसत (: Foreign General Average या F. G. A.)—सामान्य औसत होने पर, एक सामान्य औसत का लेखा बनाना पड़ता है, जिसमें प्रत्येक दिति के हिस्से में आने वाला दूर्ति का अनुपात और उसकी रकम दी होती है। यह लेखा डिफिट बंदरगाह के विधान के अनुसार बनाया जाता है; और यदि यात्रा किसी बीच के बंदरगाह पर खड़ित हो जाय, तो उस बीच वाले बंदरगाह के विधान के अनुसार बनाया जाता है। इस वाक्य के अनुसार विदेशी बंदरगाह के अनुसार बनाया गया सामान्य औसत लेखा बीमा करने और कराने वाले के बीच में सुगतान का आधार होगा।

समस्त संकटों से रक्षा (Against All Risks या A. A. R.)—इसके अनुसार समस्त सामुद्रिक संकटों से रक्षा प्रधान की जाती है।

समस्त औसत मुक्त (Free of All Averages या F. A. A.)—इसके अनुसार बीमा-कर्ता समस्त आशिक छति से—चाहे वह विशेष औसत हो या सामान्य औसत—मुक्त होता है। वह केवल सम्पूर्ण छति के लिए ही उत्तरदायी होता है।

बन्दी होने के संकट से मुक्त (Free of Capture and Seizure या F. C. S.)—युद्ध के समय में 'जहाज' और 'माल' के पकड़े जाने का भय बढ़ जाता है और इस वाक्य के द्वारा यह बीमा-पत्र के परे कर दिया जाता है। यदि कुछ आधिक प्रीमियम दी जाय तो, यह वाक्य शामिल नहीं किया जायगा और इस संकट से भी रक्षा प्रदान की जायगी।

टकरा जाने का वाक्य (Running Down या R. D. Clause)—यह वाक्य केवल जहाज पर लिए जाने वाले बीमा-पत्रों में शामिल किया जाता है। इसके अनुसार यदि जहाज किसी दूसरे जहाज से टकरा जाय और इस जहाज के स्वामी को दोषी होने के कारण दूसरे जहाज वाले को हर्जाना देना पड़े, तो बीमा-कर्ता उसका एक भाग—साधारणतया ७५%—बीमा पत्र को देता है। लायड बीमा-पत्र टकराने का भाग शामिल नहीं करता; अतः यदि इससे रक्षा प्राप्त करनी हो तो इसका अलग कथन होना आवश्यक है।

जारी रहने का वाक्य (Continuation Clause)—कभी-कभी उद्दिष्ट बन्दरगाह को पहुँचाने के लिए ही बीमा-पत्र की अवधि समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में, इस वाक्य के अनुसार, यदि इसकी सूचना पहले से ही बीमा-कर्ता को दी जाय, तो शेष यात्री के लिए आनुपातिक प्रीमियम अदा करके बीमा जारी रह सकता है।

पुनर्बीमा वाक्य—कभी-कभी बीमा-कर्ता को यह प्रतीत होता है कि उसने एक विषय का नितनी रकम का बीमा लिखा है, वह उसकी सामर्थ्य के बाहर है। ऐसी अवस्था में यह बीमे की रकम के एक भाग के लिए किसी दूसरी कम्पनी से पुनर्बीमा करा देता है। बीमा-पत्र में पुनर्बीमा वाक्य के अनुसार प्रसविदे का स्वभाव स्पष्ट कर दिया जाता है और पुनर्बीमा पत्र में वे ही शर्तें शामिल की जाती हैं जो कि मौलिक बीमा पत्र में थीं।

साधारण शर्तें (Warranties)

बीमा पत्र में कुछ साधारण शर्तें भी होती हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, साधारण शर्त बीमा-पत्र द्वारा की गई प्रतिशा है कि कोई खास घात की जायगी या नहीं की जायगी। यह स्पष्ट (express) या मानी हुई (Implied) होती है। मानी हुई साधारण शर्तों के अस्तित्व की कल्पना कर ली जाती है और उन्हें बीमा पत्र में लिखना नहीं पड़ता। मानी हुई साधारण शर्तें जहाज की समुद्र योग्यता, पथानुकूलता और उपक्रम की वैधानिकता है जिनकी विवेचना हम ऊपर कर चुके हैं। इसके विपरीत, स्पष्ट साधारण शर्तें बीमा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखी जाती हैं और इसलिए उन्हें स्पष्ट साधारण शर्तें कहते

हैं। इनके कुछ उदाहरण ये हैं : एक निश्चित तिथि के पूर्व जहाज के स्वाना हो जाने की साधारण शर्त, निश्चित सीमाओं में न जाने की साधारण शर्त, नदी भय से बुक्त होने की साधारण शर्त, आदि । स्पष्ट साधारण शर्त के खटन करने से—जैसा कि मानी हुई साधारण शर्त के खटन करने से भी होता है—प्रसविदा विवरित हो जाता है। स्मरण रहे कि साधारण प्रसविदे में ऐसी अवस्था में दोगी पद्ध को केवल दूसरे पद्ध की द्विपूर्ति करनी पड़ती है।

६. जहाज के कसान का ऋण लेना

जहाज का कसान जहाज के स्वामी का एजेन्ट होता है और यदि वह अपने प्रधान से समन्वय स्थापित करने में असफल हो जाय तो उसका कर्तव्य है कि जहाज और माल की सुरक्षा के निमित्त और शेष यात्रा पूरी करने के लिए आवश्यक और उपयुक्त उपायों को काम में लावे। आजकल के यातायात और सन्देशवाहन के शीघ्र साधनों के युग में ऐसा शाब्द ही कभी होता हो, किन्तु कुछ समय पूर्व यह घटना बहुधा हो जाया करती थी। कभी कभी कसान को उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्रूण भी लेना पड़ता था। यदि जहाज के स्वामी की प्रतिष्ठा ऊँची होती थी, तो ऋण लिना किसी जमानत के मिल जाता था। किन्तु बहुधा कसान को जहाज, या माल, या दोनों की जमानत देनी पड़ती थी। ऐसे ऐसे प्रसविदे जहाजी बन्धक (Bottomry Bond) या माल बन्धक (Respondentia Bond) के आधार पर किये जाते थे।

जहाजी बन्धक (Bottomry Bond)

जब कि कसान जहाज की जमानत पर ऋण लेना है तब उसे जहाजी बन्धक लियना पड़ता है। कभी कभी जहाज के साथ माल और किराये को भी जमानत के तौर पर देना पड़ता है। कसान को अपनी व्यक्तिगत जमानत भी देनी पड़ती है और ऋण की शरायती के निए वह व्यक्तिगत स्वयं से उत्तरदायी हो जाता है। इस बन्धक की विशेषता यह है कि इसमें बीमा और ऋण दोनों का ही समन्वय होता है : उधार लिया हुआ स्वया, यदि जहाज उद्दिष्ट बंदरगाह

पर पहुँच जाय, तभी देय हाना है, अन्यथा नहीं। चाहे जहाज उद्दिष्ट बन्दरगाह पर सुरक्षित अपरस्था में पहुँचे या ज्ञाति प्राप्त अपरस्था में, यदि वह उद्दिष्ट बन्दरगाह पर पहुँच भर जाय तो मृण अदा करना पड़ता है। अन्य शब्दों में, अशत ज्ञानि के मृण की अदायगी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, सम्पूर्ण ज्ञान होने पर ही मृणी उत्तरदायित्व से मुक्त होता है। इस प्रकार के मृण का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण यह होता है कि यदि कप्तान कई बन्दरगाहों पर इस उपाय से मृण ले, तो अनिम मृणदाता का दावा पहले सन्तुष्ट किया जाता है और प्रथम-मृणदाता का अन्त में। उदाहरण के लिए, यदि कलकत्ते से दोकियों जाने वाला जहाज जहाजी बंधक पर रुपया रगून, सिंगापुर और फिर हागकाग म उधार ले, तो हागकाग वाले मृणदाता का दावा पहले सतुष्ट होगा और रगून वाले का अन्तिम। यह नियम इस कारण बनाया गया है कि यदि अन्तिम मृणदाता मृण न देता, तो जहाज अपनी यात्रा पूरी न कर सकता और प्रथम मृणदाता को इव्या वापस नहीं मिलता, इसलिए अन्तिम मृणदाता का दावा सबसे पहले पूरा करना चाहिये। जहाजी बंधक के तीन महत्वपूर्ण लक्षण हैं - (१) यात्रा चिना रुपया उधार लिए पूरी नहीं हो सकती थी, (२) रुपया और किसी तरह उधार नहीं लिया जा सकता था (३) उधार लिया जाने वाला रुपया यात्रा पूरी करने व लिए न्यूनतम था।

^१ माल बंधक (Respondentia)

जब कप्तान माल की जमानत पर मृण चेता है, तो उसे माल बंधक लिखना पड़ता है। इसके मान्य होने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं (१) रुपया केवल माल की रक्ता के लिये ब्यवहार किया जाना चाहिये, (२) माल बेचने के अतिरिक्त और कोई उपाय रुपया प्राप्त करने का ब्राव्य नहीं होना चाहिये, (३) यदि सभी रुपये भी मृण की अदायगी तभी करनी होती है जबकि जहाज उद्दिष्ट बन्दरगाह पर पहुँच जाय। यदि ऐसा न हो सके तो मृण नहीं अदा करना पड़ता।

F जहाजी और माल बंधक पुरातन काल में ब्यवहार में लाये जाते थे जब कि

करान अपने प्रधान को सन्देश नहीं भेज सकता था या उससे रुपया नहीं मँगा सकता था। किन्तु अब सन्देश-वाहन और द्रव्य-वाहन के साधन इतने श्रेष्ठ हो गये हैं कि अब रुपया आने में बहुत कम समय लगता है। अतः यह बन्धक अब भूतकाल की वस्तु रह गई है।

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इन्टर कामर्सी

१. सामुद्रिक बीमा पालिसी की किन्हीं पांच मुख्य धाराओं का उल्लेख करते हुए उनकी विवेचना कीजिए। (१६५५)

२. माल का समुद्री बीमा किस प्रकार कराया जाता है? (३० प्र०, १६५४)

३. माल का सामुद्रिक बीमा किस प्रकार कराया जाता है? (१६५५)

४. जहाजी चिल्डी और जहाजी पट्टा में अन्तर बताइये। (उत्तर प्रदेश, १६५३)

५. सामुद्रिक बीमा पत्र में बीमा-योग्य हित का महत्व क्या होता है? उन व्यक्तियों के नाम बताइये जिनमा सामुद्रिक बीमा-पत्र में बीमा-योग्य हित हो सकता है। (य० पी०, १६५१)

६. अपिन और सामुद्रिक बीमे के सम्बन्ध में बीमा-योग्य हित का क्या अर्थ है? क्या यह आवश्यक है कि यह हित बीमा कराते समय तथा ज्ञति के समय उपस्थित हो? (य० पी०, १६५५)

राजपूताना, इन्टर कामर्सी

७. Subrogation के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं? एक बीमा-पत्र में माल का बीमा “ज्ञति हुई हो या न हुई हो” वाक्य के अन्तर्गत कराया गया है। इस वाक्य का सामजिक आप इस छिद्रात से कैसे बैठावेंगे कि आश्वासित (assured) का ज्ञति होने के पूर्व माल में बीमा-हित होना चाहिये? (राजपूताना, १६५३)

८. स्थान-प्रहण के सिद्धात का क्या आशय है? किठी सामुद्रिक बीमा-पत्र में “ज्ञति हुई हो या न हुई हो” वाक्य सम्प्रसित है। यह वाक्य इस नियम का—१८

से कैसे मेल खाता है कि बीमा-पत्र का बीमा-योग्य हित ज्ञाति के पूर्व होना चाहिये ? (राजपूताना, १६४०)

पटना, इन्टर कामर्स

६. अग्नि तथा सामुद्रिक बीमे के सम्बंध में बीमा-योग्य हित का क्या आशय है ? क्या इसका ज्ञाति के समय उपस्थित होना आवश्यक है ? अग्नि-बीमा-पत्र में औसत वार्ष्य का क्या प्रभाव होता है ? (पटना, १६५१)

१०. सामुद्रिक बीमा-पत्र किन-किन कामों के लिए किया जा सकता है ? (पटना, १६४६)

११. सामुद्रिक बीमे के प्रसंविदे में मानी हुई साधारण शर्तें क्या होती हैं ? पथ-भ्रष्टता किन अवस्थाओं में मान्य होती है ? (पटना, १६४८)

बनारस, इन्टर कामर्स

१२. विशिष्ट (Specific) एवं विस्तृत सामुद्रिक बीमा-पत्रों में क्या अन्तर होता है ? इन दोनों में से कौन-सा ऐष्ट है और क्यों ? (बनारस, १६५२)

सागर, इन्टर कामर्स

१३. सामुद्रिक बीमा-पत्र में किन-किन जोखिमों का आवरण रहता है ? (सागर, १६५५)

मध्य भारत, इन्टर कामर्स

१४. सामुद्रिक भय (Perils of the Sea) क्या होते हैं ? माल भेजने वाले जिन बीमा-पत्रों के अन्तर्गत सामुद्रिक भय के प्रति बीमा करा सकते हैं, उनमें से दो प्रकार के बीमा-पत्रों का व्यौरा दीजिये । (१६५३)

दिल्ली, हायर सेकिडरी

१५. इनका अर्थ स्पष्ट कीजिए : (i) समर्पण मूल्य; (ii) सामान्य औसत, (iii) स्थानग्रहण; (iv) पी० पी० आई० बीमा-पत्र; (दिल्ली, हा० सें०, १६५३)

, (१६) निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिये : बीमा-योग्य हित, औसत वार्ष्य, पुनर्जीमा, निकट कारण । (दिल्ली, हा० सें०, १६५२)

अन्याय ४९

सामुद्रिक ज्ञति

यदि जहाज या माल या किराये को किसी सामुद्रिक ज्ञति के द्वारा कुछ ज्ञति पहुंचे, तो उसे सामुद्रिक ज्ञति कहते हैं। माल को होने वाली ज्ञति या तो किराये के प्रसविदे के अनुसार जहाजी कम्ननी को उठानी पड़ती है, या सामुद्रिक बीमा-पत्र के अनुसार बीमा कम्ननी को, या स्वन माल के स्वामी को। यदि ज्ञति जहाजी चिल्डी या जहाजी चिट्ठे (चार्टर पार्टी) में शामिल होने वाले किसी संकट द्वारा हो तो काल का स्वामी जहाजी कम्ननी से ज्ञति पूर्ति करावेगा। यदि वह संकट बीमा-पत्र में शामिल हो, तो वह बीमा कम्ननी से ज्ञति-पूर्ति करायेगा। किन्तु यदि वह न किराये के प्रसविदे में शामिल हो और न बीमा-पत्र में, तो वह ज्ञति माल के स्वामी को स्वयं उठानी पड़ती है।

निकट कारण का सिद्धान्त (Causa Proxima)

यदि ज्ञति का कारण कोई अकेला संकट हो, तो यह सियर करना सरल है कि कौन-सा पक्ष उसकी पूर्ति करने का उत्तरदायी है। किन्तु कभी-कभी ज्ञति एक के बाद दूसरे, कई सकंदों का परिणाम होती है जिनमें से कुछ का बीमा किया होता है और कुछ का नहीं। ऐसी अवस्था में उत्तरदायी पक्ष का निर्णय करना कठिन हो जाता है। विधान के अनुसार, ऐसी दशा में सबसे निकट कारण को रियर कर लेना चाहिये, और यदि इसका बीमा कराया गया हो, तो बीमा कम्ननी ज्ञति-पूर्ति की उत्तरदायी होगी। ऐसे निकट कारण का सिद्धान्त कहा हाता है। सामुद्रिक बीमे में इस सिद्धान्त का उपयोग किया जाता है। साधारणतया यदि ज्ञति कप्तान या मल्लाहों के जान-बूझ कर किये जाने वाले दुराचार या असावधानी का परिणाम हो, तो बीमा कम्ननी उसके लिये उत्तरदायी नहीं होती। किन्तु यदि ज्ञति के निकट कारण का बीमा करा लिया

गया है तो कनान या मलजाहो के दुराचारी या असावधान होने पर भी बीमा कम्पनी ही ज्ञातिपूर्ति^१ की उत्तरदायी होती है। मान लीजिये आपने बम्बई से कुछ चीजों लन्दन भेजी। जिब्राल्टर के समीर कुछ सामुद्रिक कीड़े जहाज के तले में छेद कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पानी जहाज में प्रवेश कर जाता है और सारी चीजों पानी में घुलकर वह जाती है। यहाँ चीजों की ज्ञाति के दो कारण कियाशील हैं—सामुद्रिक कीड़े और जल। इन दोनों में सबसे निकट कारण जल है, और सामुद्रिक जल का बीमा कराया हुआ होता है। अतः यह ज्ञाति बीमा कम्पनी को ही उठानी पड़ेगी।

सम्पूर्ण और आशिक ज्ञाति

बीमे के विषय की या तो सम्पूर्ण ज्ञाति (Total Loss) हो सकती है या केवल आशिक ज्ञाति (Partial Loss)। स्मरण रहे कि आशिक ज्ञाति सम्पूर्ण ज्ञाति का एक भाग नहीं मानी जाती। यदि किसी व्यक्ति को दोनों से रक्षा प्राप्त करनी है, तो उसे दोनों का बीमा कराना चाहिये। यदि उसने केवल सम्पूर्ण ज्ञाति का बीमा किया हो, तो आशिक ज्ञाति होने पर वह ज्ञातिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता। इसी प्रकार आशिक ज्ञाति बीमान्दन धारक को वह अधिकार नहीं देती कि वह सम्पूर्ण ज्ञाति का दावा कर सके।

६१. सम्पूर्ण ज्ञाति (Total Loss)

सम्पूर्ण ज्ञाति वास्तविक (Actual) हो सकती है अथवा रचनात्मक (Constructive)।

वास्तविक सम्पूर्ण ज्ञाति (Actual Total Loss)

- अँग्रेजी विधान के अनुसार, जब कि बीमे का विषय नष्ट हो जाय, या उसकी इतनी हानि हो जाय कि वह बीमा कराई हुई वस्तु के प्रकार की न रहे, या बीमा-पत्र उसे सदा के लिये खो दे, तो ज्ञाति वास्तविक सम्पूर्ण ज्ञाति कहलाती है। सम्पूर्ण ज्ञाति निम्नलिखित तीन दशाओं में वास्तविक कही जाती है :

१. माल का भौतिक विनाश जैसे अग्नि या जहाज ढूँने से समस्त माल का नष्ट हो जाना ।
२. क्रिस्म का परिवर्तन जैसे जहाज का भयानक लहरों से टकराकर ढुकड़ों में परिवर्तित हो जाना ।
३. मदा के लिये खो जाना जैसे सामुद्रिक डाकुओं का जहाज को गायब कर देना ।

ऊपर की तीन अवस्थाओं में सम्पूर्ण ज्ञति वास्तविक कहलाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जहाज का बहुत समय तक कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ समय लापता रहने पर यह मान लिया जाता है कि जहाज नष्ट हो गया। लायड समिति निवेदन करने पर अपने स्टेशनों और एजेंटों से लापता जहाज का पता लगाने की चेष्टा करती है; और असफल होने पर जहाज का विनाश घोषित कर दिया जाता है। ऐसी अवस्था में यह मान लिया जाता है कि सम्पूर्ण ज्ञति हो गई, और यह वास्तविक सम्पूर्ण ज्ञति समझी जाती है।

रचनात्मक सम्पूर्ण ज्ञति (Constructive Total Loss)

रचनात्मक सम्पूर्ण ज्ञति तब होती है जब कि नीमे का विषय निम्नलिखित कारणों से त्वाग दिया जाता है :

१. जब कि उसकी वास्तविक सम्पूर्ण ज्ञति अपरिहार्य (unavoidable) हो, या

२. जब कि उसको वास्तविक सम्पूर्ण ज्ञति से बचाने के लिये जो व्यय करना पड़ेगा वह बचाये गये माल के मूल्य से अधिक होगा।

रचनात्मक सम्पूर्ण ज्ञति के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं : (१) जब कि बीमा पात्र माल को खो दे और उसको माल का दोबारा मिल जाना असम्भव हो, तब रचनात्मक सम्पूर्ण ज्ञति होती है। (२) यदि कोई जहाज की चड़ में फँस जाय और उसे थीक करने तथा बन्दरगाह में खीच लाने का व्यय ३०,०००) हो, किन्तु ठीक करने के पश्चात् जहाज का मूल्य (१००,०००) ही हो, तब रचनात्मक सम्पूर्ण ज्ञति का होना मान लिया जायगा। (३) यदि माल को कुछ

हानि पहुँची हो, और माल ठीक करने और उसे उद्दिष्ट स्थान तक मेजने का व्यय मान के मूल्य से अधिक हो, तो रचनात्मक सम्पूर्ण ज्ञाति हुई मान ली जाती है।

ज्ञाति की मात्रा

यदि माल की सम्पूर्ण ज्ञाति हो जाय, तो बीमा कम्पनी से जो रकम ज्ञाति-पूर्ति के रूप में वसूल की जा सकती है उसको मात्रा इस प्रकार निर्धारित होती है :

(१) यदि बीमा-पत्र निर्धारित मूल्य वाला हो, तो बीमा-पत्र की पूरी रकम वसूल की जा सकती है। ऐसे बीमा-पत्र में साधारणतया माल का क्रय-मूल्य, जहाज का व्यय तथा लाभ के लिए १० प्रतिशत (या १५ प्रतिशत), इनके योग की रकम के लिए बीमा कराया जाता है।

(२) यदि बीमा-पत्र बिना निर्धारित मूल्य वाला हुआ, तो बीमा कम्पनी से माज़ के क्रय-मूल्य और जहाज के दृष्टय के योग के वरावर रकम वसूल की जा सकती है, वशर्ते एक यह योग बीमा-पत्र की रकम से अधिक न हो। इस प्रकार के बीमा-पत्र के अन्तर्गत लाभ के लिए कुछ भी नहीं लिया जा सकता।

सम्पूर्ण ज्ञाति का दावा

जब सम्पूर्ण ज्ञाति हो, तो वह वास्तविक हो या रचनात्मक, तब बीमा-पत्र को ज्ञातिपूर्ति का दावा करना पड़ता है। यह दावा उचित यीतिपूर्वक करना चाहिये, जिसका हम नीचे वर्णन करते हैं :

(१) त्याग-सूचना (Notice of Abandonment) —रचनात्मक सम्पूर्ण ज्ञाति होने पर, बीमा-पत्र को त्याग-सूचना देना आवश्यक है। वास्तविक सम्पूर्ण ज्ञाति में यह सूचना अनावश्यक है। इस सूचना-पत्र में सम्पूर्ण ज्ञाति का दावा किया जाता है और बीमा-पत्र बीमे के विपय के अवशेष में अपना समस्त स्वामित्व अधिकार बीमा कम्पनी को रौंद देता है। त्याग-सूचना मात्र होने के लिए यह आवश्यक है कि (१) यह स्पष्ट और बिना किसी शर्त के हो, और (२) यह उचित समय के अन्दर ही-दी जाय। बीमा-कर्ता दावे को स्वीकार करेगा अथवा अस्तीकार। पिछली दशा में, यदि बीमा-पत्र अपना दावा जाए

रखना चाहता है, तो उसे चाहिये कि शीघ्र ही न्यायालय में अभियोग चलावे।

(३) प्रमाण पत्र (Protest) — बीमा पात्र को चाहिये कि बीमा-कर्ता के निरीक्षण के लिए एक प्रमाण पत्र उपस्थित करे। प्रमाण पत्र में दुर्घटना का विस्तृत विवरण दिया होता है और उस पर जहाज के कप्तान और एक या अधिक अफसरों के हस्ताक्षर होते हैं; तथा वह नोटरी पब्लिक या विपत्रालोकी (Notary Public) के सामने लिखा और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। चक्षति का होना प्रमाणित करने के लिए प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है।

(४) बीजक—साथ में माल के बीजक की एक प्रति भी भेजनी चाहिये। इससे माज के वास्तविक मूल्य का पना चल जाता है और बीमा कम्बनी को यह आश्वासन हो जाता है कि दावे में किसी प्रकार का कष्ट नहीं किया गया।

(५) जहाजी विलटी—इसे भी बीमा कम्बनी में भेजना आवश्यक है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि माल वास्तव में जहाज पर लादा गया था।

(६) बीमा-पत्र—उपरोक्त सब कागजातों के साथ बीमा-पत्र भी कम्बनी को भेज देना चाहिये।

(७) स्थान ग्रहण का पत्र (Letter of Subrogation)—अत में, बीमा कम्बनी को स्थान-ग्रहण का पत्र भी भेजना चाहिये। जब बीमा कर्ता सम्पूर्ण चक्षति की पूर्ति कर देता है, तब वह स्वतः ही बीमा पात्र का स्थान ग्रहण कर लेता है और उसे यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि पूर्ति की जाने वाली चक्षति के सम्बन्ध में वह जो भी वैधानिक कार्रवाई करे, वह बीमा-पात्र के नाम में करे। फिर भी यह सामान्य रिवाज है कि बीमा-पात्र ऐसा करने के लिए अपनी सम्मति स्थान ग्रहण के पत्र के रूप में दे देता है।

५२. आंशिक चक्षति या औसत

आंशिक चक्षति को औसत (Average) के नाम से पुकारा जाता है।

पाठक को इस औसत और अकागणित के औसत को अलग-अलग रखना चाहिये। औसत विशेष हो सकती है अथवा सामान्य।

विशेष औसत

विशेष औसत (Particular Average या P/A) किसी विशेष हित (जैसे केवल जहाज या केवल माल) की ऐसी आशिक ज्ञति को कहते हैं जो कि अचानक और बीमा कराये हुए किसी निकट सकट के कारण घटे। पाठक को इस परिभाषा का ध्यानपूर्यक मनन करना चाहिये। इसके आवश्यक लक्षण निम्नलिखित हैं :—

(१) ज्ञति आशिक होनी चाहिये।

(२) ज्ञति किसी विशेष हित की होनी चाहिये; और यात्रा से सम्बन्धित समस्त हितों की रक्षा के लिये नहीं होनी चाहिये। पिछली दशा में आशिक ज्ञति सामान्य औसत कहलाती है।

(३) ज्ञति आकस्मिक होनी चाहिये, जान-बूझ कर को जाने वाली नहीं।

(४) ज्ञति का निकट कारण ऐसा होना चाहिये कि उसका बीमा कराया गया हो।

विशेष औसत के कुछ उदाहरण हम नीचे देते हैं। जहाज शदि चट्टान से टकरा जाय और उसके मस्तूल या मरीन या किसी भाग को हानि पहुंचे तो वह विशेष औसत कहलावेगी। जहाज में पानी ऊँची लहरों के आने पर प्रवेश कर सकता है और वह माल की हानि कर सकता है। इसी प्रकार यदि पानी जहाज में चला आवे और चीनी के बोरों का कुछ भाग पानी में छुल जाय, तो अगर किराया उद्दिष्ट बन्दरगाह पर देय हो तो नष्ट हो जाने वाली चीनी का सम्बन्धित किराया बस्तूल नहीं हो सकेगा। विशेष औसत जहाज या माल या किराये की हो सकती है।

स्मारक और विशेष औसत से मुक्ति (Memorandum and F. P. A.) — पाठक अब जो कुछ स्मारक और विशेष औसत से मुक्ति के विषय में पढ़ चुके हैं, उसे स्मरण करें। स्मारक बीमा-कर्ता को कुछ माल की आशिक ज्ञति से पूर्णतया मुक्त तथा कुछ अन्य माल पर निश्चित प्रतिशतों से

कम आशिक ज्ञति से मुक्त कर देता है। यदि बीमा-पत्र में “विशेष औसत से मुक्ति” का वाक्य शामिल हो, तो वह विशेष औसत सम्बन्धी समस्त उत्तर-दायित्व से छूट जाता है।

माल पर विशेष औसत -- माल के उद्दिष्ट बन्दरगाह पर पहुँच जाने पर, उन्हें विशिष्ट निरीक्षक (Surveyor) द्वारा दिखालेना चाहिए। वह माल की ज्ञति प्राप्त अवस्था को प्रमाणित करता है और ज्ञति का कारण भी निर्धारित करता है। निरीक्षण के पश्चात् विशेष औसत का लेखा (Statement of Particular Average) बनाना पड़ता है। यह काम निम्नलिखित विभागों में बाँटा जा सकता है :

(१) सबसे पहला काम वास्तविक ज्ञति का अनुमान लगाना है। माल के अच्छी अवस्था में आने पर उनका जो विक्रय-मूल होता, उसमें से उनके ज्ञति-पूर्ण अवस्था में पिक्रप मूल घटा देने से वास्तविक ज्ञति निकल आती है। मान लीजिए अच्छी अवस्था में माल ₹२०,०००] का बिक जाता, किन्तु हानि होने के कारण वह केवल ₹१५,०००] का ही बिकता है, तो ज्ञति ₹५,०००] की होती है।

(२) यदि बीमा पत्र बिना निर्धारित मूल्य वाला हुआ, तो बीमा पत्र यह रकम बीमा कर्ता से बसूल कर सकता है बशर्ते कि वह बीमा-पत्र की रकम (insured value) से अधिक न हो।

(३) निर्धारित मूल्य वाले बीमे पत्र में, बीमे की रकम के आधार पर ज्ञति की मात्रा का हिसाब लगाया जाता है। ऊरर के उदाहरण में, मान लीजिए बीमा-पत्र ₹१५,०००] का था तब ज्ञति का अनुमान इस प्रकार लगाया जायगा :

$$\therefore 20,000 \text{ रु } \text{ पर ज्ञति है... } .5,000 \text{ रु}$$

$$\therefore 25,000 \text{ रु}, , , , , \frac{5,000 \times 25,000}{20,000} \\ = 6,250 \text{ रु}$$

निर्धारित मूल्य का बीमा कराने पर ₹६,२५० रु बीमा कम्पनी से बसूल किया जा सकता है।

(४) इस रकम के अतिरिक्त शीमा-पात्र ने यदि माल की रक्षा के लिये—पा निरीक्षण अथवा विक्री के लिए कुछ व्यय माल के उद्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाने के पश्चात् किया हो, तो वह भी शीमा कमनी से वस्तु किया जा सकता है।

उदाहरण १—५,००० बोरों की एक लदान का ५०,०००/- का शीमा कराया गया है। उनमें से १०० बोरों को नुकसान पहुँचाने के कारण बेचना पड़ा। और वे २१ प्रति बोरे के हिसाब से प्रिके। शीमा-पात्र ने निम्नलिखित व्यय और किये : १% विक्री का कमीशन; निरीक्षण व्यय, ५/-; विक्री-व्यय १०/-। आपको निम्नलिखित काम करना है :

१. यह मान कर कि शीमा-पत्र निर्धारित मूल्य वाला (valued) है और माल ठीक रहने पर ११/- प्रति बोरे की दर से विक्री हो जाती है, विशेष औसत का लेखा बनाइये।

२. यह मान कर कि शीमा पत्र निर्धारित मूल्यवाला (valued) है और माल के ठीक रहने पर ८/- प्रति बोरे की दर से विक्री हो जाती, विशेष औसत का लेखा बनाइये।

३. उपरोक्त घटनाओं में यदि शीमा पत्र विना निर्धारित मूल्य वाला (unvalued) होता, तो बताइये कि शीमा पात्र का दबा कितनी कितनी रकम का होता ?

हल १

(१) सबसे पहले हमें ज्ञाति की मात्रा की गणना करनी चाहिए। माल के ठीक दशा में होने पर उनकी विक्री ११/- प्रति बोरे की दर से हो जाती, अर्थात् कुल रकम $11 \times 1,000 = 11,000$ रुपया प्राप्त होते। किन्तु ज्ञातिप्राप्त होने के कारण वे केवल २) प्रति बोरे की दर से विक्रते हैं अर्थात् विक्री की कुल रकम $2 \times 1,000 = 2,000$ रुपया प्राप्त होती है। अतः ज्ञाति की मात्रा हुई रु ११,००० — २,००० = रु ९,०००।

आब हमको शीमा की रकम के आधार पर उपरोक्त ज्ञाति की मात्रा का खमा-

मेलन (adjustment) करना चाहिये । १,००० चोरों का १०% मति चोरे के हिसाब के बीमित मूल्य (insured value) १०,००० रु. हुआ । अब :

$$\cdot ११,००० \text{ रु. पर ज्ञाति है } = १,००० \text{ रु.}$$

$$\cdot १०,००० \text{ रु. बीमित मूल्य पर ज्ञाति होगी } = \frac{१,००० \times १०,०००}{११,०००}$$

$$= ९० \text{ रु. } १८१—१३—१$$

अब इस रकम में वे सब व्यय जोड़ दीजिये जो खीमा पात्र ने किये हैं :—

	रु.	आ०	पा०
ज्ञाति की समाप्तेलित रकम	१८१	१३	१
प्रिक्षय कमीशन (रु. २,००० पर १%)	२०	०	०
निरीक्षण-व्यय	५	०	०
विशेष व्यय	१०	०	०
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	२१६	१३	१

विशेष औसत का लेखा इस प्रकार बनाया जायगा :

विशेष औसत का लेखा

विवरण	दर	रु आ० पा०	रु आ० पा०
५,००० घोरों का दीमित मूल्य यदि १,००० घोरे ठीक दशा में होते, तो उनकी विक्री से प्राप्त होता ...	१०)	५०,०००—०—०	
किन्तु ज्ञति-प्राप्त होने के कारण उनकी विक्री से प्राप्त होता है ज्ञति ...	११)	११,०००—०—०	
∴ ११,००० रु पर ज्ञति है रु ६,०००	२)	२,०००—०—० ६,०००—०—०	
∴ १०,००० रु पर ज्ञति ..			रु १८८ १३ १
व्यय			
विक्री पर कमीशन	१%	२०—०—०	
निरीक्षण व्यय		५—०—०	
विक्री का व्यय		१०—०—०	
दावे की रकम .			३५ ००
			रु २१६ १३ १

(२) प्रश्न के भाग २ के अनुसार विशेष औसत का लेखा इस प्रकार बनेगा ।

विशेष औंसत का लेखा

विवरण	दर	रु ० आ० पा०	रु ० आ० पा०
५,००० बोरो का वीमित मूल्य यदि १,००० बोरे टीक दशा में होते, तो उनकी विक्री से प्राप्त होते ... किन्तु ज्ञाति प्राप्त होने के कारण उनको विक्री से प्राप्त होते हैं	१०)	५,०००००-०	
	८)	८,०००-०-०	
	२)	२,०००-०-०	
∴ ८,००० रु पर ज्ञाति है		८,०००-०-०	
६,००० रु		-	
∴ १०,००० रु पर ज्ञाति होगी			
विक्रय		७,५००-०-०	
विक्रय कमीशन	१%	२०-०-०	
निरीक्षण व्यय		५-०-०	
विक्रय व्यय		१०-०-०	
		३५-०-०	
दावे की रकम...		७,५३५-०-०	

(३) यदि वीमा-पत्र बिना निर्धारित मूल्य वाला हो, तो वीमित मूल्य के आधार पर समाप्तेलन (adjustment) नहीं किया जायगा। अतः पहली अवस्था में दावे की रकम इस प्रकार होगी :

वास्तविक रक्ति	१८	ग्रंथालय	१	₹० ₹५,०००
नियम	"	"	"	₹० ₹३५
				₹० ₹५३५

दूसरी अवस्था में, दावे कीरकम इस प्रकार होगी :

वास्तविक छति	रु० ६,०००
चय्य	रु० ३५४
	रु० ६,३५४

उदाहरण २—६०० कपास की गाँठों का, जिनका मूल्य १० पौंड प्रति गाँठ है, वीमा ५००० पौंड के लिये कराया गया है। उद्दिष्ट बन्दरगाह पर आने पर ३१६ गाँठें चुति-ग्रान निकलीं। इनमें से ७८ गाँठें पौंड ६१४—६—० को और २३८ गाँठें पौंड २५६१—१६—५ को बिकीं। यदि ये गाँठे टीक दशा में होती तो वे पौंड ३८२१—१३—० को बिकतीं। अन्य व्यय इस प्रकार हये निरीक्षण व्यय १२ पौंड; चौकीदारी का व्यय १०

विशेष आँसत और लेखा

विवरण	दर	पौं० शिं० प०	पौं० शिं० प०
६०० गाँठों का वीमित मूल्य	१० पौं०	६,०००—०—०	
' यदि ३१६ गाँठें ठीक दशामें होंगी, तो उनकी विक्री से प्राप्त होता है		३,८२१—१३—०	
किन्तु ज्ञानि प्राप्त होने के कारण उनको विक्री से प्राप्त होता है :			
७८ गाँठों से पौं० ६१४ ६-०			
२८८ गाँठों से			
पौं० २,५६१ १६-६		३१७६—२—६	
ज्ञाति .		६४५—१०—६	
' ३,८२१—१३—० पर ज्ञाति है पौं० ६४५—१०—६			
.. ३,१६० (वीमित मूल्य) पर			५३३—१५—३
व्यय			
निरीक्षण-व्यय	२— ०—०		
चौकीदारी का व्यय	०— १०—०		
दुलाइ का व्यय	३— १४—६		६—४—६
दावा....			५४०—०—०

जहाज पर विशेष ज्ञाति—यदि जहाज की आशिक ज्ञाति हो गई हो, जो चीमा-पात्र उसकी मरम्मत करने का वास्तविक खर्चा बसूल कर सकता है। इस प्रकार ज्ञाति का जो अनुमान लगाया जाता है उसमें बुझ कभी कर दी जाती है क्योंकि पुराने भागों के स्थान पर अब नये माग लगा दिये जाते हैं। जैसा कि माल के सम्बन्ध में होता है, जहाज के धीमे की रकम के आधार पर हानि का

हिसाब लगा निराजाता है। धीमे को रकन वो केवल एक अधिकान सीमा है जिससे अधिक रकम धीमा-पार नहीं मांग सकता।

किराये पर विशेष औसत—विशेष औसत किराये पर भी हो सकती है। यदि माल मेजने वाले ने किएया पेशगी अदा कर दिया है, तो वह माल के साथ साथ किराये का भी धीमा करा लेगा और दोनों की ज्ञाति-पूर्ति भी एक ही साथ की जाएगी। किन्तु यदि किराया पेशगी अदा नहीं किया गया है तो धीमा कमनी माल नुराक्षत अपरस्थ में पहुँचने पर ही किराया भाँगने की अधिकारी होगी। यदि कुछ माल रास्ते में टूट कूट जाय, अर्थात् यदि विशेष औसत हो जाए, तो जहाजी कमनी को किराये का एक आनुपातिक भाग खोना पड़ेगा। यदि उसने किराये का धीमा करा लिया है तो वह जितना किराया इस प्रकार खोयेगी, ठीक-ठीक उननी ही रकम वह धीमा कमनी से बसूल कर सकती है।

सामान्य औसत

यदि किसी असाधारण चलिदान या व्यय के कारण, जो सकट के समय याना से सम्बंधित समस्त हितों की रक्षा के लिए ऐच्छिक और विवेकपूर्व दण में किया जाता है, उसे सामान्य औसत (General Average) कहते हैं। सामान्य औसत के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण होते हैं—

१. लृति, चलिदान या व्यय का प्रत्यक्ष परिणाम होनी चाहिए।
२. चलिदान या व्यय असाधारण होना चाहिये और ऐसा नहीं जिसका याना के संबंध में होना अवश्यम्भवी है।
३. चलिदान या व्यय स्वेच्छापूर्वक होना चाहिये, अर्थात् वह जानबूझ कर किया जाना चाहिये और आकस्मिक नहीं होना चाहिये।
४. चलिदान या व्यय विवेकपूर्वक एवं बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए।
५. चलिदान या व्यय सकट के समय ही किया जाना चाहिये और वह सकट वास्तविक और असामान्य होना चाहिए। समुद्र के साधारण सकर्दे से यह अधिक होना चाहिये।

६. बलिदान या व्यव का उद्देश्य यात्रा से सम्बंधित समस्त हितों की रक्षा होना चाहिये, किसी विशेष हित की अकेली रक्षा नहीं ।

७. बलिदान या व्यव का परिणाम जहाज या माल के किसी भाग की रक्षा अवश्य होना चाहिये ।

८. सामान्य भय किसी ऐसे व्यक्ति का परिणाम नहीं होना चाहिये जिसके हित का बलिदान किया गया हो या जो सामान्य औसत का शुल्क (Contribution) मांग रहा हो ।

सामान्य औसत की किसमे—जो कृति सामान्य औसत के अन्तर्गत आती हैं, उनको दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है : (अ) सम्पत्ति का बलिदान । सम्पत्ति के बलिदान के उदाहरण आसानी से दिये जा सकते हैं, जैसे जहाज को हलका करने के लिये किसी माल अथवा जहाज के किसी भाग को समुद्र में फेंक देना, आग बुझने के लिये पानी डालने से किसी माल को कुछ हानि पहुँचना, इंजन में आग जलाने के लिये किसी माल को जलाना आदि । (आ) व्यव, जैसे जहाज को हलका करने के लिये योद्धे से माल को नावों पर लादना या कृति पहुँचे हुये जहाज को बन्दरगाह तक लेने का व्यव ।

सामान्य औसत का शुल्क (G/A Contribution) – सामान्य औसत होने पर जिस पक्ष पर आधिक कृति पड़ती है उसको यह अधिकार है कि वह, सामुद्रिक विधान के अनुसार, यात्रा से सम्बन्धित अन्य हितों से आनुपातिक शुल्क बमूल करे । ऐसे शुल्क को “सामान्य औसत का शुल्क” कहते हैं ।

सामान्य हित के लिये की जाने वाली आधिक कृति तीन पक्षों के लाभ के लिए की जाती है—जहाजी कम्पनी, माल के स्वामी और किराये का अधिकारी । स्वामाविक रूप से सामान्य औसत को पूरा करने के लिये, इन्हीं तीनों हितों को शुल्क देना चाहिये । अतः उन्हें “शुल्क देने वाले हित” (Contributing Interests) कहते हैं ।

किन्तु ये हित किन अनुपातों में शुल्क दें ? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर वैधानिक नियम इस प्रकार है : (१) जहाजी कम्पनी को, जहाज के उद्दिष्ट बन्दरगाह पर पहुँचने पर, और यात्रा भग हुई हो तो मार्ग के बन्दरगाह पर पहुँचने पर, जहाज का जो मूल्य होता है, उसके आधार पर शुल्क देना पड़ता है। (२) माल के मालिक को माल के उद्दिष्ट बन्दरगाह पर पहुँचने पर, और यदि यात्रा भग हुई हो तो मार्ग के बन्दरगाह पर पहुँचने पर, माल का जो असली विक्रय-मूल्य (Net Selling Price) होता है—अर्थात् विक्री का व्यय काट कर जो विक्रय-मूल्य बच रहता है—उसके आधार पर शुल्क देना पड़ता है। (३) किराया पाने के अधिकारी को, बलिदान या व्यय के फलस्वरूप जो किराया अवशेष रहता है, उसके आधार पर शुल्क देना पड़ता है।

उपरोक्त नियमों के अनुकूल जो मूल्य शुल्कों के आधार होते हैं, उन्हें ‘शुल्क वाले मूल्य’ (Contributing Values) कहा जाता है। स्मरण रहे कि शुल्क वाले मूल्य वीमे के मूल्य से भिन्न होते हैं। मान लीजिये किसी जहाज पर, जिसे सामान्य औसत डठानी पड़ी है, लदे हुए किसी माल का १०,०००) वीमा कराया हुआ है, किन्तु इससे उद्दिष्ट स्थान, को पहुँच जाने पर उसका असली बाजार मूल्य १५,०००) है। ऐसी अवस्था में माल को १५,०००) के आधार पर शुल्क देना पड़ेगा, न कि १०,०००) के आधार पर। यदि माल का असली बाजार मूल्य केवल ६,०००) ही होता, तो ६,०००) के ही आधार पर शुल्क देना पड़ता।

सामान्य औसत का हिसाब (G/A Adjustment)—सामान्य औसत हो जाने पर जहाज जैसे ही उद्दिष्ट बन्दरगाह को आता है, या यात्रा भंग होने पर किसी मार्ग के बन्दरगाह को पहुँचता है, वैसे ही जहाज के कप्तान को किसी नोटरी पब्लिक की उपरियति में एक घोषणा करनी पड़ती है जिसे प्रमाण पत्र (Protest) कहा जाता है। इसमें कप्तान को होने वाली घटना को बताना पड़ता है और उसमें जो कार्रवाई की गई है उसकी सफाई देनी पड़ती है। उसे औसत-गणकों (Average Adjusters) को भी नियुक्त

करना पड़ता है जो सामान्य औसत को पूरा करने के लिये समन्वित हितों के क्रमशः शुल्कों का हिसाब लगाते हैं। इस गणना में बहुत से वैधानिक तथा रिवाज-सम्बन्धी चारों का ध्यान रखा जाता है।

सामान्य औसत में हिसाब का उदाहरण १—एक जहाज, जिसका अपना मूल्य ₹५,००० है, ₹६,०००) का माल लाद कर ले जा रहा है, और ₹१,०००) का किराया उद्धिष्ठ बन्दरगाह पर दिया जाने को है। जहाज की तली में चूहे छेद कर देते हैं जिसमें से होकर पानी जहाज में आ पाता है। अतः कप्तान एक-तिहाई माल जहाज से फेंका देता (jettison) है, और रोप माल किसी दूसरे जहाज पर ₹२००) देकर लदवा देता है। यह मान कर कि जहाज, माल और किराये का शुल्क वाले मूल्य वही हैं जो ऊपर दिये गये हैं, सामान्य औसत का हिसाब तैयार कीजिये।

इल १—₹३,०००) ₹० (फैके जाने वाले माल का मूल्य, में ₹२००) ₹० (माल की लदाई) जोड़ने से ₹३,२००) आता है जो सामान्य औसत की मात्रा है। इसे जहाज, माल और किराये पर फैलाना है, जिनके शुल्कवाले मूल्य क्रमशः ₹५,००० ₹० ₹६,००० ₹० तथा ₹१,००० ₹० है। अतः सामान्य औसत का हिसाब इस प्रकार का होगा :

सामान्य औसत का हिसाब

शुल्क वाले हित	शुल्क वाले मूल्य (₹०)	शुल्क के अनुपात	शुल्क (₹०)
जहाज	₹५,०००	₹५,०००/२५,०००	₹१,४२०
माल	₹६,०००	₹६,०००/२५,०००	₹१,१५२
किराया	₹१,०००	₹१,०००/२५,०००	₹१२८
	₹२५,०००		₹३,२००

उदाहरण २—मान लीजिये किसी जहाज को दूसरे जहाज से बाँध कर बन्दरगाह पर ले जाया जाता है और इसका व्यय ₹१,००० पौन्ड होता है।

जहाज का मूल्य ६,००० पौन्ड है, किराया १,००० पौन्ड के बराबर है और माल का मूल्य १०,००० पौन्ड है। यह चाति शुल्क वाले हित किस प्रकार देंगे ?

हल २—यह नीचे बताया जाता है :—

(१) जहाजी कम्पनी को देना पड़ेगा	$\frac{1}{6} \times 1,000 = 166.66$ पौन्ड
(२) माल के स्वामियों को देना पड़ेगा	$\frac{1}{6} \times 1,000 = 166.66$ "
(३) किराया पाने वाले को देना पड़ेगा	$\frac{1}{6} \times 1,000 = 166.66$ "
	<u>१,००० पौन्ड</u>

सामान्य औसत और बीमा—जिस पक्ष पर सामान्य औसत की चाति पड़ती है—अर्थात् जिसकी सम्पत्ति का बलिदान किया जावा है—उसे यह अधिकार होता है कि वह सीधा अपनी बीमा कम्पनी से पूरी ज्ञातिपूर्ति कराले। बीमाकर्ता उसे आवश्यक रकम अदा कर देगा, और फिर उतनी ही रकम का, बीमापात्र का स्वयं अपना शुल्क काट कर, सामान्य औसत के शुल्कों से भुगतान पा लेगा। यदि बीमा पात्र को अपनी जेब से सामान्य औसत का शुल्क देना पड़े, तो वह उतनी रकम बीमा कम्पनी से वसूल कर सकता है।

६३ नाश-रक्षण और विशेष व्यय

नाशरक्षक व्यय (Salvage)

यदि समुद्र में यात्रा करते समय सम्पत्ति और जीवन को कुछ सकट हो, तो उनको बचाने के लिये दूसरे जहाज या व्यक्ति की सहायता ली जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को रक्षक (Salvor) कहते हैं। उसे जो पुरस्कार दिया जाता है उसे रक्षण पुरस्कार (Salvage) कहा जाता है। रक्षक को रक्षित सप्तति पर ग्रहणाधिकार (Lien) मिल जाता है, और जब तक उसे पुरस्कार न मिल जाय तब तक वह सम्पत्ति को जमानत के रूप में रख सकता है। किन्तु यदि सम्पत्ति बचाने के उसके समस्त प्रयास निष्फल हो जायें, तो वह

पुरस्कार का भागी नहीं होता। सामुद्रिक बीमा-पत्र के अन्तर्गत नाश-नक्षण व्यय बीमा कम्पनी से बदल किया जा सकता है।

विशेष व्यय (Particular Charges)

सामान्य औसत में बलिदान और व्यय, दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत विशेष औसत में केवल किसी विशेष सम्बन्ध की ज्ञाति ही शामिल की जाती है। इसमें किसी विशेष हिन की रक्षा के लिये किया गया व्यय शामिल नहीं होता। इस प्रकार के व्यय को विशेष व्यय (Particular Charges) कहते हैं और यह सामुद्रिक बीमा-पत्र के अन्तर्गत बीमा कम्पनी से बदल किया जा सकता है। यिथान में विशेष व्यय की परिमाणा इस प्रकार की गई है: जो व्यय बीमा करने वाले के लिये बीमे के विषय की रक्षा के निमित्त किया जाता है और जो सामान्य औसत तथा नाश-नक्षण व्यय के अतिरिक्त होता है, उसे विशेष व्यय कहते हैं।

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इन्टर कामसर्स

१. सामुद्रिक बीमे में आशिक हानि से क्या आशय है? इसके कौन-कौन से रूप हैं? उनके नाम चताइये और उन्हें समझाइये। (उत्तर प्रदेश, १६५३)

२. सामुद्रिक बीमा-पत्रों के सम्बन्ध में “विशेष औसत” तथा “साधारण औसत” हानियों में क्या अन्तर होता है? स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिये। (उत्तर प्रदेश, १६५२)

३. वास्तविक सम्पूर्ण ज्ञति तथा रचनात्मक सम्पूर्ण ज्ञति का अर्थ बता देये। (यू० पी०, १६५७)

४. निम्नलिखित में किस प्रकार की ज्ञति हुई है? (अ) बहाज द्वारा भेजा गया तम्बाकू समुद्र के पानी से इतना ज्ञाति-प्राप्त हो गया है कि वह तम्बाकू की माँति नहीं रह गया। (आ) समुद्र के पानी से ज्ञानि-प्राप्त तम्बाकू को टीक

करके तम्बाकू की भाँति बेचा जा सकता है, किन्तु ठींक करने में जो व्यय होगा वह तम्बाकू के विक्रय-मूल्य से अधिक होगा। (य० पी० १६४४)

५. (अ) सामान्य औसत की ज्ञति के आवश्यक लक्षण क्या है ? यह विशेष औसत की ज्ञति से किस प्रकार भिन्न होती है ?

(आ) निम्नलिखित अवस्था में ज्ञति-प्राप्त माल के स्वामी को क्या शुल्क मिलेगा ? जहाज का मूल्य ८,००० पौंड है, किराया २,००० पौंड है, और माल का कुछ मूल्य १०,००० पौंड है जिसके दस व्यक्ति समान मूल्य के स्वामी हैं। सामान्य औसत सम्बन्धी बलिदान में माल के एक स्वामी का माल फेंक दिया गया है। (य० पी०, १६४२)

राजपूताना, इन्टर कार्मस

६. माज फैक्ना (Jettison) क्या होता है ? सामान्य औसत के सिद्धांतों को अपने शब्दों में लिखिये। सामान्य औसत के समाप्तिलन (Adjustment) का एक उदाहरण दीजिये। (१६५३)

७. सम्पूर्ण ज्ञति के प्रति सामुद्रिक बीमा से आप क्या समझते हैं ? ज्ञति किन वर्गों में बॉटी जाती है ? इस प्रकार की ज्ञति को घट (Substantiate) करने के लिये किन कागजातों का होना आवश्यक है ? (१६५३)

८. (अ) साधारण औसत को हानि के क्या आवश्यक लक्षण हैं ? यह विशेष औसत की हानि से किस प्रकार भिन्न होती है ? (आ) निम्नलिखित अवस्था में ज्ञति-प्राप्त माल के स्वामी की अन्य हितों से क्या चन्दा मिलेगा ? जहाज का मूल्य ८,००० है, किराया २,००० है और माल १०,००० का है जो दस स्वामियों के समान मूल्य का है। माल के एक स्वामी का माल साधारण औसत के बलिदान में फेंक दिया जाता है। (राजपूताना, १६५१, बनारस, १६५०)

९. सामुद्रिक बीमा पत्र में “सम्पूर्ण हानि के प्रति बीमा” से आप क्या समझते हैं ? सम्पूर्ण हानि किन वर्गों में विभाजित की जा सकती है ? इस हानि के दावे को परका करने के लिये किन रुक्कों की आवश्यकता होती है ? (राजपूताना, १६५०)

१०. सामान्य औसत, विशेष औसत, वास्तविक सम्पूर्ण ज्ञाति तथा रचनात्मक सम्पूर्ण ज्ञाति का अर्थ स्पष्ट कीजिये। (राजपूताना चोड़, १६४७)

११. विशेष औसत क्या होती है? विशेष औसत का दावा करने के लिये किन रुक्कों का होना आवश्यक है?

निम्नलिखित ब्यौरे के आधार पर विशेष औसत का लेखा तैयार कीजिए। ६०० कपास की गाँठों का, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य १० पौरुष है, चीमा १०,००० पौरुष के लिये कराया था। उद्दिष्ट बन्दरगाह में आने पर ३१६ गाँठे ज्ञाति-प्राप्त निकलीं। इनमें से ७८ गाँठे ६१४ पौरुष ६ शिं० को बिकीं और २३८ गाँठे २,५६१ पौरुष १६ शिं० ६ पै० को बिकीं। यदि इन गाँठों में अवस्था ठीक होती तो वे ३,८२१ पौ० १३ शिं० में चिकती। निम्नलिखित रीति व्यय हुए : परीक्षा-पुरस्कार २ पौरुष; बन्दरगाह पर चौकीदारी का खर्च १ पौ० ६ पै०; दुलाई ८ पौ० ४ शिं० (राजपूताना का चोड़, १६४५)

पटना, इन्टर कामर्स

१२. सामुद्रिक बीमे से सम्बन्धित “साधारण औसत की हानि” क्या होती है? यह विशेष औसत की हानि से किस प्रकार भिन्न होती है? (पटना, १६५२ वार्षिक)

१३. वास्तविक सम्पूर्ण ज्ञाति तथा रचनात्मक सम्पूर्ण ज्ञाति का अन्तर्मेद स्पष्ट कीजिए। (पटना, १६५१ पूरक)

बिहार, इन्टर कामर्स

१४. सामुद्रिक ज्ञाति का क्या अर्थ है? इसके विविध प्रकार क्या-क्या हैं? (बिहार, १६५५)

बनारस, इन्टर कामर्स

१५. सामान्य औसत तथा विशेष औसत का अन्तर्मेद बताइये और उन परिस्थितियों का भी वर्णन कीजिये जिनमें कि प्रत्येक लागू होती हैं। (बनारस, १६४८)

१६. निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिये : रक्षण-पुरस्कार (Salvage),

रचनात्मक सम्पूर्ण चक्षु; निकट कारण का सिद्धात; समुद्रयोग्यता; विशेष औसत-मुक्त ; विदेशी सामान्य औसत; सम्पूर्ण मूल्य । (बनारस, १६४५)

सागर, इंटर कामर्स

१७. सामान्य औसत चक्षु के कौन-कौन आवश्यक अंग हैं ? इस चक्षु और विशिष्ट औसत चक्षु में क्या अन्तर है ? (सागर, १६५५)

दिल्ली, हायर सेकिंडरी

१८. विशेष औसत और साधारण औसत का भेद बताइये । (दिल्ली, १६५१)

१९. निम्नलिखित का अर्थ बताइये : स्थान-ग्रहण का सिद्धान्त; जहाजी बन्धन; सामान्य औसत, बीमायोग्य हित रहित पत्र; निकट कारण । (दिल्ली, हायर सेकिंडरी, १६४८)

२०. सामान्य औसत और विशेष औसत का भेद स्पष्ट कीजिये और बताइये कि किन अवस्थाओं में प्रत्येक लागू होती हैं ? (देहली, १६४१)

मध्य भारत, इन्टर कामर्स

२१. एक जहाज जो माल से लदा है कलकत्ते से दोकियों के लिए रखाना होता है । मार्ग में कुछ माल गई होकर बेकार हो गया और करान ने उसे फेंकवा दिया । यदि इसे जहाज पर रखना रहने दिया जाता, तो धूरे जहाज और माल की मुरक्का का भय होता । क्या नष्ट माल के स्वामी का जहाज तथा अन्य माल के स्वामियों के प्रति कुछ दावा है ? क्या जहाज का स्वामी किराये की हानि के लिए माल के स्वामियों पर दावा कर सकता है ? (मध्य भारत, १६५५)

फुटकर

अध्याय ५०

व्यापार आरम्भ करना

एक समय था जब कि प्रायः प्रत्येक व्यक्ति, जो अपनी जोविका कमाने के लिये दूकान खोलने की जात संचाता, यही आशा करता था कि उसे व्यापार में सफलता मिलेगी। किन्तु अब समय बहुत बदल गया है। आजकल तीव्रण और भयकर सर्वर्दी, विशिष्टीकरण, सध-स्थानना और द्रस्टों का जमाना है और इस कारण व्यापार में जोखिम (risk) बहुत बढ़ गई है। व्यापारियों को अब पग-पग पर विशेष साधानी से कान लेना पड़ता है। व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले के सामने बहुत सी विपद्म और महत्वपूर्ण समस्यायें उपस्थित होती हैं, और यदि उनका सावधानी से विश्लेषण, अध्ययन और हल न किया जाय, तो व्यापार में सफलता प्राप्त होना सशयपूर्ण होता है। ये समस्यायें दो भागों में बँटी जा सकती हैं : (१) व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व किन-किन जातों पर ध्यान देना आवश्यक है ? (२) व्यापारिक सफलता के कौन-कौन मूल साधन हैं ? इस अध्याय में हम इन्हीं समस्याओं पर प्रकाश ढालेंगे।

१. व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व ध्यान देने योग्य बातें

व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व यह आवश्यक है कि बहुत सी प्रारम्भिक बातों का, जिन पर व्यापार की सफलता निर्भर होती है, योजनात्मक अध्ययन किया जाय। यदि कोई व्यक्ति व्यापार केवल इसलिये चलाता है कि उसके मस्तिष्क में उस व्यापार के चलाने की बातें वैसे ही आ गई हैं और उसने वैज्ञानिक

अव्ययन द्वारा उसकी सफलता का आश्वासन प्राप्त नहीं किया, तो यह जुआ खेलने के समान है। बहुत से व्यापार इसी कारण असफल होते हैं और होते रहेंगे। व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व जिन बातों पर विचार करना आवश्यक है, उनका वर्णन नीचे किया जाता है :

१. व्यापार की किस्म— व्यापार में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले इस बात का निर्णय करना चाहिये कि वह कौन-सा व्यापार स्थापित करना चाहता है। व्यापार के इतने भेद और उपभेद हैं कि उनमें से सर्व-श्रेष्ठ और अधिकतम लाभ वाले व्यापार को जुनने के लिए काफी ज्ञान, अनुभव और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। एक नवयुवक में जिसे व्यापार का ज्ञान नहीं, ये सब गुण नहीं हो सकते। उसे अनुभवी व्यापारी, व्यापारिक विषयों के अध्यापक एवं अर्थशास्त्रियों की सहायता लेनी पड़ेगी क्योंकि ये व्यक्ति उसे ठीक ठीक सम्मति दे सकते हैं।

व्यापार की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता कई बातों को सोचकर निर्धारित की जाती है। पहली बात तो लाभ देने की समर्थन है। जिस व्यापार में लाभ की दर घटन ऊँची होती है, उसमें अधिक व्यापारी नहीं होते और उसके विस्तार की आवश्यकता भी होती है, अतः यदि अन्य बातें समान हों तो ऐसे व्यापार में असफलता का भय कम होता है। किन्तु लाभ की मात्रा ही अन्तिम निर्णायिक नहीं होनी चाहिये; क्योंकि जोखिम की मात्रा, तथा आवश्यक कुशलता एवं ज्ञान की मात्रा अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। हो सकता है कि एक व्यापार में लाभ इतना अधिक इसलिए है कि उसकी जोखिम को योड़े से ही व्यक्ति खेलने के लिये तैयार होते हैं, या उसमें इतने ऊँचे प्रकार के टैक्निकल या सामान्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है कि वह मुट्ठी भर व्यक्तियों के ही पास होता है। यदि ऐसा हुआ, तो लाभ की अधिक मात्रा भी बहुत से व्यापारियों को आकर्षित नहीं कर सकेगी। अतः दूसरी बात जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, जोखिम और आवश्यक कुशलता की मात्रा है।

इसक अतिरिक्त व्यापार में किरनी पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जिस व्यक्ति के पास अपनी निजी पूँजी बहुत सीमित है और जो औरें से पूँजी एकत्रित नहीं कर सकता, वह कोई बहुत बड़ा कार लाना या वैक एकचारणी स्थापित नहीं कर सकता। उसे कोइ छोट पैमाने का ही व्यापार चुनना पड़ेगा जिसे वह बाद को पूँजी के बदने के साथ साथ बढ़ा सके। अन्त में, व्यापार आरम्भ करने वाले के व्यक्तिगत भुकाव को भी देखना चाहिये। यदि उसे प्रियी कला में दिलचस्पी है, तो उसे फुर्कर दूकान नहा खोलनी चाहिये। यह शार सदृश रमरण रपनी चाहिये कि मनुष्य की जिसमें स्वाभाविक रुचि होगी, उसमें उसे सहज में ही सफलता मिल जायगी। इन सब चाता को सोचकर ऐसा व्यापार चुना जा सकता है। जिसमें लाभ की सबसे अधिक आया है।

आजकल विशिष्टीकरण इतना बढ़ गया है कि प्रत्येक व्यापार कई शाखाओं में विभाजित और उपविभाजित हो गया है। शारम्भ में केवल एक ही शाखा में काम करना चाहिये। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति क्य विक्रय का काम करना चाहता है, वह आगात-निर्यात कर सकता है, या थोक माल बेच सकता है, या फुटकर माल बेच सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किताबों का काम करना चाहता है तो वह या तो पुरानी और नई दोनों प्रकार की किताबें बेच सकता है या पुस्तकें प्रकाशित भी कर सकता है या स्वयं अपना मुद्रणालय भा खोल सकता है। प्रारम्भ करने के पहले इस बात का निश्चित निर्णय कर लेना चाहिए कि व्यापार की किस शाखा में काम करना है।

२ व्यापारिक सगठन का स्वरूप—कौन सा व्यापार करना है इसका निश्चय हो जाने के पश्चात् इस बात का निर्णय करना पड़ता है कि व्यापारिक सङ्गठन का क्या स्वरूप हा। अन्य शब्दों में, इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि व्यापारिक भवन एकाकी व्यापारिक इकाई हो या साझेदारी फर्म हो या समुक्त पूँजी की कम्पनी। व्यापारिक सगठन के प्रत्येक स्वरूप के अपने अलग अलग लाभ व हानियाँ हैं जिनका धर्णन किया जा चुका है। उछ

व्यापार ऐसे होते हैं कि जो सयुक्त पूँजी की कम्पनी के आधार की अपेक्षा सामेदारी के फर्म के आधार पर अधिक सफलतापूर्वक किये जा सकते हैं; कुछ दूसरे व्यापार इसके विपरीत भी होते हैं। उदाहरण के लिये एक छोटी फुटकर दूकान एकाकी व्यापार या सामेदारी फर्म के रूप में बहुत अच्छी तरह चलाई जा सकती है; इसके लिए सयुक्त पूँजी की कम्पनी खड़ी करना हास्यस्पद और बेकार होगा। इसी प्रकार यदि हमें एक बड़ा कारखाना खोलना है जिसके लिए हमें करोड़ों रुपये और प्रबुर मात्रा में उत्पादन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए एकाकी व्यापारिक भवन स्थापित करना निरर्थक ही होगा। सब बातों को सोच-समझकर व्यापार को वह स्वरूप देना चाहिये जो सबसे अधिक उपयुक्त हो।

३. पूँजी—तीसरी महत्वपूर्ण बात पूँजी एकत्रित करना है। यदि व्यापारी स्वयं ही धनी व्यक्ति है, तो वह व्यापार में केवल अपनी ही पूँजी लगा सकता है। किन्तु यदि उसको निजी पूँजी से भी अधिक पूँजी आवश्यक हो तो वह उधार लेकर अपनी जोखिम पर व्यापार में लगा सकता है और या वह पूँजी अपने मित्रों या सम्बन्धियों को व्यापार में सामेदार बना सकता है। यदि व्यापारिक इकाई बहुत बड़ी है और व्यापारिक सगठन ने सयुक्त पूँजी की कम्पनी का स्वरूप ले लिया है, तो उसे प्रास्पेक्यस या विवरण प्रकाशित करके जनता से पूँजी एकत्रित करनी पड़ेगी।

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि पूँजी का स्रोत क्या होगा, यह व्यापारिक सगठन से वैधानिक या कानूनी स्वरूप पर निर्भर होता है, साथ ही साथ यह भी सच है कि व्यापारिक सगठन का स्वरूप आवश्यक पूँजी पर निर्भर होता है।

व्यापार में जितनी पूँजी की आवश्यकता पड़े, उसकी मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना चाहिये। पूँजी की निम्नलिखित बातों के लिए आवश्यकता पड़ती है :

- (१) मशीन, इमारत, फर्नीचर तथा अन्य स्थिर सम्पत्ति में लगाने के लिए पूँजी। इसे दियर पूँजी (fixed capital) कहते हैं।
- (२) स्टाक आदि में लगाने के लिए पूँजी। इसे कार्यशील पूँजी (working capital) कहा जाता है।
- (३) पूँजी जिसका ग्राहकों को माल उधार देने के लिए प्रयोग किया जाता है।

इन तीनों राशियों के योग में से जितनी राशि तक का अमृण व्यापारी को मिल सकता है वह धय देना चाहिए। शोष रकम पूँजी के रूप में एकत्रित करना आवश्यक है। यदि पूँजी इस रकम से कम हुई तो कदाचित् व्यापारिक भवन में अपर्याप्त स्थिर सम्पत्ति हो और व्यापार में बाधा आए, या स्टाक की मात्रा काफ़ी न हो सके, या अमृण दाता भुगतान माँगे तब अदा करने के लिए रुपये की कमी हो जाय। इन सब दशाओं में व्यापारी की प्रतिष्ठा तथा सफलता को हानि पहुँचेगी। इसके विपरीत यदि पूँजी वास्तविक आवश्यकता से अधिक हुई, तो परिकल्पी (Speculative) मार्ग में ग्रन्थि करने या व्यापार को प्रबन्धयोग्य (Manageable) सीमा से अधिक बढ़ाने का लोभ होगा; साथ ही साथ लाम की दर, जो पूँजी की राशि के आधार पर आँखी जाती है, गिर जायगी। पूँजी के वास्तविक आवश्यकता के बराबर होने के अतिरिक्त, उसका विभिन्न प्रयोगों के लिए—स्थिर सम्पत्ति, कार्यशील सम्पत्ति तथा अमृण प्रदान के लिए उपयुक्त विभाजन भी होना चाहिए।

४. व्यापार का स्थान—एक अन्य बात जिसका निर्णय करना आवश्यक है यह है कि व्यापारिक भवन कहाँ स्थित हो। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर स्थान के कुछ ऐसे लाभ होते हैं जो व्यापार में सहायक होते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे दोष भी होते हैं जो व्यापार को हानि पहुँचाते हैं। व्यापारिक भवन ऐसी जगह होना चाहिये जहाँ कि लाभ सबसे अधिक और हानियाँ सबसे कम हों।

यदि किसी कारबाने की स्थापना करनी हो तो उसकी स्थित के निर्णय

करने में सस्ती चालक शक्ति की प्राप्ति, सस्ती और कुशल भ्रम की प्राप्ति, कन्वे माल तथा बाजार की निकटता, बातायात और सम्बद्धिवाहन के साथनों की विचारान्तरा आदि बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि एक थोक दुकान चलानी है तो उसकी विधियाँ ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहाँ कुटकर व्यापारी दुग्मतापूर्वक आ सके और उस दुकान से उनकी दुकानों तक माल के पहुँचने में अधिक समय न लगे। कुटकर दुकान की विधियाँ के निर्णय करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। साधारणतया कुटकर दुकान शहर के चौच में होनी चाहिए जिससे कि सब व्यक्ति वहाँ आसानी से पहुँच सके। देखा यह जाता है कि एक ही व्यापार करने वाली दुकानें बाजार के एक निश्चित भाग में स्थापित होती हैं। इस प्रकार की विधियाँ में दुकान स्थापित करने में लाभ प्रद होता है कि जब व्यापारी वह माल खरीदने के लिए बाजार के उस निश्चित भाग में आता है, तब उसका ध्यान नई दुकान की ओर भी स्वामानिक रूप से आकर्षित होता है। किन्तु यदि ऐसे स्थान में बहुत सी दुकानें केन्द्रित हैं और दूसरे स्थानों में उसकी ओरणी की दुकानें बहुत कम हैं, तो हो सकता है कि दुकान को किसी दूसरे स्थान पर ही स्थापित करना बाध्यनीय हो। उपरोक्त बातों तथा अन्य इसी प्रकार की बातों को ध्यान में रख कर इस बात का निर्णय कर लेना चाहिये कि व्यापारिक भवन किस स्थान पर स्थापित किया जाय।

५. सेवक-घर्ग (Staff)—व्यापार में बलकों, विक्रेताओं आदि की भी आवश्यकता होती है। सेवकों को रखने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। सर्टेपन के विचार से कार्यक्षमता का बलिदान नहीं करना चाहिये। देखा गया है कि यद्यपि एक कुशल और योग्य व्यक्ति बेतन अधिक लेता है, फिर भी दीर्घकालीन में वही सस्ता प्रभागित होता है, किन्तु इसका यह आशय नहीं कि अधिक बेतन माँगने वाला व्यक्ति कम बेतन माँगने वाले व्यक्ति की अपेक्षा सदैव ही अधिक कार्यकुशल होगा। करना यह चाहिये कि प्रत्येक प्रार्थी की सामर्थ्य और योग्यता का सच्चा अनुमान लगा लिया जाए और उसी के अनुसार उसे बेतन दिया जाय। जहाँ तक हो सके निष्पट, एरिशमी,

ईमानदार और कुशल व्यक्तियों को नौकरी देनी चाहिये। किन्तु आरम्भ में बहुत से नौकर नहीं रखने चाहिये, क्योंकि शुरू शुरू में लाभ सीमित होता है और उस अवस्था में अधिकतम मितव्ययिता करनी चाहिए।

६. कार्यालय की सामग्री (Equipment) — प्रत्येक व्यापारिक भवन को दफ्तर अवश्य रखना पड़ता है। सन्देशावाहन के शीघ्र साधनों के बर्तमान युग में, पत्र व्यवहार पर बहुत निर्भर रहना पड़ता है; और व्यापार के साइज और आवश्यकता के अनुसार कार्यालय में कागज, डाइपराइटर और हूप्लाईटर तथा अन्य वस्तुएँ होना आवश्यक हैं। टीक टीक डिसेप्ट-किटबॉर रखने के लिए उपयुक्त बहियाँ या रजिस्टर भी होने चाहिये। दफ्तर की सामग्री साधारणतया आधुनिक और सुविधाजनक होनी चाहिये, पुरानी और असुविधा-पूर्ण नहीं।

व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व ऊपर चताये गये महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है। इस चिन्नन में कासी समय, धन तथा परिश्रम लगाना पड़ता है, किन्तु इससे व्यापार में सफलता मिलने का आश्वासन हो जाता है।

७२. व्यापारिक सफलता के मूल तत्व

अब हम उन मूल तत्वों का विवेचन करेंगे जिन पर व्यापारिक सफलता निर्भर होती है।

१. मनुष्य (Man) — व्यापारिक सफलता उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो श्रेष्ठ और सज्जन हो। आदर्श व्यापारी का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास ऊँचे दर्जे का होना चाहिये। शारीरिक स्वास्थ्य व्यापारिक सफलता की कुड़ी है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना व्यापारी का पहला कर्तव्य है। मानसिक कुशलता उसका दूसरा गुण है। व्यापारिक जगत में किस व्यक्ति की कितनी उन्नति हो सकती है, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होता है कि उसका मन्त्रिक कैसा है और वह उसका ऊँचा नैतिक चरित्र है। यद्यपि मन्त्रिक और चरित्र दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं किन्तु दोनों में से चरित्र का महत्व

बढ़ा है। शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक दृष्टि से ऊँचे व्यक्ति को व्यापारिक जगत् में निश्चय सफलता मिलेगी और वह एक दिन औद्योगिक नेता और व्यापार-शिरोमणि अवश्य बन जायगा।

२. सम्पत्ति या पैंजी (Money)—व्यापारिक सफलता का दूसरा मूल-तत्व पैंजी है। कोई भी व्यापार विना पैंजी लगाए नहीं किया जा सकता और विना पैंजी के पर्याप्त हुए किसी भी व्यापार को सफलता भी नहीं मिल सकती। हम ऊपर पैंजी तथा सम्बन्धित विषयों पर प्रकाश डाल ही चुके हैं और उनका दोहराना व्यर्थ होगा।

३. उत्साह और लगन (Push)—उत्साह और लगन व्यापारिक सफलता के तीसरे मूल-तत्व हैं। व्यापारी में अद्वय उत्साह और तीक्ष्ण अभियाचन होनी चाहिये। लाभ की केवल इच्छा करने से काम नहीं चलता, उस इच्छा को क्रियात्मक रूप देने की योग्यता का होना भी आवश्यक है। व्यापार में सच्ची लगन और अद्वय उत्साह की जरूरत पड़ती है। व्यापार वह परीक्षा, स्थल है जिसमें अनिश्चित मानसिक अवस्था वाले या अशक्त एवं मन्द गति वाले व्यक्ति शीघ्र ही असफल हो जाते हैं। व्यापार में चढ़ाव-उतार, हानि-लाभ होते हैं; किन्तु जो इनकी समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना कर सकता है, जो मस्तिष्क और दूरदर्शिता से काम करता है, उसे ऊँचा पुरस्कार भी मिलता है। व्यापार में हर प्रकार की निश्चत्ताह चात के होने हुए भी प्रयोग और प्रयास करते रहने की आदत सबसे अधिक सहायक होती है।

४. विवेक (Tact) और शिक्षा—विवेक का अर्थ यहाँ विस्तृत अर्थ में लगाना चाहिये और इसमें मस्तिष्क सम्बन्धी समस्त गुणों का समावेश है। व्यापारी में साधारण बुद्धि (Common Sense) अवश्य होनी चाहिये। इसके साथ उसमें आत्म-विश्वास, सावधानी को पहचानने की शक्ति, ठड़े मस्तिष्क से सोचने की आदत, बुरी अवस्था में भी चित्त को हिंपर रखने का एुण, त्रुटिपूर्ण प्रमाणित होने पर अपनी सम्पत्ति के त्याग करने का साहस और आलोचना को सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिये। ये सब एुण

व्यापारिक सफलता के लिए आवश्यक हैं। ये शुण अशतः पैतृक होते हैं, अंशतः शिक्षा द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं और अंशतः अनुभव द्वारा सीखे जाते हैं। कुछ मनुष्यों की राय है कि व्यापारिक शिक्षा केवल व्यर्थ ही नहीं प्रत्युत शिक्षार्थी को व्यापार के अध्योग्य बना देती है। किन्तु यह कठु आलोचना ठीक नहीं। आजकल व्यापार में इतनी त्वर्दा होती है कि सफलता प्राप्त करने के लिये एक व्यापारी को अन्य व्यापारियों में अधिक कुशल होना आवश्यक है, और थेष्टर कुशलता शिक्षा द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आजकल के विशिष्टिकरण के यु। में व्यापारी को प्रतिदिन सम्मुख आने वाली विभिन्न प्रकार की विषय समन्वयों को समझने और उन्हें हल करने के लिए व्यापारिक शिक्षा लेना नितान्त आवश्यक है।

व्यापारी को यदि उन्नति करती है तो उसे किसी कुशल व्यापारिक संगठन के विभिन्न विभागों के अन्तर्सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। उसे किसी विशेष प्रणाली के प्रचलन का ऊपरी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त न होगा, प्रत्युत उसे उन आधारभूत सिद्धान्तों का मनन करना पड़ेगा जिन पर वह प्रणाली खड़ी होनी है। यदि कोई व्यक्ति व्यापार के प्रत्येक विभाग में स्वयं काम करके ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसे शिक्षा पूरी करने में बड़ों लगाने पड़ेंगे और फिर भी व्यापारिक सफलता के मूल तत्वों का ज्ञान उसे कदाचित् न हो पावे। किन्तु यदि व्यापारिक नेताओं के अनुभवों को वह पढ़े और उनका मनन करे, तो उसे यही ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त हो जायगा।

यह सच है कि पश्चिम हमारे अनेक और्योगिक और व्यापारिक नेताओं ने कभी किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नाम लिखा कर व्यापारिक शिक्षा नहीं ली, फिर भी उन्होंने व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की है। किन्तु यदि महान् शिक्षा विशेषज्ञों और क्रियालक व्यापारियों द्वारा निर्धारित की हुई शिक्षा को ये नेतागण प्राप्त कर सकते, तो कदाचित् वे और भी अधिक सफलता प्राप्त करते।

५. सिद्धान्त या सदाचार—सदाचार व्यापारिक सफलता का पाँचवां
पा०—२०

मूल-न्तत्व है। जो व्यापारी बेईमानी का व्यवहार करते हैं, वे समझ हैं कुछ समय तक फले पूले, किन्तु धीरे धीरे उनका दुराचार प्रकाशित हो जायगा और ग्राहकगण उन्हें छोड़ना आरम्भ कर देंगे। इसके विपरीत, ईमानदार व्यापारी पर ग्राहकों का इतना विश्वास हो जाता है कि वे उसे अपना परम मित्र समझते हैं और दूसरे व्यापारी के पास भाँकते तक नहीं। कहा जाता है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, यह बात सबसे अधिक व्यापार में घनी है। आप बहुधा देखेंगे कि ईमानदार व्यापारी खूब सफल होने हैं और पीढ़ियों तक उनका काम चलता है, और बेईमान व्यापारी को बुलबुले की भाँति थोड़े ही समय में व्यापार से अलग होना पड़ता है।

६. ग्राहकों की प्रतिष्ठा करना—एक विशेष चात जिसको सदैव ध्यान में रखना आवश्यक है यह है कि सारे व्यापार के बैन्ड ग्राहक हैं। व्यापारिक भवन ग्राहक के लिए होता है, ग्राहक व्यापारिक भवन के निए नहीं। व्यापार का उद्देश्य ही ग्राहकों को आकर्षित करना, उन्हें सतुष्ट करना और उन्हें बनाये रखना है। अत ग्राहकों की सतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को व्यापारी को कभी भी नहीं भुलाना चाहिये। इसीलिए कहा जाता है कि ‘ग्राहक सदैव टीक है।’ यदि कोई ग्राहक नाराज हो जाय, तो उसे विवेकपूर्वक शत और प्रसन्न कर देना चाहिये। ग्राहक को सतुष्ट करने या उसकी शिकायत दूर करने में कुछ अप्य तो अवश्य होता है किन्तु ग्राहक वे लाभ बने रहने के मूल्य के सापेक्ष वह कुछ भी नहीं है। सफल व्यापारी को मानवीय स्वभाव का अच्छा अध्ययन भी अत्यन्त आवश्यक है। ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए व्यापारी का हर माल का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। जो व्यापारी ग्राहकों का महत्व नहीं समझता, उसे सफलता के मार्ग में बड़ी बड़ी कठिनादयों का सामना करना होगा।

७. नये व्यापार का संगठन

यदि किसी व्यक्ति को स्थापित व्यापार के ग्रन्थ करने का भार सौंपा जाय, तो उसका काम विशेषतया कठिन नहीं होगा, क्योंकि व्यापार के विभिन्न घटनों

से सम्बन्धित नीति पहले से ही स्थिर होगी और उसे बेवल उनके अनुकूल कार्य करना पड़ेगा। हाँ, वह आवश्यकतानुसार उनमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन या हैर-फैर आवश्य करेगा। किन्तु यदि उसे कोई व्यापार नये सिरे से संगठित करना पड़े, तो उसका काम आवश्य कठिन होगा।

ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले व्यापारिक संगठन के वैधानिक स्वरूप, आवश्यक पूँजी, व्यापार की स्थिति, कर्मचारियों की संख्या और गुण, किरायलिय के सामान आदि विषय के संबंध में स्पष्ट और निश्चित नीति निर्धारित कर लेनी चाहिये। इसके बाद उसे वह चेष्टा करनी चाहिये कि मारा काम निर्धारित नीति के ही अनुकूल हो।

विशेषतया उसे सतर्क रहना चाहिये कि जिस पैमाने को निश्चित कर लिया गया है उसे बढ़ाया न जाए क्योंकि इससे पूँजी के कम हो जाने का मुझ होता है और इसके परिणाम खराच हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आरम्भ में यह अनुमान कर लिया जाना है कि लागत और मूल्य क्या होंगे और कितना लाभ होगा। व्यापार की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वास्तविक लागत, यथासम्भव अनुमानित लागत, अनुमानित मूल्य और वास्तविक मूल्य से कम ही रहे।

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इन्टर कामर्स

१. परीदा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् आप एक साधारण व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। व्यवसाय चुनने और स्थापित करने में जिस प्रणाली का आप अनुसरण करेंगे उसका संकेत में वर्णन कीजिये। (उ० प्र०, १६५४)

२. आपके मत में व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, उनकी विवेचना कीजिये। (य० पी०, १६५१)

३. नया व्यापार स्थापित करने में किन चारों पर ध्यान देना चाहिये और क्यों? (य० पी०, १६३६)

राजपृताना, इन्टर कामर्स

५. व्यापार में सफलता प्राप्त करने के प्रधान मूल तत्व क्या होते हैं ? (१६४५)

६. उत्तरी भारत में फर्नीचर वा व्यापार करने का निश्चय किया गया है और आपको २५०) मासिक के बेतान पर इसका जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। लिखिये कि आप व्यापार का समठन किस प्रकार करेंगे ? (राजपृताना, १६४६)

७. आपको एक लाल रुपया दिया जाता है। आप कौन सा व्यापार इस पूँजी से करेंगे ? आप अपना प्रधान कार्यालय कहाँ रखेंगे ? (राजपृताना, १६४६)

पटना, इन्टर कामर्स

८. व्यापार का आरम्भ करने के पहले किन-किन बातों पर ज्ञान देना आवश्यक है ? विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिये। (पटना, १६४८ वार्षिक)

बिहार, इन्टर कामर्स

९. व्यापार किसे कहते हैं ? यदि आप व्यापारी होना चाहते हैं, तो आप व्यापार का जुनाये कैसे करेंगे ? (बिहार, १६४४)

बनारस, इन्टर कामर्स

१०. मान लीजिये आप एक थोक व्यापार (जैसे किराने, का या साधारण सामान का) चलाना चाहते हैं। आप आवश्यक पूँजी का किस प्रकार अनुमान लगावेंगे ? यदि आप पूरी पूँजी स्वयं नहीं लगा सकते, तो शेष पूँजी किस प्रकार प्राप्त करेंगे ? (बनारस, १६४४)

मध्यभारत, इन्टर कामर्स

११. एक नये व्यवसाय की स्थापना करने समय क्या-क्या बातें ज्ञान में रखती होती हैं और क्यों ? (मध्यभारत, १६४५)

१२. मान लीजिये आप थोक व्यापार (किराने, करड़े या चिकाताखाने का) शुरू करना चाहते हैं। आप आवश्यक पूँजी का अनुमान किस प्रकार लगावेंगे, और यदि आप सारी पूँजी स्वयं नहीं लगा सकते तो उसे कैसे प्राप्त करेंगे ? (१६४५)

अध्याय ५१

व्यापारिक समिनियाँ

१. प्रारम्भिक

आधुनिक काल में उद्योगपति और व्यापारी सामान्य हित के मामलों में उहकारिता और मेल-मिलाप से काम करने के मूल्य को भूतकाल से अधिक उभयन्ते लगे हैं। व्यापारी अनुभव करते हैं कि यदि वे आपस में प्रतिद्रव्यिता इस सीमा तक करते रहें कि उनमें पूर्ण असहयोग हो जाय, तो इससे उनके सुरक्षा, और इसलिए उनके व्यक्तिगत, हितों की हानि होगी। इसी कारण वे व्यापारिक समझाएँ बनाकर मैल मिलाप से काम करने लगे हैं। हाल में कोई बारणों से इस मैल मिलाप की आवश्यकता और भी मुट्ठी हो गई है। पहली बात तो यह है कि पुराना सिद्धांत कि “जो सरकार सबसे कम शासन करती है वह सबसे भ्रष्ट है” अब त्याग दिया गया है, और सरकार व्यापार के सामान्य हेतु में अधिकाधिक हस्तक्षेप करती जा रही है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि व्यापारीगण समझित हों; अपने हितों की रक्षा करे; और सरकार को अपने कामों में अनुचित हस्तक्षेप करने से रोके। दूसरे, आजकल अम और दृंजी में विरोध तीव्र होता जा रहा है। मजदूर सौचते हैं कि मिल मालिक उन्हें उचित मजदूरी नहीं देते; और मिल मालिक कभी कभी यह सौचते हैं कि वे मजदूरों को उचित से अधिक मजदूरी दे रहे हैं। ऐसे विचारों का परिणाम होता है हड्डाले और तालेमन्दी, जिन्हे ‘श्रीदोगिक अशाति’ कहा जाता है। हड्डालें छूत रोग की भाँति एक कारखाने से दूसरे कारखाने में तेजी से फैलती हैं। ऐसे सुरक्षा अम मोर्चों का सम्पन्न करने के लिए उद्योगपति मों अपनी समझा समझित करते हैं जिन्हें कि मामला बिगड़ी गयी अवस्था और आदानी से सुलभ जान उठना अच्छा। तीव्र, आजकल के प्रगतिशील जन और याता-

यात एव सन्देशवाहन के शीघ्र साधनों के युग में वह आवश्यक है कि व्यापारी एक विशिष्ट सेवक-मण्डल नियुक्त करें जो उन्हे सामर्थ्यिक विकासों के सर्वे में रखें और उन्हें विभिन्न समस्याओं पर विशिष्ट सम्मति दे सके। ऐसा बहुधा व्यापारी केवल अकेला नहीं कर सकता, किन्तु यदि बहुत से व्यापारी सम्युक्त हो जायें तो ऐसा कर सकते हैं। चौथे, व्यापारी ध्रुव समझने लगे हैं कि व्यापारी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, आविष्कार और अन्वेषण उनके लिए बहुत लाभप्रद और सहायक होते हैं। अतः यदि वे ठीक प्रकार का एक संयुक्त समूह स्थापित करते, तो इन बातों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने समार के प्रत्येक देश में चेम्बर आव कामर्स तथा इसी प्रकार की अन्य व्यापारिक समस्याओं की स्थापना प्रोत्साहित की है।

यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि ऐसी संस्थाएं पूँजी का सह नहीं होतीं; वे पूँजीपतियों का सह होती हैं। पूँजी के सही के उदाहरण फर्म, संयुक्त पूँजी की कम्पनी, ट्रस्ट आदि हैं जिनका वर्णन हम इस ग्रन्थ की एक पहली शाखा में कर चुके हैं। ये पूँजी के सह उन व्यापारिक समस्याओं से मिल्न होते हैं जिन्हें पूँजीपति अपने सामान्य हित-वर्धन के लिये स्थापित करते हैं।

व्यापारिक समितियाँ दो भागों में विभाजित की जा सकती हैं—व्यावसायिक समितियाँ (Trade Associations) और व्यापार-मण्डल (Chamber of Commerce)। हम नीचे इन दोनों प्रकार की समितियों का विवरण देंगे।

५ २. व्यावसायिक समितियाँ

किसी विशेष उद्योग के उत्पादकों के संगठन को व्यावसायिक समिति कहते हैं। उदाहरण के लिये, बम्बई की मिलओनर्स एसोसिएशन सूखी-कपड़ों की मिलों के स्वामियों की समिति है और इसलिये यह व्यापारिक समिति की श्रेणी में आती है। बहुत से स्थानों में स्थानीय प्रकाशक समिति बना लेते हैं, जो इस प्रकार के सङ्गठन का दूसरा उदाहरण है। हम

नीचे अपने देश की कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक समितियों का ब्यौरा देते हैं।

१. मिल ओनर्स एसोसिएशन, बम्बई—इस सगड़न को देश के उद्गोगसमितियों की सबसे पुरानी तथा इससे महत्वपूर्ण समितियों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। देश की सूती मिल के स्वामी ही इसके सदस्य हो सकते हैं। यह समिति सूती कपड़े के आयात तथा निर्यात सम्बन्धी आँकड़े हर महीने प्रकाशित करती है। समय समय पर यह सूती कपड़े के उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले आँकड़े प्रकाशित करती है जो सर्वमान्य होते हैं। देश के सूती कपड़े के हर महत्वपूर्ण व्यापारिक चेन्ड्र में इसके संबाददाता उपस्थित रहते हैं और यह अपन सदस्य को मूलगों के बहान का बराबर ज्ञान कराती रहती है। सूती कपड़े के आयात मूलग तथा थोक-मूलग के आँकड़े भी यह बराबर देती रहती है। समिति की अम सम्बन्धी नीति आरम्भ से ही प्रगतिशादी रही है और इसके न्यात अभिकों की अपर्याप्त सुधारने में काष्ठी सफल रहे हैं। इसके अतिस्तिंष्ट देश की अर्थ-व्यवस्था में इस समिति का महत्वपूर्ण स्थान है और पार्लियामेंट, धारा समाचार तथा अन्य स्थानों में इसके प्रतिनिधि स्थान पाते हैं।

२. इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन, कलकत्ता—इस समिति ने देश की जूट की मिलों में निकट सहयोग तथा एकता स्थापित कर दी है और यह इसी के प्रयासों का परिणाम है कि जूट मिलें उत्पत्ति सीमित करने तथा मूल्य के मामले में एक ही नाति का पानन बहुधा करती रही है। इस समिति का एक अन्येषण विभाग तथा अन्यों प्रयोगशाला भी है जिसमें प्रवीण वैश निक अनुसधान करते रहते हैं और सदस्यों की विशिष्ट समस्याओं के हल करने में उद्दायक होते हैं।

३. पोसगुड़स नेटिव मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, बम्बई—इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। (अ) बम्बई के पोसगुड़स के व्यापारियों में एकता स्थापित करना और उनके हितों को रक्षा करना, (आ) इस व्यवसाय की कठिनाइयों का निवारण करना और इसके प्रसार का प्रयत्न करना, (इ) आँकड़ों को इकट्ठा

और प्रकाशित करना, और (ई) जो भगाडे इसके पास लाये जाये उनका निर्णय करना।

४. अन्य समितियाँ—इसी प्रकार की देश में काम करने वाली अन्य समितियों के नाम नीचे दिये जाते हैं : East India Cotton Association, All-India Food Preservers' Association, Grain and Oilseeds Merchants' Association of Bombay, Press Association of New Delhi, Pressowners' Association of Bombay.

काम और उद्देश्य

हमारे देश में काम करने वाली कुछ व्यापारियिक समितियों का जो वर्णन ऊपर दिया गया है, उससे इनके कार्यों तथा उद्देश्यों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। उसका संक्षिप्त व्यौरा नीचे दिया जाता है :

१. किसी विशेष व्यवसाय या व्यापार में सलग्न व्यापारियों में एकता स्थापित करना।

२. सम्बन्धित उद्योग की उपरिथित कठिनाइयों को दूर करना और उसकी उन्नति तथा विस्तार के लिये प्रयत्न करना।

३. उत्पादकों के लाभ के लिये उत्पत्ति, निर्यात, आयात तथा इसी प्रकार के और आँकड़े प्रकाशित करना।

४. विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त करना और प्रतिनिधि मेजना जिससे कि देश की आर्थिक नीति को उद्योग के हित के अनुकूल बनाश जाय।

५. एक सर्वभाव्य श्रम-सम्बन्धी नीति का प्रचार करना जो कि मालिकों और मजदूरों के हित में हो।

६. इसके पास जो भगाडे आवें, उनमें वीच बचाव करना।

७. यदि आवश्यक हो तो उत्पत्ति सीमित करना।

८. प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रीतियों से यह प्रयत्न करना कि समस्त उत्पादक समान्य मूल्य स्थिर करें जिससे कि उनमें स्वर्द्धान हो।

६. सदस्यों को विशिष्ट समति देना।

व्यावसायिक समितियों के लाभ

व्यावसायिक समितियाँ कुछ दिशाओं में बहुत लाभदायक सिद्ध हो चुकी हैं और उनको उगादेशन को पूर्णतया अस्तीकार नहीं किया जा सकता।

(१) उनके द्वारा प्रकाशित ऑफिस देख कर अकुशल उत्पादक अपनी लगत कम करने की चेष्टा करते हैं जिससे कि कार्यक्रमता में वृद्धि होती है। अकांडों को देख कर उद्योगपतयों का ज्ञान भी बढ़ता है। (२) अपने सदस्यों की विशिष्ट समस्याओं का ये हल करती हैं और बहुधा ऐसी सहायता कोई उद्योगपति बेबल अपने संघनों के आधार पर प्राप्त नहीं कर सकता। (३) एकता और मैशी हो जाने पर उद्योगपति समान नीति अपनाने लगते हैं जिससे उन सब को लाभ होता है और वे “आह्य मितव्ययिता” का पूरा लाभ उठाते हैं। (४) उत्पत्ति की मात्रा को सीमित करने तथा समान मूल्य स्थिर रखने का नीति का सर्वमान्य बनाकर ऐसी समितियों ने बहुधा उद्योग को सकट से बचाया है, जैसा कि हमारे देश में जूट उद्योग के पिंगड़ में हुआ है। (५) बहुधा प्रगतिशील धम नीति का अपनाकर उन्होंने श्रीयोगिक शाति स्थापित की है और उत्पत्ति का घटाया है। (६) उद्योग के इंजिनियरों को उत्पत्ति करके उन्होंने उपयुक्त आर्थिक नीति बनाने में सरकार की सहायता की है। (७) झगड़ों का नियंत्रण करके वे सदस्यों का अदालत के पर्वे तथा परेशानियों से बचाते हैं।

आलोचना

यह नी निस्सन्देह है कि उद्योग के तथा उसके सदस्यों के इंजिनियर, व्यावसायिक समितियाँ बहुत लाभदायक काम करती हैं, किन्तु यह प्रश्न बहुधा पूछा जाता है कि उनके कार्य समस्त समाज को भी लाभ पहुँचाते हैं या नहीं।

मूल्यों का नियन्त्रण और स्पर्धा को नियन्त्रित करना - बहुधा व्यावसायिक समितियाँ इसलिये स्थापित की जाती हैं कि वे किसी उद्योग के सदस्यों के वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ऑफिस और मूल्यनार्थ देती रहें जो उनके

लिये आवश्यक तथा उपयोगी हैं। किन्तु बहुधा वे अपने काम विलूप्त करती जाती हैं; और अन्त में वे उत्तादकों की स्पर्द्धा घटाने और मूल्यों को बनाये रखने या उनको बढ़ाने के प्रयत्न करने लगती हैं। कभी-कभी वे ऐसा प्रत्यक्ष रूप से करती हैं जैसा कि हमारे देश में इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने किया है। किन्तु प्रगतिशील औद्योगिक देशों में, जिन्हें एकाधिकार (monopoly) के दुष्परिणामों का अनुभव हो चुका है, वे परोक्ष (indirect) रीतियाँ अपनाती हैं। “मूल्य तथा उत्पत्ति सम्बन्धी आँकड़ों का प्रकाशन, समाज और स्थायी मूल्य की नीति के अपनाने में सहायक होता है; और जो मैत्री उत्पन्न हो जाती है वह मूल्य घटा कर स्पर्द्धा करने के विशद् सामान्य भावना उत्पन्न कर देती है, और व्यक्तियों को इस भावना के विरोध करने के लिये निर्बल बना देती है।”* जब मूल्य स्थायी करने या उनके बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, तब व्यावसायिक समितियों के काम निश्चय ही समाज विरोधी होते हैं।

आर्थिक नीतियों पर अनुचित प्रभाव डालना—कभी कभी ऐसी समितियों सरकार पर अनुचित प्रभाव प्राप्त कर लेती हैं, और फिर वे उसे ऐसी नीति अपनाने पर बाध्य करती हैं जो देश के हित में नहीं होती। इस प्रकार के भय भारत ऐसे पिछड़े हुए देश में अधिक हैं क्योंकि यहाँ बिना उद्योगपतियों की सहायता के उत्पत्ति नहीं बढ़ सकती। ऐसे चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि उद्योगपतियों की अत्यधिक लाभ की तुल्या सरकार को स्वतंत्र नीति के अपनाने में, जो देश के सर्वथा हित में हो, बाधक हो रही है। ऐसी समितियों के इस प्रकार के काम देश के लिये अहित कर होते हैं।

देखिये* J. K. Gifford *Economics for Commerce* (Brisbane, 1942), p. 176, A. R. Burns, *The Decline of Competition* (New York, 1936), p. 74.

उपचार

देश की सरकार को निरन्तर सजग रहना चाहिये कि व्यावसायिक समितियाँ मूल्या को स्थायी बनाकर अथवा देश की आर्थिक सथा व्यापारिक नीति पर अनुचित प्रभाव डाल कर देश के हित के विरुद्ध काम न करें। यदि ऐसी समितियों का उनकी हानिकारक शक्तियों से विहीन कर दिया जाय, तो वे देश का बहुत भला कर सकती हैं।

५३. व्यापार मण्डल या चैम्बर आब कामस

हम ऊपर बना चुक है एक किसी विशेष उद्गोग या किसी विशेष व्यापार के सामान्य हितों की रक्षा करने गाने सगड़न का “व्यापारिक सामर्ति” कहते हैं। किन्तु जो सगड़न समन्वय समाय, व्यापार तथा उद्योगों की हित रक्षा के लिये स्थापित किया जाता है, उसे “व्यापार मण्डल” कहा जाता है। अत. यह कहा जा सकता है कि व्यापारियों तथा उद्योगशालियों के सामान्य हितों की रक्षा तथा उनकी वृद्धि के लिये जा समिति स्वेच्छा से स्थापित की जाती है, उसे व्यापार मण्डल या चैम्बर आब कामस कहते हैं।

काम प्रोर उद्देश्य

व्यापार मण्डल के उद्देश्य निम्न विभिन्न तथा विस्तृत होते हैं किन्तु उन सब का उद्देश्य व्यवसाय, व्यापार तथा उद्योग को प्रात्साहन देना होता है। इनके कामों का सक्षिप्त व्यौरा नीचे दिया जाता है :

१. व्यवसाय, व्यापार तथा उद्योग का सहायता और प्रोत्साहन देना।
२. देश के व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करना।
३. सदस्यों के मतविरोध को दूर करना।
४. भागजों का पञ्चायत के आधार पर वैसला करना।
५. विभिन्न सगड़ों में अस्ते प्रतिनिधि भेजना जिससे कि देश की आर्थिक नीति व्यावसायिक हितों के अनुकूल हो।

- ६ सदस्यों को लाभदायक, वैज्ञानिक, और व्यावसायिक सूचना तथा ग्रॉकड़े देते रहना।
- ७ देश में व्यापारिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार में सहायता देना।
- ८ उद्गम के प्रमाण पत्र (Certificate of Origin) निर्गमित करना तथा अन्य रीति से पिंडेशी व्यापार में सहायता पहुँचाना।
- ९ देश और विदेश के आयातकर्ताओं और निर्भातकर्ताओं में समर्पक स्थापित करना।
- १० सदस्यों को शृणु घमूल करने में सहायता देना।
- ११ व्यापार और उद्योग से सम्बन्धित समस्थाओं पर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित करना।
- १२ सदस्यों का आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विश्वस्त सूचना देना।

भ

कठपर के विवरण से स्पष्ट है कि व्यापार मण्डल व्यक्तिगत व्यापारियों का ही नहीं बरन् देश के व्यापार और उद्योग भर को लाभ पहुँचाता है। पाठक को चाहिए कि व्यापार मण्डल के उपरोक्त कामों को दो बगा में बोंटे—वे जो व्यक्तिगत व्यापारियों को उपयोगी हैं और वे जो व्यापार और उद्योग को व्यापूर्वक रूप से लाभ पहुँचाते हैं।

भारत में व्यापार मण्डल

भारत में व्यापारमण्डलों की स्थापना हाल भी हुई है। जब अँग्रेजों ने इस देश में व्यापार करना तथा उद्योग चलाना आरम्भ किया, तब उन्होंने अपने हितों की रक्षा तथा वृद्धि के लिए व्यापार मण्डल की स्थापना की। चाद को जब देशवासी भी व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने भी इस प्रकार के संगठन के महत्व को समझा, और अपने हितों की रक्षा तथा वृद्धि के लिए उन्हें स्थापित किया। देश के जो भाग व्यापारिक तथा औद्योगिक दृष्टि से बढ़े हुये हैं, वहाँ ऐसे संगठन बड़ी सख्ती में पाये जाते हैं।

हम वर्तमान चैम्बरों को तीन भागों में बाँट रकते हैं : (१) वे जिनकी सदस्यता केवल योग्य निवासियों को खुली हुई है, (२) वे जिनकी सदस्यता केवल भारतीय व्यापारियों को खुली हुई है जैसे बम्बई का इंडियन मर्केन्ट्स चैम्बर; और (३) वे जिनकी सदस्यता योग्य निवासी और भारतवासी दोनों ही के लिये खुली हुई है। हम नीचे देश के कुछ महत्वपूर्ण चैम्बरों की सूची देते हैं : Bengal Chamber of Commerce, Bengal National Chamber of Commerce, Indian Chamber of Commerce, International Chamber of Commerce, and Associated Chamber of Commerce—ये सब बंगाल में हैं; Bombay Chamber of Commerce, Indian Merchants' Chamber, Maharashtra Chamber of Commerce—ये सब बम्बई में हैं, Madras Chamber of Commerce and Southern India Chamber of Commerce —ये सब मद्रास में हैं, Northern India Chamber of Commerce, Upper India Chamber of Commerce and Merchants' Chamber of U.P., and U.P. Chamber of Commerce—ये सब यू.पी. ही में हैं।

इंडियन चैम्बर आव कामर्स—हम नीचे कलकत्ते के इंडियन चैम्बर आव कामर्स के उद्देश्यों का उदाहरण के लिये वर्णन करते हैं जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ऐसी भौत्यात्री का क्या उद्देश्य होता है। यह चैम्बर सन् १९२५ ई० में मारत के व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों की उन्नति करने के लिए, और विशेषकर ऐसे व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए जिसमें भारतवासी सलझ हो, स्थापित हुआ था। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं : मारत के ऐसे व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों की सहायता करना और उन्हे प्रोत्साहित करना जो भारतीय पूँजी से जलाये गए हों और जिनका प्रबन्ध भारतीय हो; मारत और उसके किसी भी भाग के सामान्य व्यापारिक हितों पर दृष्टि रखना और उनकी रद्द करना, मुख्यतया भारत में व्यापार व्यवसाय और उद्योगों में सलझ भारतीयों ने हितों की रक्षा करना, इस चैम्बर के सदस्यों

के पारस्परिक मुगड़े निचटाना; चैम्बर की पचायत से जो पन्न निर्णय कराना चाहें और उस निर्णय के अनुकूल काम करने को राजी हों, उनके व्यापारिक सौदे सम्बन्धी भगड़े निचटाना, व्यापारिक और विशिष्ट शिक्षा को तथा कला और विज्ञान की उच्च शासाओं के अध्ययन को, जो व्यापार व्यवसाय और उद्योगों का विकास कर सकते हैं, प्रोत्साहित करना; कलकत्ते में व्यापारिक विनियम के लिए उपयुक्त इमारतें लेना, उन्हें नियमबद्ध करना और उन्हें चलाना; अन्य सब ऐसे काम करना जो व्यापार और व्यवसाय और उद्योगों की उन्नति में सहायक हों; और ऐसे काम करना जो उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो सकें।

व्यापार मण्डल का फैइरेशन—सन् १९१३ई० में सबसे पहले चम्बई के एक बड़े औद्योगिक और व्यापारिक नेता, सर फजल माई करीम माई, ने इस बात का सुझाव रखा कि देश के समस्त चैम्बरों को एक इडियन कार्मशियल कांग्रेस में सम्मुक्त हो जाना चाहिये। यह सुझाव बहुत अच्छा था और देश के विभिन्न भागों ने इसका समर्थन भी किया। अब; यद्यपि प्रथम महायुद्ध लिङ्ग जाने के कारण इस सुझाव को तुरन्त ही रचनात्मक रूप न दिया जा सका, किन्तु सन् १९१५ में इडियन कार्मशियल कांग्रेस का पहला अधिवेशन चम्बई में हुआ। देश के विभिन्न भागों से अनेक डेलीगेट कांग्रेस में उपस्थित हुये। कांग्रेस ने निश्चय किया कि एक समुक्त भारतीय चैम्बर आव कार्मस (Associated Indian Chambers of Commerce) स्थापित किया जाय और इस काम के लिये कमेटी भी नियुक्त की गई है। किन्तु समर्थन के अमाव ने कारण यह समगठन स्थापित न हो सका। सन् १९२६ के लगभग जब कि देश के सामने महत्वपूर्ण चलन सम्बन्धी समस्यायें उपस्थित हुईं, तब ऐसे समगठन की ओर भूमिका खान गया। एक और कांग्रेस कलकत्ते में सन् १९२६ में बुलाई गई जिसमें Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry की स्थापना का निश्चय हुआ। यह फैइरेशन स्थापित हो चुकी है और इसने अच्छा काम किया है। इस फैइरेशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(अ) भारतीय व्यापारियों को देशी और विदेशी व्यापार, यातायात, उद्योग, द्रान्विक तथा अन्य आर्थिक मामलों में प्रोत्साहित करना।

(आ) भारतीय व्यापार के सामान्य हित से सम्बंधित समस्त विषयों पर व्यापारिक समुदाय और संस्थाओं में मैत्री भाव एवं एकमत उत्साहित करना।

(इ) फैडरेशन के उद्देश्यों की पृति के लिये किसी भी सरकार, म्यूनिसिपल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड आयबा अन्य किसी अधिकृत संस्था के साथ समझौता करना, किसी सरकार या अधिकृत संस्था से समस्त अधिकार, सुविधाएँ या रियायतें प्राप्त करना, जिनको फैडरेशन उचित समझे, और ऐसे समझौते, अधिकारों, सुविधाओं और रियायतों का उपयोग करना।

(ई) फैडरेशन के उपकरण या उसके किसी भाग की विनी या व्यवस्था ऐसे प्रतिफल के लिये करना जो फैडरेशन ट्रीक समझे और 'विशेषतया' किसी भी ऐसी कम्पनी के शेयर, डिवैन्चर या सिक्योरिटी के लिये जिसके उद्देश्य पूर्णतया या अशत् फैडरेशन के समान हो।

(उ) फैडरेशन के पूर्णतया या अशत्: समान उद्देश्य वाली कम्पनी के शेयरों को खरीदना या और किसी षकार प्राप्त करना।

(ऊ) किसी इम्प को लेना और उसका काम करना यदि उसका करना फैडरेशन को उचित प्रतीत हो।

(ए) चिल आव एक्सचेंज, प्रामिलही नोट, बहाजी गिल्टी, आरेश पत्र, डिवे चर या अन्य सिक्योरिटियों व बेचान साध्य या हस्तातरण योग्य रक्की का लिचना, चनाना, स्वीकार करना, खुनाना, या निर्गमित करना।

भारतीय व्यापार मंडलों की आलोचना—व्यापार मंडलों ने व्यापारियों तथा उद्योगपतियों में एकता स्थापित करने तथा मारतीय व्यवसाय के अनुबुल परिवर्थिति उत्पन्न करने में प्रयत्नशील होकर अच्छा काम किया है। किन्तु उनमें कुछ दोष भी हैं :

१. कुछ व्यापार मंडल ऐसे समृद्धि के महत्वे लक्ष्य कामों को बिना समझे

स्थापित कर लिये जाते हैं और कभी कभी उनके सदस्य भी अनपढ़ होते हैं। परिणाम यह होता है कि वे अपना काम ठीक तरह नहीं कर पाते और थोड़े समय बाद ही वे बन्द हो जाते हैं।

२. कभी-कभी उनके पदाधिकारी स्पष्ट अपने लाभ और हित की चृद्धि की चेष्टा करने लगते हैं जिससे असतोष तथा अशांति फैलने लगती है।

३. कुछ मण्डलों का दृष्टिकोण सीमित होता है और वे पुराने तरीकों का पालन करते हैं।

४. कुछ मण्डलों के सदस्य केवल विदेशी ही हो सकते हैं और वे विदेशों के हित का ही ॥ ॥ रखते हैं।

५. कुछ मण्डल साम्राज्यिक आधार पर स्थापित होते हैं और वे मारतीय व्यवसाय को बहुत हानि पहुँचाते हैं।

६. कुछ मण्डलों का सगठन तथा प्रबंध इतना दूषित होता है कि इने गिने व्यक्ति ही समस्त शक्ति प्राप्त कर लेते हैं।

परीक्षा-प्रश्न

उत्तर प्रदेश, इन्टर कामर्स

१. चैम्बर आप कामर्स से व्यापारी का लाभ उठाता है ! (य० पी०, १६४५)

राजपूताना, इन्टर कामर्स

२. चैम्बर आप कामर्स क्या होता है ? मारत में चैम्बर आप कामर्स के सगठन और कार्यों की व्याख्या कीजिये, और मारतीय व्यापार एवं उद्योग को उनकी उपादेयता बढ़ाने के लिये सुझाव दीजिए। (राजपूताना, १६५२)

३. व्यापारिक समिति और चैम्बर आप कामर्स में क्या अन्तर है ? मारत में उनका महत्व भी चताइये। (राजपूताना, १६५२)

४. व्यापार मण्डल के प्रधान कार्य क्या होते हैं ? यह औद्योगिक व्यापारियों तथा सामान्य व्यापारियों की किस प्रकार सहायता करता है ? मारत के

किन्हीं तीन व्यापार-मण्डलों के नाम लिखिये और यह भी बताइये कि वे कहाँ स्थित हैं। (राजपूताना, १६५१)

५. व्यावसायिक समिति (Trade Association) और व्यापार मंडल (Chamber of Commerce) में अन्तर बताइये और भारतीय व्यापारियों को उनके महत्व बताइये। (राजपूताना, १६५०)

६. व्यापारिक संस्था और चैम्बर आव कामर्स का भेद बताइये। उनका व्यापारियों के लिये महत्व भी बताइये। (राजपूताना, १६४८)

७. भारत में विभिन्न व्यापारों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं में से कुछ के नाम बताइये। इनके क्या लाभ हैं? (राजपूताना, १६४८)

८. चैम्बर आव कामर्स क्या होता है? भारत में इनके संगठन तथा कार्यों की विवेचना कीजिए और बताइये कि उनकी उपादेयता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। (राजपूताना, १६४६)

९. चैम्बर आव कामर्स के प्रमुख काम क्या होते हैं? यह व्यक्तिगत व्यापारियों तथा व्यापारी वर्ग की किस प्रकार सहायता करता है? भारत में काम करने वाले दीन प्रमुख चैम्बर आव कामर्स के नाम बताइये और उनकी विधियाँ भी लिखिए। (राजपूताना, १६४४)

पटना, इन्टर कामर्स

१०. व्यावसायिक समिति और व्यापार मण्डल में अन्तर बताइए, और भारतीय व्यापारियों को उनके महत्व बताइये। (पटना, १६५२ वार्षिक)

११. व्यापारिक संस्थाओं के क्या उद्देश्य होते हैं? बिहार की इस प्रकार की संस्थाओं का वर्णन कीजिये। (पटना, १६५१ पूरक)

१२. समाज को और विशेषतया व्यापारी वर्ग को, चैम्बर आव कामर्स द्वारा लाभ पहुँचाते हैं? (पटना, १६५१)

१३. व्यापारिक संगठन क्या होता है? इसके विभिन्न स्वरूप और उनके कामों की विवेचना कीजिए। (पटना, १६४७)

१४. व्यापारिक समिति के क्या काम होते हैं और क्या काम होने चाहिये ? ऐसी समितियाँ किस प्रकार सामान्य हित की वृद्धि कर सकती हैं ? (पट्टा, १६४६)

बिहार, इन्टर कामसे

१५. व्यापारिक समितियाँ क्या होती हैं ? उनके सामान्य कार्य क्या हैं, और वे (अ) व्यक्तिगत व्यापारियों की तथा (आ) सामान्य व्यापारिक वर्ग के विशेषकार सहायता करती हैं ? (बिहार, १६५५)

अध्याय ५२

पेटेंट, डिजाइन तथा ट्रेड मार्क

१२. पेटेंट, डिजाइन तथा ट्रेड मार्क का अर्थ

व्यापारिक वस्तुओं की विक्रयक्षमता (Saleability) कई बातों पर निर्भर होती है जिसमें निम्न महत्वपूर्ण हैं :

- (१) वस्तु की उपादेयता और उसका स्थापन,
- (२) वस्तु की आकृति (appearance) का आकर्षण, तथा
- (३) वस्तु की बाजार में लोकप्रियता।

(१) वस्तु की उपादेयता बढ़ाने तथा लागत घटाने के लिये उत्पादक आविष्कारों (inventions) का प्रयोग करते हैं। आविष्कारकर्ता आविष्कारों को उद्योगपतियों को बेच देते हैं। आविष्कार करने में बड़े लगन से काम करना पड़ता है और इसमें बहुत बलिदान करना पड़ता है। अतः कानून आविष्कारकर्ता को यह अधिकार देता है कि आविष्कार का वही अकेला प्रयोग कर सकता है। आविष्कार की रक्षा प्राप्त करने के लिए आविष्कारकर्ता इंडियन पेटेंट एण्ड डिजाइन एकट १९२१ के भाग १ के अन्तर्गत पेटेंट प्राप्त कर सकता है।

(२) वस्तु की आकृति आकर्षक बनाने के लिये नई और मौलिक डिजाइनें व्यवहार में लाई जा सकती हैं। डिजाइन बनाने वाले बहुत लगन के साथ काम करने पर और बलिदान करके नई और मौलिक डिजाइनें निकालते हैं। अतः यदि और लोग उनकी नकल करने लगें और कानून उन्हें ऐसा करने दे, तो डिजाइन बनाने वाले को कोई उत्साह ही न होगा। अतः कानून मौलिक डिजाइनों की रक्षा करता है अर्थात् केवल बनाने वाले को उसका प्रयोग करने का एकमात्र अधिकार देता है। नई और मौलिक डिजाइनों की

रक्षा इंडियन पेटेंट्स एण्ड डिजाइन्स एकट, १९११, के भाग दो के अन्तर्गत डिजाइनों की रजिस्ट्री कराके प्राप्त की जा सकती है।

(३) यदि कोई माल उपयोगी हो और साथ ही साथ सस्ता भी हो, तो उसकी माँग बढ़ जाती है और उत्पादक का लाभ भी बढ़ जाता है। ऐसा पदार्थ बाजार में लोकप्रिय हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में धोखेवाज व्यापारी उस माल से मिलता जुलता माल मेंगाने लगते हैं और अचली माल का चाजार चिंगाइने लगते हैं। अतः ऐसे पदार्थ की लोकप्रियता की रक्षा करने के लिये जो उपादेयता तथा सहेतन के लिये विल्यात हो चुकी है, कानून ने यह व्यवस्था की है कि उत्पादक माल पर कोई विशिष्ट चिन्ह (ट्रेडमार्क) लगावे; और ऐसे चिन्ह के प्रयोग का एकमात्र अधिकार उस उत्पादक या व्यापारी का ही रहे। ट्रेड मार्क की रक्षा के लिये ट्रेड मार्क की रजिस्ट्री ट्रेड मार्क्स एकट १९१४ के अन्तर्गत कराई जा सकती है।

कार्यालय के पते

पेटेंट और डिजाइन की रजिस्ट्री के लिये आवेदन पत्र Controller of Patents and Designs, Patent Office, 214 Lower Circular Road, Calcutta को मेजना चाहिये, और ट्रेड मार्क की रजिस्ट्री के लिये आवेदन पत्र मेजने का पता यह है : Registrar of Trade Marks, Trade Marks Registry, Central Buildings, Queen's Road, Bombay.

२. पेटेंट प्रणाली

पेटेंट का अर्थ

किसी आविष्कार के बनाने, बेचने तथा प्रयुक्त करने का निरिवत अवधि के लिये और सरकार द्वारा प्रदत्त एकमात्र अधिकार पेटेंट (Patent) कहलाता है। पेटेंट के विषय में दो जाते समझ लेनी चाहिये : (अ) पेटेंट केवल आविष्कार का कराया जा सकता है, और (आ) पेटेंट आविष्कार की नवीनता का प्रमाण-पत्र होता है, उसकी उपादेयता का नहीं।

पेटेंट प्रथा के लाभ

आविष्कारकर्ता को लाभ—(१) इससे आविष्कारकर्ता को आविष्कार के प्रयोग का एकमात्र अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः आविष्कार का वह पूरा लाभ उठा सकता है। (२) आविष्कार का पता चल जाने पर भी और लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। (३) यदि कोई बिना आज्ञा के आविष्कार का प्रयोग करे तो कानून द्वारा उसे दण्ड दिलाया जा सकता है। (४) आविष्कारकर्ता को एकमात्र अधिकार प्राप्त होने के कारण, उसे व्यापारिक पैमाने पर मशीन बनाने के लिये पूँजी एकत्रित करना आसान हो जाता है। (५) यदि आविष्कारकर्ता चाहे, तो अपना आविष्कार बेच भी सकता है और अपना एकमात्र अधिकार दूसरे को दे सकता है। (६) पेटेंट इस बात का प्रमाण है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक आविष्कार किया।

समाज को लाभ—इस प्रथा के फलस्वरूप आविष्कारों की सख्त बढ़ जाती है और समाज की श्रौद्धोगिक उन्नति गतिशील होती है। (१) यह आविष्कारकर्ता को एकमात्र अधिकार देकर नये आविष्कार प्रोत्साहित करता है। (२) यह जन-साधारण में नये-नये आविष्कारों का ज्ञान पैलाती है। (३) यह आविष्कारों के व्यापारिक पैमाने पर उत्पन्न किये जाने को सम्भव बनाती है।

पेटेंट प्राप्त करने की रीति—आविष्कारकर्ता पेटेंट स्वयं प्राप्त कर सकता है। इसके लिये उसे इस रीति का पालन करना पड़ता है :

(१) पेटेंट के लिये आवेदन-पत्र देना—यह आवेदन पत्र निर्धारित स्वरूप में देना चाहिये। साथ में आविष्कार का विस्तृत समाचार (Specification), चित्र तथा फोटो भी भेजना पड़ती है।

(२) परीक्षा और स्वीकृति—इसके बाद पेटेंट आफिस में इस बात की परीक्षा की जाती है कि आविष्कार निर्माण-रीति (Process manufacture) से सम्भवित है और इसके बनाने की रीति सही-सही व्यक्त की गई

है। यदि परीक्षा सफल हुई, तो स्वीकृति दी जाती है और वह Gazette of India में प्रकाशित कर दी जाती है।

(३) विरोध—प्रकाशित होने से चार महीने के अन्दर कोई भी व्यक्ति आवेदन-पत्र का विरोध कर सकता है। विरोध का कारण यह हो सकता है कि आवेदक वास्तविक आविष्कारकर्ता नहीं, इसका विवरण ठीक नहीं दिया गया, आदि। कन्ड्रोलर दोनों पक्षों को मुनक्कर उचित निर्णय देता है।

(४) पेटेंट पर मुहर लगाना—विरोध का निवारण हो जाने पर, पेटेंट आफिस आवेदक से ३०) की फीस लेकर पेटेंट पर मुहर लगा देता है। फिर पेटेंट की प्रविधि Register of Patents में कर दी जाती है। पेटेंट की अवधि और उसका नवकरण

पेटेंट १६ साल के लिये दिया जाता है। पहले ४ सालों में नवकरण आवश्यक नहीं होता। किन्तु इसके बाद प्रति वर्ष निश्चित फीस देकर पेटेंट का नवकरण (renewal) कराना आवश्यक होता है।

५ ३. डिजाइन की रजिस्ट्री

किसी वस्तु की डिजाइन की भी रजिस्ट्री कराई जा सकती है। ऐसा Indian Patents and Designs Act के अन्तर्गत कराया जा सकता है।

परिभाषा

जब किसी वस्तु की आकृति (appearance) को आव्योगिक रीति द्वारा नया या मौलिक रूप दे दिया जाय, तो उसे नई या मौलिक डिजाइन कहते हैं और उसकी रजिस्ट्री कराई जा सकती है। रजिस्ट्री नभी होगी जबकि आकृति में कुछ नवीनता लाई गई हो। जिन पदार्थों को डिजाइनें रजिस्टर्ड कराई जा सकती हैं, वे १४ बग्गों में विभाजित कर दिये गये हैं।

रजिस्ट्री कराने की रीति

- आवेदन पत्र—आवेदन को एक आवेदन पत्र निर्धारित स्वरूप में भरना

चाहिये और उसे पेटेन्ट अपिस में मेज देना चाहिये। इसके साथ निर्धारित फीस और डिजाइन की चार नकल भेजना अनिवार्य है। नवीनता का सन्तुष्टि विवरण भी देना पड़ता है जैसे “ऐश ट्रे (Ash tray) की नवीनता उसकी शक्ल में है जैसा चित्र से विदित है”, “नवीनता चाय के बर्तन पर अंकित पूलवाली सजावट में है”, आदि।

रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र का निर्गम—आवेदन पत्र की पेटेन्ट आफिस में परीक्षा की जाती है और यह निश्चय लेया जाता है कि डिजाइन वारेन्ट में नई या मौलिक है। सब बातें ठीक होने पर आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, और आवेदन को रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। इसकी प्रविधि Register of Designs में भी कर दा जाती है।

अधिकारी और नववरण

प्रमाण पत्र पहले पहल पाँच साल के लिये दिया जाता है। उसके बाद यह दो बार १०) की फीस देकर पाँच पाँच साल के लिए बढ़वाया जा सकता है।

‘रजिस्टर्ड’ शब्द का अंकित करना

जिस वस्तु की डिजाइन रजिस्टर्ड करा ली गई हो, उसके हर अदाद पर ‘Registered’ या ‘Regd’ या ‘Rd’ शब्द अंकित करना अनिवार्य है।

५४. ट्रेड मार्क

१९४० का ट्रेड मार्क एकट व्यापारिक चिन्हों की रजिस्ट्री को व्यवस्था करता है। यह विधान पूरे भारत में (जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर) लागू है।

परिभाषा

ट्रेड मार्क उम चित्र, ब्राड, शीर्षक, लेबिल, टिकट, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर या संस्था को कहते हैं जो किसी वस्तु पर लगाई जाती है और जिसका उद्देश्य यह बताना होता है कि वह वस्तु किस उत्पादक की उनी हुई है।

रजिस्ट्री कराने की रीति

रजिस्ट्री कराने वाले व्यापारी को एक आवेदन-पत्र नियत स्वरूप में भर कर ट्रेड मार्क्स आफिस, बम्बई, को पीस तथा आवश्यक प्रलेखों के साथ भेज देना चाहिये। रजिस्ट्रार आवेदन-पत्र की परीक्षा करेगा; और सब बातें संतोष-जनक होने पर, वह आवेदन-पत्र का विश्लेषण करेगा। विश्लेषण से चार महीने के अन्दर कोई भी व्यक्ति आवेदन-पत्र का विरोध कर सकता है। ऐसा किया जाने पर रजिस्ट्रार दोनों पक्षों को सुनता है और अपना निर्णय देता है। विरोध का निवारण हो जाने पर रजिस्ट्रार ट्रेड मार्क की रजिस्ट्री कर देता है।

अवधि और नवचरण

ट्रेड मार्क पहले-पहल सात साल के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है। उसके बाद, यह १५ साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

अभ्यास के प्रश्न

१. पेटेन्ट किसे कहते हैं ? इसके क्या लाभ होते हैं ?
२. भारतीय पेटेन्ट प्रथा का वर्णन कीजिये ?
३. डिजाइन क्या होती है ? इसकी रजिस्ट्री किसे कराई जाती है ?
४. ट्रेड मार्क की परिभाषा दीजिए। इसकी रजिस्ट्री कराने की प्रथा का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

अध्याय ५३

क्रम-वंधन (Grading) तथा प्रमापीकरण (Standardisation)

उदाहरण में वस्तु को किस्म कई प्रकार से व्यक्त का जाती है। जैसे नमूना (sample) दियाकर, विवरण (Description) देकर, क्रम (Grade) का हवाला देकर, या प्रमाप (Standard) बताकर। नमूना दियाकर या विवरण द्वारा वस्तु की किस्म स्थिर करने में बहुत कठिनाई होती है और बहुधा मत में वर्तथा मनसुग्राव भी हो सकता है। फिर भविष्य के माल का क्रम-विक्रय (Future trading) विवरण या नमूने के आधार पर चलेव नहीं हो सकता है। अत आपुनिक काल म वस्तुओं के क्रम-विक्रय में क्रम (grade) या प्रमाप (standard) का संकेत देकर वस्तु की किस्म निश्चित कर देने का रिवाज बढ़ता जा रहा है।

१. प्रमाप तथा क्रम का अर्थ

प्रमाप (Standard)—जिस वस्तु की किस्म संदेव समान रखती जा सकती है, उसका प्रमाप स्थिर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक मोजा बनाने वाला अपने माजा की किस्म का संकेत इस प्रकार कर सकता है ‘क प्रमाप’, ‘ब प्रमाप’, ‘ग प्रमाप’ आदि। इसका यह अर्थ होगा कि ‘क प्रमाप’ का मोजा खण्डने पर क्रेता को उसी किस्म की वस्तु मिलेगी जो ‘क प्रमाप’ के नाम से जानी जाती है, और यही बात अन्य प्रमापों पर लागू होती हैं। बहुधा सरकार स्वयं प्रमाप निश्चित कर देती है और देश भर के उत्तरदाक इस बात को बता कर व्यापार करते हैं कि उनका माल किस प्रमाप या स्टैडर्ड का है। उदाहरण के लिए भारत में भारतीय प्रमाप सरथा (Indi-

an Standards Institute) पक्के माल के प्रमाप या स्टैण्डर्ड निश्चित करती है। प्रमाप या स्टैण्डर्ड अधिकतर पक्के माल के नियन किये जाते हैं क्योंकि प्रकृति-दत्त कच्चे माल की किस्म सदैव और पूर्णतया 'समान' नहीं होती। प्रमाप स्थिर करने की किया को प्रमारीकरण (Standardisation) कहा जाता है।

क्रम (Grade)—कच्चे माल की किस्म सदैव एक-सी नहीं रहती। एक खेत में कई किस्म का गेहूँ पैदा हो सकता है। एक व्यापारी की मुर्गियाँ छोटे-बड़े कई प्रकार के आड़े दे सकती हैं। अतः इन वस्तुओं का क्रम-बन्धन (Grading) कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, हर वस्तु के क्रम या वर्ग (Grades) बना दिए जाते हैं; हर क्रम या वर्ग के अधिकतम और न्यूनतम गुण निर्धारित कर दिये जाने हैं; और फिर उत्पन्न की हुई वस्तु को विभिन्न वर्गों या क्रमों में छाँट दिया जाता है। उत्पादक वस्तु के विभिन्न वर्गों को अलग अलग मूल्य पर बेच लेता है। इससे खरीदार को यह आश्वासन हो जाता है कि वह अमुक प्रकार का माल खरीद रहा है। व्यापारी को उच्च वर्ग का मूल्य अधिक मिलता है और निम्नवर्ग का कम; किन्तु औसत मूल्य उसे कुछ अधिक ही पड़ता है। क्रम या वर्ग स्थिर करने की किया क्रम-बन्धन (Grading) कहलाती है। क्रम-बन्धन अधिकतर कच्चे माल का किया जाता है। भारत में एगमार्क (Agmark) इसका उदाहरण है।

५२. भारत में क्रम-बन्धन की वर्तमान अवस्था

हमारे देश में कृषि की उपज को क्रम-बन्धन की कई चेष्टायें की गई हैं। इनका सहित वर्णन नीचे दिया जाता है।

एप्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट के अन्तर्गत

सन् १९३७ में भारत सरकार ने Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act बनाया। इसके अन्तर्गत खेती की उपज के क्रम-बन्धन की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में एक सूची (Schedule) दी है जिसमें लिखी हुई खेती की वस्तुओं के क्रम-बन्धन का

आयोजन किया गया है। गेहूं, आटा, चावल, तम्बाकू, आलू, फल, तिमहन, बनसपति यी आदि वस्तुये इस सूची में सम्मिलित हैं। सूचीबद्ध वस्तुओं का क्रम-वर्गन कर मी दिया गया है।

ऐगमाके—इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ नियम बनाये गये हैं जिनके अनुसार विभिन्न कंद्रों में सरकारी पैकर (authorised packers) नियुक्त किये गये हैं जिन्हें निश्चित क्रम या वर्ग या ग्रेड के माल को पैक करके उस पर AGMARK का लेबल या चिह्न लगाने का अधिकार है। इस लेबिल का माल देश में शुद्ध और अन्य धाजारू माल से शेष माना जाता है। सरकार भारत जॉन्च और नमूनों की परीक्षा करती रहती है जिससे कि ऐगमाके पदार्थों की किसम खराब न होने पर्वे।

अभाग्य का विषय है कि यह प्रथा अभी लोकप्रिय नहीं हुई। सन् १९५१ में केवल २२ करोड़ दरये की वस्तुओं ने ही क्रम-वर्गन से लाभ उठाया। यह कुड़ सेती की उपज का केवल १% है।

(२) ईस्ट इण्डिया काटन एसोसियेशन द्वारा

बम्बई की ईस्ट इण्डिया काटन एसोसियेशन क्यास का क्रय वर्गन करती आ रही है। इसके नियत क्रम या वर्ग देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं।

(३) राज्य सरकारों द्वारा

राज्य सरकारों ने भी कृषिजन्य पदार्थों के क्रम वर्गन की दिशा में कुछ काम किया है और इस ओर भी उन्नति हो रही है।

५३. भारतीय प्रमाण संस्था

भारत सरकार यह चाहती थी कि भारतीय उद्योगपति अपनी वस्तुओं को किसी बनाये रखें और ऐसा माल उन्यन्न करें जो विदेशी माल से मुकाबला कर सके। यह काम तब पूरा हो सकता है जब भारत सरकार कुछ प्रमाप या स्टैण्डर्ड रिधर कर दे और देश भर के उत्पादक उन प्रमाणों के अनुकूल माल

बनावें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सन् १९४६ में भारतीय प्रमाण संस्था (Indian Standards Institute) स्थापित की।

संस्था के उद्देश्य—इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(१) प्रमाण बनाना और उनको राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना,

(२) उद्योगों में प्रमाणीकरण, कालिटी नियन्त्रण तथा सरलकरण (Simplification) प्रोत्साहित करना,

(३) वस्तुओं के प्रमाणों की रजिस्ट्री का मन्तव्य करना, और

(४) वस्तुओं की जाँच और परीक्षा के लिये सुविधा प्रदान करना।

इस संस्था ने आरम्भ से ही इस दिशा में अच्छा काम किया है और व्यापार में आने वाले अधिकतर एक के माल के प्रमाण निश्चित किये जा चुके हैं। किन्तु इन प्रमाणों की लोकप्रियता अधिक नहीं हो पाई। कुछ लोगों की धारणा है कि बिना कानून द्वारा अनिवार्य बनाये इस दिशा में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इस संस्था ने अब “प्रमाण चिन्ह” (Certification Marks) देने की योजना चलाई है। इसके अतर्गत यह संस्था माल को जाँच करेगी और नियत प्रमाण के होने पर उन पर प्रमाण चिन्ह डाल देगी। इससे आहक को माल की किसी अच्छी होने का आश्वासन हो जायगा।

अभ्यास के प्रश्न

१. क्रम बन्धन तथा प्रमाणीकरण का अर्थ समझाइये। इनमें क्या भेद होता है?

२. भारत में तेती की उपज के क्रम बन्धन की वर्तमान दशा बताइये। ऐसाकर्के से आप क्या समझते हैं?

३. भारतीय प्रमाण संस्था के उद्देश्य और कार्यों पर प्रकाश डालिये।